ISSN No.: 0970-9398

सत्यमेव जयते

राजभाषा भारती का विशेषांक

हिंदी दिवस - 2023 एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, पुणे
की

स्मारिका

जन जन की
भाषा है हिंदी

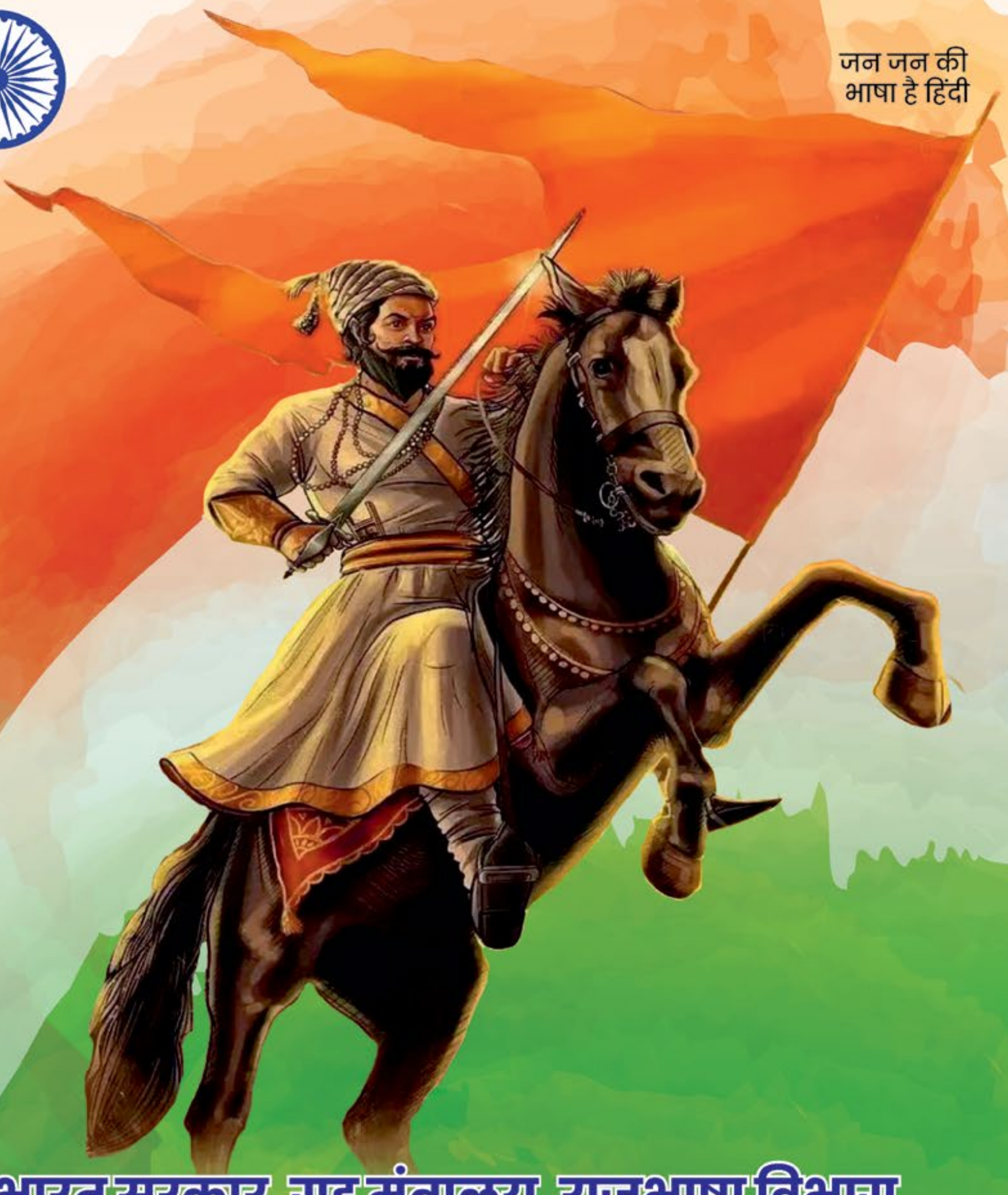

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

हमारे प्रेरणा स्रोत

"हमें प्रयत्नपूर्वक हिंदुस्तान की सभी बोलियों व भाषाओं में जो उत्तम चीजें हैं, उन्हें हिंदी भाषा की समृद्धि के लिए उसका हिस्सा बनाना चाहिए और यह प्रक्रिया अविरल चलती रहनी चाहिए।"

- नरेन्द्र मोदी (प्रधानमंत्री)

"आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सब हिंदी प्रेमियों को यह संकल्प लेना चाहिए कि जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हों, तब तक राजभाषा और स्थानीय भाषाओं का दबदबा इतना बुलंद हो कि किसी भी विदेशी भाषा का सहयोग न लेना पड़े।"

- अमित शाह (गृह एवं सहकारिता मंत्री)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

स्मारिका

तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन
14-15 सितंबर 2023, पुणे (महाराष्ट्र)

संरक्षक

अंशुली आर्या
सचिव, राजभाषा विभाग

प्रधान संपादक

डॉ. मीनाक्षी जौली
संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग

उप सचिव (पत्रिका)

प्रेम नारायण

उप संपादक

डॉ. धनेश द्विवेदी

स्मारिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उससे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

पत्र-व्यवहार का पता :

उप संपादक (पत्रिका)
राजभाषा विभाग
एनडीसीसी भवन-II, चौथा तल,
बी विंग, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001
ईमेल - patrika-ol@nic.in
वेबसाइट - rajbhasha.nic.in

नि:शुल्क वितरण के लिए

- राष्ट्रपति का संदेश 3
- उपराष्ट्रपति का संदेश 4
- प्रधानमंत्री का संदेश 5
- गृह मंत्री का संदेश 6
- गृह राज्य मंत्री (एन) का संदेश 7
- गृह राज्य मंत्री (ए एम) का संदेश 8
- गृह राज्य मंत्री (एन पी) का संदेश 9
- सचिव (रा.भा.) का संदेश 10
- संयुक्त सचिव (रा.भा.) का संदेश 11

क्र.स.	शीर्षक	रचनाकार	पृष्ठ
1	कुशल राजनीतिज्ञ, रणनीतिकार और प्रबंधन गुरू : छत्रपति शिवाजी	अविनाश कुमार	12
2	महाराष्ट्र की विराट राष्ट्रीय-सांस्कृतिक चेतना और हिंदी योगदान	डॉ. रामवृक्ष सिंह	19
3	आदिकाल से आधुनिक काल तक हिंदी की विकास यात्रा	डॉ.परेश रामकृष्ण सननसे	23
4	आजादी का अमृत काल और राजभाषा हिंदी	राजेश श्रीवास्तव	27
5	हिंदी के बिना संभव नहीं भारतीय संस्कृति का विकास	मोनालिसा पंवार	33
6	शिक्षा माध्यम में मातृ भाषा: नीतियां एवं क्रियान्वयन	सुनील कुमार भट्ट एवं डॉ. भास्कर चौधरी	37
7	विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जरूरी है हिंदी माध्यम में शिक्षण	डिगेश्वर साहू	43
8	विस्तृत विरासत का शहर - पुणे	अरुण कमल	47
9	मराठा संस्कृति और लोकाचार का शहर है पुणे	डॉ. सुनीता कुमार	50

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्र.स.	शीर्षक	रचनाकार	पृष्ठ
10	महाराष्ट्र की सांस्कृतिक नगरी पुणे का है समृद्ध हिंदी भाषा इतिहास	पद्मा कुलकर्णी	54
11	गौरवशाली इतिहास, शैक्षणिक व सांस्कृतिक परंपरा तथा प्राकृतिक सौंदर्य का साक्षी - पुणे	संजय राघव	59
12	भारत के विकास एवं वसुधैव कुटुम्बकम का आधार है हिंदी	एन. अव्हाडकर	63
13	आदिकाल से आधुनिकता की ओर हिंदी	प्रीति अग्रवाल	65
14	अति सूक्ष्म किंतु बेहद प्रभावी है-नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	राकेश कुमार	69
15	इंटरनेट के युग में बढ़ती हिंदी की वैश्विक धाक	प्रकाश चन्द्र	72
16	हिंदी का विकास और ऐतिहासिक शहर पुणे	आशिष सोनी	74
17	देश का सांस्कृतिक विस्तार समृद्ध करती हिंदी	गिरीश चन्द्र पाण्डे	77
18	हिंदी के विकास एवं लोकप्रियता में मुंबई चलचित्र नगरी का योगदान	मनोज कुमार	80
19	क्या हिंदी की दशा, दिशा और शुद्धता के प्रति हम सचेत हैं?	कमलेश कमल	82
20	बहुभाषिकता और हिंदी भाषा (संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव के संबंध में)	डॉ. पिंटू कुमार मीना	85
21	संवाद के तीन क्षण और राजभाषा कार्यान्वयन	डॉ. वी एल नरसिंहम शिवकोटि	88
22	भारत के संदर्भ में 'अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष-2023' की उद्देश्य प्राप्ति में राजभाषा हिंदी की प्रासंगिकता	डॉ. कान्ति भूषण पाण्डेय	91
23	खेल संस्कृति को विस्तारित करती हिंदी	देवेन्द्र कुमार	93
24	हिंदी साहित्य का फिल्मांतरण: स्थिति एवं संभावनाएँ	डॉ. गोकुल क्षीरसागर	96
25	अमृत काल: मीडिया तकनीकी के रथ पर सवार हिंदी	चयनिका दुबे	99
26	विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित में हिंदी: आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम	डॉ. राजनारायण अवस्थी	103
27	स्वतंत्रता के सौ वर्ष और हिंदी	विवेक शर्मा	108
28	2047 की हिंदी: एक व्यापक अन्वेषण	राहुल जैन	112
29	पंच प्रण और हिंदी भाषा के मध्य द्विदिश संबंध	निधि सिंह	115
30	कंठस्थ: राजभाषा की व्याप्ति का वरदान	कुहू माधव	119

सत्यमेव जयते

राष्ट्रपति
भारत गणतंत्र
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDIA

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा 14 और 15 सितंबर, 2023 को पुणे, महाराष्ट्र में हिंदी दिवस-2023 और तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है तथा इस अवसर पर 'राजभाषा भारती' का एक विशेषांक भी प्रकाशित किया जा रहा है।

आप सब जानते हैं कि भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 के दिन, हिंदी को शासकीय कार्यों के लिए संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था और, अन्य बातों के साथ-साथ, संघ सरकार को यह दायित्व सौंपा था कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इसलिए, भारत जैसे बहुभाषा-भाषी देश में, सबसे अधिक बोली जाने वाली, और राजभाषा के रूप में अंगीकृत भाषा के निरंतर विकास के लिए जिम्मेदार हिंदी भाषियों का यह कर्तव्य बन जाता है कि आप सब, देश की एकता एवं अखंडता में हिंदी की विशेष भूमिका को रेखांकित करें तथा भाषायी समरसता का वातावरण बनाए रखने में भरपूर योगदान करते रहें।

हिंदी भाषा की समावेशी प्रकृति ने हमें भारत की अन्य भाषाओं और विश्व की प्रमुख भाषाओं के साथ जोड़े रखा है। पिछले वर्षों में, हिंदी भाषा का प्रयोग ज्ञान-विज्ञान, अर्थव्यवस्था, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, विधि, चिकित्सा और अन्य अनेक क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़ा है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में मातृभाषाओं पर बल देते हुए, सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। मुझे विश्वास है कि इससे भारतीय भाषाओं के विकास के नए युग का सूत्रपात होगा।

हिंदी दिवस 2023 के विशाल आयोजन के प्रतिभागियों तथा तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में देश-भर से आने वाले सभी हिंदी-प्रेमियों तथा आयोजकों को मैं हिंदी दिवस की बधाई देती हूं और सम्मेलन की सफलता की कामना करती हूं।

द्रौपदी
(द्रौपदी मुर्मु)

नई दिल्ली
21 अगस्त, 2023

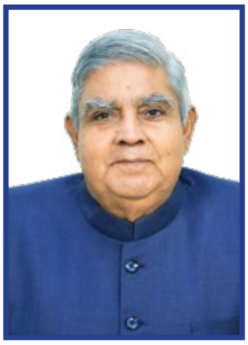

सत्यमेव जयते

उपराष्ट्रपति
भारत गणराज्य
VICE-PRESIDENT
REPUBLIC OF INDIA

संदेश

यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि हिंदी दिवस 2023 एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन पुणे में हो रहा है।

भारत वर्ष में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम बनाएं हैं जिनके तहत जारी आदेशों के माध्यम से राजभाषा हिंदी का प्रभावशाली कार्यान्वयन किया जा रहा है।

देश की अधिकतर जनसंख्या हिंदी बोलती और समझती है। हिंदी का विकास करके हम देश की एकता को सुदृढ़ कर सकते हैं। हिंदी की प्रगति के लिए सरकार में सभी का सक्रिय सहयोग और सतत प्रयास अपेक्षित है। राजभाषा हिंदी वर्ग विशेष की भाषा न होकर आम जन की भाषा होनी चाहिए जिसमें अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को भी उदारता से शामिल किया जाना चाहिए।

हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर प्रकाशित की जा रही स्मारिका के लिए राजभाषा विभाग और इसके अधिकारियों को मेरी शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि स्मारिका में राजभाषा हिंदी को लोकप्रिय बनाने और इसके व्यापक प्रयोग के संबंध में उपयोगी सामग्री प्रकाशित की जाएगी।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित

(जगदीप धनखड़) 22.08.23

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री

Prime Minister

संदेश

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हिन्दी दिवस के अवसर पर पुणे, महाराष्ट्र में 14-15 सितंबर 2023 को तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के आयोजन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। इस अवसर पर स्मारिका का प्रकाशन सराहनीय है।

भारत की सांस्कृतिक विविधता व विभिन्न भाषाओं की विरासत पर हर देशवासी को गर्व है। भारतीय भाषाओं में निहित ज्ञान का विपुल भंडार हमारी निरंतर प्रगति का आधार है। विविधताओं से भरे देश को एकता के सूत्र में बांधने में हमारी भाषाओं की बड़ी भूमिका रही है और हिन्दी ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है।

स्वाधीनता संग्राम के दौरान हिन्दी ने देशवासियों में राष्ट्रवाद की भावना को सशक्त करते हुए आजादी की अलख जगायी। भारत की गौरवपूर्ण संस्कृति व विकास से जन-जन को जोड़ने और औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति पाने में हिन्दी सहित विभिन्न भाषाओं की उपयोगिता अहम् होगी।

अपनी सरलता, सहजता व साहित्यिक विरासत के साथ-साथ हिन्दी आज सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक की भाषा के रूप में भी युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रही है। पहले कई ऐसे क्षेत्र थे जहां भाषा के कारण हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कठिनाई होती थी, पर अब इंजीनियरिंग व मेडिकल सहित अन्य क्षेत्रों में हिन्दी माध्यम से शिक्षा के प्रसार ने समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ने का समान अवसर दिया है।

अमृत काल में हम एक भव्य व विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तेजी से अग्रसर हैं। इस कर्तव्य काल में देशवासियों में अपनी विरासत पर गर्व के भाव को और मजबूत करने व राष्ट्र की उन्नति में हिन्दी की बड़ी भूमिका होगी।

मुझे विश्वास है कि यह सम्मेलन हिन्दी की उन्नति के लिए किए जा रहे प्रयासों को अधिक बल देगा। यहां होने वाली विचारपूर्ण चर्चा सभी लोगों को, विशेषकर युवाओं को इस भाषा से जुड़ने और इसे अपने विभिन्न कार्यों में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

हिन्दी दिवस पर मैं इसे समृद्ध और सशक्त बनाने में सतत् योगदान दे रहे सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं।

(नरेन्द्र मोदी)

नई दिल्ली

श्रावण 30, शक संवत् 1945

21 अगस्त, 2023

अमित शाह

गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

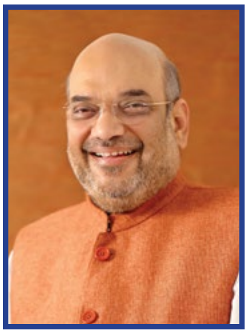

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यरत राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी दिवस-2023 एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर स्मारिका के रूप में राजभाषा भारती का विशेषांक प्रकाशित किया जा रहा है।

भारत भाषिक विविधता का देश है। भारत की भाषाओं और बोलियों का समुच्चय 'हिंदी भाषा' ने स्वतंत्रता आन्दोलन के मुश्किल दिनों में देश को एकता के सूत्र में बाँधने का अभूतपूर्व कार्य किया। हिंदी की इन्हीं लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण इसे आजादी के बाद भारत के राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदी को वैश्विक मंचों पर यथोचित सम्मान मिला है। अब विभिन्न मंत्रालयों के लगभग शत-प्रतिशत कार्य राजभाषा में हो रहे हैं। राजभाषा में कार्य को सरल व सहज बनाने हेतु राजभाषा विभाग ने अनुवाद टूल "कंठस्थ" और समावेशी शब्दकोश "हिंदी शब्द सिंधु" का निर्माण तथा 'नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों' का सशक्तीकरण किया है।

मुझे विश्वास है कि राजभाषा विभाग के उल्लेखनीय प्रयासों से राजभाषा संबंधी लक्ष्यों को जरूर प्राप्त किया जा सकेगा। मैं राजभाषा विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए विभाग की भावी योजनाओं के प्रति अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

(अमित शाह)

आज़ादी का अमृत महोत्सव
नित्यानन्द राय
NITYANAND RAI

सत्यमेव जयते

G20 भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली – 110001
MINISTER OF STATE FOR
HOME AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA
NORTH BLOCK, NEW DELHI - 110001

संदेश

हिंदी दिवस 2023 एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की पत्रिका "राजभाषा भारती" की स्मारिका का विमोचन एक अत्यंत सुखद सूचना है।

माननीय प्रधानमंत्री जी का सर्वभाषा प्रेम भारतीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से स्पष्ट दिखाई पड़ता है जिसमें मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर राजभाषा हिंदी में दिए गए वक्तव्य उनकी राजभाषा के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता को भी उल्लेखित करते हैं। आज पूरा विश्व भारत, भारतीय संस्कृति तथा भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान की दृष्टि रखता है, जिसके मुख्य कारण माननीय प्रधानमंत्री जी की कुशल नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता और अपनी भाषा तथा संस्कृति के प्रति समर्पण भाव ही हैं। विगत वर्षों में माननीय गृह मंत्री जी के विभिन्न प्रयासों से जहां एक ओर पूरे देश में राजभाषा हिंदी के प्रति सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक बाजार में भी हिंदी की मांग बढ़ी है। अब बड़े-बड़े वैश्विक व्यावसायिक संस्थानों द्वारा हिंदी में कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो हिंदी के बढ़ते कद का प्रतीक है।

हिंदी दिवस तथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों जैसे आयोजन सभी हिंदी प्रेमियों के लिए नई ऊर्जा संचार का सशक्त माध्यम होते हैं। मैं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को इस भव्य आयोजन हेतु बधाई देता हूँ।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

(नित्यानन्द राय)

नई दिल्ली।
07 अगस्त, 2023

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

अजय कुमार मिश्रा
AJAY KUMAR MISHRA

गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF STATE FOR
HOME AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी दिवस, 2023 एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर राजभाषा भारती का विशेषांक स्मारिका के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

इस बृहत आयोजन में अलग–अलग सत्रों में हिंदी की वर्तमान स्थिति से लेकर अमृत काल समाप्त होने तक हिंदी के विस्तार, प्रचार–प्रसार आदि विषयों पर विमर्श किया जाएगा। विगत वर्षों में माननीय गृह मंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में विभाग ने नई ऊर्जा के साथ अनेक उल्लेखनीय कार्य किये हैं। तकनीकी के साथ सामंजस्य बिठाते हुए समय की आवश्यकतानुसार सहज एवं सुलभ अनुवाद टूल का निर्माण हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर का पूर्णतया डिजिटल शब्दकोश, विभाग द्वारा आम जन के प्रयोग के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे है। आज कोई भी व्यक्ति इन तकनीकी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है।

माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी का सभी भारतीय भाषाओं के प्रति समान आकर्षण का यह परिणाम है कि आज राजभाषा तथा अन्य भारतीय भाषाओं के मध्य प्रतिस्पर्धा जैसे दुष्प्रचार समाप्त होते दिख रहे हैं, जो सभी भारतीय भाषाओं के अच्छे भविष्य का सूचक है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजभाषा भारती के इस विशेष अंक (स्मारिका) में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों द्वारा सभी पाठक लाभान्वित होंगे और राजभाषा संबंधी दायित्वों के निर्वहन के प्रति अधिक सजग होंगे।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

(अजय कुमार मिश्रा)

दिनांक: 07.08.2023
नई दिल्ली।

G20
भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

निशिथ प्रामाणिक
NISITH PRAMANIK

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF STATE FOR
HOME AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA

09 AUG 2023

संदेश

हिंदी दिवस 2023 एवं **तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन** के अवसर पर स्मारिका के रूप में "राजभाषा भारती" के इस अंक का प्रकाशन अत्यंत हर्ष का विषय है।

2. भारत की सभी भाषाएँ समृद्ध हैं, सबका अपना गौरवशाली इतिहास है। यदि भारतीय भाषाओं और उनके साहित्य का अवलोकन किया जाए तो ज्ञात होता है कि समस्त भारतीय साहित्य की चेतना का मूल एक समान है। भारतीय साहित्य और संस्कृति द्वारा दिए गए विचार पूरे विश्व में सराहे जा रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी भाषा में अपनी संस्कृति का अधिकतम प्रचार-प्रसार करें।

3. भारत सरकार द्वारा राजभाषा और सभी भारतीय भाषाओं के संवर्धन के समुचित प्रयास किये जा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी के कुशल और प्रेरक मार्गदर्शन में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय नित नये आयाम प्राप्त कर रहा है।

4. मैं हिंदी दिवस 2023 एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के सफल आयोजन की कामना करते हुए सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई देता हूँ।

(निशिथ प्रामाणिक)

अंशुली आर्या, आई.ए.एस.
सचिव
ANSHULI ARYA, I.A.S.
Secretary

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

संदेश

यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में हिंदी दिवस, 2023 एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर राजभाषा विभाग की पत्रिका 'राजभाषा भारती' के विशेषांक का पुणे में आयोजित इस सम्मेलन की स्मारिका के रूप में प्रकाशन एक सराहनीय प्रयास है।

भारत संघ की राजभाषा हिंदी है। हिंदी को भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बनाने के प्रयोजन से संविधान के अनुच्छेद 351 में यह निदेश दिया गया है कि हिंदी का विकास इस प्रकार किया जाए कि उसमें हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची में उल्लिखित दूसरी भारतीय भाषाओं के रूप, शब्दावलियों और पदावलियों का समावेश हो और आवश्यकता के अनुसार दूसरी भारतीय भाषाओं के शब्दों को भी उसमें लिया जाए। संविधान द्वारा दिए गए इस दायित्व के अंतर्गत राजभाषा विभाग द्वारा अनेक नवोन्मेषी कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 'हिंदी शब्द सिंधु' एक समावेशी कोश का निर्माण किया गया है। इसका लोकार्पण माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से हिंदी दिवस 2022 के अवसर पर किया गया। इस समावेशी कोश में सभी क्षेत्रों यथा मीडिया, विधि, तकनीकी, बैंकिंग इत्यादि के शब्दों को समाहित किया गया है। पूर्णतया डिजिटल यह कोश आमजन के लिए अत्यंत उपयोगी होगा।

तकनीकी सामंजस्य बिठाते हुए विभाग राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में तकनीक का प्रयोग भी कर रहा है। विश्वस्तरीय अनुवाद टूल कंठस्थ इसका सशक्त प्रमाण है। वर्तमान सरकार द्वारा भारत की सभी भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राजभाषा विभाग भी सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए निरंतर राजभाषा हिंदी के समृद्ध होने की दिशा में कार्य कर रहा है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुणे में होने वाले हिंदी दिवस 2023 एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन से हिंदी प्रेमियों में नई ऊर्जा का संचार होगा ।

शुभकामनाओं सहित

अं आर्या

(अंशुली आर्या)

डॉ० मीनाक्षी जौली
संयुक्त सचिव
DR. MEENAKSHI JOLLY
JOINT SECRETARY
Telefax : 23438130
E-mail : jsol@nic.in

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
राजभाषा विभाग
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,
4th FLOOR, N.D.C.C.-II BHAWAN,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001

संदेश

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा विगत 45 वर्षों से पत्रिका 'राजभाषा भारती' का प्रकाशन किया जा रहा है। 'राजभाषा भारती' सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों आदि के लिए राजभाषा की आदर्श पत्रिका के रूप में जानी जाती है। हमारा प्रयास होता है कि विभिन्न विषयों पर उत्कृष्ट लेखों का संग्रह कर एक मानक व उत्कृष्ट संग्रह पाठकों के सम्मुख रखा जाए और इस कार्य में हम सफल भी हो रहे हैं।

राजभाषा भारती का पिछला विशेषांक हिंदी के वैश्विक स्वरूप पर केंद्रित था और उसका विमोचन विश्व हिंदी सम्मेलन, फीजी के उद्घाटन सत्र में संपन्न हुआ। इसके बाद एक सामान्य अंक का प्रकाशन किया गया। हिंदी दिवस 2023 एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर पुन: राजभाषा भारती का विशेषांक एक स्मारिका के रूप में प्रकाशित हो रहा है, जिसका विमोचन माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय के कर कमलों से होना एक सुखद अनुभव होगा।

मैं राजभाषा भारती के सभी लेखकों से आग्रह करना चाहती हूँ कि विभाग में बडी संख्या में लेख प्राप्त होते हैं और समिति के सदस्यों द्वारा चयनित उत्कृष्ट लेखों को पत्रिका में स्थान मिलता है। जिन लेखकों के लेख शामिल होते हैं, उन्हें मैं हृदय से बधाई देती हूँ और जिन लेखकों के लेख शामिल नहीं किये जा सके, उनके लेखकों से पुन: संशोधित/परिमार्जित कर लेख भेजने का अनुरोध भी करती हूँ ताकि पत्रिका की गुणवत्ता बनाए रखी जा सके।

राजभाषा विभाग सभी सुधि पाठकों का हृदय से आभार व्यक्त करता है तथा उनके बहुमूल्य सुझावों का स्वागत करता है।

शुभकामनाएं

मीनाक्षी जौली

(डॉ. मीनाक्षी जौली)

कुशल राजनीतिज्ञ, रणनीतिकार और प्रबंधन गुरू: छत्रपति शिवाजी

अविनाश कुमार

भारत में अनेक वीरों ने जन्म लिया है और इनसे हमारी मातृभूमि पवित्र हुई है। इन वीरों में महाराजाधिराज श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सर्वप्रथम रखा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान भारतीय राजा और रणनीतिकार थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने अनुशासित एवं सुसंगठित प्रशासनिक सिद्धांतों की सहायता से एक कुशल प्रगतिशील प्रशासन की स्थापना की। उन्होंने मार्शल आर्ट में कई नए प्रयोग किए और गुरिल्ला युद्ध की एक नई शैली विकसित की। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक व्यवस्था और अदालती शिष्टाचार को पुनर्जीवित किया। भले ही छत्रपति शिवाजी महाराज आज से 400 साल पहले जन्मे थे, लेकिन उनकी नीतियाँ काफी आधुनिक थीं। उनकी शासन व्यवस्था को बारीकी से देखने पर उनके कई सिद्धांत आज भी बहुत ही प्रासंगिक लगते हैं।

छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म -

छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के एक महान योद्धा थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर के सुल्तान की सेना में सेनापति थे और उनकी माँ जीजाबाई जाधव वंश में जन्मी एक प्रतिभाशाली महिला थीं। ऐसा कहा जाता है कि जीजाबाई ने शिवाई देवी से पुत्र प्राप्ति के लिए मन्नत मांगी थी इसलिए उनका नाम शिवाजी रखा गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र उनके माता-पिता के समान था। वे अपने माता-पिता से बहुत प्रभावित थे। शिवाजी महाराज बहुत आस्तिक थे। ईश्वर में उनकी आस्था असीम थी। उनका बचपन अपनी माँ जीजाबाई के मुख से धार्मिक ग्रन्थों को सुनते हुए बीता था। एक आस्थावान हिन्दू होने के बावजूद भी शिवाजी महाराज ने हमेशा दूसरे धर्म के लोगों की आस्था का सम्मान किया। उनकी माँ जीजाबाई ने उन्हें राजनीति और युद्ध के साथ-साथ विदेशी शक्तियों पर हमला करने के लिए आवश्यक अनुशासन का प्रशिक्षण दिया था। उन्होंने महाराज की शिक्षा का कार्यभार संभाला और उन्हें युद्ध कौशल भी सिखाया था। कम उम्र में ही शिवाजी महाराज को युद्ध की रणनीतियां समझ आने लगी थी। उनके हृदय में स्वराज्य की लौ जल उठी थी और वे अपने राज्य को आज़ादी दिलाना चाहते थे। उन्हें कुछ साहसी और सच्चे मित्र भी मिले थे जिन्होंने शिवाजी महाराज को स्वराज स्थापित करने में सहायता की।

छत्रपति शिवाजी महाराज का पारिवारिक जीवन -

शिवाजी महाराज की पहली शादी सईबाई निंबालकर से हुई थी। बाद में उन्होंने सोयराबाई मोहिते, पुतलाबाई पालकर, सकवारबाई गायकवाड़, काशीबाई जाधव और सगुनाबाई शिंदे से शादी की। उनका विवाह गुणवंतीबाई इंगले और लक्ष्मीबाई विचारे से भी हुआ था। सईबाई ने संभाजी को और सोयराबाई ने राजाराम को जन्म दिया। इसके अलावा उनकी कुछ बेटियाँ भी थीं। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। चूँकि छत्रपति संभाजी महाराज की माँ का निधन कम उम्र में ही हो गया था, महाराज अपने पुत्र संभाजी से बहुत प्यार करते थे। छत्रपति संभाजी महाराज भी अपने पिता का बहुत सम्मान करते थे। बाप-बेटे का रिश्ता बहुत पवित्र था। उनकी इस जोड़ी को **शिव शम्भू** के नाम से भी जाना जाता है।

स्वराज बनाने की महत्वाकांक्षा -

शिवाजी महाराज का बचपन शिवनेरी के साथ-साथ माहुली (सातारा) और पुणे में बीता। शाहजी महाराज ने बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज और जीजाबाई को पूरे महाराष्ट्र का प्रशासन सौंप दिया और उन्हें पुणे भेज दिया। माँ जीजाबाई की तरह छत्रपति

शिवाजी महाराज में भी दृढ़ता, देशभक्ति और कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का हुनर था। अपनी माँ से मिली शिक्षा और प्रेरणा ने छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वराज बनाने के लिए प्रेरित किया था। स्वराज्य का अर्थ है अपना राज्य। शिवाजी महाराज को छोटी उम्र में ही पता चल गया था कि यदि उन्हें अपनी संप्रभुता की रक्षा करनी है तो किले आवश्यक हैं। दादोजी कोंडदेव की मृत्यु के बाद पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी छत्रपति शिवाजी महाराज पर थी। जब शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, तो उन्होंने रायगढ़ को अपने राज्य की राजधानी के तौर पर चुना। इसके बाद धीरे-धीरे उन्होंने सीमावर्ती किलों पर जीत हासिल कर इस साम्राज्य का और भी विस्तार किया। अपने साम्राज्य के विस्तार के दौरान उन्होंने मुगल सल्तनत, ब्रिटिश हुकूमत और अन्य सामंती हुकूमतों से लोहा लिया। तोरणा किला शिवाजी महाराज द्वारा हासिल किया गया पहला किला था। उसके बाद उन्होंने राजगढ़ सहित कुल 360 किलों पर कब्ज़ा कर लिया। उनके साथ तानाजी मालुसरे, नेताजी पालकर, कान्होजी जेधे, येसाजी कंक, बाजी प्रभु देशपांडे, बाजी पासलकर आदि वीर थे।

स्वराज्य की शपथ-

छत्रपति शिवाजी महाराज ने 16 साल की उम्र में ही कान्होजी जेधे, बाजी पासलकर, तानाजी मालुसरे, नरसप्रभु गुप्ते, सोनोपंत डबीर, सूर्याजी मालुसरे, येसाजी कंक, सूर्याजी काकड़े के साथ रायरेश्वर किले के रायरेश्वर मंदिर में स्वराज्य की शपथ ली। वो हिंदू स्वराज की स्थापना करना चाहते थे, उन्होंने बहादुर युवाओं का एक समूह बनाया जिसे "मावला" कहा जाता था। मावल क्षेत्र पश्चिमी घाट से सटा हुआ है और क्षेत्र 150 किमी लंबा और 30 किमी चौड़ा है। यहां के निवासी संघर्षमय जीवन के कारण एक कुशल योद्धा माने जाते थे। इस क्षेत्र में मराठाओं के साथ अन्य जाति के लोग भी निवास करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन सभी जाति के लोगों को 'मावला' के नाम पर संगठित किया और उनसे संपर्क कर उनके दुख दर्द जानने के प्रयास किए। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए मावलों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण था। इन मुट्ठी भर मावलों की सहायता से उन्होंने स्वराज की स्थापना की तथा सभी दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने हिंदू धर्म के वेदों, पुराणों और मंदिरों की रक्षा की। मावलों ने हिंदू स्वराज्य के लिए अपना खून बहाया और केवल पचास वर्षों की अवधि में बीजापुर और दिल्ली के राजाओं को अपने अधीन कर लिया था।

छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध और रक्षा तकनीकों में बहुत जल्द महारत हासिल कर ली थी और उन्होंने अपने जीवन में इसका बखूबी इस्तेमाल भी किया। एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बनाने की दिशा में, शिवाजी महाराज ने हर उस विरोधी से युद्ध कर उसे अपने अधीन करना शुरू कर दिया, जो उनके राज्य की सीमाक्षेत्र के करीब थे। इस तरह दिन ब दिन मराठा साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी महाराज की कूटनीति, शक्ति और वीरता की बदौलत और भी अधिक शक्तिशाली होता चला गया। शिवाजी महाराज ने आम लोगों को अत्याचारियों से मुक्त कराया, जिससे उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ख्याति मिली। अपने जीवन में उन्होंने आधुनिक युग के तानाशाहों को नष्ट करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जिसकी वजह से वे प्रजा के बीच लोकप्रिय हो चले थे।

तोरणा किले की लड़ाई -

सत्रहवीं शताब्दी में आम तौर पर किले पर किलेदारों का शासन होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने क्षेत्र में कई किलों पर कब्ज़ा कर लिया और कुछ नए किले भी बनवाए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1645 में स्वराज्य की शपथ लेने के बाद 1647 में सबसे पहले प्रचंडगढ़ किले पर कब्ज़ा करने का फैसला किया। उस समय प्रचंडगढ़ किला बीजापुर के आदिल शाह के नियंत्रण में था। कान्होजी जेधे, बाजी पासलकर, तानाजी मालुसरे, सूर्याजी मालुसरे, सूर्याजी काकड़े, येसाजी कंक, बापूजी मुदगल, सोनोपंत डबीर ने किले पर कब्जा कर लिया और स्वराज्य में पहले किले को शामिल किया तब उन्होंने प्रचंडगढ़ किले का नाम तोरणा रखा। इस बीच, छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिल शाह से कोंढाणा (सिंहगढ़ और पुरंदर) के किले भी छीन लिए और पुणे प्रांत पर अपना पूर्ण वर्चस्व हासिल कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने तोरणा किले के सामने मुरुंबदेव की पहाड़ी पर भी कब्ज़ा कर लिया, उसकी मरम्मत की और उसका नाम बदलकर राजगढ़ कर दिया।

अफजल खान की हत्या-

छत्रपति शिवाजी महाराज की बहादुरी के चर्चे चारों ओर होने लगे थे। उनकी किलों पर कब्ज़ा करने की मुहिम और तेज़ हो गई थी। इसके कारण मुगलों, निज़ामों और आदिल शाही के बीच अराजकता फैल गई। 1659 में आदिल शाह ने दरबार में छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या करवाने हेतु अपने सैनिकों को चुनौती दी। आदिल शाह अपने सैनिकों से बहुत क्रोधित था और तभी अफजल खान नाम का एक सैनिक आगे आया और उसने महाराज को मारने की कसम खाई। अफजल खान एक बड़ी सेना के साथ महाराज को हराने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने हिंदू धर्म के

सभी मंदिरों को नष्ट करना और गरीबों को भी परेशान करना शुरू कर दिया।

अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने के लिए संदेश भेजा। महाराज ने प्रतापगढ़ की तलहटी में अफजल खान द्वारा निर्मित शामियाने में निहत्थे मिलने का निर्णय लिया। महाराज के साथ जीवा महाले और अफजल खान के साथ विश्वस्त सरदार सैयद बंदा थे। अफजल खान ने अपने कोट के नीचे खंजर छिपा रखा था। छत्रपति शिवाजी महाराज को अनुमान था कि अफजल खान कोई षडयंत्र और घात करेगा। इसलिए उन्होंने अपने अंगरखे के नीचे कवच और अपनी मुट्ठी में बाघ के नाखून छिपाए हुए थे। अफजल खान लम्बे-चौड़े कद-काठी का था, फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज बिना किसी डर के उससे मिलने पहुँच गए।

शिवाजी महाराज को देखकर अफजल खान ने उन्हें गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, "आओ शिवा, हमारे गले लग जाओ"। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे गले लगाया। अफजल खान ने उन्हें अपनी बाहों में लेकर अपने छुपाये खंजर से छत्रपति शिवाजी महाराज की पीठ में वार कर दिया और महाराज को अपनी बाहों में दबाने की कोशिश की। छत्रपति शिवाजी महाराज पहले से ही सावधान थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान के पेट में बाघ के नाखून घुसाकर उसकी आंतें निकाल लीं। अफजल खान चिल्लाया "दगा दगा" उसकी आवाज सुनकर बाहर खड़ा सैयद बंदा अंदर आया। अफजल खान को मरा हुआ देखकर उसने छत्रपति शिवाजी महाराज पर हमला करने की कोशिश की। तब तक जीवा महाले ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे से आगे आकर उसके हमले को विफल करके सैयद बंदा को मारकर छत्रपति शिवाजी महाराज की जान बचाई। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धि से अफजल खान का वध कर दिया। झाड़ियों में छुपे सभी मावलों ने अफजल खान की सेना पर हमला कर उन्हें खदेड़ दिया। अफजल खान का बेटा फजल खान और उसकी कुछ सेना भी वाई की छावनी तक पहुंच गई थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के इस पराक्रम को देखकर वे पूरी सेना, हाथियों और घुड़सवार सेना को छोड़कर भाग गए।

पन्हाला की घेराबंदी -

अफजल खान की हत्या से आदिलशाही दरबार में हलचल मच गई और छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम की गाथा बीजापुर तक पहुँच गई। अफजल खान की हत्या के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोल्हापुर के पन्हाला किले पर विजय प्राप्त कर ली। यह आदिलशाही के लिए एक बड़ा झटका था। वाई से पन्हाला तक की भूमि का एक बड़ा हिस्सा अब मराठा साम्राज्य में शामिल था। अफजल खान के बेटे फजल खान और बीजापुर के रुस्तम-ए-ज़मान दोनों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकने के लिए मराठा साम्राज्य पर चढ़ाई कर दी। महाराज ने मात्र 5000 सैनिकों के साथ लड़ते हुए दोनों को हरा दिया। इन दोनों की पराजय से आदिलशाही सेना भड़क उठी। अबकी बार आदिल शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने के लिए सिद्धि जौहर को भेजा।

सिद्धि जौहर के साथ 20,000 घुड़सवार, 40,000 पैदल सेना और तोपखाने थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मिर्जा के किले को घेर लिया था, लेकिन यह जानने पर कि सिद्धि जौहर मराठा साम्राज्य पर आक्रमण कर रहा है, शिवाजी महाराज 1660 को पन्हालगढ़ पहुंचे। तब सिद्धि जौहर ने पन्हालगढ़ को घेर लिया। सिद्धि ने पन्हाला किले पर गोलीबारी शुरू कर दी लेकिन पन्हाला किले की ऊंचाई कम होने के कारण उनका निशाना चूक गया। सिद्धि ने अंग्रेजों से लंबी दूरी की बंदूकें और गोला-बारूद खरीदा और 1660 को सिद्धि ने पन्हालगढ़ पर फिर से गोलीबारी शुरू कर दी। अंग्रेजों ने महाराज के साथ शांति संधि तोड़ दी और सिद्धि जौहर की मदद की। घेराबंदी इतनी भीषण थी फिर भी महाराज को लगा कि घेराबंदी अधिक समय तक नहीं टिकेगी क्योंकि बारिश करीब आ रही थी। लेकिन सिद्धि जौहर ने बारिश से बचने के लिए पहले से ही पुख्ता व्यवस्था कर रखी थी।

जैसे ही घेराबंदी तेज़ हुई, नेताजी पालकर ने सीधे बीजापुर पर हमला किया लेकिन बीजापुर सेना से हार गए। अब जीजाबाई को शिवबा की बहुत चिंता होने लगी। जीजाबाई ने स्वयं हथियार उठाकर पन्हाला की घेराबंदी को तोड़ने का फैसला किया लेकिन नेताजी पालकर ने जिम्मेदारी ली। नेताजी पालकर ने सिद्धि, हिलाल और उसके बेटों पर पन्हालगढ़ में हमला किया लेकिन वे असफल रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने वकील पंत के द्वारा एक पत्र सिद्धि जौहर को भेजा जिसमें लिखा था कि सभी अर्जित धन और महल आपके कब्जे में देने के लिए तैयार हैं। इस पत्र को पढ़कर मुगल बहुत खुश हुए और इतने लंबे समय से चली आ रही घेराबंदी में ढील दी। इस अवसर का फायदा उठाकर शिवाजी महाराज ने रात में पन्हालगढ़ छोड़कर विशालगढ़ जाने का निर्णय लिया। किले के 8000 सैनिकों में से, उन्होंने लगभग 600 प्रमुख मावलों के साथ विशालगढ़ की ओर बढ़ने का फैसला किया। इसके लिए महाराज ने दूर का रास्ता चुना और उन्होंने विशालगढ़ की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। जैसे ही सिद्धि जौहर ने पन्हालगढ़ से महाराज के भागने की खबर सुनी, उसने अपनी कुछ सेना वापस भेज दी और वह खुद गजपुर घाट के रास्ते महाराज का पीछा करने लगा। जब सिद्धि जौहर गजपुर घाट पहुंचे, तब तक बाजी प्रभु देशपांडे ने महाराज को 300 मावलाओं के साथ विशालगढ़ जाने के लिए कहा और वे स्वयं 300 मावलाओं के साथ गजपुर घाट पर रुक गए। इस युद्ध में बाजी प्रभु पर हमला हुआ और कई मावला मारे गए, लेकिन बाजी प्रभु अंत तक लड़ते रहे। फिर भी उन्होंने सिद्धि जौहर को घाट पार करने नहीं दिया। वे जैसे केवल महाराज के किले तक पहुंचने

का इंतजार कर रहे थे, महाराज के विशालगढ़ पहुंचते ही तोपों की आवाज आई और बाजी प्रभु ने अपने प्राण त्याग दिए। मृत्यु पूर्व उन्हें तसल्ली थी कि महाराज सुरक्षित विशालगढ़ पहुंच गए हैं। यह दर्रा बाजी प्रभु और कई मावलों के रक्त और बलिदान से पवित्र हो गया था जिसके कारण गजपुर दर्रे को पावनखिंड नाम दिया गया।

शाइस्ता खां से संघर्ष

मुगलों और शिवाजी का संघर्ष मुख्य तौर पर औरंगजेब के शासनकाल में ही था। शाहजहां के काल में मुगल बीजापुर और गोलकुण्डा के दमन में ही लगे रहे न उन्होंने शिवाजी की तरफ ज्यादा ध्यान दिया और न शिवाजी ने उनके खिलाफ कोई खास काम किया। 1660 में दक्षिण के सूबेदार शाइस्ता खां को औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के आदेश दिये। शाइस्ता खां ने पूना, चाकन और कल्याण पर अधिकार कर लिया।1663 में शाइस्ता खां पूना में ठहरा हुआ था। 15 अप्रैल 1663 की रात्रि को शिवाजी अपने कुछ चुने हुए साथियों के साथ पूना में घूसे। रात को शाइस्ता खां के डेरे पर आक्रमण कर दिया। भागते हुए शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया लेकिन जान बच गयी। जनवरी 1664 में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण कर मुगल अधिकारी को भगा दिया। सूरत को लूटकर शिवाजी स्वराज्य की सेना हेतु काफी धन पाने में सफल हुए। शाइस्ता खां को दक्षिण से वापस बुला लिया गया।

सूरत की लूट -

शाइस्ता खां को परास्त करने के बाद शिवाजी के उत्साह में और ज्यादा वृद्धि हो गई। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शिवाजी ने सूरत, जो कि आर्थिक स्थिति से संपन्न था, पर 1664 में धावा बोल दिया इस धावे में शिवाजी ने 10 करोड़ रुपये से भी अधिक की लूट की। सूरत की इस जीत से छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान बढ़ गया। चल रहे युद्ध ने स्वराज्य के खजाने को नुकसान पहुँचाया था। जिसकी अब भरपाई हो गई थी।

सूरत पश्चिमी व्यापारियों के लिए एक बंदरगाह और भारतीय मुसलमानों के लिए हज का प्रवेश द्वार था। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने 6000 सैनिकों के साथ 1664 में सूरत के व्यापारियों को लूटा था। यह लूट महाराज ने बूढ़ों , महिलाओं और बच्चों को मारे बिना की थी। इस लूट के दो उद्देश्य थे- एक तो मुगल सत्ता को आकर्षित करना और दूसरा स्वराज्य का खजाना बढ़ाना।

1670 में महाराज ने दूसरी बार सूरत को लूटा, जिससे उन्हें 132 लाख की संपत्ति प्राप्त हुई और वापस लौटने पर उन्होंने मुगलों को हराया।

पुरंदर की संधि -

आदिल शाह छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रगति से परेशान था और उसने शाहजी राजा को छत्रपति शिवाजी महाराज पर नजर रखने के लिए कहा लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाहजी महाराज की परवाह किए बिना अपना शासन जारी रखा। फिर आदिल शाह ने 1649 में शाहजी राजा को कैद कर लिया। चूंकि आदिलशाह के अधिकांश किले छत्रपति शिवाजी महाराज के नियंत्रण में थे, इसलिए आदिलशाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर नजर रखने के लिए फतेह खान को नियुक्त किया।

छत्रपति शिवाजी महाराज ने आगे की युद्ध की रणनीति के लिए पुरंदर किले को चुना लेकिन उस समय पुरंदर किला मराठों के नियंत्रण में नहीं था बल्कि उस समय यह महादजी नीलकंठराव के नियंत्रण में था। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत मुश्किल स्थिति में थे क्योंकि उनके पिता आदिल शाह के नियंत्रण में थे और दूसरी ओर फतेह खान से उनकी संप्रभुता को खतरा था। उसी समय पुरंदर के किलेदार की मृत्यु हो गई और उसके तीन पुत्रों ने किले पर कब्ज़ा करने के लिए लड़ाई की। इसका फायदा फतेह खान ने उठाते हुए पुरंदर के किले पर कब्जा कर लिया।

इसी समय शिवाजी महाराज का प्रवेश हुआ। मराठाओं ने फतेह खान से युद्ध करके यह किला अपने कब्जे में लिया। इस युद्ध में शिवाजी महाराज को बड़ी सफलता मिली। बाद में, एक वफादार सरदार नेताजी पालकर को किलेदार के रूप में नियुक्त किया गया। महाराज यहीं तक नहीं रुके, बल्कि पश्चिमी तट पर सूरत के बंदरगाह के प्रमुख शहरों में प्रवेश किया। सूरत की लूटपाट और शाइस्ता खान की हार से औरंगजेब क्रोधित हो गया और उसने शिवाजी महाराज को हराने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह को नियुक्त किया। मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच, 11 जून, 1665 को पुरन्दर की संधि (मराठी : पुरंदर चा तह)) पर हस्ताक्षर किए गए थे। जय सिंह द्वारा पुरंदर किले की घेराबंदी करने के बाद शिवाजी को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब शिवाजी ने महसूस किया कि मुगल साम्राज्य के साथ युद्ध केवल साम्राज्य को नुकसान पहुंचाएगा और उनके लोगों को भारी नुकसान होगा, तो उन्होंने मुगलों के अधीन अपने लोगों को छोड़ने के बजाय एक संधि करने का फैसला किया।

संधि के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

- शिवाजी ने बारह किलों को रखा और साथ में 100,000 (1 लाख) हूणों की आय का क्षेत्र।
- शिवाजी को जब भी और जहाँ भी आवश्यकता हुई मुगलों की मदद करने की आवश्यकता थी।
- शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगलों के अधीन 5,000-मजबूत बल की कमान सौंपी गई थी। यदि शिवाजी विजापुर के नियंत्रण में कोंकण क्षेत्र पर दावा करते हैं तो उन्हें मुगलों को 4 मिलियन (40 लाख) का भुगतान करना होगा।

उन्हें पुरंदर, रुद्रमल, कोंडाना, कर्नाला, लोहागढ़, इसागाद, तुंग, तिकोना, रोहिड़ा किला, नरदुर्गा, महुली, भंडारदुर्ग, पलसखोल, रूपगढ़, बख्तगड, मोरबखान, मानिकगढ़, सरूपगढ, सकदगढ़, *सक्तेगड़, अपने किलों को छोड़ना पड़ा।

इन आवश्यकताओं के साथ, शिवाजी आगे की राजनीतिक वार्ता के लिए औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा जाने के लिए सहमत हुए।

आगरा से रिहाई - महाराज का जीवन बहुत दुष्कर था। एक संकट ख़त्म हुआ ही था तो दूसरा संकट उनका इंतज़ार कर रहा था। पन्हाला और पुरंदर की मुठभेड़ ने औरंगजेब को क्रोधित कर दिया और इसलिए उसने महाराज को बातचीत के लिए दिल्ली आमंत्रित किया। महाराज संभाजी के साथ दिल्ली पहुँचे। जब वे दरबार में पहुँचे तो औरंगजेब ने उन्हें वह सम्मान नहीं दिया जिसकी उन्हें उम्मीद थी उन्हें अपमानित किया गया इसलिए वे तुरंत दरबार से निकल गये, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अपने सैनिक भेजे और उन्हें पकड़कर नजरबंद कर लिया।

छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम और वीरता के कारण सभी उनसे डरते थे। मिर्जा राजे राम सिंह को भी यही डर था, इसीलिए वह महाराज पर कड़ी नजर रखता था। अब महाराज का बच निकलना थोड़ा कठिन हो गया। लेकिन हर बार महाराज कुछ नई तरकीब निकाल ही लेते थे। महाराज ने बीमार होने का नाटक किया। जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने फल मंगवाना शुरू कर दिया। पहले तो इन बक्सों को बहुत अच्छी तरह से चेक किया जाता था लेकिन कुछ दिनों बाद चेकिंग में कुछ लापरवाही देखने को मिली। तब छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने इस मौके का फायदा उठाया। जब डिब्बे बिना जांच किए अंदर चले गए तब वो एक डिब्बे में बैठकर भाग निकले। उनकी जगह उनके भरोसेमंद सरदार हिरोजी फर्जद ने ले ली, कपड़े पहने और कमरे में सो गये। जब कमरे में कोई हलचल नहीं दिखी तो पहरेदारों ने तलाशी शुरू की। लेकिन उनके हाथों से बच निकलने के 24 घंटे बाद ही उन्हें इसका एहसास हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज यहां से भाग निकले हैं।

छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र लौट आये थे। अब दिल्ली के अपमान का बदला लेने का समय आ गया था। उन्होंने सबसे पहले कोंढाणा किले को जीतने का निश्चय किया। कोंढाणा की लड़ाई में जीत हुई लेकिन शूरवीर तानाजी मालुसरे की वीरतापूर्वक मृत्यु हो गई। बाकी किले भी महाराज ने सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिये।

दक्षिणी मिशन-

महाराज ने दक्षिणी अभियान में गोलकोंडा के कुतुब शाह से सहायता मांगी। जब महाराज गोलकोंडा पहुंचे तो कुतुब शाह ने उनका बहुत सम्मान किया, उनका स्वागत किया और उन्हें अपने ही सिंहासन पर बिठाया। चेन्नै के दक्षिण में जंजी किला रायगढ़ जितना ही बड़ा और महत्वपूर्ण था। महाराज ने इस किले पर भी कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद महाराज ने वेल्लोर के किले पर कब्ज़ा करने का फैसला किया। कई दिनों की घेराबंदी के बाद भी वेल्लोर के किले पर कब्ज़ा नहीं हो सका, इसलिए महाराज ने वेल्लोर के सामने की पहाड़ी से किले पर गोलीबारी शुरू कर दी और कुछ ही समय में किला भी स्वराज्य के नियंत्रण में हो गया।

छत्रपति शिवाजी महाराज के सौतेले भाई वेंकोजी राजे के पास कर्नाटक में जहांगीरदारी थी, इसलिए वे चाहते थे कि स्वराज्य की स्थापना में उनकी मदद मिले। महाराज ने अपने भाई वेंकोजी राजे को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन वे बहुत इच्छुक नहीं थे। वे कुछ दिनों तक महाराज के साथ रहे और फिर तंजावुर चले गये। बाद में महाराज की सेना पर आक्रमण कर दिया, लेकिन महाराज ने उन्हें भी हरा दिया और फिर उन्हें दक्षिण में कुछ क्षेत्र भी भेंट कर दिए।

रामदास स्वामी और छत्रपति शिवाजी महाराज -

द्रोणाचार्य और एकलव्य की तरह रामदास स्वामी और शिवाजी महाराज के संबंध भी गुरु शिष्य के थे। रामदास स्वामी ने महाराज को हिंदू स्वराज्य की स्थापना के लिए भी प्रेरित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में रामदास स्वामी के प्रति बहुत सम्मान और प्रेम था। रामदास स्वामी के मन में भी महाराज के प्रति आदर था। सन 1678 को महाराज ने समर्थ रामदास स्वामी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में महाराज ने समर्थ रामदास स्वामी के प्रति अपनी निष्ठा, उनके प्रति अपना सम्मान, उनके प्रति अपना प्रेम व्यक्त

किया। वास्तव में देखा जाए तो समर्थ रामदास स्वामी छत्रपति शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने महाराज को स्वराज्य स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया तथा उनकी अनेक समस्याओं के निराकरण हेतु उन्हें राह भी दिखाई।

राज्याभिषेक-

मराठों का उत्थान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और संस्थागत कारणों से हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू साम्राज्य के राजा थे इस बारे में कोई संदेह नहीं है। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर उनकी स्थिति किसी राजा या सम्राट जैसी नहीं थी। चूँकि वह एक अभिषिक्त राजा नहीं थे इसलिए उन्हें और उनके सहयोगियों को शासन करते समय कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए राज्याभिषेक आवश्यक था।

इसलिए स्वराज की स्थापना और भविष्य की सुरक्षा की गारंटी के लिए उनका राज्याभिषेक बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। उस समय के लोग महाराज को हिंदुत्व के लिए लड़ने वाले नेता के रूप में देखते थे। अपना हिंदू स्वराज्य स्थापित करना और अपने अधिकारों के लिए लड़ना महाराज का भी सपना था। अब हिन्दू स्वराज्य की स्थापना का अर्थ था हिन्दू छत्रपति प्राप्त करना। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया।

प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार केवल क्षत्रिय धर्म का व्यक्ति ही राजा बन सकता था। और चूंकि छत्रपति शिवाजी महाराज भोंसले वंश के थे, वे कुनबी थे और ऐसे परिवार से कोई भी राजा नहीं बन सकता था। राजा बनने के लिए क्षत्रिय होना आवश्यक था। इसके बिना भारत के सभी ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करना असंभव था। राज्याभिषेक का विरोध करने वालों को चुप कराने के लिए एक पंडित की आवश्यकता थी और यह आवश्यकता गंगाभट्ट के रूप में पूरी हुई। शुरुआत में कई कठिनाइयां आयी लेकिन कुछ समय बाद गंगाभट्ट ने छत्रपति शिवाजी महाराज को क्षत्रिय कुलवंत के रूप में स्वीकार कर लिया। भोंसले वंश उदयपुर के क्षत्रिय वंश से संबंधित था। भोंसले वंश लंबे संघर्ष के बाद भगवान रामचन्द्र के सूर्य कुल का एक शुद्ध क्षत्रिय वंश है, यह सिद्ध हो गया। इस पुख्ता सबूत को साबित करने के बाद, गंगाभट्ट महाराष्ट्र आये और 6 जून 1674 को रायगढ़ में महाराज का राज्याभिषेक हुआ जिसमें गंगाभट्ट ने महाराज के राज्याभिषेक के मुख्य पुजारी के रूप में कार्यभार संभाला।

स्वराज्य में प्रशासन व्यवस्था -

छत्रपति शिवाजी महाराज एक कुशल और बुद्धिमान सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। बचपन में उन्हें ज्यादा पारंपरिक शिक्षा नहीं मिली लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय इतिहास और भारत की राजनीति का अच्छा ज्ञान था। वे शुक्राचार्य और कौटिल्य को अपने आदर्श के रूप में देखते थे और कई बार कूटनीति का सहारा लेना उचित समझते थे। शिवाजी एक कुशल शासक और प्रशासक थे और न्यायप्रिय और दृढ़ता से शासन करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रशासन काफी हद तक दक्कन की प्रशासनिक प्रथाओं से प्रभावित था। उन्होंने आठ मंत्रियों को नियुक्त किया थे जिन्हें 'अष्टप्रधान' कहा जाता था जो प्रशासनिक मामलों में उनकी सहायता करते थे। उनकी शासन व्यवस्था इस प्रकार थी: -

1. पेशवा सबसे महत्वपूर्ण मंत्री था जो वित्त और सामान्य प्रशासन की देखभाल करता था।
2. सरनोबत प्रमुख मराठा सरदारों में से एक थे जो मूल रूप से सेनापति था।
3. मजूमदार एक अकाउंटेंट था।
4. वाकयानविस खुफिया जानकारी और घरेलू मामलों की देखभाल करता था।
5. सचिव राजा को उसके पत्र-व्यवहार में सहायता करते थे।
6. सुमंत विदेशी मामलों से निपटने में राजा की मदद करता था।
7. न्यायाधीश न्यायिक मामलों का प्रमुख होता था।
8. पंडितराव धार्मिक मामलों के प्रमुख थे।

छत्रपति शिवाजी महाराज ने आम लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर पद दिया। स्वाभाविक रूप से उनके अधिकांश अधिकारी हिंदू थे, लेकिन तोपखाने के प्रमुख, नौसेना के प्रमुख और साथ ही कई राजनयिक प्रमुख पदों पर मुस्लिम भी थे। जब शिवाजी महाराज औरंगजेब के 50वें जन्मदिन समारोह में भाग लेने के लिए आगरा गए थे, तब उनके सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक एक मुस्लिम युवा मदारी मेहतर ही थे।

छत्रपति शिवाजी महाराज – एक प्रबंधन गुरू

शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा थे जो हमेशा समय से आगे सोचते थे। कोई भी योजना या निर्णय लेते समय वे भविष्य में उस निर्णय के प्रभाव के बारे में सोचते थे। संभवतः अधिकांश समय उनके पास

आने वाली समस्याओं का समाधान होता था इसलिए उन्हें आगे की सोच के लिए आदर्श व्यक्ति के रूप में जाना जाता है।

शिवाजी महाराज ने व्यवसायियों को रियायती कीमतों के साथ-साथ कर में राहत देकर पसंदीदा स्थान प्रदान करके वाणिज्य को बढ़ावा दिया। उनका आदर्श वाक्य था–'साहूकार ही राज्य का भूषण' (व्यवसायी लोग ही राष्ट्र के आभूषण हैं)।

शिवाजी महाराज ने आयकर का एक निष्पक्ष प्रशासन स्थापित किया और कर एकत्र करने के लिए नागरिकों को नियुक्त किया। उन्होंने जरूरतमंद किसानों के लिए किफायती ऋण की व्यवस्था भी स्थापित की। आज भी लोग उनके प्रशासनिक कौशल से प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने न केवल अपने नागरिकों को संभाला, बल्कि विशेष रूप से कुशलतापूर्वक अपने प्रशासन को सुचारू रूप से उन्होंने प्रबंधित भी किया।

युद्ध की रणनीति–

शिवाजी महाराज के पास मानसिक युद्ध करने का एक अनुकूल तरीका था। शिवाजी महाराज ने थोड़ी किन्तु सक्षम व स्थाई सेना रखी थी। शिवाजी महाराज को अपनी सेना की सीमा का ध्यान था। उन्होंने महसूस किया कि पारंपरिक सैन्य रणनीति मुगलों की विशाल और अच्छी तरह से प्रशिक्षित घुड़सवार सेना से निपटने में असमर्थ है। अत: शिवाजी महाराज ने 'गनीमी कावा' नामक गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई। शिवाजी महाराज गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। उन्हें रोकने के लिए भेजे गए सशस्त्र बलों को उन्होंने गुरिल्ला युद्धनीति की बदौलत नियमित रूप से अचंभित किया और अपनी कुशल तकनीकों से उन्हें युद्ध छोड़ कर भागने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें समझ आ गया था कि तत्कालीन विशाल सेना हेतु रसद की आपूर्ति एक महत्वपूर्ण मगर सबसे कमजोर कड़ी थी। वे अपनी स्थानीय इलाके की विशेषज्ञता और अपनी हल्की घुड़सवार सेना की बेहतर गतिशीलता का उपयोग करके दुश्मन की रसद आपूर्ति को नष्ट कर दिया करते थे। शिवाजी महाराज शारीरिक युद्ध से ज्यादा मासिक युद्ध को तरजीह देते थे। वे बुद्धिमानी से दुर्गम इलाकों का चयन करते और फिर अपने शत्रुओं को आकर्षित करते, उन्हें वहाँ फँसाते और फिर उन्हें वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर देते थे।

शिवाजी महाराज पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने भूदल के अलावा नौसेना भी रखी थी। उनके पास 300 शिपयार्ड, सैकड़ों युद्धपोत और कई समुद्री किले थे। उन्होंने 300 मील से अधिक समुद्र तट को नियंत्रित किया था। उन्हें 'भारतीय नौसेना के पिता' के रूप में जाना जाता है।

छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु-

हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर 03 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज की बुखार और पेचिश की बीमारी से उनकी मृत्यु हुई।

छत्रपति शिवाजी महाराज पर लिखी पुस्तकें-

छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन शैली पर आधारित कई किताबें और फिल्में प्रदर्शित की गई हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज पर अब तक 60 से अधिक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं और ये पुस्तकें न केवल मराठी बल्कि अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध हैं।

सर्वश्रेष्ठ साहित्य में से कुछ हैं: आग्राहून सुटका, आज्ञापत्र, शिवछत्रपतींचे चरित्र, राजा शिवाजी, शिवराय, गड आला पण सिंह गेला, उष: काल, श्रीमानयोगी, कुलवाडीभूषण शिवराय, छत्रपती शिवरायांचे कष्टकरी मावळे, थोरलं राजन सांगून गेलं, शिवछत्रपती, शिवनामा, शिवभूषण, छत्रपती शिवाजी आणि सुराज्य, राजा शिवछत्रपती।

गडपती गजश्वपती भूपती प्रजापती सुवर्णरत्नश्रीपती अष्टवधानजागृत अष्टप्रधानवेष्टित न्यायालंकारमंडित
शस्त्रास्त्रशास्त्रपारंगत राजनितिधुरंधर प्रौढप्रतापपुरंदर क्षत्रियकुलावतंस सिंहासनाधिश्वर महाराजाधिराज
राजाशिवछत्रपती महाराज की जय।

-वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
केनरा बैंक, पुणे

महाराष्ट्र की विराट राष्ट्रीय-सांस्कृतिक चेतना और हिंदी योगदान

डॉ. रामवृक्ष सिंह

महाराष्ट्र राज्य सच्चे मायनों में भारत का हृदय-स्थल है। भारत के लाखों वर्ष के इतिहास, सभ्यता और संस्कृति से इस राज्य का अभिन्न संबंध रहा है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता, जॉर्वे संस्कृति (1300 से 700 ई.पू.) से लेकर अस्माक, मौर्य (चौथी-तीसरी सदी ई.पू.) सातवाहनों, पश्चिमी क्षत्रपों, गुप्त साम्राज्य, प्रतिहार,आभीर, वकटक, कदम्ब,चालुक्य, राष्ट्रकूट (7वीं से 10वीं शताब्दी), पश्चिमी चालुक्य, चोल आदि वंशों के शासन की अक्षुण्ण परंपरा रही है। इस्लाम के उद्भव के बाद खिलजी, तुगलक, बहमनी, दक्खनी सल्तनत और मुगलों ने भारत के अन्य भू-भागों की ही भांति यहाँ भी अपनी सत्ता स्थापित की।

मध्यकालीन महाराष्ट्र में हिंदी के आगमन की दृष्टि से सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना थी दिल्ली के शासक मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी को दिल्ली से हटाकर महाराष्ट्र के दौलताबाद ले जाया जाना। इसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में दिल्ली के आम नागरिक दौलताबाद पहुँचे। उनके साथ ही तत्कालीन हिंदी भी महाराष्ट्र पहुँची। सन् 1347 में तुगलक के पराभव के बाद 150 वर्ष तक गुलबर्गा के बहमनी साम्राज्य का शासन रहा। इसके विखंडन से 1518 में दक्खन के पाँच भाग बने- निज़ामशाह का अहमदनगर, आदिलशाह का बीजापुर, कुतुबशाह का गोलकोंडा, बीदरशाह का बीदर और मदशाह का एलिचपुर। उन दिनों मुम्बई पर गुजरात की सल्तनत का राज था, जिसे 1535 में पुर्तगालियों ने हस्तगत कर लिया। पन्द्रहवीं-सोलहवीं सदी से ही वर्तमान महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश और कर्नाटक के बहुत बड़े हिस्से पर दक्खिनी-उर्दू-भाषी शासकों का राज्य कायम हो जाने के कारण विंध्य के दक्षिणवर्ती भारतीय प्रायद्वीप में वर्तमान हिंदी के लिए सशक्त पूर्वपीठिका तैयार हो रही थी।

वर्ष 1601 के आसपास खानदेश, अहमदनगर आदि मुगल सल्तनत का हिस्सा बन गये। अहमदनगर के निजामशाही वंश के नायक मलिक अम्बर ने 1607 से 1627 के अपने शासन-काल में दक्खिनी क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध-शैली की शुरुआत की और मुगलों के पाँव जमाने में दिल्ली के शाहजहाँ की मदद की। शिवाजी के दादा मालोजी और पिता शाहाजी इसी मलिक अम्बर के अधीन सेनापति रह चुके थे। 17वीं शताब्दी में शाहाजी भोंसले ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का असफल प्रयास किया। बाद में उनके यशस्वी पुत्र वीर शिवाजी मराठा साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहे। उनकी सरपरस्ती में पुणे के पेशवा, नागपुर के भोंसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इन्दौर के होल्कर, ग्वालियर के शिंदे (सिंधिया) तथा देवास व धार के पवारों ने अपने-अपने प्रभाव-क्षेत्र में मुगलों को हराकर मराठा साम्राज्य की ध्वजा फहराई। इन मराठा राज्यों ने मुगल साम्राज्य के बड़े हिस्से को जीतकर, सम्मिलित रूप से कुल 28 लाख वर्ग किलोमीटर भारतीय भू-भाग पर शासन किया। सन् 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से हारने के बावजूद मराठा शासकों ने शीघ्र ही दिल्ली तक के भू-भाग पर पुनः अधिकार कर लिया, जहाँ वे अट्ठारहवीं सदी के अंत तक सत्ता में रहे।

प्रसिद्ध ब्रिटिश अधिकारी और कार्यकारी गवर्नर-जनरल चार्ल्स मेटकाफ ने 1806 में लिखा था कि ***'भारत में दो ही महान शक्तियाँ हैं- ब्रिटिश और मराठा। शेष सभी राज्य इनमें से एक अथवा दूसरे का प्रभुत्व स्वीकार करते हैं। हम जहाँ-जहाँ से पीछे हटेंगे, उस एक-एक इंच जमीन को मराठा अपने अधिकार में ले लेंगे।*** 'दुर्भाग्यवश तीसरे ऐंगलो-मराठा युद्ध (1817-18) में यह मराठा साम्राज्य बिखर गया, और छुटपुट रजवाड़ों तक सिमट कर रह गया। सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झाँसी, ग्वालियर, इन्दौर और बड़ौदा में मराठा शासन का अस्तित्वमान होना भी इसका प्रमाण है।

महाराष्ट्र को भारत में आधुनिकता का अग्रदूत कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहीं बंबई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 को 400 यात्रियों को लेकर भारत की सबसे पहली रेल सेवा आरंभ हुई। देश में लम्बी दूरी की पहली वाणिज्यिक उड़ान 15 अक्तूबर 1932 को कराची से जुहू हवाई अड्डे के बीच संपन्न हुई, जिसके पायलट जेआरडी टाटा थे। शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मुद्रण के क्षेत्र में अनेक पहलकदमियाँ भी मुम्बई और महाराष्ट्र में ही हुईं। एशिया का सबसे पुराना अख़बार (मुम्बई ना समाचार) 1822 में यहीं से छपना शुरू हुआ।

देश के स्वतंत्रता संग्राम में महाराष्ट्र के अनेक बड़े नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, जस्टिस महादेव गोविन्द रानाडे, गोपालकृष्ण गोखले, फिरोज़शाह मेहता, नानाजी देशमुख, विनोबा भावे, दादाभाई नौरोजी और वीर सावरकर, चापेकर बंधु जैसे क्रान्तिकारियों ने अतुलनीय योगदान किया। यहाँ ज्योतिराव फुले जैसे समाज सुधारक भी हुए, जिनके कार्यों को कोल्हापुर के शाहू जी महाराज और बाद में डॉ. भीमराव आम्बेडकर ने आगे बढ़ाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ज़रिए राज्यों को आंशिक स्वायत्तता मिलने के उपरान्त बी.जी. खेर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पहले मुख्यमंत्री बने। कालान्तर में वे 7 जून 1955 को गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष भी बने। इसके पूर्व 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन की शुरुआत मुम्बई में ही हुई, जिसके फलस्वरूप 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ।

अंग्रेज 24 अगस्त 1608 को गुजरात के सूरत में उतरे। उस समय बंबई पर पुर्तगाली काबिज थे। वे इसके विभिन्न द्वीपों को सम्मिलित रूप से *बॉम्बइम* (यानी अच्छी खाड़ी) कहते थे। वर्ष 1661 में जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगैंजा का विवाह इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय से हुआ तो यह शहर दहेज में ब्रिटिश साम्राज्य को मिला। कालान्तर में यह देश का बड़ा औद्योगिक-व्यापारिक केंद्र बन गया। यहाँ भारत के अनेक प्रान्तों के लोग जीविकोपार्जन के लिए आए। यही स्थिति अन्य समीपवर्ती नगरों- पुणे, नाशिक, नागपुर आदि की भी रही। इससे यह क्षेत्र हिंदी व इतर भाषा-भाषियों का विशाल समागम का केंद्र बन गया, जिसे रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने *'महामानवेर समुद्र'* कहा है। इस महामानव की भाषा बनी हिंदी।

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र के 68.93% लोग मराठी या उसकी कोई बोली (पवारी, लोधी, वरहदी, डाँगी, भील-भाषा, खानदेशी आदि) बोलते हैं। इसके बाद सर्वाधिक 9.70% लोग हिंदी और 6.71% लोग उर्दू बोलते हैं। चूंकि हिंदी और उर्दू के वाचिक स्वरूप में अत्यधिक समानता है, अतः यह कहना युक्तिसंगत होगा कि महाराष्ट्र में लगभग 17% लोग बोलचाल में हिंदी-उर्दू का प्रयोग करते हैं। हिंदीभाषी अधिकतर लोग उत्तरप्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली आदि से आए हैं, जो महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों यानी मुम्बई, उसके उपनगरों, पुणे, नासिक, नागपुर, वर्धा आदि में निवास करते हैं। इसके अलावा मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ से सटे इलाकों के लोग भी हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोंकणी, सिंधी, पंजाबी, बांगला और गुजराती-भाषी समाज के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में निवास करते हैं। चूंकि हिंदी की शब्दावली, व्याकरणिक संरचना और संस्कृत से मिली साझी विरासत सभी भारतीय भाषाओं को परस्पर एक-दूसरे से जोड़ती है, इसलिए अलग-अलग मातृभाषाओं वाले लोग जब आपस में मिलते हैं तो इनके बोल-व्यवहार की भाषा हिंदी ही होती है। भारत की आर्थिक राजधानी होने के कारण मुम्बई में देश के सभी प्रान्तों के लोगों का आवागमन और प्रवास निरन्तर जारी रहता है। यहाँ के आमफहम की भाषा हिंदी ही है, जिसे हम बम्बइया हिंदी के नाम से जानते हैं। मुम्बई से कुछ ही घंटे की दूरी पर स्थित पुणे आज सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल और शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ भी भारत के विभिन्न प्रान्तों और शहरों के युवा आकर पढ़ाई व नौकरी करते हैं। उनके पारस्परिक बोल-व्यवहार की भाषा भी हिंदी ही होती है।

भारतीय सिनेमा ने मुम्बई में अपनी आँखें खोलीं, तो पुणे के फिल्म संस्थान ने उसे गढ़ा, सजाया और सँवारा। आज से 110 वर्ष पूर्व दादा साहब फालके ने मुम्बई में ही 'राजा हरिश्चन्द्र' नामक पहला मूक चलचित्र बनाया, जिसे 3 मई 1913 को कोरोनेशन सिनेमा, बंबई में प्रदर्शित किया गया। इसके लगभग दो दशक बाद 14 मार्च 1931 को पहली सवाक फिल्म 'आलम आरा' का निर्माण व प्रदर्शन भी तत्कालीन बंबई में ही किया गया। कालान्तर में यह भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा उत्पादन-केंद्र बन गया। डेलॉइट के अनुसार आज भारत की लगभग 20 भाषाओं में प्रतिवर्ष 1500 से 2000 चलचित्र बनते हैं। भारत में चलचित्रों की आय में 43% हिस्सा हिंदी का रहता है, जो वस्तुतः मुम्बई की ही देन है। सन् 60-70 के दशक में सिने पत्रकारिता ने हॉलीवुड और कोलकाता के टॉलीगंज स्थित 'टॉलीवुड' की तर्ज़ पर बंबई फिल्म उद्योग को 'बॉलीवुड' नाम दिया। दुनिया के सैकड़ों देशों में हिंदी फिल्में बड़े चाव से देखी जाती हैं, उनके गीत गाये जाते हैं। ये हिंदी फिल्में पूरे संसार को भारतीय संस्कृति की झाँकी दिखाती हैं, उसके प्रचार-प्रसार का माध्यम बनती हैं। हिंदी के फिल्मी गीतों के माध्यम से विदेशों में हिंदी सिखाने के अभिनव प्रयोग भी किए गए हैं। इस प्रकार महाराष्ट्र और उसकी आत्मा मुम्बई व पुणे वे प्रवेश द्वार हैं, जिनसे होकर हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति दुनिया के बृहत्तर प्रांगण में प्रवेश करती है। यह अपने-आप में एक अनूठी बात है कि हिंदीतर भाषी प्रान्त में स्थित होने के बावजूद मुम्बई और पुणे ने हिंदी की इतनी बड़ी सेवा की है।

सच कहें तो महाराष्ट्र, भारतीयता और हिंदी का पारस्परिक संबंध दीर्घकाल से चला आ रहा है। कहावत है कि *भक्ति द्राविड़ ऊपजी लाए रामानंद। प्रकट किया कबीर ने सात द्वीप, नौ खंड।*

तमिल आलवारों, नायनारों, रामानुजाचार्य और आंध्र के कृष्णभक्त आचार्यों की भक्ति-परंपरा और केरल के शंकराचार्य की अद्वैतवादी दार्शनिक चेतना महाराष्ट्र की पुण्य भूमि का प्रसाद पाए बिना उत्तर भारत तक नहीं पहुँच पाती। इस सबका सम्मिलित प्रभाव हमें मध्यकालीन भक्ति-आन्दोलन में परिलक्षित होता है। नाथ सम्प्रदाय की धारा से संबद्ध अनेक संतों ने तत्कालीन महाराष्ट्र की जन-चेतना को अनुप्राणित किया। इसी परंपरा में आगे आए संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर और नामदेव प्रभृति अनेक संत। इन्होंने आम जनता के दुख-दर्द और मानवीय सरोकारों से अपनी वाणी को जोड़ा और पांडित्यपूर्ण, शास्त्रपरक धर्म-चर्चा से दूर रहे। ये संत एक ओर समाज-सुधारक थे, तो दूसरी ओर परम हिन्दू भक्त। रामानंद, कबीरदास, नरहरिदास, रैदास, संत मलूका, सहजोबाई आदि और गुरु नानक देव तथा परवर्ती सिक्ख गुरुओं की वाणी इतनी समृद्ध न होती, यदि उन्हें मराठी संतों की पुष्कल परंपरा विरासत में न मिलती। आधुनिक युग में आर.जी. भंडारकर और जस्टिस रानाडे जैसे विद्वानों ने भाषा और संस्कृति की इसी समृद्ध परंपरा का निर्वहन किया।

महाराष्ट्र की जातीय चेतना में राष्ट्रीय स्वाभिमान सर्वोपरि है। अपनी संस्कृति, भाषा-गौरव, अध्यात्म-चेतना, नृत्य-संगीत व साहित्य की समृद्ध विरासत, ओजस्विता, युद्ध-कौशल, सर्वस्व लुटाकर भी देश की अस्मिता की रक्षा करने का जो उत्कट भाव मराठी जन-समुदाय में दृष्टिगोचर होता है, वह अप्रतिम है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महाराष्ट्र का 14 प्रतिशत से अधिक योगदान है। यह देश का सर्वाधिक शहरीकृत और उद्योगीकृत राज्य है। आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास, दोनों परस्पर संगामी होते हैं। महाराष्ट्र इसका सबसे सशक्त उदाहरण है।

महाराष्ट्र की प्रतिनिधि भाषा मराठी भी हिंदी की ही भांति शौरसेनी प्राकृत व अपभ्रंश से निकली है। मराठी की लिपि देवनागरी है, जो हिंदी व गुजराती की भी लिपि है। यानी दोनों का उद्गम एक ही स्रोत से हुआ है। संस्कृत ने इन दोनों भाषाओं को समान भाव से संपोषित किया है।

पुणे को महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि भारत की भी सांस्कृतिक राजधानी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। आदि काल से ही पुणे ने सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। सन् 1818 से 1978 तक इस नगर को पूना कहा जाता था। मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था, जो पुणे में ही रहते थे। आज पुणे में अनेक उच्चस्तरीय शैक्षिक संस्थाएँ विद्यमान हैं, जिनके कारण इसे 'पूरब का ऑक्सफोर्ड' भी कहा जाता है। अनेक बार इसे भारत में निवास के लिए उपयुक्ततम नगर भी आँका गया है। यूनिकोड के ज़रिए हिंदी के कंप्यूटरीकरण में अप्रतिम योगदान करनेवाली संस्था *'सीडैक'* भी पुणे में ही स्थित है। उससे पहले हिंदी के ***'आकृति'*** नामक सॉफ्टवेयर का निर्माण भी मुम्बई के एक उपनगर में हुआ था। आज यह अनेक भाषाओं में अनुवाद का भी बड़ा केन्द्र है।

मध्यकालीन महाराष्ट्र और कर्नाटक ने अनेक विद्वान रचयिताओं को प्रश्रय दिया, जिन्होंने गणित, नाट्यशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि के अद्वितीय ग्रंथ रचे। चम्पू (गद्य-पद्य मिश्रित नाट्यशैली) इस परंपरा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नलचम्पू, मदालसचम्पू, दमयंती कथा आदि इस परंपरा के प्रमुख चम्पू काव्य हैं। इस क्षेत्र में निवसित त्रिविक्रम, गुणभद्र, हरिवंश तथा पार्श्वभ्युदय आदि महान संस्कृत प्रणेताओं का पाथेय पाए बिना हिंदी की काव्य-परंपरा कैसे समृद्ध हो सकती थी?

इस मनीषी परंपरा के दो रत्न हैं- डॉ. रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और जस्टिस महादेव गोविन्द रानाडे, जो बंबई विश्वविद्यालय के पहले बैच के स्नातक थे। ये पश्चिम भारत में नवजागरण लेकरआए। सामाजिक-धार्मिक क्षेत्र में इन्हें संयुक्त रूप से रानाडे-भंडारकर कहा जाता था। रानाडे यदि अपनी विधिक प्रतिभा के लिए विख्यात हुए तो भंडारकर संस्कृत ज्ञान और भारतीय मनीषा के व्याख्याता के रूप में। इन्होंने महाराष्ट्र और विशेषकर मुम्बई व पुणे में प्रार्थना समाज की स्थापना की।

रानाडे-भंडारकर ने महिला-ब्रह्मिका समाज की स्थापना की जिनकी सभाओं में महिलाएं प्रतिभागिता करतीं और अपने निबंध 200 से 100 आदि पढतीं। राजा राममोहन राय की तरह उन्होंने भी कुलीन विधवाओं के पुनर्विवाह और महिला विकास पर अत्यधिक बल दिया। अत: सामाजिक अवदान की दृष्टि से भंडारकर को महाराष्ट्र का राजा राममोहन राय कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी।

पूर्व में बंगाल और पश्चिम में महाराष्ट्र ने भारतीय जनमानस को आलोकित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभिन्न कारणों से उस समय हिंदी इस देश की प्रतिनिधि भाषा बनकर उभर रही थी। मध्यकालीन भक्त कवियों के साथ-साथ अनेक मराठी रचनाकारों ने भी हिंदी में ही अपनी ओजस्वी भावनाएं प्रकट कीं। राष्ट्रीय आन्दोलन में गाँधी, गोखले, तिलक, बाबा आम्टे, विनोबा भावे आदि ने हिंदी की सार्वदेशिकता को देखते हुए इसे राष्ट्र-भाषा मानने की पुरजोर वकालत शुरु कर दी थी। सन् 1800 में कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में अंग्रेज अपने अधिकारियों को हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था कर चुके थे। 1826 में सूतापट्टी, बड़ा बाज़ार,

कोलकाता से उदन्त मार्तण्ड छपना शुरू हो गया था और हिंदी पत्रकारिता छत्तीसगढ़ मित्र, ग्वालियर अखबार, मुम्बई ना समाचार आदि के कंधों पर चढ़कर महाराष्ट्र की धरती पर अपनी जड़ें जमाने लगी थी। अंग्रेजों की दुर्नीतियों से उपजी मानसिक बेचैनी ने भारतमाता की उर्वर कोख में वीर सावरकर, चापेकर बंधु जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की पीढ़ी तैयार कर दी थी, जिनके लिए हिंदी ही सम्पर्क भाषा थी। 1928 में सी. राजगोपालाचारी अपनी पुस्तक में लिख चुके थे कि देश के 30 करोड़ लोगों में से 14 करोड़ हिंदी की ही कोई न कोई बोली बोलते हैं। 1918 में रामस्वामी नायक्कर चेन्नै में अपने घर में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कर चुके थे। इस प्रकार हिंदी इस विशाल देश के मन-प्राणों में अनुनादित होने लगी थी। फिर महाराष्ट्र तो हमेशा से इस राष्ट्रीय चेतना का अधिष्ठाता रहता आया था। वह कैसे पीछे रहता!

नागपुर में 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के समय निर्णय किया गया कि उसका कामकाज हिंदी में होगा। इससे पहले 1875 में आर्यसमाज भी अपने प्रतिनिधि ग्रंथ 'सत्यार्थ प्रकाश' को हिंदी में प्रकाशित करने का निर्णय कर चुका था। 'सत्यार्थ प्रकाश' के 100 वर्ष और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के 50 वर्ष बाद 1975 में 10 से 14 जनवरी के दौरान नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें निर्णय किया गया कि महाराष्ट्र के वर्धा में एक अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने की माँग भी उठी। संसद द्वारा 1997 में पारित अधिनियम के अनुपालन में महात्मा गाँधी और विनोबा भावे की कर्मभूमि वर्धा में अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य ज्ञान और साहित्य के विभिन्न अनुशासनों के अध्ययन व अनुसंधान के लिए हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना और इसके माध्यम से हिंदी को विश्वभाषा के रूप में स्थापित करना था। यह विश्वविद्यालय इस दिशा में निरन्तर आगे बढ़ रहा है। इसमें भाषा विद्यापीठ, साहित्य विद्यापीठ,संस्कृति विद्यापीठ, अनुवाद तथा निर्वचन विद्यापीठ, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, विधि विद्यापीठ, प्रबंध विद्यापीठ और शिक्षा विद्यापीठ नामक आठ अलग-अलग संकाय हैं। विश्वविद्यालय ने भारतेंदु से लेकर अब तक के हिंदी साहित्य को समस्त विश्व मनीषा के लिए डिजिटल रूप में निःशुल्क उपलब्ध कराने का बीड़ा भी उठाया है। इस प्रकार पुणे ने समाज-सुधार, पठन-पाठन व अध्ययन परंपरा, बॉलीवुड ने अपने चलचित्रों और वर्धा स्थित महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने हिंदी माध्यम से शिक्षण व अनुसंधान के ज़रिए हिंदी को विश्व-फलक पर स्थापित करने का युगांतरकारी कार्य संपन्न किया है।

मुम्बई, पुणे, नागपुर आदि नगरों में केंद्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सार्वजनिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, निगमों व बीमा कंपनियों के मुख्यालय स्थित हैं। प्रान्त के विभिन्न केंद्रों से राष्ट्र पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स आदि दर्जनों समाचारपत्र, नवनीत, मेरी सहेली आदि अनेक महत्त्वपूर्ण आवधिक पत्रिकाएँ और दर्जनों विभागीय प्रकाशन हिंदी में निकलते हैं। मराठी-भाषी मंगेशकर परिवार सहित अनेक गायकों ने हिंदी सुगम संगीत को विश्व आकाश की बुलंदियों पर पहुँचाया है। इनमें सर्वोपरि हैं स्वर-साम्राज्ञी लता मंगेशकर। मराठी-भाषी विष्णु दिगंबर पलुस्करजी ने *रघुपति राघव राजा राम* जैसे लोकप्रिय भजन को अपनी वाणी से अमर बनाने के साथ-साथ *वंदे मातरम्* को भी संगीतबद्ध किया। सैकड़ों मराठी-भाषियों ने हिंदी सिनेमा को समृद्ध किया है।

नाशिक के पौराणिक स्थलों, त्रयंबकेश्वर, शिर्डी, शिगणापुर आदि तीर्थस्थलों तथा औरंगाबाद (अजंता-एलोरा) जैसे पर्यटन-केन्द्रों ने महाराष्ट्र में हिंदी की जड़ों को लगातार सींचा है। मराठी तमाशा, लावणी आदि लोकप्रिय विधाओं ने हिंदी प्रान्तों के भाविकों को रस-सिक्त रखा है। नाशिक के विद्वान वामन शिवराम आप्टे ने संस्कृत-हिंदी कोश की रचना करके संस्कृत के साथ-साथ हिंदी की भी पुष्कल सेवा की है।

इस विवेचन से सिद्ध होता है कि राष्ट्रीय-सांस्कृतिक चेतना, स्वदेश-गौरव और स्वभाषाओं के अनवरत पोषण में महाराष्ट्र ने अनूठी भूमिका निभाई है। इस सबका स्वाभाविक लाभ हिंदी को मिल रहा है और वह शेष भारत के साथ कदमताल करती हुई, वीरभूमि महाराष्ट्र में भी निरंतर आगे बढ़ रही है।

-महाप्रबंधक (राजभाषा) (सेवानिवृत्त),
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
लखनऊ (उ.प्र.)

आदिकाल से आधुनिक काल तक हिंदी की विकास यात्रा

डॉ.परेश रामकृष्ण सननसे

हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के संबंध में प्रचलित धारणाओं पर विचार करते समय हमारे सामने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न दसवीं शताब्दी के आसपास की प्राकृत भाषा तथा अपभ्रंश भाषाओं की ओर जाता है। सामान्यतः प्राकृत की अन्तिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव स्वीकार किया जाता है। उस समय अपभ्रंश के कई रूप थे और उनमें सातवीं-आठवीं शताब्दी से ही पद्य रचना प्रारम्भ हो गयी थी। साहित्य की दृष्टि से पद्यबद्ध जो रचनाएँ मिलती हैं वे दोहा रूप में ही हैं और उनके विषय, धर्म, नीति, उपदेश आदि प्रमुख हैं। राजाश्रित कवि और चारण नीति, श्रृंगार, शौर्य, पराक्रम आदि के वर्णन से अपनी साहित्य-रुचि का परिचय दिया करते थे। पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की देशी भाषा का प्रयोग निरन्तर बढ़ता गया। इस भाषा को विद्यापति ने देसी भाषा कहा है, किन्तु यह निर्णय करना सरल नहीं है कि हिंदी शब्द का प्रयोग इस भाषा के लिए कब और किस देश में प्रारम्भ हुआ। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्रारम्भ में 'हिंदी' शब्द का प्रयोग विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने किया था और इस शब्द से उनका तात्पर्य भारतीय भाषा से था।

हिंदी भाषा के विषय में अनेक विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किये हैं, उन्हीं विद्वानों में से एक धीरेंद्र वर्मा के मतानुसार – "शब्दार्थ की दृष्टि से हिंदी शब्द का प्रयोग हिंद अर्थात भारत में बोली जाने वाली किसी भी आर्य, द्राविड़ अथवा अन्य कुल की भाषा के लिए हो सकता है, किंतु आजकल वास्तव में इसका व्यवहार उत्तर भारत के मध्यभाग के हिंदुओं की वर्तमान साहित्यिक भाषा के अर्थ में मुख्यतया तथा वर्तमान साहित्यिक भाषा के साथ-साथ इस भूमि भाग की समस्त बोलियों और उनसे संबंध रखनेवाले प्राचीन साहित्यिक रूपों के लिए साधारणतया होता है।"[1] सामान्यतः प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव स्वीकार किया जाता है।

अपभ्रंश से लेकर आज तक हिंदी भाषा के विकास के अलग-अलग पहलू देखे जा सकते है, और विद्वानों ने सुविधा की दृष्टि से इन्हें विविध कालानुसार विभाजित किया है, जैसे -

"आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार - अपने पूर्ववर्ती साहित्येतिहासकारों द्वारा किये गये वर्गीकरण की समीक्षा करते हुए रामचन्द्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को चार कालों में विभाजित किया है ...

- आदिकाल (वीरगाथा काल, संवत 1050-1375)
- पूर्व मध्यकाल (भक्तिकाल, संवत 1375-1700)
- उत्तर मध्यकाल (रीतिकाल, सं.1700-1900)
- आधुनिक काल (गद्यकाल, सं.1900-1984 तक)"[2]

इसी प्रकार हिंदी के विद्वान डॉ.रामकुमार वर्मा ने देश के मुसलमानों के आक्रमण के कारण राजनीतिक अस्तव्यस्तता, धार्मिक प्रतिद्वंद्विता, धर्म-रक्षा तथा शत्रु-विरोध के रूप में प्रस्फुटित होती हुई क्रान्तिकारी चेतना, हिंदू-मुसलमानों के मेल-जोल से स्थापित शांति से उत्पन्न विलास तथा श्रृंगार की मनोवृत्ति, अंग्रेजों के सम्पर्क से नयी सभ्यता का विकास, राजस्थान से शुरू करके मध्यदेश तथा सम्पूर्ण भारत में व्यक्त होती सांस्कृतिक चेतना के परिवर्तन के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास को पाँच कालों में विभक्त किया है ....

- "सन्धिकाल सं.750-1000 तक
- चारण काल सं.1000-1375 तक
- भक्तिकाल सं.1375-1700 तक
- रितिकाल सं.1700-1900 तक
- आधुनिक काल सं.1900 से अब तक (गद्यकाल)"[3]

आदिकाल (वीरगाथा काल, संवत 1050-1375)

आदिकाल को वीरगाथा काल के रूप में भी जाना जाता है। आदिकाल में रचित साहित्य की भाषा अपभ्रंश भाषा के बहुत निकट थी क्योंकि उसी से हिंदी का उद्भव हुआ था किन्तु काव्य के वर्ण्य विषय तथा प्रवृत्तियों में परिवर्तन आने के साथ भाषा में भी परिवर्तन होता गया। 1500 ई. तक आते-आते हिंदी ने अपना रूप ग्रहण कर लिया और अपभ्रंश के रूप समाप्त होते गये। हिंदी संयोगात्मक भाषा न रहकर वियोगात्मक होती चली गयी। व्याकरण की दृष्टि से नपुंसक लिंग का प्रयोग समाप्त हो गया । तत्सम शब्दावली का प्राचुर्य हुआ तथा इस्लामी प्रभाव से अरबी, फारसी, तुर्की भाषाओं के शब्द भी स्थान पाने लगे और हिंदी भाषा के वर्ण्य विषय में पर्याप्त विस्तार हुआ।

ग्यारहवीं सदी के लगभग देशभाषा हिंदी का रूप अधिक स्फुट होने लगा। उस समय पश्चिमी हिंदी प्रदेश में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य स्थापित हो गए थे, जिनके आपस में अथवा विदेशी आक्रमणकारियों से प्राय: युद्ध होते रहते थे। इन्हीं राजाओं के संरक्षण में रहने वाले चारणों और भाटों का काव्य वीरगाथा अर्थात रासो के नाम से जाना गया। इन रासो रचनाओं में आश्रयदाता राजाओं के शौर्य और पराक्रम का ओजस्वी वर्णन करने के साथ ही उनके प्रेम-प्रसंगों का भी उल्लेख है। रासो ग्रन्थों में संघर्ष का कारण प्राय: प्रेम दिखाया गया है। इन रचनाओं में इतिहास और कल्पना का मिश्रण है। रासो वीरगीत (बीसलदेवरासो और आल्हा आदि) और प्रबंधकाव्य (पृथ्वीराजरासो, खुमानरासो आदि) - इन दो रूपों में लिखे गये। इन रासो ग्रन्थों में से अनेक की उपलब्ध प्रतियाँ चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से सन्दिग्ध हों पर इन वीरगाथाओं की मौखिक परम्परा असंदिग्ध है। इनमें शौर्य और प्रेम की ओजस्वी और सरस अभिव्यक्ति हुई है।

पूर्व मध्यकाल (भक्तिकाल, संवत 1375-1700)

इस काल की साहित्यिक भाषा मुख्यतः ब्रज और अवधी भाषा बन गयी और व्याकरण तथा ध्वनि की दृष्टि से भी इसमें बहुत परिवर्तन हुआ। ब्रज भाषा ने अपना स्वरूप भी ग्रहण कर लिया। उच्च वर्ग में फ़ारसी का प्राधान्य होने से इस काल की भाषा पर फ़ारसी, अरबी तथा तुर्की का प्रभाव भी लक्षित किया जा सकता है ।

भक्ति आंदोलन के समय भारत में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों में बड़ा बदलाव हो रहा था। उत्तर भारत में 1325 से तुगलक, सैयद, लोदी वंश तथा मुगलों का शासन रहा। मध्य काल में मुस्लिम शासकों का बर्बर शासन और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था। इस अन्याय और अत्याचार से कुंठित एवं त्रस्त भारतवासी हिन्दू जनता ने ईश्वर की शरण में अपने को अधिक सुरक्षित महसूस कर भक्ति मार्ग का सहारा लिया। हिन्दू एवं मुस्लिम जनता के आपस में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपर्क से दोनों के मध्य सद्भाव, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास हुआ। इस कारण से भी भक्ति आंदोलन के विकास में सहयोग मिला। सूफी संतों की उदार एवं सहिष्णुता की भावना तथा एकेश्वरवाद में उनकी प्रबल निष्ठा ने हिन्दुओं को प्रभावित किया; जिस कारण से हिन्दू, इस्लाम के सिद्धांतों के निकट सम्पर्क में आये। निष्कर्षतः भक्ति आंदोलन से हिंदू-मुस्लिम सभ्यताओं का संपर्क प्रस्थापित हुआ तथा दोनों सभ्यताओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन भी आया। भक्तिमार्गी संतों ने समता का प्रचार प्रसार किया तथा सभी धर्मों के लोगों की आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति हेतु अपने-अपने स्तर पर प्रयास किये।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन माना था। अनेक अन्य विद्वानों ने इस मत का समर्थन किया जैसे बाबू गुलाब राय आदि। डॉ॰ राम कुमार वर्मा का मत भी यही है मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी इस असहायावस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। परंतु हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का शमन किया। उस समय की धार्मिक परिस्थितियों में नाथ सिद्ध योगी अपनी रहस्यदर्शी परंतु शुष्क वाणी से लोगों को उपदेश देते थे जिसमें भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्राकृतिक भावों का अभाव था जिसे भक्तिभाव से ओतप्रोत साहित्य ने पूर्ण किया।

"भारत में भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में आलवार भक्तों को माना जाता है। आलवार भक्त तमिल भाषा में वैष्णव भक्तों को कहा जाता है। तमिल प्रांत में बौद्धों और जैनों का विरोध करने के लिए शैवों (नयनारों) और वैष्णवों (आलवारों) ने मिलकर एक धार्मिक क्रान्ति की, जिसका प्रमुख उद्देश्य था आस्तिक भावों का प्रचार करके भक्ति भावना को जगाना। आलवारों ने वेद, उपनिषद, गीता से भक्ति भावों को गीतों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है – 1. सरोपयोगी 2.

भूतयोगी 3. भ्रांतयोगी 4. भक्तिसार 5. शठकोप 6. मधुर कवि 7. कुलशेखर 8. विष्णुचित्त 9. गोदा 10. भक्तांध्रिरेणु 11. मुनिवाहन 12. परकाल। इनके 4000 पदों का संकलन 'दिव्य प्रबन्धम' नाम से किया गया है।"[4]

विद्वानों ने भक्तिकाल का वर्गीकरण दो धाराओं में किया है - निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा को पुनः दो काव्य धाराओं में विभक्त किया गया – 1. संत काव्य तथा 2. सूफी काव्य। सगुण काव्य धारा को – 1.रामकाव्य धारा और 2. कृष्णकाव्य धारा में विभाजित किया गया है। इन चारों काव्य धाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले चार प्रमुख कवि माने गये है...

1. कबीर - संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी शाखा

2. जायसी-सूफी काव्य धारा या प्रेमाश्रयी शाखा

3. तुलसी-रामकाव्य धारा

4. सूरदास-कृष्णकाव्य धारा

इस काल में जनता में सिद्धों और योगियों आदि द्वारा प्रचलित अन्धविश्वास फैल रहे थे, शास्त्रज्ञान संपन्न वर्ग में भी रूढ़ियों और आडम्बर की प्रधानता हो चली थी। ऐसे समय भक्ति आन्दोलन के रूप में ऐसा भारतव्यापी विशाल सांस्कृतिक आंदोलन उठा जिसने समाज में उत्कर्ष विधायक सामाजिक और वैयक्तिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की। इस प्रकार इन विभिन्न मतों का आधार लेकर हिंदी में निर्गुण और सगुण के नाम से भक्तिकाव्य की दो शाखाएँ साथ साथ चलीं।

निर्गुण मत के दो उपविभाग हुए - ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। पहले के प्रतिनिधि कबीर और दूसरे के जायसी हैं। सगुण भक्ति में भी दो उपधाराओं में प्रवाहित हुआ - रामभक्ति और कृष्णभक्ति। पहले के प्रतिनिधि तुलसी हैं और दूसरे के सूरदास। ज्ञानश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर पर तात्कालिक विभिन्न धार्मिक प्रवृत्तियों और दार्शनिक मतों का सम्मिलित प्रभाव है। उनकी रचनाओं में धर्मसुधारक और समाज सुधारक का रूप विशेष प्रखर है। उन्होंने आचरण की शुद्धता पर बल दिया। मनुष्य की क्षमता का उद्घोष कर उन्होंने निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाया। इस शाखा के अन्य कवि रैदास, दादू हैं तथा प्रेमाश्रयी धारा के सर्वप्रमुख कवि जायसी हैं जिनका 'पदमावत' अपनी मार्मिक प्रेमव्यंजना, कथारस और सहज कलाविन्यास के कारण विशेष प्रशंसित हुआ है। इनकी अन्य रचनाओं में 'अखरावट' और 'आखिरी कलाम' आदि हैं, जिनमें सूफी संप्रदाय संगत बातें हैं। इस धारा के अन्य कवि हैं कुतुबन, मंझन, उसमान, शेख नबी और नूर मुहम्मद आदि।

इस में कोई दो राय नहीं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जा सकता है।

उत्तर मध्यकाल (रीतिकाल, सं.1700-1900)

1700 ई. के आस पास हिंदी कविता में एक नया मोड़ आया। इसे विशेषत: तात्कालिक दरबारी संस्कृति और संस्कृत साहित्य से उत्तेजना मिली। हिंदी में 'रीति' या 'काव्यरीति' शब्द का प्रयोग काव्यशास्त्र के लिए हुआ था। काव्यशास्त्रबद्ध सामान्य सृजन प्रवृत्ति और रस, अलंकार आदि को धारण करने वाले अनेकों ग्रन्थों को ध्यान में रखते हुए इस समय के काव्य को 'रीतिकाव्य' कहा गया। इस समय के काव्य की प्रवृत्ति श्रृंगारी हैं। रीतिकाव्य रचना का आरम्भ आचार्य केशवदास द्वारा किया गया था, जिनकी सर्वप्रसिद्ध रचनाएँ कविप्रिया, रसिकप्रिया और रामचंद्रिका हैं। केशव के कई दशक बाद चिन्तामणि से लेकर अठारहवीं सदी तक हिंदी में रीतिकाव्य का अजस्र स्रोत प्रवाहित हुआ जिसमें नर-नारी-जीवन के रमणीय पक्षों और तत्सम्बन्धी सरस संवेदनाओं की अत्यन्त कलात्मक अभिव्यक्ति व्यापक रूप में हुई। रीतिकाल के कवि राजाश्रय में रहते थे जिस कारण मनोरंजन और कलाविलास का वातावरण स्वाभाविक था।

आधुनिक काल (1801ई. से)

हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल विराट परिवर्तन का काल है । गद्य साहित्य का विकास, वर्ण्य विषयों में परिवर्तन, पत्रकारिता, नाटक, रंगमंच, विभिन्न संचार माध्यम, चित्रपट, साहित्य विधाओं का विस्तार, कामकाजी विषयों में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग आदि अनेक परिवर्तन इस युग की देन हैं। यह उस आधुनिक युग का आरम्भ काल माना गया है जब भारतीयों का यूरोपीय संस्कृति से सम्पर्क हुआ। भारत में अपनी जड़ें जमाने के काम में अंग्रेजी शासन ने भारतीय जीवन को विभिन्न स्तरों पर प्रभावित और आन्दोलित किया। नई परिस्थितियों के धक्के से स्थितिशील जीवन विधि का ढाँचा टूटने लगा। एक नए युग की चेतना का आरम्भ हुआ। संघर्ष और सामंजस्य के नए आयाम सामने आए। आधुनिक काल में आज भी कुछ नयी विधाएँ स्थान पा रही हैं और भाषा पर भी अंग्रेज़ी का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है।

इस युग को गद्य-युग भी कहा गया है, क्योंकि इस युग के साहित्य सृजन की सर्वोच्च सम्भावनाएँ खड़ी बोली गद्य में निहित थीं। हिंदी का प्राचीन गद्य राजस्थानी, मैथिली और ब्रजभाषा में मिलता है पर वह साहित्य का व्यापक माध्यम बनने में सशक्त नहीं था। खड़ीबोली की परम्परा प्राचीन है। अमीर खुसरो से लेकर मध्यकालीन भूषण तक के काव्य में इसके उदाहरण मिलते हैं। खड़ी बोली का बहुत सा गद्य फारसी और गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। दक्षिण की मुस्लिम रियासतों में 'दक्खिनी' के नाम से इसका विकास हुआ।

अठारहवीं सदी में हिंदी की खड़ी बोली के गद्य का व्यापक प्रसार उन्नीसवीं सदी से ही हुआ। कलकत्ते के फोर्ट विलियम कालेज में, नवागत अंग्रेज अफसरों के उपयोग के लिए, लल्लू लाल तथा सदल मिश्र ने गद्य की पुस्तकें लिखकर हिंदी के खड़ी बोली गद्य की पूर्व परम्परा के विकास में कुछ सहायता दी। गद्य साहित्य का विकास उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध से आधुनिक युग के प्रवर्तक और पथप्रदर्शक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से हुआ जिन्होंने साहित्य का समकालीन जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया। इस काल में अनेक शैलियों में कथासाहित्य भी लिखा गया, अधिकतर शिक्षाप्रधान, परंतु यथार्थवादी दृष्टि और नए शिल्प की विशिष्टता श्रीनिवास दास के 'परीक्षागुरु' में ही है। देवकीनन्दन खत्री का तिलस्मी उपन्यास 'चंद्रकांता' इसी समय प्रकाशित हुआ। इस युग के प्रमुख नाटककार भारतेंदु, प्रतापनारायण मिश्र, श्रीनिवास दास आदि हैं। बीसवीं सदी के प्रमुख हस्ताक्षर महावीरप्रसाद द्विवेदी, अयोध्यासिंह उपाध्याय, मैथिलीशरण गुप्त आदि ने अपने लेखन से राष्ट्रीयता और समाजसुधार का स्वर ऊँचा किया। निबन्ध के क्षेत्र में द्विवेदी जी के अतिरिक्त बालमुकुन्द, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, पूर्णसिंह, पद्मसिंह शर्मा जैसे एक से एक सशक्त और जीवन्त गद्य शैलीकार सामने आए। यथार्थपरक आधुनिक कहानियाँ इसी काल में जनमी और विकासमान हुई। गुलेरी, कौशिक आदि के अतिरिक्त प्रेमचन्द और प्रसाद की भी आरम्भिक कहानियाँ इसी समय प्रकाश में आई। इस समय के सर्वप्रमुख कथाकार प्रेमचन्द हैं। वृन्दावनलाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास भी उल्लेखनीय रहें। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में रामचन्द्र शुक्ल ने सूर, तुलसी और जायसी की सूक्ष्म भावस्थितियों और कलात्मक विशेषताओं का मार्मिक उद्घाटन किया और साहित्य के सामाजिक मूल्यों पर बल दिया। अन्य आलोचक हैं श्री नन्ददुलारे वाजपेयी, डा. नगेन्द्र तथा डा. हजारीप्रसाद द्विवेदी। इसी युग में काव्य के क्षेत्र में भावनिष्ठ छायावाद का भी विकास हुआ जिसमें व्यक्ति की स्वच्छन्द भावनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति हुई। जयशंकर प्रसाद, माखनलाल, सुमित्रानन्दन पन्त, सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', महादेवी, नवीन और दिनकर छायावाद के उत्कृष्ट कवि हैं। द्वितीय महायुद्ध और उसके उत्तरकालीन साहित्य में जीवन की विभीषिका, कुरूपता और असंगतियों के प्रति असन्तोष तथा क्षोभ का प्रभाव दिखायी दिया जिस पर मनोविज्ञान का गहरा प्रभाव पड़ा। इस युग के प्रमुख कथाकारों में यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क, अमृतलाल नागर और नागार्जुन आदि विशिष्ट हैं। आलोचकों में रामविलास शर्मा,नामवर सिंह, विजयदेव नारायण साही प्रमुख हैं। कवियों में केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रांगेय राघव, शिवमंगल सिंह 'सुमन' आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। निबन्ध विधा में इस दौर में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र और कुबेरनाथ राय ने विशेष ख्याति अर्जित की।

इस प्रकार हिंदी ने आदिकाल से आधुनिक काल तक की अपनी विकास यात्रा तय की है और भारतीय संविधान में स्थान पाने के साथ साथ सभी भारतीयों के मुख में रची बसी है। हिंदी न केवल एक भाषा है, यह हमारे भारतीयों के अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, जिसे न केवल भारत अपितु सारे विश्व में सम्मान मिल रहा है।

जय भारत – जय भारती – जय राजभाषा हिंदी...!!!

संदर्भ :

1. 'ग्रामीण हिंदी' धीरेंद्र वर्मा, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद पृ.9
2. 'हिंदी साहित्य का इतिहास'–आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, आषाढ शुक्ल 5, 1986 - पृ. 3 से पृ.6 तक.
3. 'हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास'-डॉ.रामकुमार वर्मा, रामनारायण लाल प्रकाशन, इलाहाबाद 1958- पृ.31-32.
4. 'साहित्यिक निबंध'-डॉ. गणपति चन्द्र गुप्त, लोकभारती प्रकाशन, 1998- पृ. 251.

- वरिष्ठ हिंदी अनुवादक

भारत संचार निगम लिमिटेड, जलगांव

आजादी का अमृत काल और राजभाषा हिंदी

राजेश श्रीवास्तव

अनेक विरोधों और अंतर्विरोधों, हिंदी और हिंदुस्तानी को लेकर चली लंबी बहस, अंकों के अंतर्राष्ट्रीय या भारतीय स्वरूप को अपनाने के तमाम तर्क-वितर्कों के बीच राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई हिंदी ने हमेशा अपना अस्तित्व बनाए रखा और अपना गौरव अक्षुण्य रखा। उसके अस्तित्व, उसकी भूमिका, उसकी स्वीकार्यता तथा उसकी आम-जनमानस को प्रभावित और आकर्षित करने की क्षमता पर अनेक बार प्रश्न चिह्न लगाए गए लेकिन हिंदी की अविरल धारा निरंतर बहती रही। आज़ादी के बाद 14 सितंबर, 1949 को संघ की राजभाषा के रूप में अपनाए जाने के बाद से हिंदी ने प्रचार, प्रसार, प्रयोग और सफलता के अनेक पड़ावों को पार किया है और आज अमृतकाल की बेला में वह अगम्य ऊँचाइयाँ छूने को तत्पर नज़र आती है। आइए, कुछ उन महत्वपूर्ण पड़ावों की चर्चा करते हैं जिनसे होते हुए राजभाषा हिंदी ने अपना अस्तित्व संसार को अनुभव कराया है।

संविधान सभा की बहस- मुंशी आयंगार फार्मूला

राजभाषा का प्रश्न हल करने के लिए संविधान सभा की बैठक में हिंदी और हिंदुस्तानी को लेकर ज़ोरदार बहस हुई जिसका अंत में परिणाम यह निकला कि देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया। संविधान सभा ने डॉ. कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी एवं श्री गोपाल स्वामी आयंगार के जिस फार्मूले को अपनाया, उसे "मुंशी आयंगार फार्मूला" कहा गया। इस फार्मूले के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और राजभाषा की लिपि और देवनागरी स्वीकार की गई। हिंदी को एकदम अपनाने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए अंग्रेजी का प्रयोग अगले पंद्रह वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया गया और अंकों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किए जाने पर सहमति बनी। हालांकि 15 साल गुजरने के बाद हिंदी का कद तो बढ़ा लेकिन अंग्रेजी की अहमियत कम नहीं हुई।

राजभाषा अधिनियम, 1963

अंग्रेजी के प्रयोग की सहमति संविधान लागू होने के अगले पंद्रह वर्षों तक अर्थात वर्ष 1965 तक जारी रखने के लिए बनी थी। इस तरह संविधान के अनुच्छेद 343 की व्यवस्था के अनुसार 26 जनवरी, 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा हो जानी थी लेकिन 10 मई, 1963 को राजभाषा अधिनियम के पारित होने ने यह स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेजी अभी आसानी से हिंदी का पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। राजभाषा अधिनियम, 1963 को पारित करते हुए यह व्यवस्था की गई कि उस तारीख के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ के उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए बराबर प्रयुक्त होती रहेगी जिनके लिए वह उस तारीख से तुरंत पहले प्रयुक्त की जा रही थी। इस प्रकार द्विभाषिक कामकाज की स्थिति की अवधि आरंभ हुई।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के माध्यम से 14 ऐसे दस्तावेज़ सामने ला दिए गए जो अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी में ही जारी किए जाने थे। गहराई से अध्ययन करें तो लगभग पुरा प्रशासनिक कामकाज इन्हीं दस्तावेज़ों की परिधि में आ जाता है। इस तरह अंग्रेजी का शिकंजा कमज़ोर नहीं पड़ा। राजभाषा अधिनियम की बात करते हैं तो इसकी धारा 3(3) की चर्चा तो बहुत होती है जिसमें ये चौदह दस्तावेज़ जोड़े गए लेकिन इसमें बाद में किए गए संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई धारा 3(5) पर लोगों का ध्यान कदाचित ही जाता है जिसने अंग्रेजी के अनंतकाल तक प्रयोग के रास्ते खोल दिए। यह उप-धारा कहती है कि जिन राज्यों ने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, जब तक ऐसे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अंग्रेजी को समाप्त करने के संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और जब तक ऐसे संकल्पों पर विचार करने के पश्चात संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अंग्रेजी के प्रयोग को समाप्त कर देने का संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता तब तक

हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। इस तरह अंग्रेजी का द्वार तो बंद नहीं हुआ लेकिन कुछ प्रयासों के माध्यम से हिंदी के लिए कई नए द्वार अवश्य खुलने लगे। प्रसंगवश यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संघराज्य क्षेत्र बन जाने के पश्चात, 18 मार्च, 2020 को अधिनियम की 9वीं धारा का लोप कर दिया गया जिससे धारा 6 और 7 भी जम्मू-कश्मीर पर लागू हो गई हैं। अधिनियम में अब केवल 8 धाराएं रह गई हैं।

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर थे पहली केंद्रीय हिंदी समिति के सदस्य सचिव

कालचक्र आगे बढ़ा तो प्रयास भी बढ़े। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन हुआ जिसमें कुछ महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रियों को सम्मिलित किया गया। केंद्रीय हिंदी समिति का गठन पहली बार 05 सितंबर, 1967 को किया गया। इसकी अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी थीं और उसके उपाध्यक्ष थे उप प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई। कुल 13 सदस्यों वाली समिति में, गृह मंत्री श्री यशवंत राव चव्हाण, शिक्षा मंत्री श्री त्रिगुण सेन, सूचना और प्रसारण मंत्री श्री के.के. शाह और विधि मंत्री श्री पी. गोविंद मेनन इसके माननीय सदस्यों के रूप में शामिल किए गए। संसद सदस्यों के रूप में श्री सेठ गोविंद दास, श्री प्रकाशवीर शास्त्री, श्री उमाशंकर दीक्षित और श्री नाथ पाई जैसे चर्चित नाम समिति की शोभा बढ़ा रहे थे। लेकिन इन सब महानुभावों के बीच एक नाम बेहद उल्लेखनीय था। एक बेहद प्रतिष्ठित और चर्चित व्यक्तित्व जो सदस्य सचिव के रूप में इस समिति में सम्मिलित थे, वे थे - भारत सरकार के हिंदी सलाहकार श्री रामधारी सिंह दिनकर जिन्हें हम राष्ट्रकवि और **"रश्मिरथी"** के प्रणेता के रूप में जानते हैं। इस समिति का मुख्य कार्य हिंदी के विकास और प्रचार के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों और कार्यक्रमों को समन्वित करना था। इस समिति की पहली बैठक वर्ष 1967 में हुई जबकि 20 जुलाई, 1968 को दूसरी बैठक हुई। तब से

लेकर आज तक केंद्रीय हिंदी समिति की 31 बैठकें हो चुकी हैं। 31वीं बैठक 06 सितंबर, 2018 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई थी। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के स्तर पर होने वाली इन बैठकों ने हिंदी के लिए एक नई दशा और दिशा तय की। कई महत्वपूर्ण निर्णय इन बैठकों में लिए गए। समिति के सदस्यों की संख्या घटती-बढ़ती रही है। एक समय यह 40 से भी ज्यादा थी लेकिन इसमें प्राय: 40 सदस्य होते हैं। पिछली बार 09 नवंबर, 2021 को केंद्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन किया गया जिसमें 21 सदस्य हैं। इसकी बैठक अभी होनी है।

न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग और 1965 का कन्वेंशन

संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। यह प्रावधान निर्धारित करता है कि जब तक संसद विधि के द्वारा कोई अन्य व्यवस्था न कर दे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। लेकिन साथ ही इसके भाग 2 में व्यवस्था की गई कि किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य में स्थित उसके उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। लेकिन यह बात केवल उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों के लिए लागू होगी, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश पर नहीं।

दूसरी तरफ राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 में व्यवस्था की गई कि नियत दिन अर्थात 26 जनवरी, 1965 से या उसके बाद किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। ऐसी प्राधिकृत भाषा में दिए गए निर्णय, डिक्री या आदेश के साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी प्रदान किया जाएगा।

इन दोनों व्यवस्थाओं में अंतर यह है कि संविधान के अनुच्छेद 348 (2) के अनुसार, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की केवल कार्यवाहियों

{proceedings} में ही हिंदी अथवा सम्बद्ध राज्य की भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, निर्णयों, डिक्री या आदेश के मामले में नहीं लेकिन राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 कहती है कि राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में हिंदी या उस राज्य की राजभाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा।

इन्हीं दो व्यवस्थाओं का परिणाम था कि न्याय के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग का एक नया द्वार खुला। 1950 में संविधान के अनुच्छेद 348(2) के तहत राजस्थान के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी के उपयोग को अधिकृत किया गया था। लेकिन बाद में माननीय मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन पर कैबिनेट कमेटी के एक नोट में यह आग्रह किया गया कि उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा के उपयोग से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर राष्ट्रपति जी द्वारा सहमति दिए जाने से पूर्व भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श किया जाएगा। 21 मई, 1965 को इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया।

इस निर्णय के पश्चात, उत्तर प्रदेश में 1969 में, मध्य प्रदेश में 1971 में और बिहार में 1972 में वहाँ के उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में हिंदी के प्रयोग को भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अधिकृत किया गया था। इसके बाद मद्रास, गुजरात, छत्तीसगढ़, कोलकाता और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में क्रमश: तमिल, गुजराती, हिंदी, बंगाली और कन्नड़ के प्रयोग को अनुमति देने के प्रस्ताव प्राप्त हुए लेकिन 16 अक्तूबर, 2012 के अपने पत्र में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जानकारी दी कि पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात, पूर्ण न्यायालय (फुल कोर्ट) ने इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च अदालत ने 18 जनवरी, 2016 को भी अपने इस निर्णय को दोहराया।

उधर, भारत के 18वें विधि आयोग ने दिसंबर 2008 में "भारत के उच्चतम न्यायालय में अनिवार्य भाषा के रूप में हिंदी की शुरुआत की अव्यवहार्यता" पर अपनी 216वीं रिपोर्ट में हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफ़ारिश की कि उच्चतर न्यायपालिका वर्तमान सामाजिक संदर्भ में किसी भी प्रकार के भावी परिवर्तन के अधीन नहीं होनी चाहिए। न्याय विभाग की वेबसाइट (doj.gov.in/hi/हिंदी-और-क्षेत्रीय-भाषा/) पर यह जानकारी उपलब्ध है। दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री इस बात पर कई बार ज़ोर दे चुके हैं कि न्याय में आसानी के लिए नए कानूनों को स्पष्ट तरीके से और क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा जाना चाहिए ताकि गरीब भी उन्हें आसानी से समझ सकें। 25 जनवरी, 2023 को देश के तमाम समाचारपत्रों में उत्साहजनक ख़बर प्रकाशित हुई। इसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हिंदी और लगभग 10 भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराके बेवसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इस तरह न्यायपालिका में भी स्वदेशी भाषाओं के द्वार खुलने लगे हैं।

7वें दशक के तीन प्रमुख घटनाक्रम

7वें दशक में तीन महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। इन्हें हिंदी के प्रचार, प्रसार और प्रयोग की दृष्टि से हिंदी के तीन नए द्वार कहा जा सकता है। जून, 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना हुई तो 1976 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ। 1976 में ही राजभाषा नियम बनाए गए जो 17 जुलाई, 1976 को प्रकाशित हुए। राजभाषा नियमों का विस्तार तमिलनाडु को छोड़कर देश के सभी राज्यों पर है। तमिलनाडु में 31 जनवरी 1976 से 30 जून, 1977 तक राष्ट्रपति शासन रहा। राष्ट्रपति शासन होने के कारण उस समय निर्णय लिया गया कि ये नियम तमिलनाडु पर लागू नहीं होंगे। यह स्थिति आज भी यथावत है।

माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता वाली तीस सदस्यीय संसदीय राजभाषा समिति को हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करने और उस पर सिफारिशें करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया। राजभाषा हिंदी के प्रयोग पर निगरानी रखने के मामले में इस समिति की भूमिका अत्यन्त उल्लेखनीय रही है। समिति अब तक अपने प्रतिवेदन के 11 खंड माननीय राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर चुकी है जिनमें से 9 पर राष्ट्रपति जी आदेश जारी हो चुके हैं। राजभाषा की एक यूनिट को विभाग के रूप उन्नत करके तीसरी व्यवस्था गृह मंत्रालय के अंतर्गत आरंभ की गई। इस विभाग के अंतर्गत ही केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग का गठन किया गया।

8वीं अनुसूची की भाषाएं

संविधान के अनुच्छेद 351 की भावना को आत्मसात करते हुए, भारतीय भाषाओं के प्रसार और विकास के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कुल 22 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। इनमें हिंदी और संस्कृत भी शामिल हैं। प्रारंभ में इसमें 14 भाषाओं को शामिल किया गया था।

अष्टम् अनुसूची में शामिल भाषाएं

1. असमिया	9. मणिपुरी	16. तमिल
2. बांग्ला	10. मराठी	17. तेलुगू
3. गुजराती	11. नेपाली	18. उर्दू
4. हिंदी	12. उड़िया	19. बोडो
5. कन्नड़	13. पंजाबी	20. मैथिली
6. कश्मीरी	14. संस्कृत	21. सन्थाली
7. कोंकणी,	15. सिन्धी,	22. डोगरी
8. मलयालम		

लगभग 38 और भाषाओं को इस अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग की जा रही है। इस बीच, सितंबर, 2003 में डॉक्टर सीताकांत महापात्र की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसका उद्देश्य तमिल सहित संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सारी भाषाओं को राजभाषाएं घोषित करने की व्यवहारिकता को देखना और परखना था। इस समिति ने 18 मार्च, 2004 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की रिपोर्ट फिलहाल सरकार के विचाराधीन है।

हिंदी सलाहकार समितियों का गठन

सभी मंत्रालयों/विभागों में हिंदी के प्रचार, प्रसार और उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए हिंदी सलाहकार समितियों का गठन किए जाने की शुरुआत हुई। सबसे पहले वर्ष 1975 में इन समितियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत परिचालित किए गए। प्रारंभ में इनकी बैठक प्रत्येक दो माह में होती थी लेकिन जुलाई 1978 में केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकें दो महीने की बजाय तीन महीने में एक बार की जाए। आजकल ये बैठकें छह माह में एक बार किए जाने का प्रावधान है। इन समितियों में प्राय: 30 सदस्य होते हैं जिनमें 15 गैर सरकारी सदस्य होते हैं। गैर सरकारी सदस्यों में चार का चयन मंत्रालय विशेष के कैबिनेट मंत्री के विवेकाधिकार से किया जाता है जबकि 3 सदस्यों का चयन राजभाषा विभाग द्वारा किया जाता है। जुलाई, 2023 तक, कुल 58 हिंदी सलाहकार समितियाँ हैं। ये सभी पुनर्गठित की जा चुकी हैं। इन 58 में से कुछ छोटे मंत्रालयों/विभागों के लिए संयुक्त समितियाँ गठित की गई हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलवाना

संयुक्त राष्ट्र में 6 कार्यकारी भाषाओं (अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, स्पेनिश और अरबी) का प्रयोग अधिकृत है। इनके अतिरिक्त किसी भी अन्य भाषा को शामिल किए जाने के लिए, पूँजीगत लागत देने के अतिरिक्त कई अन्य शर्तों का पालन भी करने का प्रावधान है। विदेश मंत्रालय के सौजन्य से संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित एक प्रायोगिक परियोजना को शुरु किया गया है जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र में अनेक मंचों पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र रेडियो पर 10 मिनट का साप्ताहिक हिंदी समाचार बुलेटिन का प्रसारण होता है। संयुक्त राष्ट्र सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम) पर हिंदी का प्रयोग किया जाता है।

अभी हाल ही में भारत सरकार ने हिंदी भाषा को विश्व भर में बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को 10 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। 17 जुलाई, 2023 को पंजाब केसरी, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक जागरण समेत अनेक राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग के सहयोग से हिंदी@यूएन परियोजना 2018 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाना और दुनियाभर के लाखों हिंदी भाषी लोगों के बीच वैश्विक मुद्दों के बारे में अधिक जागरूकता फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र से संबंधित समाचार विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से हिंदी में प्रसारित किए जाते हैं। ऐसे भी समाचार प्रकाशित होते रहे हैं कि हिंदी यूएन न्यूज वेबसाइट 13 लाख वार्षिक इंप्रेशन के साथ इंटरनेट सर्च इंजन में शीर्ष दस में बनी हुई है।

प्रधानमंत्री जी की अविस्मरणीय भूमिका

एक वह दौर था जब किसी एक भारतीय नायक द्वारा विश्वपटल पर कहीं हिंदी में अपनी बात रखे जाने पर वह समाचार सुर्खियों में आ जाता था। 04 अक्तूबर, 1977 की स्मृतियाँ किसे नहीं झिंझोड़ देतीं जब तत्कालीन मोरारजी देसाई सरकार में विदेश मंत्री बने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में अपना संबोधन हिंदी में दिया। करीब 43 मिनट तक उन्होंने हिंदी में

अपना पक्ष संसार के समक्ष रखा। सन् 2000 में प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में अपना भाषण हिंदी में दिया। श्री वाजपेयी ने 25 सितंबर, 2003 में भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 58वें सत्र को हिंदी में संबोधित करके इतिहास रच दिया था।

वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल इस परंपरा को आगे बढ़ाया बल्कि ऐसे मील के पत्थर स्थापित कर दिए जो सदियों तक अविस्मरणीय रहेंगे। संसार का ऐसा कौन सा मंच है जहाँ उन्होंने अपने देश का प्रतिनिधित्व हिंदी में नहीं किया। विश्व का कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ उन्होंने हिंदी को गौरवान्वित नहीं किया। उन्होंने अमेरिकी संसद को दो बार हिंदी में संबोधित किया। अमेरिकी संसद में उनके दूसरे संबोधन में उन्हें 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला जिसकी चर्चा विश्वभर में रही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वभर में हिंदी की पताका फहराकर उसके प्रचार-प्रसार और प्रयोग के अनंत द्वार खोल दिए हैं।

विश्व हिंदी सम्मेलन

विदेशों में हिंदी के प्रचार, प्रसार और प्रयोग की दृष्टि विश्व हिंदी सम्मेलन भी बेहद कारगर साबित हुए हैं। विदेश मंत्रालय के सौजन्य से अब तक 12 सम्मेलन कराए जा चुके हैं। इनमें से 3 भारत में कराए गए हैं- पहला नागपुर में 1975 में, तीसरा 1983 में नई दिल्ली में और दसवां 2015 में भोपाल में। विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत 10 जनवरी से 14 जनवरी, 1975 तक नागपुर में हुई जबकि पिछला12वाँ सम्मेलन 15 से 17 फरवरी, 2023 के दौरान फिज़ी में आयोजित कराया गया। सम्मेलन का मुख्य विषय “हिंदी-पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक” था। इन सम्मेलनों से जहाँ हिंदी की वैश्विक पहुँच सुनिश्चित हुई वहीं विश्व भर के हिंदी विद्वानों, साहित्यकारों और राजभाषा अधिकारियों के लिए ये सम्मेलन गहन चिंतन-मनन और विचार-मंथन का सशक्त मंच साबित हुए हैं।

राजभाषा विभाग के अथक प्रयास

राजभाषा विभाग ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान बहुत सारी नवीन, निर्णायक और नितांत उपयोगी पहलें की हैं। उसने सी-डैक, पुणे की सहायता से “कंठस्थ” नामक एक स्मृति आधारित एवं आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इसका लोकार्पण वर्ष 2018 में मॉरीशस में किया गया था। इसमें एक अनुवाद स्मृति (टीएम) डाटाबेस होता है जो अनूदित डाटा को स्रोत-भाषा (Source language) खंड और लक्ष्य-भाषा (Target language) खंड के रूप में संग्रहित करता है। इस अनुवाद स्मृति प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि किसी नई फाइल का अनुवाद करते समय यह अनुवादक को पहले से अनूदित हिस्से को पुनः प्रयोग करने की अनुमति देती है।

कंठस्थ के उन्नत संस्करण **“कंठस्थ-2.0”** का विमोचन हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर, 2022 को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के कर-कमलों से किया गया। “कंठस्थ-2.0” में न्यूरल मशीन अनुवाद (NMT), बोली से पाठ अर्थात **स्पीच टू टेक्स्ट** (एसटीटी) (प्रयोक्ता बोल कर टंकण करना), स्वचालित **बोट चैट सेवा** (यह "क्या मैं आपकी मदद करूँ" जैसी सहायता विंडो) जैसे फीचर शामिल हैं। इसमें एक क्लिक पर instant Translation की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। यही नहीं, कंठस्थ 2.0 के **मोबाइल ऐप** का भी लोकार्पण माननीय गृह राज्यमंत्री (ए.एम.) के कर-कमलों से वर्ष 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन, फिजी में किया गया और इसे सभी के लिए नि:शुल्क उपलब्ध करा दिया गया है। राजभाषा विभाग द्वारा निर्मित यह टूल अब मेमोरी आधारित होने के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के मामले में भी शानदार परिणाम दे रहा है। इससे इसकी गुणवत्ता में कई गुना वृद्धि हुई है। बड़ी संख्या में प्रयोक्ता अब इस स्वदेशी टूल/सॉफ्टवेयर से जुड़ रहे हैं। यह टूल कार्यक्षम होने के साथ-साथ **स्थानीय के लिए मुखर** एवं **आत्मनिर्भर भारत** की संकल्पना को भी पुरा करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।

वर्ष 2021 से विभाग ने एक अन्य नई पहल प्रारंभ की और माननीय गृहमंत्री जी के नेतृत्व में पहला **अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन** 13-14 नवम्बर, 2021 में वाराणसी में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस बेहद सफल आयोजन में देशभर से आए हिंदीप्रेमियों और राजभाषा अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम

के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी थे।

अगले वर्ष हिंदी दिवस कार्यक्रम भी दिल्ली के विज्ञान भवन से बाहर निकला और पहली बार संयुक्त रूप से हिंदी दिवस और द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गुजरात के ऐतिहासिक शहर सूरत में 14 एवं 15 सितंबर, 2022 को किया गया। इस कार्यक्रम में रिकॉर्ड तोड़ दस हजार से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

इसी क्रम में हिंदी दिवस एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का संयुक्त आयोजन इस वर्ष पुणे, महाराष्ट्र में 14-15 सितंबर को किया जा रहा है। इन सम्मेलनों ने मंत्रालयों/ विभागों/ अधीनस्थ कार्यालयों/ बैंकों/ उपक्रमों/ बोर्डों/ निगमों/ केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत समस्त केंद्रीय राजभाषाकर्मियों को एक ही मंच पर ला खड़ा किया और देश के लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों ने राजभाषा प्रेमियों के विशाल जनसमूह के समक्ष अपने उद्गार प्रकट किए। इतने विशाल जनसमूह को देखकर ऐसा लगा मानों राजभाषा हिंदी के पंख लग गए हों। इसके अतिरिक्त, राजभाषा विभाग देश भर में चारों दिशाओं में हर वर्ष चार क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों के माध्यम से भी हिंदी में उत्कृष्ट काम करने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को शील्ड एवं प्रमाणपत्र देकर सम्मानित करता है।

विभाग ने **"हिंदी शब्द सिंधु"** नाम से एक व्यापक हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया है जिसे निरंतर संवर्धित किया जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य, तकनीक, मीडिया, विधि आदि क्षेत्रों के शब्दों को शामिल कर विभिन्न भारतीय भाषाओं के भी प्रचलित शब्दों को समाहित किया जा रहा है। हिंदी से हिंदी के इस बृहत शब्दकोश का निर्माण हिंदी के तकनीकी सशक्तिकरण का कार्य करेगा। इसका पहला संस्करण गृह मंत्री जी ने सूरत के अखिल भारतीय सम्मेलन के अवसर पर लोकार्पित किया था। अब इसे बहुभाषी रूप दिया जा रहा है।

हिंदी दिवस-2023
तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, पुणे

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और माननीय गृह मंत्री जी की प्रेरणा पाकर आशा की जा सकती है कि आने वाले समय में केंद्रीय हिंदी समिति से लेकर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से बहने वाली राजभाषा हिंदी की अविरल धारा अब और तेजी से बहेगी। केवल राजभाषा हिंदी ही नहीं बल्कि देश की समस्त क्षेत्रीय भाषाएं विशेष रूप से 8वीं अनुसूची की भाषाएं भी उसी गति से हिंदी के साथ कदमताल करेंगी। परस्पर समन्वय और सबको साथ लेकर चलने की इसी कार्यनीति का परिणाम है कि अब पूरे देश में सीबीएसई स्कूलों में एक जैसा पाठ्यक्रम होने की घोषणा की गई है जिसके अंतर्गत एनसीईआरटी नई पाठ्यपुस्तकें तैयार कर रही है। तीसरी से 12वीं कक्षाओं तक बहुत सारे विषयों की नई किताबें आ रही हैं जो 22 भारतीय भाषाओं में होंगी। वे दिन दूर नहीं जब पुरा देश एक ही शिक्षा के एक ही सूत्र में समन्वित दिखाई पड़ेगा। आज़ादी के सौ वर्ष पूरे होने तक यह स्वप्न साकार होने की राह पर है कि भारत भारती के माथे ही बिंदी के रूप में हिंदी और विविध श्रृंगार के रूप में अन्य भारतीय भाषाएं साथ-साथ कदमताल करते हुए, हमारे देश के ललाट को गर्व से और भी उन्नत करेंगी। नए द्वार खुलने को तैयार हैं, मन से प्रयास तो कीजिए।

- उप निदेशक (राजभाषा)
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

हिंदी के बिना संभव नहीं भारतीय संस्कृति का विकास

-मोनालिसा पंवार

"भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विशालता और उसकी महत्वता तो संपूर्ण मानव के साथ तारतम्य संबंध स्थापित करने का अर्थ वसुधैव कुटुंबकम की पवित्र भावना में निहित है"

-पंडित मनमोहन मालवीय

भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम एवं समृद्ध संस्कृतियों में से एक तथा कर्मप्रधान संस्कृति है। मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से यह मिश्र, मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं के समान ही प्राचीन है परंतु इसकी विशेषता यह है कि वक्त के थपेड़ों का भारतीय संस्कृति की अमिटता और अमरता पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा। जहां मेसोपोटामिया की सुमेरियन, असीरियन, बेबीलोनियन और मिस्र, ईरान, यूनान और रोम जैसी कई अन्य संस्कृतियां समय के साथ काल के गाल में समा गई, वहीं भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों से अनेकानेक विदेशी आक्रांताओं द्वारा इसे नष्ट करने के अनगिनत प्रयासों के बावजूद भी कमोवेश अपने मूल रूप में विद्यमान है। विविधताओं से परिपूर्ण हमारे देश में उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम तक न जाने कितनी संस्कृतियां हैं जो विविधता में एकता का एक शानदार संगम प्रस्तुत करती हैं। यहां कुछ मीलों की दूरी पर ही वेशभूषा, खानपान, बोली, भाषा,कला, संगीत, साहित्य, वास्तुविज्ञान, शिल्पकला, दर्शन, धर्म तथा विज्ञान आदि बदल जाते हैं। जिनसे हमारी समृद्ध संस्कृति का बोध होता है जो दुनिया के समक्ष प्रेम व सम्मान की भावना का एक अप्रतीम उदाहरण प्रस्तुत करता है।

संस्कृति शब्द अंग्रेजी में कल्चर, लैटिन भाषा के कल्ट या कल्ट्स से लिया गया है। जिसका अर्थ है जोतना, विकसित, परिष्कृत व पूजा करना। उसी प्रकार संस्कृति संस्कृत भाषा के "कृ" धातु से बना है इससे 3 शब्द बनते हैं "प्रकृति" (मूल स्थिति) "संस्कृति" (परिष्कृत स्थिति) और "विकृति" (अवनति स्थिति) जब प्रकृति या कच्चा माल परिष्कृत होने पर संस्कृति तथा जब बिगड़ने पर विकृत कहलाता है।

भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत

हमारी संस्कृति की विरासत बेहद प्राचीन एवं समृद्ध है तथा हमारे पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी धर्म, संस्कृति एवं परम्पराओं को आगे बढ़ाया है जिसे नई पीढ़ी ने समय के साथ उनमें अपना अनुभव मिलाकर इसे और समृद्ध बनाने का कार्य किया है। अपने पूर्वजों से हमने बहुत कुछ सीखा तथा उनके विचारों व भावनाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ते हुए उसे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तानांतरित किया, धीरे-धीरे यह हमारी सांस्कृतिक विरासत बन गया। कोई भी राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में मिले मूल्यों का आदर एवं सम्मान करते हुए उनका संरक्षण करते हैं तथा उनमें अटूट विश्वास रखते हुए हम दुनिया के समक्ष सदैव गर्व से उनका उल्लेख भी करते हैं।

बहुभाषिक संस्कृति हमारी विशेषता:

भारतीय संस्कृति एक बहुभाषिक संस्कृति है। संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को स्थान दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1369 भाषाएं हैं जिनमें 121 मातृभाषाएं 10000 से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। यूनेस्कों के अनुसार विगत 50 वर्षों में भारत में 197 भाषाएं लुप्तप्राय हो चुकी हैं और अनेकों भाषाएं लुप्त होने की कगार पर है। ऐसे में भाषा का महत्व और बढ़ जाता है। सभी भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है जो वैज्ञानिक दृष्टि से एक संपूर्ण भाषा है और आज भी हमारे देश में समस्त मांगलिक कार्य संस्कृत में ही सम्पन्न होते हैं परन्तु भारतीय लोगों द्वारा इसे आम बातचीत व शिक्षा के माध्यम के रूप में न अपनाने के कारण यह भाषा अपनी पहचान

खो चुकी है। 2011 की जनगणना के अनुसार केवल 24821 लोगों की मातृभाषा होने के कारण संस्कृत संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में सबसे कम बोली जानेवाली भाषा बन गई है।

हमारे प्राचीन ग्रंथों में समाया संपूर्ण विश्व का कल्याण:

''**वसुधैव कुटुंबकम**'' सिद्धांत पर आधारित हमारी सांस्कृतिक विरासत के रूप में हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद, पुराण, उपनिषद् गीता या योग आदि में उल्लिखित ज्ञान विश्व कल्याण पर आधारित हैं। तभी तो इसमें छूपा गूढ़ रहस्य समझने के लिए संपूर्ण विश्व में वर्षो से शोध जारी है। देवतुल्य भाषा संस्कृत में समस्त विश्व की रूचि है तथा इसमे छूपे जीवन के रहस्यों के साथ-साथ अत्याधुनिक प्रबंधन के सूत्र आज भी तर्कसंगत बने हुए हैं। हमारी प्राचीन वास्तुकला, शिल्पकला एवं निर्माण तकनीक आज की अत्याधुनिक ज्ञान-विज्ञान के लिए चुनौती है। हमारे प्राचीनकालीन मंदिर एवं अन्य प्राचीन इमारतें हजारों सालों से भूकंप, आंधी तूफानों के थेपेड़े सहते हुए आज भी अपने मूल रूप में विद्यमान हैं जबकि अत्याधुनिक तकनीक से बनी कई इमारतें अपने निर्धारित समय से पूर्व हीं धुल धुसरित हो गई। कुछ भारतीय मंदिरों का निर्माण एवं वास्तुकला आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई हैं। इसके अलावा बौद्धिक उपलब्धियां, दर्शन, ज्ञान के ग्रन्थ, वैज्ञानिक आविष्कार और खोज भी हमारी विरासत के अभिन्न अंग हैं।

लार्ड मैकाले आधारित शिक्षा प्रणाली ने लोगों को किया भारतीय भाषाओं एवं संस्कृति दूर:

स्वतंत्रता पूर्व ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार प्रारंभ हो चुका था और व्यवस्था ने हमारे प्राचीन गुरूकुल शिक्षा व्यवस्था एवं उनमें समाहित प्राचीन आधुनिकतम व्यवस्था को खत्म कर दिया है। ब्रिटिश जनरल कमेटी के निर्देश पर 1858 में लार्ड मैकाले द्वारा भारतीय शिक्षा अधिनियम बनाया गया। ब्रिटिश संसद में दिए गए अपने कथन के अनुसार मैकाले की सोच स्पष्ट थी। भारतीय शिक्षा व्यवस्था पूर्णत: खत्म करने और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लागू करने का प्रारूप तैयार कर मैकाले ने कहा था, ''हमें हिन्दुस्तानियों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो अंग्रेज शासकों एवं उन करोड़ों भारतीयों के बीच दुभाषिए का काम कर सकें जिन पर हम शासन करते हैं। हमें हिन्दुस्तानियों का एक वर्ग तैयार करना है जिनका रंग- रूप भले ही भारतीय हो लेकिन वह अपनी अभिरूचि, विचार, नैतिकता और बौद्धिकता में अंग्रेज हो।'' मैकाले ने इस व्यवस्था को इतने सुंदर प्रबंधन के साथ लागू किया और आज स्थिति यह है कि सिर्फ 165 वर्ष में हम अपनी हजारों वर्षो से चली आ रही प्राचीनतम सभ्यता एवं संस्कृति को लगभग भूल चुके हैं और आज हमारी पीढ़ियां मैकाले की सोच के अनुसार ही तैयार होने लगी है।

भारत को विश्व गुरू बनाने वाले प्राचीन ग्रंथ:

हमारे प्राचीन ग्रंथों में अनेकानेक आश्चर्यजनक अविष्कारों का वर्णन है जिसे हम संजोकर रखने में सफल नहीं हो पाए। भारतीय सन्दर्भ में गणित, खगोल विद्या और ज्योतिष के क्षेत्र में बौधायन, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य का योगदान, भौतिकशास्त्र के क्षेत्र में कणाद और वराहमिहिर का रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नागार्जुन, औषधि के क्षेत्र में सुश्रुत और चरक, योग के क्षेत्र में पतंजलि हमारी भारतीय संस्कृति के प्रगाढ़ खजाने हैं। संस्कृति परिवर्तनशील है लेकिन हमारी विरासत परिवर्तनशील नहीं है। हमारे चिकित्सा कौशल के क्षेत्र में केरल जो लगभग 1000 साल से भी अधिक समय से आयुर्वेदिक चिकित्सा शैली के उपयोग से न जाने कितने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे चुका है जिसमें कायाकल्प चिकित्सा के अंतर्गत जड़ी बूटियों की मदद से शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकाल कर इम्यून सिस्टम सुदृढ़ किया जाता है। इस समय समस्त विश्व खानपान का क्षेत्र या चिकित्सा सभी में शुद्धता और प्राकृतिक तत्व चाहता है। इसलिए उनका रूझान आयुर्वेदिक चिकित्सा शैली की ओर उन्मुख है।

आधुनिक शिक्षा प्रणाली का असर- संस्कृत, हिंदी, आम हिंदी से चालू हिंदी तक का सफर:

विदेशी आक्रांताओं ने एक सोची समझी साजिश के तहत हमारी प्राचीन परम्पराओं, संस्कृति तथा प्राचीन ग्रंथों को पूर्णत: नष्ट कर दिया ताकि आने वाली पीढ़ी अपने धर्म, संस्कृति एवं परम्परा एवं संस्कृति से विलग रहे। एक ओर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने पूरी की पूरी पीढ़ी का धर्मांतरण कराकर उन्हें अपने धर्म से अलग करने का दुस्साहस किया तो और दूसरी ओर अंग्रेजों ने तो भारत में नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से दूर करने के लिए अंग्रेजी को सर्वश्रेष्ठ भाषा के रूप में कुछ इस कदर महिमामंडित किया कि आज की

पीढ़ी देवतुल्य भाषा संस्कृत से पूर्णत: दूर हो गई। नई पीढ़ी अब हिंदी बोलने और समझने में भी शर्म महसूस करने लगी है। यही कारण है कि आज फिल्मों एवं अन्य मीडिया में हमारे प्राचीन ग्रथों का भी विभत्स चित्रण देखने को मिल रहा है

सभी भारतीय भाषाओं को एकसूत्र में पिरोती है हिंदी

हालांकि भारत में एक से एक प्राचीन भाषाएं हैं जो विश्व की कई लोकप्रिय भाषाओं से भी प्राचीन हैं तथा भारत में कई करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा भी है। उदाहरणार्थ बांग्ला (9.72 करोड़), (8.3%), मराठी 8.30 करोड़ (7.09%), तेलुगू 8.11 करोड़ (6.93), तमिल 6.90, गुजराती, 5.54 करोड़ (4.7) तथा उर्दू 5.07 करोड़ लोगों की मातृभाषा है। 52.83 करोड़ या 43.63% आबादी की मातृभाषा हिंदी होने के अलावा हिंदी भारत की लगभग 90 प्रतिशत लोगों द्वारा अच्छी तरह से बोली एवं समझी जाती है। गैर-सूचीबद्ध भाषाओं में राजस्थान में बोली जानेवाली भिली/भिलौंडी 1.04 करोड़ संख्या के साथ प्रथम तथा 29 लाख लोगों के साथ गोंडी दूसरे स्थान पर है। परन्तु भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारतीय भाषा के रूप में हिंदी ने अपनी विशेष पहचान बनाई है।

हिंदी से ही संभव है भारतीय संस्कृति का विकास:

किसी भी देश की भाषा उस देश की सामाजिक सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रवाद का परिचायक होती है भारत जैसे देश जहां विभिन्न धर्म, जाति, सभ्यता एवं संस्कृति के लोग निवास करते हैं उनकी भाषाएं भी भिन्न-भिन्न हैं। ऐसे में हिंदी भारत के संपर्क एवं संचार की भाषा के रूप में विराजमान होकर लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करती है। इसलिए हिंदी को भारत माता के माथे की बिंदी की संज्ञा दी गई है क्योंकि प्राचीनकाल से ही स्थान भेद के कारण प्रचलन में आए विविध भाषाओं के बावजूद हिंदी अपनी सरलता, सहजता व वैज्ञानिकता के कारण देश की सर्वमान्य भाषा बनी हुई है।

एक बार महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर को गुजरात में व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। वह चिंतित थे कि व्याख्यान किस भाषा में दे, गुजराती उन्हें आती नहीं थी तथा बंगला कोई समझेगा नहीं और अंग्रेजी व्याख्यान लोगों के समझ से परे होगा और उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। महात्मा गांधी की सलाह पर महाकवि ने हिंदी में व्याख्यान दिया जिसे काफी सराहना मिली और महाकवि ने इसे हिंदी का जादू माना। सचमुच ये हिंदी का जादू ही है जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोता है और हमारी राष्ट्रीय एकता को समृद्ध व सुदृढ़ करता है। हिंदी भाषा के नामकरण में ही राष्ट्रीय एकता का भाव समाहित है। भारत का एक पर्याय हिंद है। हिंदी का एक अन्य अर्थ भारतीय भी है। विशिष्ट अर्थ में हिंदी का तात्पर्य मानक हिंदी है जो देश राजभाषा तथा संपर्क भाषा का कार्य कर रही है।

हिंदी ने ही जलाई स्वतंत्रता आन्दोलन की मशाल:

स्वतंत्रता आन्दोलन के समय में जहां देशभक्ति तथा राष्ट्रीय चेतना सर्वोपरि थी। इन भावों ने भारतवासियों को व्यापक राष्ट्र के लिए समर्पण एवं बलिदान हेतु तैयार किया और वे प्रांतीयता की सीमा से बाहर निकलकर वृहत भारत के स्वप्न हेतु निकल पड़े। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की सीमाओं को इन्ही भावों ने खोला और सभी देशवासियों के दिल में एक भारत की ज्योत जगा दी। उस समय हिंदी किसी ना किसी रूप में पूरे देश में पहुंच गयी और सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे संवाद की भाषा के रूप में सहर्ष स्वीकार भी किया। दक्षिण, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, बंगाल इत्यादि के बलिदानी हिंदी के माध्यम से ही स्वतंत्रता की अलख जगाकर सफलता प्राप्त कर रहे थे। तिलक, राजगोपालाचारी, सुभाषचन्द्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, भगत सिंह सभी सेनानियों ने हिंदी में ही देशभक्ति तथा राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत की। जबकि उनमे से कोई भी हिंदी भाषी नहीं था परन्तु राष्ट्रीय स्तर पर संवाद हेतु वे हिंदी का उपयोग करते थे क्योंकि देशवासी हिंदी में किए गए उनके संवादों में व्याप्त राष्ट्रीय एकता, देश भक्ति की अनुभूति करने में सफल हुए। यदि वे अंग्रेजी या अन्य प्रांतीय भाषाओं का उपयोग करते तो शायद उससे व्यापक राष्ट्रीय एकता उत्पन्न नहीं होती इसलिए हिंदी भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन की सफलता का वाहक बना।

हमारे खानपान, वेशभूषा व त्यौहार हैं हमारी संस्कृति की पहचान:

विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां खानपान, वेशभूषा त्यौहारों में विविधताएं हैं। यहाँ पर्व, त्यौहार, जयन्ती और मेलों के माध्यम से जनजीवन की सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय चेतना फैलती फूलती है। वहीं हर मौसम एवं हर त्यौहार के लिए अलग-अलग

व्यंजन एवं परिधान हैं। संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक त्यौहार मनाए जाते हैं। प्रत्येक त्यौहार का अपना अलग ही महत्त्व होता है। भारत एक ऐसा देश है जहां फसल कटाई पर भी उत्सव मनाया जाता है तथा वर्षा ऋतु के आगमन पर भी विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। राजस्थान तो अपने रंगीलेपन को लेकर सभी को आकर्षित तथा हर्षोल्लासित करता है। राजस्थान की इन रंगीली छटाओं में यहाँ पर्वों, त्यौहारों एवं मेलों का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश में हर जाति, धर्म व सम्प्रदाय की अपनी एक समृद्ध एवं सांस्कृतिक विरासत है जो अलग-अलग त्यौहारों के माध्यम से स्पष्ट रूप में देखने को मिलती है। यहाँ कभी दिवाली, दशहरा, होली की धूम तो कभी ईद और क्रिसमस की चहल पहल रहती है तो कभी गुरू नानक जयन्ती या वैशाखी के ढोल नगाड़ों की गूँज रहती है। धार्मिक एवं सामाजिक पर्वों के अतिरिक्त भी हमारे राष्ट्रीय पर्व जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयन्ती आदि पूरे देश में हर्षोल्लास सहित मनाया जाता है। वर्तमान में भी हिंदी भाषा के लिए प्रेम बढ़ा है आज किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति अन्य क्षेत्र में जाकर कार्य कर रहा है। साथ ही विद्यार्थी शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं जो अपने आप में ही एक बड़ा उदाहरण है एवं हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।

हिंदी भाषा है सौ करोड़ से अधिक भारतीयों की संपर्क भाषा:

भारतीय भाषाओं में सबसे लोकप्रिय भाषा हिंदी देश में 90% से अधिक लोगों द्वारा बोली एवं समझी जाती है। भाषा व्यक्ति को ही नहीं बल्कि समाज को भी जोड़ती है। अपनी सरलता, सहजता, शाब्दिक उदारता और साहित्यिक समृद्धि के कारण हिंदी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बोली एवं समझी जाती है। हिंदीतर क्षेत्रों में भी हिंदी संपर्क की भाषा है। इसलिए हिंदी के माध्यम से ही हमारी संस्कृति का विस्तार एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो रहा है।

हिंदी भाषा का प्रभाव: देश विदेश में हुआ भारतीय संस्कृति का प्रादुर्भाव:

कुछ ही वर्षों तक हमारे पर्व त्यौहार क्षेत्रीय आधार पर मनाए जाते थे परन्तु आज स्थिति यह है कि देश के हर हिस्से में हर क्षेत्र के लोगों का निवास हो रहा है और वे अपने साथ अपनी भाषा एवं संस्कृति का विस्तार भी कर रहे हैं। बिहार एवं पूर्वांचल में मनाया जाने वाला पर्व ''छठपूजा'', ओडिशा की भगवान जगन्नाथ रथयात्रा महोत्सव, गणपति पूजन आज पूरे विश्व में हर्षोल्लास सहित मनाया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि आज की पीढ़ी भले ही लिखित भाषा के रूप में अंग्रेजी को प्राथमिकता दे परन्तु बातचीत में हिंदी की बादशाहत आज भी कायम है।

अत्याधुनिक तकनीक से भाषा और भाषा से संस्कृति का विस्तार:

अत्याधुनिक तकनीक की एक अनमोल देन है सोशल मीडिया। भारत में सोशल मीडिया पर अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में उपस्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ना एक सुखद संयोग है। 29 प्रतिशत क्षेत्रीय भाषाओं में सोशल मीडिया उपयोगकर्ता प्रतिदिन कम से कम एक बार अपने कंटेंट पोस्ट करते हैं जबकि अंग्रेजी उपयोगकर्ताओं का प्रतिशत केवल 22 प्रतिशत है। भारत में अंग्रेजी की 175 मिलियन की तुलना में 234 मिलियन भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन उपयोगकर्ता हैं। इसमें प्रतिवर्ष 18% की वृद्धि हो रही है। आज 10 में से 9 ऑनलाइन उपयोगकर्ता भारतीय भाषाओं के हैं। सब लोग सोशल मीडिया पर भारतीय भाषाओं में खुलकर अभिव्यक्ति करते हैं। इससे हमारी संस्कृति का व्यापक विस्तार हो रहा है।

भाषा जोड़ने का काम करती है और भारत में यह सौभाग्य हिंदी को प्राप्त है और आने वाले समय में भी हिंदी भाषा संपूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में भारतीय संस्कृति के विकास में अपना योगदान करती रहेगी। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी नई पीढ़ी को अपने धर्म एवं संस्कृति से विलग न करें बल्कि अपने कार्य एवं व्यवहार से पूर्णत: वैज्ञानिक हमारी भारतीय संस्कृति की ओर उनका ध्यान आकर्षित करें ताकि हमारी पीढ़ी शिक्षा एवं कैरियर के शिखर पर पहुंचने के साथ-साथ संस्कृति एवं नैतिकता की ओर भी उन्मुख हों। तभी भारत भविष्य में वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के साथ-साथ सच्चे रूप में विश्व गुरू की भूमिका निभाने में सफल हो पाएगा।

- एल आई सी शाखा,
केनरा बैंक, जोधपुर

शिक्षा माध्यम में मातृ भाषा: नीतियां एवं क्रियान्वयन

-सुनील कुमार भट्ट
एवं
डॉ. भास्कर चौधरी

मानव समाज के सदस्यों के मध्य विचारों के आदान प्रदान का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भाषा है। बच्चों के चिंतन, मनन, दृष्टिकोण, उनकी रुचियों, क्षमताओं, मूल्यों, मनोवृत्तियों आदि को साकार करने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारी शिक्षा का कोई भी उद्देश्य क्यों न हो, उसकी प्राप्ति में मातृभाषा का स्थान सर्वोपरि होता है। मातृ भाषा आधारित शिक्षा स्वाभाविक अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है, व्यक्ति को मातृ भाषा में अपने विचार प्रकट करने के लिए अधिक विचार नहीं करना पड़ता। कहा जाता है मातृ भाषा जैसी सरसता और पूर्णता की अनुभूति किसी अन्य भाषा में संभव नहीं है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (2017) के अनुसार कक्षा 3, 5 एवं 8 के विद्यार्थियों जिनकी घर में बोली जाने वाली भाषा, विद्यालय में शिक्षकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा से भिन्न थी की तुलना में उन विद्यार्थियों की उपलब्धि सार्थक रूप से बेहतर रही जिनकी घर में बोली जाने वाली भाषा तथा विद्यालय में शिक्षकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा में समानता थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बालक की शिक्षा में मातृ भाषा के महत्व को विशेष रूप से उल्लिखित करती है, नई शिक्षा नीति के अनुसार "यह सर्व विदित है की छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा/मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझते हैं। घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हालांकि, कई बार बहुभाषी परिवारों में, परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली एक घरेलू भाषा हो सकती है, जो कभी-कभी मातृभाषा या स्थानीय भाषा से भिन्न हो सकती है। जहाँ तक संभव हो, कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर यह होगा की ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम, घर की भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा। इसके बाद, घर/स्थानीय भाषा को जहाँ भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे। विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों को घरेलू भाषाओं/मातृ-भाषा में उपलब्ध कराया जाए। स्वतंत्रता से पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात समाज में शिक्षा की तात्कालिक स्थिति एवं भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए समय-समय पर विभिन्न आयोगों का गठन किया गया उन सभी आयोगों द्वारा शिक्षा के माध्यम के रूप में भाषा पर अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की गईं, संस्तुतियों के आधार पर तैयार की गई नीतियों में भी उनका प्रभाव देखा गया। सिफारिशों के आधार पर शिक्षा में मातृभाषा के महत्व से संबंधित सुझाव दिये गये। मैकाले (1835) ने अपने विवरण पत्र में मातृभाषा को महत्व नहीं दिया, उसने मातृ भाषा को नजरंदाज करते हुए कहा कि भारत के निवासियों में प्रचलित देशी भाषाओं में साहित्यिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान कोश का अभाव है और वे इतनी अविकसित तथा गँवारू हैं कि जब तक उनको बाह्य भण्डार से सम्पन्न नहीं किया जायेगा तब तक उनसे किसी भी महत्वपूर्ण पुस्तक का सरलता से अनुवाद न हो सकेगा। वुड (1854), ने अपने घोषणा पत्र में अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं को शिक्षा प्रदान करने हेतु माध्यम के रूप में स्वीकार किया है। घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया है कि यूरोपीय ज्ञान के प्रसार हेतु अंग्रेजी भाषा तथा अन्य परिस्थितियों में भारतीय भाषाओं को शिक्षा के रूप में साथ-साथ देखने की आशा व्यक्त की जाती है। भारतीय शिक्षा आयोग (1882), ने शिक्षा के माध्यम के विषय में सुझाव देते हुए प्राथमिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को ही शिक्षा का माध्यम बनाने की संस्तुति की थी। सैडलर आयोग (1919), द्वारा इन्टरमीडिएट स्तर तक भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाये जाने की सिफारिश की, आयोग की इस सिफारिश को सरकार द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई। वुडएबट (1937), के प्रत्यावेदन के अनुसार निम्न माध्यमिक कक्षाओं में अंग्रेजी की शिक्षा पर बल नहीं देना चाहिए तथा हाई स्कूल तक की शिक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से देनी चाहिए। सार्जेण्ट प्रत्यावेदन (1944), द्वारा सभी हाई स्कूलों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने के लिए कहा गया। राधाकृष्णन

आयोग (1949) द्वारा सुझाव दिया गया था कि उच्च माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को तीन भाषाओं का ज्ञान कराया जाये। प्रारम्भिक स्तरों पर मातृभाषा को ही स्वीकार किया गया। मुदालियर आयोग (1953) द्वारा सुझाव दिया गया कि हिंदी को विद्यालय स्तर पर अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। शिक्षा आयोग (1966) ने मातृभाषा के प्रयोग को स्वीकार करते हुए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के प्रयोग पर बल दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) द्वारा शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र को अपनाते हुए प्रारंभिक स्तरों पर मातृभाषा को माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) में बालक की शिक्षा में मातृभाषा के महत्व को स्वीकार करते हुए कम से कम प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृ भाषा को अपनाने का सुझाव दिया गया है तथा भारत में बहुभाषिता को प्रोत्साहित करने हेतु त्रिभाषा सूत्र को कार्य रूप एवं भाव रूप में अपनाने का सुझाव दिया है। इस प्रकार अधिकांश आयोगों द्वारा अपनी संस्तुतियों में मातृभाषा आधारित शिक्षा व्यवस्था के प्रोत्साहन की बात की गई, समय समय पर जारी की गई शिक्षा नीतियों में भी शिक्षा माध्यम के रूप में मातृभाषा की वकालत की गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मातृभाषा के महत्व को उल्लिखित करने वाले शोध बहुतायत से हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि मातृभाषा का बालक के जीवन में विशेष महत्व है। विभिन्न शोध परिणाम दर्शाते हैं कि मातृभाषा का उपयोग करते हुए छात्र अधिक स्वाभाविक तरीके से स्वयं को अभिव्यक्त कर सकते हैं तथा कक्षा कक्ष अंतः क्रिया में खुलकर प्रतिभागिता कर सकते हैं। बालक के सर्वांगीण विकास में मातृभाषा के महत्व सिद्ध होने तथा विभिन्न आयोगों द्वारा मातृभाषा के उपयोग की संस्तुति के बावजूद भारतीय परिदृश्य में जिस तरह मातृभाषा की अवहेलना की जा रही है वह वास्तव में चिंताजनक है। यह विडम्बना ही है कि पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा माध्यम के रूप में मातृभाषा के प्रति समाज का रुझान कम हुआ है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को विशेष वरीयता दी जा रही है। प्रश्न उठता है विभिन्न नीतियों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा की सतत पैरवी किए जाने के बावजूद क्रियान्वयन में वह कौन सी समस्याएँ है; जिसके कारण मातृभाषा के प्रति रुझान कम हुआ है, अतः प्रस्तुत शोध में शिक्षा माध्यम के रूप में मातृभाषा के प्रति घटती रुचि के कारणों को जानने के साथ ही नीतिगत क्रियान्वयन की समस्याओं का अध्ययन किया गया है।

समस्या कथन

शिक्षा माध्यम के रूप में मातृ भाषा की वर्तमान स्थिति : नीतियाँ एवं क्रियान्वयन

अध्ययन के उद्देश्य

- शिक्षा माध्यम के रूप में मातृभाषा के प्रति रुचि के संबंध में शिक्षकों एवं विशेषज्ञों के विचारों का अध्ययन करना।
- शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के प्रति घटती रुचि के परिप्रेक्ष्य में नीतिगत समस्याओं का अध्ययन करना।

शोध प्रश्न

- शिक्षकों एवं विशेषज्ञों के अनुसार शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी भाषा के प्रति घटती रुचि के प्रमुख कारण क्या हैं ?
- शिक्षकों एवं विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों की शिक्षा में मातृ भाषा की क्या उपयोगिता है ?
- शिक्षा माध्यम के रूप में मातृभाषा के प्रति घटती रुचि के संदर्भ में नीतिगत क्रियान्वयन में क्या दोष हैं ?
- शिक्षकों एवं विशेषज्ञों के अनुसार मातृभाषा को प्रोत्साहित करने हेतु कौन से प्रयास आवश्यक हैं ?

शोध प्रारूप

शोध विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा आंकड़ों के संग्रहण हेतु गुणात्मक शोध विधि का उपयोग किया गया है।

जनसंख्या

प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद के बेरीनाग विकास खण्ड के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध विषय विशेषज्ञों को सम्मिलित किया गया।

प्रतिदर्श

चूँकि प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति गुणात्मक है। अतः शोध प्रकृति के अनुरूप शोधार्थी द्वारा उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन विधि का पालन करते हुये बेरीनाग विकास खण्ड में कार्यरत शिक्षकों एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत विशेषज्ञों का चयन किया गया है। प्रतिदर्श का आकार 40 रखा गया है।

उपकरण

शोध समस्या को दृष्टिगत रखते हुए शोधार्थी द्वारा आंकड़ों के संग्रहण हेतु समूह परिचर्चा तथा साक्षात्कार विधि का उपयोग किया गया। साक्षात्कार हेतु खुली सीमा के संरचनात्मक साक्षात्कार उपकरण

का उपयोग किया गया। शिक्षकों एवं विशेषज्ञों की अनुमति लेकर साक्षात्कार का श्रव्य अभिलेखन किया गया।

सांख्यिकीय प्रविधियाँ

गुणात्मक शोध के दृष्टिगत आंकड़ों के विश्लेषण हेतु सांख्यिकीय प्रविधियों के स्थान पर गुणात्मक विश्लेषण किया गया। आंकड़ों के विश्लेषण की प्रक्रिया में गुणात्मक आंकड़ों को लिपिबद्ध करते हुए विश्लेषण किया गया।

विश्लेषण एवं व्याख्या

शोधकर्ता द्वारा आकड़ों के विश्लेषण हेतु साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोज्यवार प्रतिलेखन किया गया तथा प्राप्त समस्त जानकारियों को विभिन्न बिंदुओं के आधार पर वर्गीकृत करते हुए शोध परिणामों की व्याख्या की गई।

निष्कर्ष एवं परिणाम

प्रस्तुत अध्ययन "शिक्षा माध्यम के रूप में मातृ भाषा की वर्तमान स्थिति : नीतियाँ एवं क्रियान्वयन" के अंतर्गत मातृभाषा के प्रति घटते रुझान के कारणों को जानने का तथा नीतिगत क्रियान्वयन की कमियों को जानने का प्रयास किया गया है। शोध उपकरण के रूप में साक्षात्कार प्रविधि का उपयोग किया गया तथा साक्षात्कार का श्रव्य अभिलेखन किया गया तत्पश्चात विश्लेषण किया गया। प्रस्तुत शोध के परिणाम निम्नवत हैं -

शिक्षकों एवं विशेषज्ञों के अनुसार शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी भाषा के प्रति घटती रुचि के प्रमुख कारण क्या हैं ?

- अभिभावकों की कुंठाएँ तथा हीन भावनाएं मातृ भाषा के प्रति घटती रुचि का प्रमुख कारण है, अभिभावक स्वयं अंग्रेजी बोलने में असमर्थ थे लेकिन वह चाहते हैं की उनका बच्चा अंग्रेजी अवश्य बोले। अभिभावकों ने महंगे स्कूल और महंगी शिक्षा को गुणवत्ता का पैमाना समझ लिया है, चूँकि महंगे स्कूल सामान्यतः अंग्रेजी माध्यम में संचालित हो रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम की चकाचौंध अभिभावकों को आकर्षित करती है।
- मातृभाषा के प्रति घटती रुचि के संबंध में विशेषज्ञ मानसिक गुलामी को एक प्रमुख कारण मानते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं लंबे समय तक गुलामी का प्रभाव काफी गहरा हुआ है, हम आज तक उससे उबर नहीं पाए हैं, आज भी समाज में अंग्रेजी बोलने वाले को श्रेष्ठ समझा जाता है। हम बच्चों के अंदर यह भाव जाग्रत कर रहे हैं की अंग्रेजी बोलने वाला विद्वान है और जो अंग्रेजी भाषा में महारत नहीं रखता उसे दोयम दर्जे का समझा जाता है।
- कुछ शिक्षकों एवं विशेषज्ञों के अनुसार मातृभाषा के प्रति घटती रुचि का प्रमुख कारण भाषा माध्यम नहीं है अपितु विद्यालयों की दशा और उनका शैक्षिक स्तर है, आज अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का प्रदर्शन बेहतर है इस कारण स्वाभाविक है अभिभावकों का झुकाव उसी ओर है। अतः प्रश्न माध्यम का नहीं है अपितु विद्यालयों के प्रदर्शन का है।
- विशेषज्ञ निस्यंदन सिद्धांत को रेखांकित करते हुए कहते हैं उच्च वर्ग जिस भाषा को अपनाता है वही धीरे धीरे नीचे की ओर चलता है। जब हम विद्वता को किसी भाषा के साथ जोड़ देते हैं तो ऐसे में निस्यंदन सिद्धांत प्रभावी हो जाता है और वही प्रभावी है।
- समाज में आम तौर पर एक आम भाषा होती है और दूसरी भाषा प्रबुद्ध वर्ग से संबंध रखती है। लंबे समय से एक चलन है की समाज का प्रबुद्ध वर्ग सदैव एक अलग भाषा का प्रयोग करता रहा है जैसे मुगलकाल में अरबी फारसी का उपयोग करने वालों को वरीयता दी गई, अंग्रेजों के समय इसी तरह अंग्रेजी का बोलबाला रहा, ठीक उसी तरह अंग्रेजी बोलने को आज भी प्रबुद्धता का परिचायक माना जाता है तथा देश का मध्यम वर्ग चाहता है वह भी प्रबुद्ध वर्ग का अनुकरण करे यह प्रवृत्ति भी अंग्रेजी माध्यम की ओर लोगों को आकर्षित करती है।
- आज वैश्वीकरण का दौर है और अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, अभिभावकों को लगता है कि अंग्रेजी बोलने की क्षमता रखने पर विद्यार्थी को बेहतर रोजगार अवसर मिलते हैं, साथ ही उसमें एक विद्वता का भाव आता है।
- मातृभाषा के प्रति घटते रुझान के कारणों का संबंध ब्रिटिश काल के दौरान उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ से है। तत्कालीन अभिजात्य वर्ग से संबंध रखने वाले तमाम भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया, समय के साथ अंग्रेजी और नौकरी का आपस में गहरा संबंध हो गया और यह आज तक चल आ रहा है।
- विशेषज्ञों के अनुसार विभिन्न भागों में मातृभाषा के विषय में ही स्थिति स्पष्ट नहीं है की आखिर मातृभाषा किसे कहा जाए,

क्या घर में जो आम बोलचाल की भाषा है उसे मातृभाषा कहा जाए या जो आधिकारिक रूप से समाज में प्रयोग में लाई जाती है। हम मातृभाषा, सरकारी भाषा और राज्य भाषा में अंतर ही नहीं कर पाते हैं।

- उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं यदि बच्चे के परिवेश में कुमाऊँनी बोली जाती है तो कुमाऊँनी को ही उसकी मातृभाषा के तौर पर देखा जाना चाहिए क्योंकि उन बच्चों के लिए हिंदी भाषा भी उतनी ही कठिन है जितनी अंग्रेजी भाषा।
- उच्च शिक्षा के अंतर्गत मातृभाषा में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों का अभाव है, वहाँ बच्चों की मातृभाषा में शिक्षण सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए।
- हिंदी माध्यम के प्रति घटती रुचि के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज समाज में हिंदी माध्यम विद्यालय के रूप में सरकारी विद्यालय ही दिमाग में आते हैं जहाँ शिक्षकों का अभाव है, विद्यालयों में शैक्षणिक माहौल का अभाव है जबकि वहीं दूसरी ओर निजी विद्यालय में बच्चों के पास सीखने के बेहतर अवसर हैं इस कारण लोग उन्हें प्राथमिकता दे रहे हैं।
- शिक्षक मानते हैं आमतौर पर सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी का बेटा/बेटी सरकारी हिंदी माध्यम विद्यालय में पढ़ाई नहीं करता जिस कारण समाज में नकारात्मक संदेश जाता है।
- शिक्षक कहते हैं सरकारी विद्यालयों के शिक्षक अपने कार्यों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं करते, वह कार्य करना नहीं चाहते हालांकि उनकी योग्यता बेहतर है। शिक्षक स्वयं राजकीय विद्यालयों के प्रति घटती रुचि में शिक्षकों की भूमिका को रेखांकित करते हैं।
- शिक्षक अपना अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि पहले राजकीय विद्यालयों की स्थिति अच्छी थी, विद्यालय कम थे शिक्षक अधिक थे जिस कारण विद्यालय में शिक्षा का स्तर अच्छा था परंतु बाद में कुकुरमुत्ते की तरह स्थान-स्थान पर विद्यालय खुल गए इस कारण समस्या गंभीर हो चुकी है।
- सरकारी व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, कई विद्यालय तो खुलते ही नहीं, शिक्षा के विषय में तमाम तरीके की भ्रांतियां हैं, सिर्फ रोजगार हासिल करने तक ही हम शिक्षा को देख रहे हैं जबकि शिक्षा एक व्यापक प्रत्यय है।
- हमारी मातृभाषा को उसी तरह रोजगार से जोड़ा जाए जैसे अंग्रेजी भाषा को रोजगार से जोड़ा गया है। मातृभाषा में पढ़ने वाले व्यक्ति को जब वरीयता मिलने लगेगी तो स्वाभाविक रूप से लोगों का रुझान हिंदी माध्यम की ओर होगा।

शिक्षकों एवं विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों की शिक्षा में मातृ भाषा की क्या उपयोगिता है ?

- निःसंदेह बालक की शिक्षा में मातृभाषा अत्यंत उपयोगी है और यह बात प्रमाणित भी हो चुकी है। बालक का बचपन जिस परिवेश में गुजरता है वह उस परिवेश की भाषा के माध्यम से ही अपने भावों की सहज अभिव्यक्ति कर सकता है।
- मातृभाषा के माध्यम से बच्चे की बुनियाद मजबूत होती है और भविष्य में बालक अन्य भाषाओं में भी बेहतर स्वामित्व प्राप्त करता है। एक बच्चे को उसकी मातृभाषा से शुरू कर अन्य भाषाओं की ओर ले जाना अधिक श्रेयस्कर होता है, यह विद्यार्थी को बहुभाषी बनाने में भी सहायक होता है, और बहुभाषी होने से बालक का व्यक्तिगत एवं सांस्कृतिक विकास होता है।
- यदि बालक की शिक्षा उसकी मातृभाषा के इतर किसी अन्य भाषा में होती है तो उसके मन में उत्पन्न होने वाले भाव, कल्पनाएँ, विचार आदि प्रकट करने के लिए उसे उचित शब्दावली नहीं मिल पाती। ऐसे में जो बच्चे विद्यालय की भाषा में पारंगत नहीं होते वह या तो अपने विचार दबाना प्रारंभ कर देते हैं या पीछे रह जाते हैं और इस कारण उनका नैसर्गिक विकास बाधित होता है।
- अन्य विषयों के शिक्षण में भी मातृभाषा उपयोगी है, विद्यार्थी प्रत्ययों को बेहतर और स्थाई रूप से ग्रहण करते हैं, साथ ही भाषा शिक्षण में भी तुल्य विधि का उपयोग करते हुए अन्य भाषाओं को मातृभाषा के साथ तुलना करते हुए पढ़ाया जाता है और इस प्रकार विद्यार्थी अर्थ निर्माण में सफल होता है।
- परिवेश में मातृभाषा भी सम्मिलित है इसलिए परिवेश को समझने में उसका विशेष महत्व है।
- जो लोग अपनी मातृभाषा से कट जाते हैं वह अपनी संस्कृति से दूर होते जाते हैं। अपनी भाषा में बात करते समय हमारी स्वाभाविक आत्मीयता होती है। मातृभाषा के माध्यम से ही संस्कृति को सुरक्षित रखा जाता है।

शिक्षकों एवं विशेषज्ञों के अनुसार मातृभाषा को प्रोत्साहित करने हेतु कौन से प्रयास आवश्यक हैं ?

- मातृभाषा को पुनः शिक्षा के माध्यम के रूप में स्थापित करने

के प्रश्न पर विशेषज्ञ कहते हैं की यहाँ दो पहलू हैं, एक आर्थिक और दूसरा सामाजिक पहलू।

- आर्थिक पहलू में हमें यह भाव जगाना होगा कि मातृभाषा के माध्यम से भी बेहतर रोजगार अवसर सुनिश्चित किए जा सकते हैं, इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।
- सामाजिक स्तर पर विशेषज्ञ जागरूकता की बात करते हैं। मातृभाषा के महत्व को रेखांकित करने वाले स्लोगन, आयोगों के सुझावों को लोगों तक पहुँचाया जाना चाहिए।
- विशेषज्ञ विदेशों से संबंधित उदाहरणों को रेखांकित करते हैं। वह कहते हैं हमें मातृभाषा माध्यम के स्तरीय विद्यालयों की स्थापना करनी पड़ेगी और साथ ही मातृभाषा में पढ़ कर आए लोगों की सफलता की कहानियाँ और उदाहरण समाज में प्रस्तुत करने होंगे जैसे आज भी तमाम उच्च पदों पर आसीन जो लोग मातृभाषा से ही पढ़ कर यहाँ तक पहुंचे हैं उन्हें आगे करना होगा।
- मातृभाषा को प्रोत्साहित करने हेतु गुणवत्तापूर्ण साहित्य एवं पुस्तकों का सृजन करना होगा। विश्वविद्यालयों में मुख्यतः अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पुस्तकों का उपयोग होता है, इसके स्थान पर आवश्यक है अपनी भाषा में अच्छी पुस्तकों को लिखा जाए जिससे हमारी अंग्रेजी पर निर्भरता कम होगी।
- शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भी मातृभाषा के महत्व पर चर्चा होनी चाहिए।
- शिक्षक एवं विशेषज्ञ नई शिक्षा नीति में शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन की सराहना करते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। नई शिक्षा नीति में जिस तरह मातृभाषा की वकालत की गई है वह प्रशंसनीय है।

सुझाव

शोध निष्कर्ष दर्शाते हैं कि शिक्षा माध्यम के रूप में मातृ भाषा के प्रति घटती रुचि के कारण अभिभावकों में आवश्यक जागरूकता का अभाव है। आजादी से पूर्व और आजादी के बाद भी नियमित अंतराल पर गठित आयोगों के सुझावों और नीतियों में अधिकांशतः मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने की बात कही गई। अतः बालक की शिक्षा में मातृभाषा के महत्व के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर हुए शोधों, विशेषज्ञों की राय को दृष्टिगत रखते हुए सरकार मातृभाषा के प्रोत्साहन की दिशा में पहल करे। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2017 भी इस तथ्य को प्रस्तुत करता है की बच्चे की उपलब्धि एवं सीखने की क्षमता का उसकी मातृभाषा के साथ सकारात्मक सह संबंध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए मातृ भाषा आधारित शिक्षा को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है। उक्त नीति को पूर्ण निष्ठा एवं गंभीर इच्छा शक्ति के साथ क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है। शोध अध्ययन में प्राप्त विभिन्न हित धारकों के विस्तृत विचारों का अध्ययन कर नीतिगत क्रियान्वयन की खामियों को दूर करते हुए विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में ठोस पहल की जाये। समाज के अग्रणी व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा हेतु मातृभाषा माध्यम विद्यालयों का चयन करें। मातृ भाषा के प्रति जागरूकता का प्रसार करने हेतु जन जागरूकता अभियान बेहतर विकल्प हो सकते हैं।

शैक्षिक निहितार्थ :

वर्तमान स्थिति में शिक्षा माध्यम के रूप में मातृ भाषा के प्रति रुचि घटी है। इस घटती रुचि के प्रमुख कारण समाज में अंग्रेजी भाषा का बढ़ता प्रभाव है। बालक के स्वाभाविक एवं सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा में मातृभाषा को माध्यम बनाकर विद्यार्थी की मौलिक चिंतन क्षमता, सृजनात्मकता एवं अभिव्यक्ति को बढ़ाया जा सकता है। अतः विद्यार्थी के बेहतर एवं सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए मातृभाषा के प्रति घटते रुझान पर ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है तथा मातृभाषा को बढ़ावा देने के प्रयास किये जाने चाहिए।

भावी शोध हेतु सुझाव

प्रस्तुत शोध द्वारा प्राप्त परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र में भविष्य में नवीन शोध भी किये जा सकते हैं। कुछ संभावित शोध सुझाव निम्नवत हैं:-

- देश के विभिन्न राज्यों में मातृ भाषा की स्थिति को जानने के लिए शोध किए जा सकते हैं।
- शिक्षा माध्यम के रूप में मातृ भाषा को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत क्रियान्वयन की दिशा में किये जा रहे प्रयासों के संबंध में भी शोध किया जा सकता है।
- बच्चों की मौलिक अभिव्यक्ति में मातृभाषा के प्रभाव की जाँच हेतु शोध किया जा सकता है।
- राजकीय विद्यालयों के शैक्षिक वातावरण की गुणवत्ता के समग्र अध्ययन हेतु शोध किया जा सकता है।

ग्रंथ एवं संदर्भ सूची:

कर्लिंगर, एन. एफ. (2002). फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरलरिसर्च, सुरजीतपब्लिकेशन, दिल्ली.

कौल, एल. (2009). मेथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनलरिसर्च. न्यू दिल्ली : विकास पब्लिकेशन हाउस प्राइवेट लिमिटेड.

बेस्ट, जे. डब्ल्यू. एण्डकाहन, जे. वी. (1993). रिसर्च इन एजुकेशन. न्यू दिल्ली : प्रेंटिसहॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.

मिश्र, पी. (सम्पादक) (2015). पाठ्यक्रम में भाषा (प्रथम संस्करण). वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, राजस्थान.

पाठक, पी. डी. (2013). भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, आगरा, श्री विनोद पुस्तक मंदिर आगरा.

सिंह, ए. के. (2014). रिसर्चमेथड्स इन साइकालजीसोशियोलॉजीएण्डएजुकेशन. न्यू दिल्ली : मोतीलालबनारसीदास।

एन सी ई आरटी (1970),राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1966) http://14.139.60.153/handle/123456789/184से 02 नवंबर 2021 को प्राप्त किया गया।

एन सी ई आरटी (2005), राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, https://ncert.nic.in/pdf/nc-framework/hindi.pdf से 02 नवंबर 2021 को प्राप्त किया गया।

एन सी ई आरटी (2020), राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2017, https://ncert.nic.in/pdf/NAS/WithReleaseDate_NPPTL.pdfसे 02 नवंबर 2021 को प्राप्त किया गया।

भारत सरकार (1982), भारतीय शिक्षा आयोग 1982 http://14.139.60.153/handle/123456789/1277 से 02 नवंबर 2021 को प्राप्त किया गया।

मैकाले, टी.बी. (1835). मिनट अपान इंडियन एजुकेशन.http://home.iitk.ac.in/~hcverma/Article/Macaulay-Minutes.pdf से 08 नवंबर 2021 को प्राप्त किया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (1986), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, http://14.139.60.153/handle/123456789/371से 02 नवंबर 2021 को प्राप्त किया गया।

यूनेस्को (2007) मदर टंग मैटर्स - लोकल लैंग्वेज एस ए की टूईफेक्टिवलर्निंग; 2007 http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001611/161121e.pdfसे 19 फ़रवरी 2018 को प्राप्त किया गया।

वुड, सी. (1854), वुड का घोषणा पत्र 1854 http://uafulucknow.ac.in/wp-content/uploads/2020/03/unnamed-file.pdfसे 02 नवंबर 2021 को प्राप्त किया गया।

शिक्षा विभाग (1945), वुडएबॉटप्रत्यावेदन 1937 http://14.139.60.153/handle/123456789/6997से 02 नवंबर 2021 को प्राप्त किया गया।

शिक्षा मंत्रालय (1947), सार्जेंट प्रत्यावेदन 1947, http://14.139.60.153/handle/123456789/4615से 02 नवंबर 2021 को प्राप्त किया गया।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (1953), माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 http://14.139.60.153/handle/123456789/187से 02 नवंबर 2021 को प्राप्त किया गया।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (1962), विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1949, http://14.139.60.153/handle/123456789/255से 02 नवंबर 2021 को प्राप्त किया गया।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (1968), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, http://14.139.60.153/handle/123456789/351से 02 नवंबर 2021 को प्राप्त किया गया।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (2020), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HiNDi_0.pdf से 02 नवंबर 2021 को प्राप्त किया गया।

सुपरेटेंडेंट गवर्नमेंट प्रिंटिंग(1919), कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1919 http://14.139.60.153/handle/123456789/7071से 02 नवंबर 2021 को प्राप्त किया गया।

- शोध छात्र, शिक्षा संकाय एवं
सहायक प्राध्यापक, शिक्षा संकाय
सोबन सिंह जीना, अल्मोडा परिसर,
कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जरूरी है हिंदी माध्यम में शिक्षण

-डिगेश्वर साहू

"जब तक हिंदी की धड़कन रहेगी, तब तक हमारी संस्कृति जीवित रहेगी।" - महादेवी वर्मा

डॉ. बाबूराम सक्सेना के मतानुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, जिसे 500 मिलियन से अधिक लोग बोलते हैं। इसे नेपाल, मॉरिशस और फिजी जैसे अन्य देशों में भी बोला जाता है। इसका एक लंबा और स्वर्णिम इतिहास रहा है। महात्मा गांधी के अनुसार "भाषा ही राष्ट्र की आत्मा है।" इस भाषा में आठवीं सदी से लेकर आधुनिक काल तक कई युग हुए हैं और इन सभी कालों में हिंदी साहित्यकारों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी अमर रचनाएँ आज भी हमारी साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है । आदिकाल के सूरदास, तुलसीदास, रहीम, कबीर, बिहारी, गुप्त, पन्त, दिनकर, मुक्तिबोध, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, अज्ञेय फणीश्वर नाथ रेणु, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर नए लेखक ग़ालिब, हरिवंश राय बच्चन, गुलज़ार, कुमार विश्वास, हरिओम पवार, आशुतोष राणा, चेतन भगत जैसे महान साहित्यकारों की कालजयी अमर रचनाओं ने जनमानस को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। प्रौद्योगिकी के विकास ने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को क्रांतिकारी ढंग से परिवर्तित किया है, भाषा भी इससे अछूती नहीं है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के विकास तथा इंटरनेट के व्यापक उपयोग ने हिंदी भाषा के संवर्धन के लिए नए अवसर खोल दिए हैं।

उपकरणों का विकास

आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पुरा करने की क्षमता को मजबूत करना और अपनी आर्थिक, तकनीकी, औद्योगिक और वैज्ञानिक स्वायत्तता को विकसित करना है। एक ओर नया हिंदी कीबोर्ड स्मार्टफोन पर टाइप करने को आसान बना रहा है। वहीं दूसरी ओर नया वृहद हिंदी शब्दकोश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली से युक्त है। 2022 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाया गया एप बच्चों को मजेदार और रोचक तरीके से हिंदी सीखने में मदद कर रहा है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने सरकारी कार्यालयों के लिए नया हिंदी भाषा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तैयार किया है। यह कार्यालयों को उनके कामकाज को स्वचालित करने और उनकी कुशलता में सुधार करने में मदद कर रहा है। अन्य भाषाओं के टीवी कार्यक्रमों में लैंग्वेज चेंज टूल का प्रयोग करके हिंदी भाषा में आनंद लिया जा रहा है । ऑडियो वीडियो सामग्री, ऑनलाइन कक्षाएं, वेबिनार, ऑनलाइन शब्दकोश, व्याकरण संसाधन, वर्चुअल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म, मशीन अनुवाद, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स, प्रस्तुति सॉफ़्टवेयर, हिंदी वर्णमाला, वाक्य संरचना और बोलचाल को समझाने के लिए विभिन्न अध्याय और रोचक गतिविधियां हिंदी सीखने को सरल बना रही हैं।

सी-डैक ने भी हिंदी भाषा के सॉफ्टवेयर और एप्लिकेशन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मंत्र राजभाषा, हिंदी शब्द सिन्धु, स्मृति आधारित अनुवाद कंठस्थ, हिंदी स्वयं शिक्षण, लीला हिंदी प्रवाह, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, ई महाशब्दकोश, गूगल इनपुट टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज टूल, गूगल असिस्टेंट, हैलो गूगल, एलेक्सा, गूगल ट्रांसलेटर, क्रुतिदेव से मंगल फॉण्ट कन्वर्टर आदि के उपयोग के साथ ई ऑफिस सॉफ्टवेयर जो कि यूनिकोड फॉण्ट समर्थित है, के उपयोग से सरकारी कामकाज संपादित करना आसान हुआ है। इसे व्यापारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में और प्रभावी बनाया जा सकता है।

पहले हिंदी भाषा में क्रुतिदेव, श्रीलिपि, देवनागरी, देवलिस, चाणक्य आदि अनेक फॉण्ट उपयोग किये जाते थे परन्तु यूनिकोड फॉण्ट के विकास के बाद यह सर्वाधिक सार्वभौमिक फॉण्ट के रूप से प्रचलन में है। इसमें अपराजिता, कोकिला, अमित, ख़ुशी, कृति, उत्साह, सकल भारती और निर्मला आदि अनेक सुन्दर फॉण्ट भी उपयोग किए जा रहे हैं । ये ओपन टाइप फॉण्ट उपयोग में अत्यंत सरल, सहज व सुगम्य है ।

आत्मनिर्भर भारत और हिंदी

हिंदी भाषा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन है जो संचार, व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक एकता को संवर्धित करती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उदय ने हिंदी भाषा और

संस्कृति को वैश्विक पटल पर बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म में लोग अब हिंदी में लिखने, पढ़ने, बोलने और पोस्ट साझा करने में सहज हुए हैं। आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप, हिंदी भाषा में शिक्षा, न्यूज़ रिपोर्टिंग, व्यापार, एंटरटेनमेंट और आपसी संवाद में सुधार हो रहा है। ई-वाणी और ई-लेखन से वेबसाइटों, ब्लॉगों आदि में हिंदी का उपयोग बढ़ता जा रहा है। हिंदी भाषा वेबसाइट और ऑनलाइन संसाधनों से हिंदी सीखना, विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त करना और दुनिया भर के अन्य हिंदी लिखने व बोलने वालों के साथ जुड़ना आसान हुआ है। भाषा एकता का सूत्र होती है, महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा कथित यह वाक्य सत्य सिद्ध हो रहा है। स्मार्टफोन एप्स, टैबलेट, कंप्यूटर और इंटरनेट ब्राउज़र हिंदी टाइपिंग के लिए सुगम्य हो गए हैं। हिंदी भाषा के रूपांतरित स्वरुप के अंतर्गत लोग अब एक नई भाषा हिंग्लिश (हिंदी+इंग्लिश), शोर्टकट भाषा, इमोजी, इंटरनेट स्लैंग जैसे हम्म, लोल, ओएमजी आदि शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। हिंदी पॉडकास्टों के माध्यम से लोग हिंदी की सुंदर कविताओं, कहानियों, लेख, ब्लॉग, खबरें, मैगजीन, वीडियो, गीत, संगीत, फ़िल्में और उपन्यासों का आनंद ले रहे हैं।

व्यक्तिगत और पेशेवर उद्देश्यों के लिए बनाये गये एप्लीकेशन लोगों को उनके दैनिक जीवन में हिंदी का बढ़ चढ़कर प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं । स्पेल-चेकर, व्याकरण-चेकर और ऑटो-सुझाव ऐप्स, आवाज़, शब्द, वाक्य, और अनुवाद को संभव बनाते हैं, जिससे हिंदी में संवाद करना और लिखना आसान हो जाता है। इन एप्स की सुविधाएं न केवल गलत टाइपिंग को ऑटोकरेक्ट करती हैं बल्कि शब्दकोश सुविधा भी प्रदान करती है। हिंदी में वॉयस रिकॉग्निशन और स्पीच-टू-टेक्स्ट के विकास से अब हिंदी में बोलकर अपने वाक्यों को स्वत: लिखित पाठ में बदलना संभव हुआ है। इससे हिंदी में पत्राचार करना अधिक सुविधाजनक हो गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो इस भाषा में टाइप करने में दक्ष नहीं हैं। इसके विपरीत गूगल टेक्स्ट-टू-स्पीच, अमेज़न पॉली से लिखित पाठ को वॉइस में बदलकर सुनना, डाउनलोड करना आसान हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन भी हिंदी भाषा के विकास को सुविधाजनक बना रहे हैं। इससे हिंदी भाषा के अनुवाद, संगठन, और संचार को सुधारा जा रहा है जबकि ब्लॉकचेन नेटवर्क के माध्यम से हिंदी में सुरक्षित और विश्वसनीय संचार का संचालन हो रहा है । कूकू एफएम जैसे एप पर हिंदी ऑडियो बुक सुनना, दुर्लभ पांडुलिपियों व हिंदी साहित्य के स्कैन्ड ई-बुक्स, द्विभाषी संस्करण, देशी विदेशी नागरिकों के हिंदी भाषी यूट्यूब चैनल हिंदी के प्रति समर्पण के सूचक है। हिंदी माध्यम में अब मेडिकल, इंजीनियरिंग और अनेक तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है । मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ मेडिकल की पढाई हिंदी भाषा में हो रही है । डिजिटल सामग्री निर्माण के अंतर्गत हिंदी भाषा में प्रोग्रामिंग की शुरुआत हो चुकी है। अतः अब हिंदी अनुवाद की ही नहीं बल्कि संवाद की भाषा बन गई है । प्रवासी भारतीयों के प्रयासों से भी हिंदी की लोकप्रियता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। हिंदी भाषा सम्प्रदायों को जोडती है, एकता स्थापित करती है । आज 'एक देश - एक भाषा' की आवश्यकता महसूस की जा रही है ।

चुनौतियां और संभावनाएं

हिंदी में टाइपिंग के लिए आज भी इंग्लिश के कीबोर्ड व अक्षरों पर निर्भर रहना पड़ता है। हिंदी के ऑनलाइन उपयोग में भी अनेक चुनौतियां हैं, जैसे भाषाई त्रुटियां, समर्थन की कमी, उच्च गुणवत्ता की कमी, मानकों की अनुपालना, मानकीकरण आदि। इन चुनौतियों का निपटान और सुधार आवश्यक है ताकि हिंदी भाषा का प्रभावी और सुरक्षित उपयोग हो सके। हिंदी बोलने वालों को अपनी भाषा में जानकारी ढूंढने में कठिनाई भी होती है। हिंदी फॉण्ट, वर्ण और त्रुटि रहित वॉइस टाइपिंग के क्षेत्र में आगे और तकनीकी विकास की जरूरत है। हिंदी को बहुभाषाओं तक पहुंचाने के लिए उच्च गुणवत्ता के अनुवाद तकनीकों की आवश्यकता है। वर्तमान हिंदी का मशीनी अनुवाद समझना और सम्प्रेषण करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। यह 'भाषा बिगड़ी, जग बिगड़ा' के समान है। यूपीएससी से लेकर अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी और अंग्रेजी प्रश्नों के मूलपाठ में भिन्नता होने पर अंग्रेजी भाषा को तरजीह देना दुर्भाग्यपूर्ण है । इन प्रश्नों का मशीनी अनुवाद हमेशा विवादों में रहता है । इससे हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों की सफलता की दर भी स्वतः कम हो जाती है । आज भी यूपीएससी द्वारा आयोजित किए जाने वाले भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा (आईएएस) के साथ ही हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आयोजित की जाती है जबकि भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए मुख्य परीक्षा अलग आयोजित होती है जो केवल अंग्रेजी माध्यम में ही आयोजित की जाती है । छत्तीसगढ़ राज्य में आत्मानंद विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती हेतु प्रारंभिक से उच्चतर सभी कक्षाओं में केवल अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त किये हुए अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं । प्रारंभिक शिक्षा हिंदी और उच्चतर शिक्षा यदि अंग्रेजी माध्यम में प्राप्त किए हों तो भी ऐसे मेधावी अभ्यर्थी उक्त पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं । ये सभी राजभाषा कार्यक्रमों के दावों की सच्चाई उजागर करते हैं । हिंदी सिखाने के कोचिंग सेंटर विरले ही दिखाई देते है जबकि स्पोकन इंग्लिश के कोचिंग सेंटर्स की बाढ़ सी आ गई है । अधिकांश लोग अंग्रेजी में ही हस्ताक्षर करते हैं। समाज में अंग्रेजी

बोलने वालों को बेहतर माना जाता है। अंग्रेजी आधुनिकता की पहचान बन गई है इसलिए इस भाषा का वर्चस्व कायम है।

यद्यपि हिंदी भाषा में टाइपिंग के लिए फोनेटिक कीबोर्ड का विकास किया गया है परन्तु मात्राओं को अलग से टाइप करने के कारण आज भी यह कीबोर्ड प्रचलन में नहीं है। इसका उपयोग अंग्रेजी से हिंदी, टाइप-टू-टेक्स्ट की तुलना में अधिक जटिल है। हिंदी भाषा में पर्याप्त डिजिटल सामग्री की कमी है। अभी भी कई ऐसे वेबसाइट्स और एप्स हैं जो सिर्फ अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाओं में ही उपलब्ध हैं जिसके कारण हिंदी भाषा के उपयोगकर्ताओं को इससे समस्या होती है। तकनीक के माध्यम से हिंदी भाषा में सामग्री उपलब्ध कराने के लिए बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन इनमें से कई स्रोत वाणिज्यिक और निजी हैं जिनका उपयोग नि:शुल्क नहीं होता है। इससे उपयोगकर्ताओं को सामग्री तक पहुंचने में परेशानी होती है और उन्हें मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण सामग्री की कमी का सामना करना पड़ता है। प्रचार-प्रसार व प्रशिक्षण के अभाव में विकसित किये गये हिंदी सॉफ्टवेयर व एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी आम जनमानस को नहीं है। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी न्यायालयों के कामकाज का हिंदी में सम्पादित न होना चिंताजनक है। यह अंग्रेजी प्रभुत्व का द्योतक है इसलिए संविधान के अनुच्छेद 348(1)(a) में संशोधन किए जाने की नितांत आवश्यकता है। भारतीय संविधान, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट आदि का हिंदी अनुवाद आम जनमानस के समझ से परे है इसलिए न्यायालय को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है।

अंकल, फादर, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ जैसे बहुअर्थी अंग्रेजी शब्दों की तुलना में हिंदी भाषा में अधिक समानार्थी, पर्यायवाची और शब्द भंडार है। फिर भी संबोधन के लिए अंकल, आंटी जैसे अंग्रेजी शब्द ज्यादा चलन में हैं। बोलचाल व लेखन में हिंदी के साथ अंग्रेजी के शब्दों को शामिल करके मिश्रित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। समय के साथ हिंदी भाषा में लचीलापन भी आया है जिसके कारण अंग्रेजी भाषा के शब्द हू-ब-हू प्रयोग किए जा रहे हैं जैसे मोबाइल में बोले जाने वाले 'हेलो' का आज भी कोई हिंदी विकल्प नहीं है। इसके साथ ही बस, ब्यूटी पार्लर, टीवी, चॉकलेट, रिक्शा, ट्रैफिक, बैंक, इंजिन, फॉलो, लाईक, कमेंट्स, शेयर, रील्स, स्नैप, लॉकडाउन, ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल, साइबर, स्मार्टफ़ोन, सेल्फी, वायरल, वाइफाई, डाउनलोड, वेबसीरीज, फ़्लैश सेल, ब्लॉकचेन, क्रिप्टोकरेंसी, वाउचर, बुलेटिन, ब्यूरो, चालान, चैनल, चेक, डायल, फ्लैगमार्च, हेलीपैड, हेल्पलाइन, पासबुक, पासवर्ड, सेट टॉप बॉक्स आदि भी उसी रूम में आत्मसात कर लिए गए हैं। इसी प्रकार अरब, ख़रब, नील, पद्म, शंख, महाशंख आदि शब्द प्रचलन में नहीं होने के कारण लुप्तप्राय हो गये हैं। हिंदी में अब परम्परागत कठिन शब्द जैसे लौहपथगामिनी, संगणक, वार्तालाप आदि का चलन समाप्ति की ओर है। नयी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नए शब्द भी हिंदी में आ रहे हैं जैसे जुगाड़, कामचलाऊ, घुसपैठिया, रंगबाज़, फिल्माना आदि। अंग्रेजी व्यावहारिकता में आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों का हिंदी में सटीक रूपांतरण नहीं होने से उनको समझने में कठिनाई होती है जैसे कोड को कूट, नेटवर्क को जाल, ईमेल को अणुडाक, इन्टरनेट को अंतरजाल, वेबसाईट को जालस्थल, ईमेल को आरोहणी पत्र, मार्केटिंग को विपणन, इंटरफेस को संचरण पट, करियर को जीविका वृत्ति, केयर टेकर को अवधायक, अभीक्षक में अनावश्यक रूपांतरित करने के बजाय इन्हें तकनीकी शब्द मानकर इसी रूप में प्रयोग करना चाहिए। ब्रोकरेज शब्द का हिंदी रूपांतरण दलाली, एक अलग ही अर्थ को व्यक्त करता है। सरलीकरण विशेषज्ञ समिति, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा प्रकाशित प्रशासनिक शब्दावली में इमबैरस को उलझन, फीडबैक को पुनर्भरण प्रतिपुष्टि, प्रूफ रीडिंग को प्रूफ शोधन, ब्लैकमेल को भयादोहन लिखना सटीक रूपांतरण की कमी का परिचायक है। सभी विदेशी शब्दों का अनुवाद करना अपेक्षित नहीं है। इससे इन शब्दों के अर्थ का अनर्थ हो जाता है या फिर इन्हें समझना, उपयोग करना बोझिल लगता है।

हिंदी भाषा का भविष्य

हिंदी भाषा के विकास के लिए तकनीक का उपयोग अभी भी अपनी शैशवास्था में है। वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी की भूमिका सार्थक हो तथा उसका प्रयोग बढ़ सके इसके लिए देवनागरी लिपि के मानकीकरण के साथ उन्नत उपकरणों के विकास से लोगों को लेखन, अनुवाद और व्याकरण जैसे कार्यों में मदद की जा सकती है। मेटावर्स, वॉयस रिकग्निशन, वॉयस सिंथेसिस, रोबोटिक्स, भाषा मॉडल और लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम्स आदि का उपयोग करके हिंदी भाषा को अद्यतित करने का प्रयास किया जा सकता है। ऑनलाइन पाठशाला और ई लर्निंग तकनीक का उपयोग करके हिंदी पाठशालाओं, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्मों का विकास किया जा सकता है। यह हिंदी शिक्षा को उच्च गुणवत्ता, प्रभावी और सरल बनाने का एक सुविधाजनक माध्यम हो सकता है। तकनीक का उपयोग करके हिंदी साहित्य, धार्मिक ग्रंथों और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और प्रचार किया जा सकता है। यूएनओ, यूएनएससी आदि वैश्विक मंचों में भारत का हिंदी में भाषण देना, विदेशी राजनयिकों का हिंदी में संवाद करना, हिंदी भाषा अध्ययन करने के लिए विदेशी छात्रों की संख्या में हुई बढ़ोत्तरी, हिंदी के उत्तरोत्तर विकास का सुखद संकेत है। आत्मनिर्भर भारत के परिप्रेक्ष्य में हिंदी में अनुवादित वैज्ञानिक साहित्य और तकनीकी संदर्भों का विकास, अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देगा और विज्ञान

और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी माध्यम की गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगा।

निष्कर्ष

अंग्रेजी के तो अक्षर भी साइलेंट होते हैं जबकि हमारी हिंदी की बिंदी भी बोलती है। हिंदी जैसी लिखी जाती है वैसी ही बोली जाती है। हिंदी भाषा के संवर्धन के लिए उपकरणों और संसाधनों का विकास अहम है जिसमें शब्द जांचक और व्याकरण सुधार तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे उपकरणों के विकास से हम लिखित और बोली गई हिंदी में संवाद की क्षमता और प्रभावशीलता को और भी बढ़ा सकते हैं। प्राचीन हिंदी साहित्य व पांडुलिपियों को डिजिटाइज़ कर इन्हें शोध के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। हिंदी सीखने और उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का विकास जरूरी है। रामधारी सिंह 'दिनकर' के शब्दों में "हिंदी एकता की अभिव्यक्ति है, राष्ट्रीयता की आत्मा है, हमारी पहचान और गर्व की कहानी है।" दक्षिण व उत्तर पूर्वी भारत में हिंदी को बढ़ावा देकर, राजभाषा के नियमों का पालन कर और राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के सफल क्रियान्वयन से हिंदी भाषा का विकास निश्चित है। डॉ. भीमराव अंबेडकर के अनुसार "भाषा का संरक्षण करना हमारा संवैधानिक दायित्व है "इसलिए हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत विज्ञान और प्रोद्योगिकी में अंग्रेजी की निर्भरता खत्म करने के विकल्पों पर अन्वेषण जरूरी है। हिंदी मात्र भाषा ही नहीं एक संस्कृति है, एक पहचान है, एक व्यवस्था है; सभ्याचार है, वैज्ञानिक भाषा है। अंत में भारतेंदु हरिश्चंद्र के शब्दों में "निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल की भावना से प्रेरित होकर देश को बचाना है, हिंदी को स्वर्णिम भविष्य की ओर लेकर जाना है।

-सॉर्टिंग कम्पाईलर
कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल,
छत्तीसगढ़ परिमंडल रायपुर (छ.ग.)

पं. सं. 3246/77

प्रपत्र-4 (देखिए नियम-8)
प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम
समाचार पत्रों का पंजीकरण (केंद्रीय) नियम
"राजभाषा भारती" के स्वामित्व तथा विवरणों की सूचना

1	प्रकाशन स्थान	नई दिल्ली
2	प्रकाशन अवधि	त्रैमासिक
3	मुद्रक का नाम	सेमाफोर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता
4	क्या भारत का नागरिक है ?	भारतीय नागरिक
5	प्रकाशक का नाम व पता	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एन.डी.सी.सी.-2 भवन, चौथा तल, बी विंग, नई दिल्ली - 110001
6	संपादक का नाम व पता	डॉ. धनेश द्विवेदी, उप संपादक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एन.डी.सी.सी. 2 भवन, चौथा तल, बी विंग, नई दिल्ली - 110001
7	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।	अप्रयोज्य

मैं, डॉ. धनेश द्विवेदी घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

ह/-
प्रकाशक का हस्ताक्षर

कवर डिजाइन एवं टाइपसेटिंग - सेमाफोर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता

विस्तृत विरासत का शहर - पुणे

-अरुण कमल

पुणे के लिए कहा जाता है 'द सिटी विद ऐन एटीट्यूड'; और हो भी क्यों न, प्रसन्नता से भरा, खुशियों से घिरा, रिमझिम बारिश में हरा-भरा पुणे, दक्कन की रानी और मराठों की सांस्कृतिक राजधानी है। पुणेवासियों को पुणेवासी होने का गर्व है। उन्हें अपना शहर भी उतना ही अच्छा लगता है, जितना वहाँ का मौसम। उन्हें गर्व है अपने शहर की

शिक्षण व्यवस्था पर; उन्हें खुशी है शहर के आईटी हब बनने पर। उन्हें अपनी भाषा, अपने पहनावे पर गर्व है, अपनी संस्कृति पर गर्व है, अपने गणपति पर गर्व है; अपने पोहे, अपनी भेल पुड़ी, डबेली और पूरन पोली पर गर्व है। प्रसन्नता के मामले में विभिन्न सर्वेक्षणों के दौरान भारत को बहुत नीचे का स्थान मिलता रहा है। यहाँ तक पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आदि भी भारत से बेहतर स्थिति में हैं। यह अलग बात है कि हम भारतीय इन वैश्विक सर्वेक्षणों से बिल्कुल सहमत नहीं हैं, और अगर आम जनता से इन सर्वेक्षणों पर राय ली जाए तो वह भी इन्हें सिरे से खारिज कर देगी। लेकिन यह भी सत्य है कि धुआँ अगर उठता दिखाई दे तो आग कहींन कहीं जरूर लगी होती है।

लेकिन पुणे इन सबसे अलग एक हंसता-मुस्कुराता-खिलखिलाता, शहर है। इंडिया सिटीज हैप्पीनेस 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार पुणे, महाराष्ट्र का सबसे खुशहाल शहर घोषित हुआ है। नवीनतम इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट गुरुग्राम के मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट में स्ट्रैटजी मैनेजमेंट के प्रोफेसर राजेश पिलानिया और उनकी टीम द्वारा मार्च-जुलाई 2020 में किए गए एक अध्ययन पर आधारित है। सितंबर 2020 में जारी इस रिपोर्ट के लिए शोधकर्ताओं ने पूरे भारत से लगभग 16,950 प्रतिक्रियाएं एकत्र की गईं - प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 400 से अधिक प्रतिक्रियाएं ली गईं। पिलानिया ने इससे पहले राज्यवार हैप्पीनेस रिपोर्ट भी जारी की थी। रिपोर्ट के अनुसार पुणे ने देशभर में 12 वां स्थान प्राप्त किया है। देश के 34 बड़े शहरों के 13 हज़ार लोगों से बातचीत करके यह रिपोर्ट बनाई गई है। इस दौरान द वर्ल्ड हैप्पीनेस के को-एडिटर जॉन हेलवेल, रिचर्ड फ्लोरिडा, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित एम.बी. अथरेया जो इंडियन मैनेजमेंट मूवमेंट के संस्थापक भी हैं, दुनिया के जाने-माने आर्किटेक्ट जैमी लर्नर जैसे लोगों ने भी इस रिपोर्ट में सहयोग किया है। पुणे ने देश भर में अपनी एक शांत, सुव्यवस्थित और अत्याधुनिक शहर के रूप में पहचान बनाई है।

किसी शहर की प्रसन्नता को बढ़ाने में कई कारकों का योगदान हो सकता है:

- आधुनिकीकरण
- बेहतर औसत आय
- भ्रष्टाचार मुक्त
- महिला सुरक्षा
- बढ़िया शिक्षण सुविधाएँ
- बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाएँ और
- अनुकूल मौसम व पर्यावरण

जाहिर है इन सभी कारकों पर पुणे की अच्छी पकड़ है। शहर ने रोजगार की दृष्टि से भी अपनी खास जगह बना ली है क्योंकि यह बेंगलुरू के बाद आईटी सेक्टर का दूसरा हब माना जाता है। यहाँ कई नामी गिरामी आईटी कंपनियों के दफ्तर हैं। इतना ही नहीं शहर का औद्योगिक स्वरूप भी काफी बदल गया है, और आज पुणे को कितनी ही सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और ऑटोमोटिव कंपनियों ने अपना गढ़ बना लिया है और पुणे को भारत का "डेट्राइट" भी कहा जाने लगा है। भारत सरकार के द्वारा जारी की गई

'ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स' की नवीनतम रिपोर्ट 2022 के अनुसार पुणे पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के साथ अच्छी कनेक्टिविटी और पुणेवासियों की अपार परिश्रम और सामर्थ्य की बदौलत पुणे आज आई टी हब में रूपांतरित होने के पथ पर सतत अग्रसर है। खासकर पुणे के हिंजेवाड़ी इलाके में आई टी अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत द्रुत गति से विकसित हो रहा है। पुणे में बड़ी संख्या में सरकारी और गैर-सरकारी अनुसंधान संस्थान हैं जो विज्ञान, कला, व्यवसाय के विभिन्न विषय से जुड़े हैं। कई रक्षा संबंधी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रतिष्ठान भी पुणे में कार्य कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुणे में 1.6 मिलियन वर्ग फुट के एक परिसर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (डब्ल्यूटीसी) बनाया गया है ।

पुणे ने शैक्षिक केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है और इसे 'पूर्व का ऑक्सफोर्ड' का खिताब भी मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी पुणे देश के टॉप 10 शहरों में अपना स्थान रखता है। यहाँ सावित्रीबाई फुले जैसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं, जिससे 800 से ज्यादा महाविद्यालय जुड़े हुए हैं और जो संबद्ध कॉलेजों की कुल संख्या के आधार पर देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। यहाँ भारतीय विद्यापीठ है, जहां से 250 से अधिक पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। प्राइवेट विश्वविद्यालयों में सिम्बॉयसिस महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो पुणे में स्थित है। यहाँ 9 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। पुणे भारत में जापानी शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। अनुकूल पर्यावरण और शांत-सुव्यवस्थित शहर होने के कारण यह छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय है, साथ ही शहर में रोजगार की बढ़ती संभावनाएँ भी छात्रों को आकर्षित करती हैं।

एक समय मराठों का गृहनगर और मराठा साम्राज्य की शक्ति का केंद्र रह चुके पुणे में अनेक इमारतों की उपस्थिति इसके समृद्ध और गौरवशाली अतीत से जुड़ी है जो इसे पर्यटन के लिहाज से भी लोकप्रिय बनाता है। शनिवारवाड़ा, शिवनेरी का किला, रायगढ़ का किला, लाल महल, सिंहगढ़ किला आदि यहां के लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं। लंबी पर्वत श्रृंखलाओं और मनमोहक घाटियों तथा विहंगम प्राकृतिक नजरों से युक्त पुणे के पश्चिमी घाटों को यूनेस्को की विश्व विरासत का दर्जा मिला है।

गणपति की भी पुणे में बहुत लोकप्रियता है। जहाँ भारत में करोड़ों देवी देवताओं का वास है, वहाँ पुणे ने अपने लिए गणपति को चुन लिया है। वहाँ गणेश महोत्सव भी बहुत जोर-शोर के साथ व्यापक रूप से मनाया जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1892 में अपने जन-विरोधी विधानसभा कानून के माध्यम से हिंदू सभाओं पर औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार के प्रतिबंध को रोकने के साधन के रूप में इस त्योहार का सार्वजनिक रूप से मनाना शुरू किया। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित सह्याद्रि नामक पर्वत पर है। यह मंदिर भारत में स्थित बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ प्रकृति की गोद में पहुंचकर और यहाँ के अद्भुत मौसम का आनंद लेकर मनुष्य सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है।

पुणे शहर सामरिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय भी है। वर्ष 2022 में सेना के दक्षिणी कमान ने अपना 128वाँ स्थापना दिवस मनाया। भारतीय सेना के इस प्राचीनतम स्थापना का गौरव पाने के पीछे, मराठों एवं पेशवाओं की ऐतिहासिक परंपरा रही है। 17वीं शताब्दी में यह मराठा साम्राज्य का गृह नगर था। पेशवाओं के समय में निर्मित शनिवारवाड़ा आज भी पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय केन्द्र है।

महाराष्ट्र राज्य के सर्वाधिक प्रसन्न शहर घोषित होने के रुतबे के पीछे पुणे शहर की इन विशेषताओं के साथ और भी कुछ वजहें हैं, जिनमें एक बड़ी वजह थी 'सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया', जिसने वर्ष 2020 में कोरोना की वैक्सीन को तैयार करने का गौरव हासिल किया। पुणे शहर में देश के हर कोने के लोग बसे हुए हैं जो इसे एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी बनाते हैं।

पुणेवासी हिंदी के प्रति समर्पण में भी पीछे नहीं रहे। पुणे में एक संस्था है जो स्वतंत्रता पूर्व से हिंदी की सेवा में जुटी है और हिंदी के लिए उसके विशेष प्रयास को नकारा नहीं जा सकता। वह संस्था है महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पुणे। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा आज भी हिंदी को भारतवर्ष की एकता और समन्वय की भाषा मानते हुए समर्पित होकर सतत प्रयासरत है। गाँधी जी की प्रेरणा से राष्ट्रभाषा का प्रचार करने हेतु आचार्य काकासाहब कालेलकर की अध्यक्षता में 22 मई 1937 को पुणे में इसकी स्थापना महाराष्ट्र

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के नाम से हुई थी। आठ वर्षों तक यह समिति, वर्धा से भी जुड़ी रही, लेकिन बाद में सैद्धांतिक मतभेदों के कारण 12 अक्टूबर 1945 से इसने स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू किया और इसे "महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा" का नाम दिया गया। सभा कुछ सिद्धांतों पर आज भी कार्यरत है, जैसे- प्रदेशों में प्रादेशिक भाषाओं का स्थान और मान बना रहे; अंत:प्रांतीय व्यवहार के लिये राष्ट्रभाषा का प्रयोग किया जाए; राष्ट्रभाषा प्रचार राष्ट्र के नवनिर्माण का तथा राष्ट्रीय एकता के संवर्धन का एक श्रेष्ठ रचनात्मक कार्य है; राष्ट्रभाषा का स्वरूप सर्वग्राह्य हो और भारत में अंत:प्रांतीय व्यवहार के लिये जिस एक भाषा का उपयोग सदियों से आम तौर पर चलता आ रहा है वही हमारी राष्ट्रभाषा है; राष्ट्रभाषा का विकास देश की प्रादेशिक भाषाओं के संपर्क से संपन्न होता रहे। इसके विभिन्न श्रेणियों के सदस्यों की संख्या दो हजार तथा आधिकारिक शिक्षकों की संख्या छह हजार है। यह प्रति वर्ष दो बार 15 परीक्षाएँ आयोजित करता है। हिंदी भाषा और साहित्य का ज्ञान, देवनागरी और उर्दू लिपि का परिचय, हिंदी के माध्यम से कार्यालय संबंधी कामकाज चलाने का सामर्थ्य, हिंदी में भाषण देने और मातृभाषा या हिंदी में लिखित तथा मौखिक अनुवाद करने में प्रवीण बनाने आदि को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न स्तरों और योग्यताओं की परीक्षाओं का पाठ्यक्रम संचालित करता है।

सभा ने लगभग डेढ़ सौ पुस्तकें प्रकाशित की हैं, तथा दो हिंदी मासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन जारी रखा है। "राष्ट्रवाणी" श्रेष्ठ साहित्यिक स्तर की पत्रिका है जो पिछले 20 वर्षों से प्रकाशित की जा रही है। "हमारी बात" में राष्ट्रभाषा प्रचार संबंधी जानकारी दी जाती है। भारत सरकार के अनुदान से बृहत् हिंदी शब्दकोश प्रकाशित किया गया। पुणे में ही सभा अपना राष्ट्रभाषा मुद्रणालय भी चलाती है। यह मराठी और हिंदी की पाठ्यपुस्तकें तैयार करती है। हिंदी और मराठी साहित्य के बीच परस्पर लोकप्रियता बढ़ाने हेतु अनूदित पुस्तकों का प्रकाशन भी करती है। मराठी भाषी साहित्यकारों को हिंदी में लिखने हेतु प्रेरित करती है, साथ ही हिंदी और मराठी भाषा तथा साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन और अनुसंधान को भी बढ़ावा देती है।

पुणे की विरासत बहुत विस्तृत है और यही वे तथ्य हैं जिसने पुणेवासियों को गौरव से परिपूर्ण रखा है, प्रसन्न रखा है और आज वे बहुत तीव्र गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं।भारत के आठवें सबसे बड़े महानगर, पुणे ने प्रसन्नता सूचकांक के मामले में महाराष्ट्र राज्य में शीर्षस्थ स्थान लेकर और सभी कारकों पर अपने आप को खरा साबित कर, लगातार अपने प्रयत्नों से आगे बढ़कर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। यह मुंबई के बाद, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी भी माना जाता है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है; लेकिन पुणे कई मामलों में मुंबई से आगे बढ़ चुका है, जिसकी चर्चा हमने ऊपर की है। यह शहर शास्त्रीय संगीत, आध्यात्मिकता, रंगमंच, खेल और साहित्य जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी खास तौर पर जाना जाता है।

हर एक पुणेवासी को पुणे में ही रहना पसंद है। वह अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि वह पुणे में ही पले बढ़े हैं। उन्हें लगता है कि वह एक अत्याधुनिक शहर में रह रहे हैं, और उनके शहर में स्मार्ट सिटी वाली खूबियाँ तो हैं, समस्याएँ बिल्कुल नहीं हैं। उनके शहर में खुशहाली है, शांति है, लेकिन भागदौड़ व कशमकश भरी जिंदगी नहीं है। यह शहर संस्कृति से भरे-पूरे महाराष्ट्र के 'वास्तविक ह्रदय स्थल' के रूप में लोकप्रिय है।

स्नेहिल जनता, सुहाना मौसम और सुंदर शहर – ये तीन खूबियाँ आपको पुणे से ढाई अक्षरों वाले 'प्यार' में गिरफ्तार होने से नहीं रोक पाएंगी। पुणे वह ख़ुशी की टोकरी है जिस पर पोरन पोली की मीठी और पोहे सी हल्की फुलकी बारिश की छिटकती चमकीली लड़ियाँ-फुलझरियाँ पूरे महाराष्ट्र को शीतलता प्रदान कर रही हैं .. उम्मीद है पुणे महाराष्ट्र से आगे बढ़कर इस प्रसन्नता सूचकांक में भारत में और फिर विश्व स्तर पर शीर्षस्थ स्थान लेकर हम सभी को गौरवान्वित करेगा !

- सहायक निदेशक (राजभाषा)
डीआरडीओ मुख्यालय

मराठा संस्कृति और लोकाचार का शहर है पुणे

-डॉ. सुनीता कुमार

भूमिका

जनसंख्या की दृष्टि से पुणे, भारत का नौवाँ तथा महाराष्ट्र राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जो मुला और मुठा नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। यह शहर वीर मराठा छत्रपति शिवाजी तथा उनके उत्तराधिकारी पुत्र छत्रपति संभाजी राजे की राजधानी रहा है। इसे क्वीन ऑफ द दक्कन अथवा दक्कन की रानी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस शहर को "पुणे" नाम 'पुण्यनगरी' नाम से मिला है। यह शहर आठवीं शताब्दी में 'पुन्नक' (या 'पुण्यक') नाम से जाना जाता था। कुछ समय बाद यह 'कसबे पुणे' या 'पुनवडी' नाम से जाना जाने लगा। 1600 के दशक की शुरुआत में पुणे पहली बार मराठा साम्राज्य के नियंत्रण में आया। मराठा साम्राज्य के काल खंड में इस शहर का 'पुणे' नाम आधिकारिक रूप से प्रयोग में लाया जाने लगा।

पुणे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी और उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का केंद्र है। पुणे मराठी संस्कृति और लोकाचार का शहर है जिसमें शिक्षा, कला,शिल्प और थिएटर को प्रमुखता दी जाती है। यह शहर महान संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर का जन्मस्थान है। यह बाल गंगाधर तिलक, अगरकर और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का घर है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जयन्त नार्लीकर पुणे से हैं। इस शहर में अनेक विख्यात शिक्षण संस्थान होने के कारण इसे 'पूरब का ऑक्सफ़ोर्ड' भी कहा जाता है। यहाँ पर भण्डारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट है, जो प्राच्य अध्ययन एवं शोध के लिए विख्यात है।

हिंदी के विकास में पुणे का योगदान

हिंदी के विकास में पुणे का योगदान अमूल्य है। पुणे में अनेक हिंदी सेवी संस्थाएं हैं जो स्वाधीनता से पहले से ही पुणे के साथ-साथ संपूर्ण महाराष्ट्र में हिंदी के विकास और प्रचार-प्रसार का बिगुल बजा रही हैं। इनमें से कुछ प्रमुख संस्थाओं "महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा","महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी" और "महाराष्ट्र साहित्य परिषद" का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-

"महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा"

महाराष्ट्र में राष्ट्रभाषा का प्रचार करने हेतु गांधी जी की प्रेरणा से पूना (अब पुणे) में "महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा" की स्थापना हुई। आचार्य काकासाहब कालेलकर की अध्यक्षता में 22 मई 1937 को पूना में महाराष्ट्र के रचनात्मक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक और सांस्कृतिक नेताओं आदि का सम्मेलन संपन्न हुआ जिसमें "महाराष्ट्र हिंदी प्रचार समिति" के नाम से एक संगठन बनायागया। आठ साल तक यह समिति, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा से संबद्ध रही। बाद में यह संस्था "महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा" के नाम से स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगी।सभा के गठन का **उद्देश्य था-**

"प्रदेशों में प्रादेशिक भाषाओं का स्थान और मान बना रहे। अंत:प्रांतीय व्यवहार के लिये राष्ट्रभाषा का प्रयोग किया जाए। राष्ट्रभाषा प्रचार, राष्ट्र के नवनिर्माण का तथा राष्ट्रीय एकता के संवर्धन का एक श्रेष्ठ रचनात्मक कार्य है। राष्ट्रभाषा का स्वरूप सर्वग्राह्य हो।"

सभा ने राष्ट्रभाषा की व्याख्या इस प्रकार की है:

"भारत में अंत:प्रांतीय व्यवहार के लिये जिस एक भाषा का उपयोग सदियों से आम तौर पर चलता आ रहा है वह हमारी राष्ट्रभाषा है। इसके लिये हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी तीनों नाम रूढ़ हैं।"

सभा के प्रकाशनों के संबंध में सभा के उद्देश्य :

सभा की "राष्ट्रवाणी पत्रिका", वृहत् हिंदी शब्दकोश, पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन के संबंध में सभा के निम्नांकित उद्देश्य हैं-

(1) मराठी भाषाभाषी छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार हिंदी की पाठ्यपुस्तकें तैयार करना।

(2) हिंदी और मराठी साहित्यों के बीच आदान-प्रदान बढ़ाने के

लिये अनूदित पुस्तकों का प्रकाशन।

(3) मराठी भाषाभाषियों को हिंदी में लिखने के लिये प्रोत्साहित करना।

(4) हिंदी और मराठी भाषा एवं साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना।

इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सभा ने लगभग डेढ़ सौ पुस्तकें प्रकाशित की हैं तथा दो हिंदी मासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन सभा द्वारा किया जा रहा है। "राष्ट्रवाणी" श्रेष्ठ साहित्यिक स्तर की पत्रिका है जो पिछले 20 से अधिक वर्षों से प्रकाशित की जा रही है। भारत सरकार के अनुदान से बृहत् हिंदी शब्दकोश प्रकाशित किया गया है। पुणे में सभा का अपना राष्ट्रभाषा मुद्रणालय है।

सभा के संबंध में अन्य उल्लेखनीय सूचनाएं:

सभा द्वारा वर्ष में दो बार 15 परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का ज्ञान, देवनागरी और उर्दू लिपि का परिचय, कार्यालयी कामकाज हिंदी में करने की सक्षमता, हिंदी में संभाषण करने और मातृभाषा से हिंदी में, लिखित तथा मौखिक अनुवाद करने का प्रावीण्य आदि को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न स्तरों और योग्यताओं की परीक्षाओं का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाओं को भारत सरकार द्वारा हिंदी की योग्यता की दृष्टि से क्रमश: एस एस.सी, इंटर और बी.ए. के समकक्ष निर्धारित किया गया है। पुणे में केंद्रीय राष्ट्रभाषा ग्रंथालय के अतिरिक्त विभाग, जिला तथा नगर आदि विभिन्न स्तरों पर भी ग्रंथालय चलाए जाते हैं। ग्रामीण जनता के लाभ के लिये भ्रमणशील ग्रंथालय की भी व्यवस्था की गई है। विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिये व्याख्यानमालाएँ चलाई जाती हैं। "ज्ञानदा" के अंतर्गत उदीयमान साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रति माह संगोष्ठियों आदि का आयोजन किया जाता है।

"महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी"

"महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी" का हिंदी के संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह अकादमी 387, राष्ट्रभाषा भवन रोड, नारायण पेठ, पुणे में स्थित है। अकादमी हिंदी के प्रचार-प्रसार, नव लेखकों को प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और पुरस्कार, पुस्तक प्रकाशन और ग्रंथालयों को पुस्तकों की आपूर्ति, महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों में हिंदी की छात्रवृत्तियां देने जैसे स्थायी कार्य संपन्न करती आयी है। वर्ष 2004 में अकादमी ने पुणे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर "हिंदी साहित्य संगम" तथा वर्ष 2008 में मुंबई में "त्रिदिवसीय सर्वभारतीय भाषा सम्मेलन" का आयोजन किया, जिसमें देशभर से 22 भाषाओं के प्रतिनिधि साहित्यकारों और 400 से अधिक स्थानीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। "महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी" को सभी "विश्व हिंदी सम्मेलनों" में भाग लेने का श्रेय प्राप्त है। मराठी भाषा साहित्य और महाराष्ट्र की सुपुष्ट संस्कृति को हिंदी में लाने की दिशा में अकादमी ने विशेष प्रयत्न किये हैं। उत्कृष्ट मराठी साहित्य के हिंदी अनुवादकों को पुरस्कृत करने के अलावा अकादमी ने अनूदित कृतियों को प्रकाशित करवाने हेतु अनुदान भी दिया है। अकादमी अनुवादकों को अनुदान शुल्क देने के साथ-साथ मूल लेखक को भी रायल्टी प्रदान करती है।

"महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी", राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी सेवा पुरस्कार प्रदान करती है। अकादमी के पुरस्कार से सम्मानितों में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामेश्वर शुक्ल अंचल, विष्णु प्रभाकर, राम विलास शर्मा, गौरा पंत, शिवानी, विद्यानिवास मिश्र, विश्वंभरनाथ उपाध्याय, डॉ॰ राममनोहर त्रिपाठी, गंगाप्रसाद विमल, मन्नू भंडारी, चंद्रशेखरन नायर, अरविंद कुमार-कुसुम कुमार, श्री मुनीन्द्र, डॉ॰ कन्हैयालाल नंदन, रुक्माजी राव अमर, तंक्कपन नायर, विश्वनाथ सचदेव जैसे सशक्त हस्ताक्षर शामिल हैं।

इनके अलावा अकादमी 100 से अधिक विद्वानों को पुरस्कृत कर चुकी है जिनमें, जयंत नार्लीकर, सूर्यभानु गुप्त, सत्यदेव दुबे जैसे लेखक, कवि, नाट्यकर्मी और साहित्यकार शामिल हैं। अकादमी प्रति वर्ष 3 राज्य स्तरीय पुरस्कार देती आयी है। अब 8 राज्य स्तरीय पुरस्कारों के साथ 2 अखिल भारतीय पुरस्कार देने का भी अकादमी ने निर्णय लिया है, जो इस प्रकार हैं-

(1) छत्रपति शिवाजी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार

(2) पद्मश्री अनंत गोपाल शेवडे हिंदी सेवा पुरस्कार

(3) गजानन माधव मुक्तिबोध मराठीभाषी हिंदी लेखक पुरस्कार

(4) श्री शांताराम ललितकला हिंदी विशिष्ट सेवा पुरस्कार

इनके अलावा अकादमी,प्राप्त प्रविष्टियों के आधार पर 13 विधाओं में विधा पुरस्कार प्रदान करती है। 100 से अधिक लेखकों को उनकी पात्र रचनाओं पर अकादमी प्रकाशन अनुदान दे चुकी है।

हिंदी अकादमी ने अनेक विशेषांक तथा ग्रंथ प्रकाशित किये हैं जिनमें पं॰ माखनलाल चतुर्वेदी विशेषांक,'एक दीप कवि प्रदीप' विशेषांक, द्विदशाब्दी विशेषांक, राहुल सांकृत्यायन, महात्मा फुले, डॉ॰ भीमराव अंबेडकर, हिंदी साहित्य के 50 वर्ष, महाराष्ट्र की संस्कृति के आयाम तथा संत साहित्य विषयक संकलन "अभंग" आदि प्रमुख हैं।

"महाराष्ट्र साहित्य परिषद"

"महाराष्ट्र साहित्य परिषद" मराठी भाषा और साहित्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक साहित्यिक संस्था है। इसकी स्थापना 27 मई 1906 को हुई थी। इसका कार्यालय 496, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक रोड, पंटांचा गेट, सदाशिव पेठ, पुणे में स्थित है। "एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन लिटरेचर" इसे मराठी की पहली प्रतिनिधि साहित्यिक संस्था मानता है।

यूं तो "महाराष्ट्र साहित्य परिषद" की स्थापना मराठी भाषा और साहित्य के संवर्धन के उद्देश्य से की गई थी किन्तु हिंदी भाषा एवं अन्य भाषाओं की साहित्यिक गतिविधियां भी यहाँ चलती रहती हैं। श्रेष्ठ लेखक–कवि वसंत आबाजी डहाके के मराठी कविता-संग्रह 'शुन:शेप' का मॉडर्न महाविद्यालय के हिंदी विभाग की प्रमुख डॉ. प्रेरणा उबाले ने हिंदी में अनुवाद किया है। 20 अप्रैल 2023 को परिषद् के माधवराव पटवर्धन सभागार में डॉ. प्रेरणा उबाले के मराठी से हिंदी में अनूदित इस कविता-संग्रह का विमोचन समारोह हुआ।

पुस्तक का विमोचन हिंदी के सुप्रतिष्ठित लेखक-कवि व अनुवादक तथा **भारत सरकार की केंद्रीय हिंदी समिति** के अध्यक्ष **डॉ. दामोदर खडसे**, पुणे के विख्यात हिंदी-मराठी लेखक व अनुवादक **डॉ. सुनील देवधर**, सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय, पुणे के **मराठी विभाग** के अध्यक्ष और पूर्व प्रोफ़ेसर **प्रो. डॉ. मनोहर जाधव**, सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय, पुणे के हिंदी विभाग के पूर्व प्रोफेसर **प्रो. गजानन चव्हाण** के कर कमलों से संपन्न हुआ। डॉ. दामोदर खडसे ने 'शुन:शेप' कविता-संग्रह के हिंदी अनुवाद को अत्यंत प्रवाहपूर्ण बताया तथा बधाई दी। डॉ. मनोहर जाधव ने मराठी की एक श्रेष्ठ रचना का हिंदी में अनुवाद होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।

संस्थाओं के अलावा, व्यक्तिगत रूप से हिंदी की सेवा करने वाले पुणे के साहित्यकारों की सूची बहुत लंबी है। श्री रघुनाथ वैशंपायन के प्रयास से वर्ष 1940 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मलेन पुणे में हुआ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वितीय सर संघचालक माननीय माधव सदाशिव गोलवलकर का नाम हिंदी को "देश की भाषा" मानने वालों में अग्रगण्य है। वह मराठी भाषी थे। विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण उन्होंने उच्च शिक्षा अंग्रेजी में प्राप्त की, किन्तु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक के रूप में उन्होंने अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी को बनाया। सहस्रों व्याख्यान दिए। अनगिनत पृष्ठों को अपनी लेखनी से धन्य किया। यह सब कार्य उन्होंने हिंदी में किया। सभी प्रांतों में उनका जाना होता था। एक बार तमिलनाडु का एक प्रसंग बताते हुए उन्होंने कहा-

"तमिलनाडु के एक शैक्षणिक कार्यक्रम में हमारे कार्यकर्ताओं ने चाहा कि मैं अंग्रेजी में बोलूं। मैंने उनसे कहा कि मैं अंग्रेजी बोलूं या हिंदी में, तमिल में तो अनुवाद किया ही जाएगा इसलिए दोनों में से किसी भी एक भाषा में बोलना समान ही है। मैं हिंदी में सहजतापूर्वक बोल सकता हूं इसलिए मैं हिंदी में ही बोलना चाहूंगा। फिर भी पहले दिन मैंने अंग्रेजी में और अन्य दिनों में हिंदी में अपना वक्तव्य दिया। कार्यक्रम के अंत में शिक्षार्थियों से पूछा गया तो पाया कि लोगों को अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी अधिक समझ में आई।"

श्री गोलवलकर जी, हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में हिंदी शिक्षण का विस्तार करने के सदा समर्थक रहे। 2 मार्च, 1950 को हरियाणा के रोहतक में आयोजित हरियाणा प्रांतीय हिंदी सम्मलेन में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था- "हिंदी को विश्वभाषा बनाना है।"

एक अन्य हिंदी विद्वान श्री श्रीधर गोविन्द पराडकर जी ने हिंदी के विकास के लिए प्रशंसनीय योगदान दिया है। देश-विदेश में साहित्यिक गोष्ठियों, संवादों, बैठकों में, उनके चिंतन का प्रमुख विषय हिंदी होती है। उन्होंने लगभग दो दर्जन पुस्तकों की रचना हिंदी में करके इसके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया है। '1856 के प्रतिसाद', 'अद्भुत संत स्वामी रामतीर्थ', 'अप्रतिम क्रांति द्रष्टा भगत सिंह', 'राष्ट्रसंत तुकडोजी', 'राष्ट्रनिष्ठ खंडोबल्लाल', 'सिद्ध योगी उत्तम स्वामी', 'मध्य भारत की संघ गाथा', 'ज्योति जला निज प्राण की' इत्यादि उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। उन्होंने 'श्री गुरूजी समग्र' का बारह खण्डों में संपादन करके भागीरथ कार्य किया है। उन्होंने 'सामाजिक क्रांति की यात्रा और डॉ. आंबेडकर' का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया है। उनकी देश-विदेश की यात्रा के संस्मरण 'देशांतर' और 'साहित्य संवर्धन यात्रा' के रूप में हमारे

सम्मुख है। उनका यह सारा रचना संसार हिंदी में है, जबकि उनकी मातृभाषा मराठी है।

महात्मा मुंशीराम ने हरिद्वार में “गुरुकुल कांगड़ी”की स्थापना की जहां हिंदी के माध्यम से वेद, उपनिषद, भारतीय दर्शन शिक्षा और शोध कार्य का शुभारंभ हुआ। वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण नारायण गर्दे ने हिंदी में ‘भारत मित्र’ समाचार के प्रकाशन में योगदान दिया और ‘महाराष्ट्र रहस्य’ नाम से लेखमाला लिखी। लखनऊ से जब ‘नवजीवन’ का प्रकाशन शुरू किया गया तो गर्दे जी को उसका प्रथम संपादक बनाया गया। वैष्णव संत नामदेव के अनेक अभंग हिंदी में हैं, जिन्हें उन्होंने काशी, प्रयाग और अयोध्या की यात्रा के दौरान लिखा था। हिंदी को प्रतिष्ठापित करने में वामन पंडित, मुक्तेश्वर, स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर, खांडेकर, कवि गोविंद केलकर जैसे उद्भट विद्वानों का सहयोग रहा है।

पुणे के इन साहित्यकारों में हिंदी उपन्यासकार एवं कवि डॉ. दामोदर खडसे का नाम भी उल्लेखनीय है। डॉ. खडसे को वर्ष 2021 में पुणे के लब्ध प्रतिष्ठ पुरस्कार “गोयनका हिंदी साहित्य पुरस्कार”से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उनके उपन्यास “बादल राग” के लिए दिया गया है। डॉ. खडसे के उपन्यास "कालासूरज" को भारत सरकार की ओर से तत्कालिन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के हाथों "राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार' प्रदान किया गया था। साथ ही, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा केन्द्रीय हिंदी संस्थान का "गंगाशरण सिंह सम्मान' राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया गया था।

हिंदी पत्रकारिता के संवर्धन में पुणे के पत्रकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। इन पत्रकारों में बाबुराव विष्णु पराडकर का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। वे कोलकाता में नेशनल कालेज में हिंदी और मराठी के शिक्षक थे। उस समय योगीराज अरविंद घोष वहां प्राचार्य थे। पराडकर जी ने अपने मामा की बांग्ला भाषा की पुस्तक “देशेर कथा” का हिंदी में अनुवाद करके काफी ख्याति प्राप्त की। उन्होंने कोलकाता से “भारतमित्र” नामक पत्र हिंदी में निकाला। उसके संपादक के नाते उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। पराडकर जी के सहयोग से वाराणसी से हिंदी का दैनिक “आज” प्रकाशित हुआ। उसके संपादक के रूप में उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को भाषाई अखबार से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता की भाषा का सुगठन किया। हिंदी के अनेक शब्द स्वयं गढ़े और अंग्रेजी के कई शब्दों के हिंदी विकल्प प्रस्तुत किए। उन्होंने विदेशी शब्दों का गजब का भारतीयकरण किया। “मानकीकरण”, “मुद्रास्फीति” और “राष्ट्र” शब्द उन्हीं की देन हैं।

उपसंहार

पुणे में हिंदी संवर्धन का कार्य निरंतर चल रहा है। पुणे की साहित्यिक गतिविधियां, हिंदी और तकनीकी की ताल से ताल मिलाते हुए www.hindisahityadarpan.in नाम की वेबसाइट,“हिंदी साहित्य मार्गदर्शन” नाम से फेसबुक पेज के साथ-साथ SPOTIFY और गूगल पॉडकास्ट सहित 5 चैनलों पर उपलब्ध हैं। पुणे ही नहीं, मुंबई सहित पूरा महाराष्ट्र हिंदी का गढ़ है। देशभर के प्रमुख हिंदी साहित्यकारों ने मुंबई के विशाल हिंदी रंगमंच, फिल्म और टेलीविजन की दुनिया को समृद्ध किया है फिर चाहे उनकी मातृभाषा कोई भी रही हो। हिंदी की सृजनशीलता और समृद्धि में महाराष्ट्र सरकार का सदैव सहयोग रहा है। “महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी” की ही देन है कि आज महाराष्ट्र के सभी जिलों,कस्बों और गांव में हिंदी को पहचान मिल रही है। इससे हिंदी का विस्तार हो रहा है और हिंदी सारे देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रही है। केशव वामा पेठे ने 1893 ई. में ‘राष्ट्रभाषा किंवा सर्व हिन्दुस्थानची एक भाषा करणे’ नामक पुस्तक पुणे से प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने हिंदी को सर्वस्वीकृत राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया था। पुणे के अनेक महानुभावों ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकृति दिलाने, उसके अधिकाधिक प्रचार-प्रसार और जन-जन के बीच लोकप्रिय बनाने में सार्थक योगदान दिया है।

-मुख्य प्रबन्धक (राजभाषा)
भारतीय स्टेट बैंक
प्रशासनिक कार्यालय, नौएडा

संदर्भ स्रोत :

wikipedia.org, Hindwi.org,
Urbanely.in, Hindisahityadarpan.in
NEWSPCM, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदी विवेक पत्रिका

महाराष्ट्र की सांस्कृतिक नगरी पुणे का है समृद्ध हिंदी भाषा इतिहास

-पद्मा कुलकर्णी

यह बहुत ही प्रशंसनीय है कि इस वर्ष हिंदी दिवस तथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन पुणे में आयोजित होने जा रहा है। पुणे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत ही बुलंद और उदात्त है। पुणे का प्राचीन नाम 'पुण्यनगरी' नाम से आया है। मुगल साम्राज्य के पश्चात पुणे का पहला नाम मुहियाबाद बदल दिया गया। 1857 में ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों द्वारा पूना का अंग्रेजीकरण किया गया, शहर का नाम 1978 में वापस पुणे कर दिया गया। भीमा नदी की उपनदियाँ मुला व मुठा के संगम पर यह शहर बसा है। आठवी शताब्दी मे पुणे को "पुन्नक" नाम से जाना जाता था। ई.स. 11 के शतक मे 'कसबे पुणे' या 'पुनवडी' नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान में यह आधिकारिक रूप से पुणे नाम से जाना जाता है। इतिहास के शोधकर्ता मंदार लावते के अनुसार शहर का नाम पास के मंदिर पुण्येश्वर, एक भगवान शिव मंदिर के नाम पर पड़ा।

पुणे भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है। सार्वजनिक सुख सुविधा व विकास के हिसाब से पुणे महाराष्ट्र में मुंबई के बाद अग्रसर है। पुणे महाराष्ट्र राज्य में मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है तथा आर्थिक और औद्योगिक विकास के मामले में एक महत्वपूर्ण शहर है। पुणे में रहने वालों को पुणेकर संबोधित किया जाता है।

शहाजी राजे भोसले और जीजाबाई के पुत्र शिवाजी महाराज का जन्म 1627 ई. में पुणे जिले के शिवनेरी में हुआ था। यह नगर शिवाजी तथा उनके पुत्र एवं उत्तराधिकारी संभाजी की राजधानी थी। इसे 'क्वीन ऑफ़ द डेक्कन' के नाम से भी जाना जाता है। मराठी भाषा इस शहर की मुख्य भाषा है। जिसमें कुल 15 तहसीलें हैं। शिवाजी महाराज के जीवन व मराठा साम्राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है। जीजाबाई व शिवाजी महाराज जब 1635 से 1636 के दौरान पुणे आवास के लिए आए, तब से पुणे के इतिहास में एक नए पर्व का जन्म हुआ। शिवाजी महाराज व जीजामाता पुणे में लाल महल में रहते थे।

पुणे शिवाजी महाराज के जीवन व मराठा साम्राज्य के इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। जिस समय पुणे का युद्ध चल ही रहा था, वह प्रतिद्वन्द्वी मराठा सरदारों के चंगुल से अपने को बचाने के लिए पुणे से भागकर वसई अंग्रेज़ों की शरण में चला गया। वहाँ उसने 31 दिसम्बर 1802 ई. को वसई की संधि कर ली, जिसके द्वारा उसने पेशवा पद फिर से प्राप्त करने का मनोरथ बनाया था। बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज़ों के द्वारा पुनः पुणे की गद्दी पर आसीन कर दिया गया। परन्तु मराठा सरदारों, विशेष रूप से शिंदे, भोंसले तथा होलकर ने इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया और फलस्वरूप दूसरा मराठा-युद्ध (1803-05 ई.) छिड़ गया।

पुणे छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन व मराठा साम्राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है। ई.स.1635-36 के दौरान जब जीजाबाई व शिवाजी महाराज पुणे आवास के लिए आए, तबसे पुणे के इतिहास में एक नए पर्व का जन्म हुआ। पुणे के ग्रामदेवता- कसबा गणपती की स्थापना तथा पाषाण में सोमेश्वर मंदिर का निर्माण जीजाबाई ने किया था। 17वीं शताब्दी में मराठा राज्य की राजधानी के रूप में पहली बार इस नगर को महत्व प्राप्त हुआ था। शिवाजी महाराज ने अपने साथियों के साथ पुणे परिसर में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। पेशवा के काल में 1749 सातारा को छत्रपति की गद्दी और राजधानी बना कर पुणे को मराठा साम्राज्य की 'प्रशासकीय राजधानी' बना दिया गया। पुणे की पेशवा के काल में काफ़ी तरक़्क़ी हुई। 1818 तक पुणे में मराठों का राज्य था। पुणे एक ऐसा शहर है जो छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य का केंद्र था। यह शहर के इतिहास को समृद्ध संस्कृति और विरासत से भरा हुआ बनाता है। महाराष्ट्र में किसी भी अन्य स्थान से अधिक मराठा संस्कृति पुणे में अत्यंत प्रमुख है।

पुणे स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज का लाल महल, भारत के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। इसका निर्माण ई.स. 1643 में सम्राट शिवाजी के पिता शाहजी ने करवाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन इसी महल में बीता था और उनका विवाह सईबाई के साथ यहीं हुआ था। इस लाल महल में शिवाजी महाराज और शाहिस्ते खान के मध्य ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी। शाहिस्ते खान ने लाल महल की खिड़की से भागने की कोशिश की थी,

तब छत्रपति शिवाजी ने उसकी हाथों की उँगलियाँ काट दी थी। लाल महल की दीवारों पर शिवाजी के जीवन की कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाओं का चित्रण बड़ी आयल पेंटिंग्स से किया गया है।

17वीं शताब्दी के आरंभ में, छत्रपती शाहू के प्रधानमंत्री, थोरले बाजीराव पेशवे को पुणे को अपना स्थाई आवास बनाना था। छत्रपति शाहू महाराज ने इसकी अनुमति दी व पेशवा ने मुठा नदी के किनारे शनिवार वाड़ा बनाया।

पुणे नानासाहेब पेशवा के शासनकाल के दौरान एक शहर के रूप में समृद्ध हुआ। शहर का सबसे पुराना वर्णन ई.स.758 का है, जब उस काल के राष्ट्रकूट राज मे इसका उल्लेख मिलता है। 17वीं शताब्दी मे यह शहर निजामशाही, आदिलशाही, मुगल ऐसे विभिन्न राजवंशों का अंग रहा। सतरहवी शताब्दी में शहाजीराजे भोसले को निजामशहा ने पुणे की जमीनदारी दी थी। शिवाजी महाराज ने अपने साथियों के साथ पुणे परिसर में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। इस काल मे पुणे में शिवाजी महाराज का वर्चस्व था। पुणे एक स्वदेशी मराठी संस्कृति और लोकाचार का उदाहरण है, जिसमें शिक्षा, कला और शिल्प और थिएटरों को प्रमुखता दी जाती है।

छत्रपती शाहू के काल में राजधानी सतारा की गई जोकि पहले पुणे थी। 1749 ई. में उसकी मृत्यु के बाद पेशवा बालाजी बाजीराव ने पुणे को फिर से मराठा राज्य की राजधानी बना दिया। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के हार जाने तथा बेदखल किये जाने के बाद इसका महत्व घट गया। कुछ समय तक इस पर मुगलों का क़ब्ज़ा रहा, लेकिन बाद में 1714 से यह पुनः मराठा राज्य की राजधानी बन गया। अंततः 1817 ई. में यह अंग्रेज़ों के अधिकार में चला गया।

पुणे एक स्वदेशी मराठी संस्कृति और लोकाचार का उदाहरण है, जिसमें शिक्षा, कला और शिल्प और थिएटरों को प्रमुखता दी जाती है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पुणे मे अनेक नामांकित शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई।

720 में, बाजी राव प्रथम को शाहू द्वारा अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में पेशवा नियुक्त किया गया था। बाजीराव ने अपने प्रशासन को 1728 में सासवड से पुणे स्थानांतरित कर दिया, और इस प्रक्रिया में, कसबा को एक बड़े शहर में बदलने की नींव रखी। पुणे एक स्वदेशी मराठी संस्कृति और लोकाचार का उदाहरण है, जिसमें शिक्षा, कला और शिल्प और थिएटरों को प्रमुखता दी जाती है। यह कवि-संत तुकाराम (देहू में) और ज्ञानेश्वर (आलंदी में) का जन्मस्थान है, जो "भगवत गीता" पर प्रसिद्ध टिप्पणी 'ज्ञानेश्वरी' के लेखक हैं।

इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में पुणे सूचना तकनीकी के क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से विकसित हो रहा है। अनेक नामांकित शिक्षण संस्थाएं होने के कारण पुणे शहर को 'पूरब का ऑक्सफोर्ड' भी कहा जाता है। पुणे में अनेक प्रौद्योगिकी और ऑटोमोबाईल उपक्रम हैं, इसलिए पुणे को भारत का "डेट्राइट" कहा जाता है।

1894 मे लोकमान्य तिलक ने पुणे में पहली बार सार्वजनिक गणेशोत्सव शुरु किया। भाद्रपद (अगस्त/सितंबर) महीने मे आने वाले इन दस दिनों की अवधि मे पुणे शहर चैतन्यमय होता है। इस उत्सव के दौरान महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामण्डल पुणे उत्सव नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराता है, जिसमे संगीत, नृत्य, मैफिली, नाटक और खेल समाविष्ट होते हैं।

भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम में पुणे के नेताओं और समाज सुधारकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोकमान्य तिलक, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावरकर जैसे नेताओं के कारण पुणे राष्ट्र के नक़्शे पर अपने महत्त्व को दर्शाता रहा। महादेव गोविन्द रानडे, रा.ग. भाण्डारकर, विठ्ठल रामजी शिन्दे, गोपाल कृष्ण गोखले, लोखण्डे जैसे समाजसुधारक व राष्ट्रीय ख्याति के नेता पुणे से थे।

पुणे शहर में लगभग सभी विषयों के उच्च शिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। पुणे विद्यापीठ, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, आयुका, आगरकर संशोधन संस्था, सी-डैक जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान यहाँ है। मेहेरबाबा का जन्म स्थान और रजनीश का निवास स्थान भी पुणे था। रजनीश के आश्रम में देश – परदेश के पर्यटक आते हैं।

पुणे महाराष्ट्र व भारत का एक महत्त्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र है। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, भारत फोर्ज जैसे उत्पादन क्षेत्र के अनेक बड़े उद्योग यहां है। 1990 के दशक में इन्फोसिस, टाटा कन्सल्टंसी सर्विस, विप्रो, सिमैंटेक, आईबीएम जैसी प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनियों ने पुणे मे अपने केन्द्र खोले और यह शहर भारत के एक प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग केन्द्र के रूप मे विकसित हुआ।

जुन्नर के पास स्थित शिवनेरी किला पुणे का प्रमुख स्थान है। इस किले में 19 फरवरी 1630 को महान मराठा सम्राट शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवनेरी किला लगभग 3500 फीट ऊँचा, चारों तरफ से खड़ी चट्टानों से घिरा त्रिकोण आकार में बना है। किले का मुख्य आकर्षण युवा छत्रपती शिवाजी की मूर्ति और उनकी माँ जीजाबाई की मूर्ति है। पुणे के ऐतिहासिक स्थलों में आगाखान महल, सिंहगड, लाल महल, राजगड किल्ला, पुरंदर व वज्रगड, तोरणा किल्ला, शिवनेरी तथा संभाजी महाराज की समाधि आदि शामिल हैं। साथ ही शनिवार वाडा, सिंहगढ़ किला, ओशो आश्रम, दगडुशेठ गणपति, पातालेश्वर गुफा मंदिर, राजीव गांधी

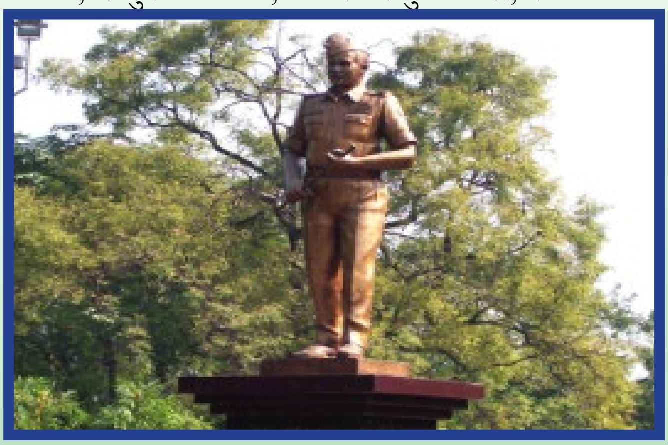

जूलॉजिकल पार्क, शिंदे छत्री, राजा दिनकर केलकर संग्रहालय, राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय, बंड गार्डन, सारस बाग, पर्वती हिल, आगा खान पैलेस, राजगढ़ किला और संग्रहालय आदि पुणे दर्शन के कुछ प्रमुख आकर्षण हैं। पुणे की सबसे पुरानी विरासत संरचनाओं में से एक, नाना वाडा को 1780 में बनाया गया था। 1947 और आज के बीच की अवधि में पुणे एक मध्यम आकार के शहर से एक बड़े महानगर में बदल गया। इस अवधि में निर्माण उद्योग में उछाल और हाल ही में सॉफ्टवेयर क्षेत्र में आए अवसरों के कारण शहर में लोगों का भारी प्रवाह देखा गया। अंग्रेजों के जमाने के कई अखबार जैसे केसरी, तरूण भारत, प्रभात और सकाल आजादी के दशकों बाद भी प्रकाशित होते रहे। वर्तमान में, केसरी केवल एक ऑनलाइन समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित होता है। मुंबई स्थित महाराष्ट्र टाइम्स, लोकसत्ता और लोकमत ने पिछले पंद्रह वर्षों में अपने पुणे संस्करणों की शुरुआत की। इसके प्रतिद्वंदी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2008 में 'पुणे मिरर' नामक एक अख़बार पेश किया।

पेठ

पुणे शहर पूर्व में नदी किनारे पेठ के अनुसार बढ़ता गया जो नये उपनगर है और जुड़ते हुए शहर का विस्तार करते चले गए है। पेठ के नाम सप्ताह के दिनों के नाम और ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम पर रखे गये है जैसे – कसबा पेठ, रविवार पेठ, सोमवार पेठ, मंगलवार पेठ, बुधवार पेठ, गुरूवार पेठ, शुक्रवार पेठ, शनिवार पेठ, महात्मा फुले पेठ, सदाशिव पेठ, नारायण पेठ, भवानी पेठ, नाना पेठ, रास्ता पेठ, गणेश पेठ तथा घोरपडे पेठ आदि.

पुणे शहर महाराष्ट्र व भारत का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। मुंबई महानगर के बाद महाराष्ट्र राज्य में पुणे ही सर्वाधिक औद्योगिक शहर है। विश्व में सर्वाधिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी बजाज ऑटो पुणे में है। 1990 के दशक में इन्फोसिस, टाटा कन्सल्टंसी

सर्विस, विप्रो, सिमैंटेक, आईबीएम जैसे प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनियों ने पुणे में अपने केन्द्र खोले और यह शहर भारत के एक प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग केंद्र के रूप में विकसित हुआ। मराठी भाषी प्रदेश में राष्ट्रभाषा का प्रचार करने हेतु गांधी जी की प्रेरणा से पुणे में महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा की स्थापना हुई। आठ साल तक यह समिति, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा से संबद्ध रही। पुणे में सभा अपना राष्ट्रभाषा मुद्रणालय भी चलाती है। गाडगील जी ने 1964 से 1966 तक सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया।

मराठी भाषी अनेक साहित्यकार हिंदी लेखन के माध्यम से स्वयं विख्यात हुए और हिंदी-सेवा का श्रेय भी प्राप्त किया। पुणे के ठाकरसी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. काशीनाथ केरकर ने 'अठारहवीं शती के हिंदी पत्र' पर पीएच.डी की उपाधि प्राप्त की थी। उनके ही साथी श्री कृष्णजी हरिपंत देशपांडे ने महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से लगातार अठारह वर्षों तक हिंदी का प्रचार-प्रसार किया। श्री रघुनाथ वैशंपायन के प्रयास से वर्ष 1940 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मलेन पुणे में हुआ। वैष्णव संत नामदेव के अनेक अभंग हिंदी में हैं, जिन्हें काशी, प्रयाग, अयोध्या की यात्रा के दौरान उन्होंने लिखा था। हिंदी को प्रतिष्ठित करने में वामन पंडित, मुक्तेश्वर, स्वातंत्रवीर सावरकर, खांडेकर, कवि गोविंद केलकर जैसे उभरते विद्वानों का सहयोग रहा है।

सकाल और स्वराज जैसे समाचार पत्रों के पूर्व संपादक व पुणे विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष एस.के. कुलकर्णी ने कहा कि हिंदी और मराठी के रिश्ते पुराने हैं। पराड़कर जी ने हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे हमेशा उसे आगे बढ़ाने में जुटे रहे।

कंप्यूटर ने राजभाषा हिंदी में कार्य करना सुगम बनाया है। हिंदी सॉफ्टवेयर लोकलाइजेशन का कार्य सर्वप्रथम सी- डैक द्वारा 90 के

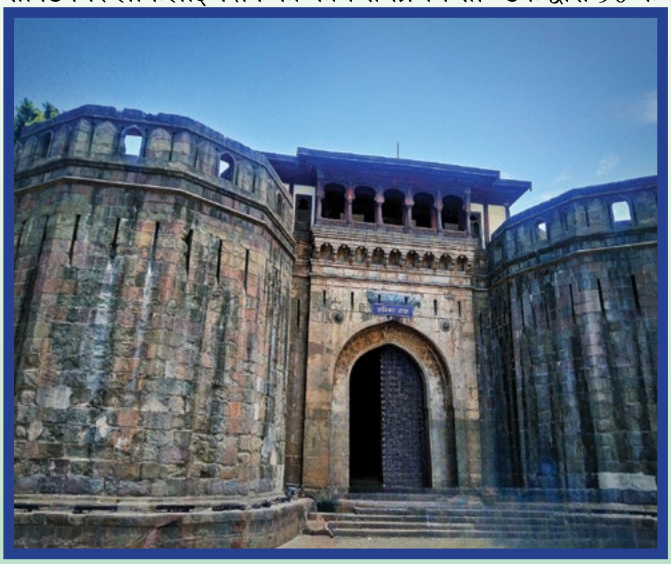

दशक में किया गया था। वर्तमान में हिंदी भाषा के लिये कई संगठन कार्य करते है, जिसमें सी–डैक, गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी संस्थान प्रमुख हैं। सी-डैक यानि प्रगत संगणन विकास केन्द्र अंग्रेजी में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवान्स कम्प्यूटिंग जो कि भारत की एक अर्धसरकारी सॉफ्टवेयर कम्पनी है। सी-डैक का शुरुआत में मुख्य उद्देश्य स्वदेशी महासंगणक बनाना था। वर्तमान में यह सॉफ्टवेयर एवं इलैक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक नामी कम्पनी है। यह कम्पनी हिंदी जगत में मुख्य रूप से भाषाई कम्प्यूटिंग सम्बंधी विकास कार्यों के लिये जानी जाती है। श्रुतलेखन एक हिंदी स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है, जिसका विकास सीडैक, पुणे के एलाइड ग्रुप ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से किया है। प्रधानमंत्री जी के “आत्मनिर्भर भारत, “स्थानीय के लिए मुखर हो” के अभियान को आगे बढ़ाते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत में सी – डेक, पुणे के सौजन्य से निर्मित स्मृति आधारित अनुवाद टूल “कंठस्थ” का विस्तार कर रहा है ताकि अनुवाद के क्षेत्र में समय की बचत करने के साथ- साथ एकरूपता और उत्कृष्टता भी सुनिश्चित हो। सीडैक पुणे के तकनीकी सहयोग से ई-महाशब्दकोश का निर्माण किया गया जो की राजभाषा की साइट पर निशुल्क उपलब्ध है। यह एक द्विभाषी–द्विआयामी उच्चारण शब्दकोश हैं जिसके द्वारा हिंदी या अंग्रेज़ी अक्षरों द्वारा शब्द की सीधी खोज की जा सकती है। पुणे स्थित रेड हैट भी कंप्यूटर पर हिंदी को बढ़ावा दे रही है।

मराठी भाषी प्रदेश में राष्ट्रभाषा का प्रचार करने हेतु गांधी जी की प्रेरणा से पुणे में महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा की स्थापना हुई। आचार्य काकासाहेब कालेलकर की अध्यक्षता में 22 मई 1937 को पुणे में महाराष्ट्र के रचनात्मक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक और सांस्कृतिक नेताओं आदि का सम्मेलन संपन्न हुआ जिसमें महाराष्ट्र हिंदी प्रचार समिति के नाम से एक संगठन बनाया गया। 12 अक्टूबर 1945 को महाराष्ट्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का निश्चय किया। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे की स्थापना ई.स. 1937 में की गई। मराठी भाषी केशव वामा पेठे ने 1893 ई. में ‘राष्ट्रभाषा अथवा सारे हिन्दुस्थान की एक भाषा करना’ नामक पुस्तक पुणे से प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने हिंदी को सर्वस्वीकृत राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया था। इसी तरह अनेक महानुभावों का सार्थक योगदान हिंदी को राष्ट्रीय भाषा की स्वीकृति, प्रचार-प्रसार और लोकप्रिय बनाने में रहा है। उनके ही साथी श्री कृष्णाजी हरिपंत देशपांडे ने महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से लगातार अठारह वर्षों तक हिंदी का प्रचार-प्रसार करते रहे। एक भारत-श्रेष्ठ भारत, सुदृढ आत्मनिर्भर भारत. सर्वप्रथम मुम्बई के महादेव गोविंद रानडे ने एक लिपि सुधार समिति का गठन किया। तदनन्तर महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे ने सुधार योजना तैयार की। किसी ने सही कहा है कि पुणे तिथे काय उणे? यानि पुणे में किसी भी चीज़ की कमी नही है। पुणे को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है जो अपने गौरवशाली इतिहास के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। यहां के ऐतिहासिक किले-भवन दूर-दराज के ट्रैवलर्स का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। मराठा और पेशवा की भूमि रहा पुणे अपने आप में एक यादगार इतिहास लिए बैठा है।

- सहायक प्रबंधक,
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड,
मुंबई (महाराष्ट्र)

गौरवशाली इतिहास, शैक्षणिक व सांस्कृतिक परंपरा तथा प्राकृतिक सौंदर्य का साक्षी - पुणे

-संजय राघव

पुणे महाराष्ट्र का एक महत्त्वपूर्ण शहर है। यह शहर सह्याद्री पर्वत के पूर्व में भीमा नदी की उपनदियों, मुला और मुठा, के संगम तट पर बसा है। इसकी उत्तर-पश्चिम दिशा में पवना और इंद्रायणी नदियां बहती हैं। इसे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है क्योंकि पुणे मराठी संस्कृति और लोकाचार का एक सुंदर उदाहरण है जिसमें शिक्षा, कला और शिल्प तथा थिएटर को उचित प्रमुखता दी जाती है। यह भूमि “भगवद गीता” पर प्रसिद्ध टिप्पणी ‘ज्ञानेश्वरी’ के रचनाकार कवि-संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर की जन्मस्थली है। यह बाल गंगाधर तिलक, अगरकर और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का घर है। वर्तमान में पुणे महाराष्ट्र और भारत का एक महत्त्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। यहाँ टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, भारत फोर्ज जैसे उत्पादन क्षेत्र के अनेक बड़े उद्योग हैं। 1990 के दशक में इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, आईबीएम जैसी प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनियों ने पुणे में अपने केंद्र खोले और यह शहर भारत के एक प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इसलिए पुणे की पहचान भारत के “डेट्रॉइट” के रूप में होती है। अनेक नामी शिक्षण संस्थाएं जैसे पुणे विद्यापीठ, राष्ट्रीय रसायनिक प्रयोगशाला, आयुका, आगरकर अनुसंधान संस्थान, सी-डैक, आदि होने के परिणामस्वरूप इस शहर को ‘पूरब का ऑक्सफोर्ड’ भी कहा जाता है।[1] पुणे में लगभग सभी विषयों के उच्च शिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। यहां के पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट की ख्याति देश-विदेश में है जहां रंगमंच से जुड़े अनेक कलाकारों ने अपने हूनर को तराशा है। पुणे में सभी भारतीय त्यौहार जैसे दिवाली, जन्माष्टमी, नवरात्रि, दशहरा, होली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद आदि बिना किसी धर्म या भाषा के बंधनों के, समान उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। लेकिन पुणे अपने गणेश उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। पुणे वासियों को पुणेकर कहा जाता है।

पुणे क्षेत्र का पहला उल्लेख राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा जारी 758 और 768 ई. के दो ताम्रपत्रों में मिलता है जिन्हें क्रमशः "पुण्य विषय” और "पुनका विषय" कहा जाता है। ताम्रपत्रों में पुणे के आसपास के क्षेत्रों जैसे थेउर, उरुली, चोराची, अलंदी, कलास, खेड़, दापोडी, बोपखेल और भोसारी का उल्लेख है। पातालेश्वर रॉक-कट गुफा मंदिर परिसर का निर्माण इसी दौरान किया गया था। 2003 में शहर के कस्बा पेठ क्षेत्र में सातवाहन काल की कलाकृतियों की एक आकस्मिक खोज ने इस क्षेत्र में बसे हुए जीवन की उत्पत्ति को पहली सहस्राब्दी के शुरुआती भाग में स्थापित कर दिया है।[1]

पुणे 9वीं सदी से देवगिरी के यादव साम्राज्य का हिस्सा था। इस समय के दौरान, इसे "पुनेकावाड़ी" और "पुनेवाडी" कहा जाता था। खिलजी वंश ने 1317 ई. में यादवों को हराकर अपना शासन स्थापित किया। इससे पुणे पर तीन सौ वर्षों का इस्लामी नियंत्रण शुरू हुआ। खिलजी वंश के बाद तुगलक, एक अन्य दिल्ली सल्तनत राजवंश आया। तुगलक के दक्कन के एक गवर्नर ने विद्रोह किया और स्वतंत्र बहमनी सल्तनत का निर्माण किया। बहमनियों और उनके उत्तराधिकारी राज्यों ने 1400 और 1600 ई. के प्रारंभ के बीच पुणे क्षेत्र पर शासन किया, जिन्हें सामूहिक रूप से दक्कन सल्तनत कहा जाता है। इस्लामी युग के दौरान, शहर को "कसाबे पुणे" कहा जाता था। 1300 के दशक की शुरुआत में खिलजी या तुगलक के कमांडर बैरिया अरब द्वारा शहर के चारों ओर एक रक्षात्मक दीवार बनाई गई थी। पारंपरिक विवरण बताते हैं कि पुनेश्वर और नारायणेश्वर के मंदिरों को क्रमशः छोटे सल्लाह और बड़े सल्लाह के सूफी मंदिरों में बदल दिया गया। माना जाता है कि हिंदू संत, नामदेव (1270-1350) ने केदारेश्वर मंदिर का दौरा किया था। बंगाली संत, चैतन्य महाप्रभु ने निज़ामशाही शासन के दौरान इस स्थान का दौरा किया था। बहमनी और प्रारंभिक निज़ामशाही के तहत, 15वीं शताब्दी के अंत में पुणे, संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा का केंद्र बन गया। पुणे पहली बार 1600 ई. के दशक की शुरुआत में मराठा नियंत्रण में आया।[1]

पुणे, शिवाजी महाराज के जीवन व मराठा साम्राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है। ऐतिहासिक तौर पर सत्रहवीं शताब्दी में इस शहर के प्रमुख केंद्र बिंदु मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। शिवाजी का जन्म पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन भी यहीं बिताया था। इस महल का निर्माण शिवाजी के पिता शाहजी ने करवाया था। हालांकि, अधिकांश शताब्दी के दौरान नियंत्रण भोंसले परिवार, आदिल शाही राजवंश और मुगलों के बीच स्थानांतरित होता रहा। 1700 के दशक की शुरुआत में पुणे और इसके आसपास के क्षेत्रों को नवनियुक्त मराठा पेशवा, बालाजी विश्वनाथ को दे दिया गया था। 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके प्रपोत्र बाजीराव द्वितीय को हरा कर कम्पनी के शासन की शुरुआत की।

मराठी भाषा इस शहर की मुख्य भाषा है। हिंदी यहां की सम्पर्क भाषा है। हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं की लिपि देवनागरी है। लिपि के कारण भाषिक स्तर पर दोनों भाषाओं के बीच कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई।[3] देश के विभिन्न प्रांतों से यहां उच्च शिक्षा, रोजगार अथवा पर्यटन के लिए आने वाले लोगों के बोलचाल की प्रमुख भाषा हिंदी है। दक्षिण भारत में और विशेष रूप से पुणे में हिंदी ने विकास की लम्बी यात्रा तय की है। मुस्लिम शासकों के साथ दिल्ली के आस-पास की खड़ी बोली सैनिकों और अन्य उत्तर भारतवासियों के साथ दक्षिण भारत में पहुंची। अरबी-फारसी मिश्रित खड़ी बोली जिसे उर्दू कहा जाता था, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विचारों और भावों के आदान-प्रदान का माध्यम बन गई थी। यही भाषा बाद में दक्खिनी हिंदी भाषा के रूप में स्थापित हुई। यहां के बहमनी, आदिलशाही, कुतुबशाही, मुगल शासकों के समय यह बोलचाल का माध्यम रही।[2]

17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठे प्रमुख हो गए, जिन्होंने आदिल शाही वंश के खिलाफ विद्रोह किया और अपनी राजधानी के रूप में रायगढ़ के साथ एक हिंदवी स्वराज्य का निर्माण किया। तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा और भूमि आधारित किलेबंदी करना मराठों की रक्षात्मक रणनीति और क्षेत्रीय सैन्य इतिहास के महत्वपूर्ण पहलू थे। मराठे अपनी गतिशीलता के लिए जाने जाते थे और मुगल-मराठा युद्धों के दौरान अपने क्षेत्र को मजबूत करने में सक्षम थे और जिसके परिणामस्वरूप मराठा साम्राज्य बाद में पूरे भारत में फैल गया। मराठा कुशल प्रशासक थे। मराठा साम्राज्य का संचालन आठ मंत्रियों की एक परिषद करती थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इस व्यवस्था का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। मंत्रिस्तरीय पदनाम संस्कृत भाषा से लिए गए थे और इसमें निम्नलिखित पदनाम शामिल थे: पंतप्रधान या पेशवा - प्रधान मंत्री, साम्राज्य का सामान्य प्रशासक

1. अमात्य या मजूमदार- वित्त मंत्री, साम्राज्य के खातों का प्रबंधन करना
2. सचिव- सचिव, शाही आदेश तैयार करना
3. मंत्री- आंतरिक मंत्री, आंतरिक मामलों विशेषकर खुफिया और जासूसी का प्रबंधन करना
4. सेनापति- कमांडर-इन-चीफ, साम्राज्य की सेनाओं और रक्षा का प्रबंधन करना
5. सुमंत- विदेश मंत्री, अन्य संप्रभुओं के साथ संबंधों का प्रबंधन करना
6. न्यायाध्यक्ष- मुख्य न्यायाधीश, दीवानी और फौजदारी मामलों पर न्याय प्रदान करना
7. पंडितराव- उच्च पुजारी, आंतरिक धार्मिक मामलों का प्रबंधन करना
8. "चिटणीस"- छत्रपति के निजी सचिव एवं वरिष्ठ लेखक। कभी-कभी अष्ट प्रधान मंडल में पेशवा की अनुपस्थिति में उन्हें दूसरे नंबर पर नहीं बल्कि उनके बराबर माना जाता है।[1]

मराठा और ब्रिटिश फौज के बीच ग्वालियर संधि के बाद सन 1818 में ब्रिटिश इंडिया कम्पनी का शासन आरम्भ हुआ। सन 1858 में क्वीन विक्टोरिया द्वारा जारी उद्घोषणा द्वारा पुणे के साथ बॉम्बे प्रेजीडेंसी और सम्पूर्ण ब्रिटिश इंडिया पर ब्रिटेन की महारानी का शासन हो गया। इसी वर्ष पुणे महानगरपालिका की स्थापना हुई। ब्रिटिश ने पुणे के महत्व को समझते हुए शहर के पूर्व में खड़की सैन्य छावनी की स्थापना की। पुणे शहर के सुहावने मौसम की बदौलत बॉम्बे के गवर्नर ने इसे अपनी मॉनसून राजधानी बनाया। इस दौरान यह एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण शहर था। ब्रिटिशकाल में पुराने शहर की अधिकतर आबादी मराठी भाषी हिंदु थी। अन्य महत्त्वपूर्ण अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी, गुजराती और मारवाड़ी थे। सन 1858 में ही पुणे में रेलवे लाइन पहुंची। पुणे-मिरज रेलवे लाइन के बनने से यह शहर एक महत्त्वपूर्ण रेलवे जंक्शन बन गया। बॉम्बे-पुणे रेलवे लाइन का विद्युतिकरण सन 1920 में हुआ। इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय तीन घंटे रह गया। लोगों का व्यापार बढ़ा।

सन 1820 में कम्पनी सरकार ने यहां संस्कृत में शिक्षा देने के लिए एक हिंदु कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज का नाम बाद के वर्षों में पूना कॉलेज रखा गया जो अब डेक्कन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इस काल में पुणे में अनेक स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की गई। अंग्रेजी शासन में लड़कियों और अछूत वर्ग के बच्चों के लिए भी स्कूल खोले गए। इस श्रेष्ठ कार्य का श्रेय महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी श्रीमती सावित्री बाई फुले के संस्कारों को जाता है। उन्होंने 1848 में पुणे में पहले कन्या विद्यालय की शुरुआत की।

पुणे शहर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के साथ-साथ राष्ट्रवादी आंदोलन का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र था। उस दौरान पुणे में पूना सार्वजनिक सभा, प्रार्थना समाज, आर्य महिला समाज और सत्य शोधक समाज आदि प्रसिद्ध सिविल सोसाइटी सक्रिय थीं। यह शहर सामाजिक सुधारों का भी केंद्र रहा, जिनका नेतृत्व महात्मा ज्योतिराव फूले, जस्टिस रानाडे, नारीवादी ताराबाई शिंडे, ढोंडो केशव करवे, विठ्ठल रामजी शिंडे और पंडिता रमाबाई कर रहे थे। महात्मा गांधी कई बार पुणे की यरवडा जेल गए। अछूत वर्गों के लिए आरक्षित सीटों पर डॉ. भीम राव अम्बेडकर और गांधीजी के बीच ऐतिहासिक पूना-पैक्ट, 1932 में पूना में ही हुआ था।[1]

काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर भारत के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री, पत्रकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। काकासाहेब कालेलकर ने गुजराती और हिंदी में साहित्य रचना की। उन्होंने हिंदी की महान सेवा की। उनके द्वारा रचित जीवन–व्यवस्था नामक निबंध–संग्रह के लिए उन्हें सन् 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिन नेताओं ने राष्ट्रभाषा प्रचार के कार्य में विशेष दिलचस्पी ली और अपना समय अधिकतर इसी काम को दिया, उनमें प्रमुख काकासाहब कालेलकर का नाम आता है। उन्होंने राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत माना। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अधिवेशन में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, “हमारा राष्ट्रभाषा प्रचार एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है”।[4] उन्होंने पहले स्वयं हिंदी सीखी और फिर कई वर्ष तक दक्षिण में सम्मेलन की ओर से प्रचार-कार्य किया।

मराठी भाषी प्रदेश में राष्ट्रभाषा का प्रचार करने हेतु गांधी जी की प्रेरणा से पूना में महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा की स्थापना हुई। आचार्य काकासाहब कालेलकर की अध्यक्षता में 22 मई 1937 को पूना में महाराष्ट्र के रचनात्मक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक और सांस्कृतिक नेताओं आदि का सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें महाराष्ट्र हिंदी प्रचार समिति के नाम से एक संगठन बनाया गया। आठ साल तक यह समिति, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा से संबद्ध रही। भाषा विषयक सिद्धांत के मतभेद के कारण इस संगठन ने सम्मेलन तथा वर्धा समिति से संबंध तोड़ दिया। 12 अक्टूबर 1945 को महाराष्ट्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का निश्चय किया गया। संस्था अब "महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा"[5] के नाम से काम करने लगी। सभा का केंद्रीय कार्यालय पूना में तथा विभागीय कार्यालय मुंबई, नागपुर और औरंगाबाद में हैं।

पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन में सभा के निम्नांकित उद्देश्य हैं:-

(1) मराठी भाषा-भाषी छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार हिंदी पाठ्य पुस्तकें तैयार करना

(2) हिंदी और मराठी साहित्यों के बीच आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए अनूदित पुस्तकों का प्रकाशन

(3) मराठी भाषा-भाषियों को हिंदी में लिखने के लिए प्रोत्साहित करना

(4) हिंदी और मराठी भाषा तथा साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना।

इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सभा ने लगभग डेढ़ सौ पुस्तकें प्रकाशित की हैं तथा दो हिंदी मासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन जारी रखा है। "राष्ट्रवाणी” श्रेष्ठ साहित्यिक स्तर की पत्रिका है जो पिछले 20 वर्षों से प्रकाशित की जाती रही है। "हमारी बात” में राष्ट्रभाषा प्रचार संबंधी जानकारी दी जाती है। भारत सरकार के अनुदान से बृहत् हिंदी शब्दकोश प्रकाशित किया गया। हिंदी ग्रंथालय और वाचनालय राष्ट्रभाषा प्रचार की एक अनिवार्य आवश्यकता है। इस योजना के अंतर्गत पूना में केंद्रीय राष्ट्रभाषा ग्रंथालय चलाने के अतिरिक्त विभाग, जिला तथा नगर आदि विभिन्न स्तरों पर भी ग्रंथालय चलाए जाते हैं।

“स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है” का बिगुल फूंकने वाले बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि राष्ट्र के संगठन के लिए किसी जाति को निकट से जानने के लिए हिंदी भाषा की ही जरुरत है। 1894 मे लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक गणेशोत्सव शुरु किया। देश-प्रदेश से लोग इस उत्सव में भाग लेने पुणे आते हैं।

जगह-जगह छोटे- बड़े गणेश मंडल के मंडपों को सजाया जाता है। इस उत्सव के दौरान महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामण्डल पुणे उत्सव नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराता है, जिसमे संगीत, नृत्य, मैफिली, नाटक और खेल समाविष्ट होते हैं। दस दिवस चलने वाला यह उत्सव गणेश विसर्जन के साथ समाप्त होता है। अनन्त चतुर्दशी के सुबह शुरु होने वाला विसर्जन अगले दिन तक चलता रहता है।[6]

1970 में शहर के मंगलवार पेठ क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी स्टेडियम का निर्माण किया गया। यहां कुश्ती और अन्य पारम्परिक भारतीय खेलों का आयोजन किया जाता है। 1994 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पुणे में किया गया था। इन खेलों के आयोजन के लिए एक नया स्टेडियम बालेवाडी, पुणे में बनाया गया, जिसे श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अर्थात नेशनल डिफेंस अकेडमी, खड़कवासला, पुणे में स्थित है। यह एक प्रतिष्ठित सैन्य अकादमी है जो न केवल भारत के प्रत्येक कोने से बल्कि मित्र राष्ट्रों से भी बेहतरीन युवाओं को आकर्षित करती है। अपने गौरवशाली अस्तित्व के सात दशकों में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ने भव्यता और वैभव दोनों में लगातार वृद्धि की है। स्कूल पास करने वाले देश के लगभग प्रत्येक छात्र का लक्ष्य एनडीए में जाना और देश की सर्वोत्तम सेवा करना होता है। अब छात्राऐं भी एनडीए में प्रवेश पा सकती हैं।[7]

पुणे की पहचान यहां स्थित रजनीश ओशो के आश्रम से भी है। रजनीश ओशो का असली नाम चंद्र मोहन जैन था। उन्हें क्रमशः भगवान श्री रजनीश, ओशो रजनीश, या केवल रजनीश के नाम से जाना जाता है। वे एक भारतीय दार्शनिक, विचारक, धर्मगुरु और रजनीश आंदोलन के प्रणेता-नेता थे। अपने संपूर्ण जीवनकाल में आचार्य रजनीश को एक विवादास्पद रहस्यदर्शी, गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में देखा गया।[8]

पुणे स्थित, प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रधान अनुसंधान एवं विकास संस्था है, जो सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करती है। सी-डैक के विभिन्न क्षेत्रों का विकास अलग-अलग समय में हुआ है, जिनमें से कई क्षेत्र, तत्कालीन माँग के परिणामस्वरूप उभर कर सामने आए हैं। सी-डैक की स्थापना वर्ष 1988 में अमेरिका द्वारा सुपर कंप्यूटर निर्यात करने से इंकार करने के फलस्वरूप, सुपर कंप्यूटर के निर्माण हेतु की गई थी। तब से लेकर आज तक सी-डैक ने 1988 में "परम" कंप्यूटर के निर्माण के बाद इसके कई उन्नत संस्करणों का निर्माण किया। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय और सी-डैक के संयुक्त प्रयास से अनेक महत्त्वपूर्ण ई-टूल्स विकसित किए गए हैं। इनमें हिंदी प्रशिक्षण के लिए लीला हिंदी प्रवाह, ई- शब्दकोश, हिंदी स्वयं शिक्षण हेतु लीला- प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ तथा अनुवाद सॉफ्टवेयर- कंठस्थ और कंठस्थ-2.0 आदि शामिल हैं।[9]

सारांश यही है कि पुणे भविष्य का महानगर है जो दिन दौगुनी रात चौगुनी प्रगति पथ पर अग्रसर है। एक मराठी भाषी शहर में हिंदी का अपना एक विशेष स्थान है। पुणे के गौरवशाली इतिहास, शैक्षणिक व सांस्कृतिक परम्परा और प्राकृतिक सौंदर्य के आलोक में इस शहर में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में हिंदी दिवस और तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन दिनांक 14 और 15 सितम्बर, 2023 को आयोजित किया जा रहा है।

सहायक ग्रंथ सूची:-

1. विकिपीडिया – पुणे
2. राजभाषा भारती, अंक १५०, जनवरी-मार्च, २०१७, हिंदी भाषा के नामकरण में है एकता का भाव, प्रो रामकिशोर
3. राजभाषा भारती, अंक १५०, जनवरी-मार्च, २०१७, सरल हिंदी और राष्ट्रीय एकता, डॉ कृपाशंकर सिंह
4. विकिपीडिया - दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर
5. विकिपीडिया - महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा
6. राजभाषा भारती, अंक १५०, जनवरी-मार्च, २०१७, हिंदी भाषा का इतिहास पुराना व समृद्ध है, श्री अनंत कुमार सिंह
7. वेबसाइट - एनडीए
8. विकिपीडिया - ओशो
9. वेबसाइट- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

-वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,
राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय

भारत के विकास एवं वसुधैव कुटुम्बकम का आधार है हिंदी

- एन. अव्हाडकर

हिंदी का महत्व और गौरव :-

भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। भारत विविधताओं का देश हैं। अनेकता में एकता भारत की पहचान है। देश की एकता और अखण्डता को बनाये रखने में हिंदी का अहम योगदान है। सच्चे अर्थो में यदि कहे तो हिंदी हमारी संस्कृति, आदर्श, संस्कारों और हमारे जीवन मुल्यों की सच्ची परिचायक और संवाहक भी है। हिंदी बहुत ही सरल–सहज मधुर भाषा है। यह एक वैज्ञानिक भाषा है। हमारे देश भारत में अनेक धर्म, जाति सम्प्रदाय के लोग रह्ते हैं सभी के अपने–अपने, अलग–अलग परिधान, भाषा-बोलियां, रंग, रूप, पूजा पद्धतियां हैं। आज हम भारतीय गर्व के साथ यह कह सकते हैं कि, जिस प्रकार हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा एक कपड़े का टुकडा मात्र नहीं है, यह एक सौ चालीस करोड़, भारतीयों की आत्मा का प्रतीक है। यह हमें जान से भी ज्यादा प्यारा है। यह हमारी आन, बान और शान है। इसके लिए हर भारतीय अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहता हैं। इसी प्रकार हमारा राष्ट्रगीत जन–गण-मन शब्दों का समंजन मात्र नहीं है। यह एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों के ह्रदय की गूंज है। इसी प्रकार ही हमारी हिंदी की महत्ता भी हम भारतीयों के अस्तित्व से कदापि कम नहीं है। हिंदी हम भारतीयों की पहचान है।

हम भारतीयों के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि आज हिंदी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषाओं में तीसरी सबसे बडी भाषा है। हिंदी का वृहद शब्दकोश है। इस हिंदी भाषा में भारत की अनेक भाषाएं समाहित हैं। हिंदी सर्वाधिक प्रभावशाली समर्थ एवं समृद्ध भाषा है। हिंदी एक सागर की तरह है जैसे सागर में सभी नदियों का समावेश होता है वैसे ही हिंदी में भी देश की सभी भाषाओं-बोलियो का समावेश है। हिंदी ने इन सभी भाषाओं बोलियों का सम्मान किया है। हिंदी इतनी समृद्ध भाषा है कि हमारी इस भाषा से विश्व की अनेक भाषाओं ने शब्द लिए हैं। जैसे अंग्रेजी ने हिंदी के योग से योगा, बांगडी शब्द से बेंगल्स, बंगला से बंगलो आदि–आदि अनेक भाषाओं से शब्द लिए है।

भारत के विकास में हिंदी का योगदान :-

हिंदी भाषा के कारण ही आज देश ही क्या, विश्व के अनेक देश भारत से अपनी कला, संस्कृति, तकनीक, उद्योग, चिकित्सा, आदि में जुड़ चुके हैं, कई देश जुड रहे हैं। आज विश्व के अनेक देशों में हिंदी भाषा को बोलने वाले, जानने वाले, समझने वाले, चाहने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। विश्व का हर देश आज भारत से जुडने के लिए आतुर है। हमारे पूर्व लोकप्रिय प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी बाजपेयी जी ने विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना ऐतिहासिक भाषण जब हिंदी में दिया तो पुरा विश्व स्तब्ध रह गया था। उस समय पूरे विश्व में अटल जी की बहुत प्रशंसा हुई थी। यह हम भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है।

हमारे यशस्वी, कर्मठ, भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व मे लोकप्रिय, सम्मानित, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आज विश्व के किसी भी देश में अपनी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उस देश में अपना सम्बोधन अपनी मातृभाषा हिंदी में करते हैं। मां भारती का मान बढाते हैं। आज विश्व में भारत का सम्मान बढ रहा है। आज विश्व का हर देश भारत के साथ अपना व्यापार, तकनीक साझा करने के लिए तैयार है, यह हम सभी भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। आज वैश्वीकरण के इस युग में पुरा विश्व एक हो चुका है। सभी

देश तकनीक, चिकित्सा, व्यापार सभी क्षेत्रों से जुड रहे हैं। यह बात शत-प्रतिशत सच है कि भारत चिरकाल से कला, विज्ञान आदि क्षेत्रो में सम्पन्न होने के कारण विदेशियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। भारत के हिंदी सिनेमा, कला, साहित्य की लोकप्रियता से पूरा विश्व परिचित है। आज हमारे भारतीय विश्व की बडी–बडी कम्पनियों का प्रतिनिधित्व कर देश का गौरव बढा रहे हैं। विश्व के अनेक देशों के विश्व विद्यालयों में हिंदी अध्ययन, अध्यापन की श्रेष्ठ सुविधा है। हमारा देश भारत हमारे खोए हुए गौरव को पुन: प्राप्त करने की दिशा में बहुत तीव्र गति से आगे बढ रहा है। जल-थल-नभ सभी क्षेत्रों में अपनी प्रगति के, विकास के परचम को फहरा रहा है। रोज नये कीर्तिमान गढ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के विकास में हिंदी का विशेष योगदान है। आज हम सभी जानते हैं कि भारत विश्व की 5 वी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आज विश्व के अनेक देश हिंदी का सम्मान कर रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते है :-

हिंदी को बनाओ अपने जीवन का आधार।
भारत का विश्व गुरू बनने का सपना करो साकार।

वसुधैव कुटुम्बकम का आधार हिंदी:-

हमारे गौरवशाली देश भारत में आदि काल से ही पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में मानने की संस्कृति रही है। इतिहास गवाह है कि भारत की कभी भी विस्तारवादी नीति नहीं रही है। हमारा देश आज आजादी के 75 वें वर्ष को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। हमारा देश भारत जी.-20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसका विषय भी- "वसुधैव कुटुम्बकम" रखा गया है। यह मूल संस्कार, विचार धारा महा उपनिषद सहित कई ग्रंथों में लिपिबद्ध है। इसका अर्थ है पूरा विश्व एक परिवार है। आज यह बहुत प्रासंगिक है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज की प्रथम सबसे महत्वपूर्ण कड़ी परिवार है। "वसुधैव कुटुम्बकम" की इस विचारधारा को हिंदी के कारण ही आज एक मूर्त रूप दिया जा रहा है। क्यों कि पूरे विश्व में आज हिंदी बोलने, समझने वाले लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर तीव्रगति से वृद्धि हो रही है। यह "वसुधैव कुटुम्बकम" विचारधारा का आधार बन रहा है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि–

हिंदी तुम्ही आशा, विश्वास और अभिलाषा हो।
विश्व को एक सुत्र में बांधने वाली भाषा हो।

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि हिंदी ही भारत के विकास एवं वसुधैव कुटुम्बकम का आधार हैं।

हिंदी की महिमा

हिंदी तुम ही मन की भाषा हो, जन की भाषा हो।
जन –जन की लाडली, अपनेपन की आशा हो।
तुम ही आन, बान, शान हमारी, तुम्ही हमारी पहचान हो।
विशाल शब्द सागर तुम्हारा, सब भाषाओं में फूंकती प्राण हो।
सरल, सहज मधु शब्द तुम्हारे, करती दिलो पर राज हो।
मिटा अज्ञान अंधेरे, देती ज्ञान प्रकाश हो।
तुम ही मां की प्यारी थपकी और पिता का दुलार हो।
तुम्ही अनुराग, प्रीत और प्रेयसी का प्यार हो।
तुम्ही वीरों का धीर और दुश्मनों के लिए ललकार हो।
तुम्ही ऊंचा हिमालय और सागर सा गहरा प्यार हो।
तुम्ही बसंत की बहार और सावन की शीतल फुहार हो।
तुम्ही आशा हो, विश्वास हो।
तुम्ही भारत की एकता और विकास का आधार हो।
यदि जन्म हो दोबारा मेरा, तो भाषा हिंदी और देश हिंदुस्तान हो।
हिंदी तुम ही मन की भाषा हो, जन की भाषा हो।
जन–जन की लाडली, अपनेपन की आशा हो।

-अनुभाग अधिकारी-11
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर

आदिकाल से आधुनिकता की ओर हिंदी

-प्रीति अग्रवाल

भाषा संचार के वाचिक और लिखित माध्यम के रूप में समाज के भावनात्मक जीवन और संस्कृति को व्यक्त करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। भाषा के बिना किसी भी समाज या समूह की संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। भाषा एवं संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। सारी मानवीय सभ्यताएं भाषा के माध्यम से ही विकसित हुई हैं। विश्व में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भाषा विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक है। यह विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे क्रम पर है। ध्वनि के आधार पर विश्व की सभी भाषाओं को दो वर्गों शतम एवं केंटुम (केटुम्भ) में विभाजित किया गया है। हिंदी शतम शाखा के अंतर्गत आती है। हिंदी वैज्ञानिक भाषा है क्योंकि जैसे लिखी जाती है वैसे ही पढ़ी जाती है। इसका उद्गम संस्कृत, पाली, प्राकृत-अपभ्रंश और क्षेत्रीय भाषाओं के समागम से हुआ है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। जब ईरानी उत्तर पश्चिम से होते हुए भारत आए तब उन्होंने सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू कहा। ईरानी भाषा में 'स' को 'ह' तथा 'ध' को 'द' उच्चारित किया जाता था। इस प्रकार यह सिंधु से हिंदू हुआ तथा हिन्दू से हिन्द बना फिर कालांतर में हिन्द से हिंदी हो गया जिसका अर्थ होता है "हिंद का" यानि हिन्द देश के निवासी। बाद में यह शब्द 'हिंदी की भाषा' के अर्थ में उपयोग होने लगा। हिंदी का अपना व्याकरण है, देवनागरी लिपि है और अति वृहद शब्द कोष है। इसमें जितने वर्ण हैं उतनी ही ध्वनियाँ हैं। हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी वैज्ञानिकता, मौलिकता, सरलता और सुबोधता है। भारत के अलावा हिंदी और उसकी बोलियां विश्व के अन्य देशों में भी बोली पढ़ी व लिखी जाती हैं। विश्व के लगभग 100 देशों में जीवन के विविध क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग होता है। कई देशों में हिंदी के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था भी है। समस्त विश्व में हिंदी भाषी लोगों की बड़ी संख्या मौजूद है। लगभग एक करोड़ बीस लाख भारतीय मूल के लोग विश्व के 132 देशो में बसे हुए हैं जिनमें अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर और इन्टरनेट के इस अति आधुनिक युग में हिंदी का विकास अपने चरम पर है।

हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव

भाषा की लोकप्रियता और उसका प्रयोग इस बात पर निर्भर करता है कि वह भाषा अपने बोलने वालों की कितनी आवश्यकताओं को पूरा करती है। हमारी भाषा का इतिहास लगभग पांच हजार वर्ष पुराना माना गया है। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव मूलतः संस्कृत से हुआ। सभी भारतीय भाषाओँ की जननी संस्कृत को माना जाता है। प्राचीनकाल से भारत में क्षेत्र के अनुसार मुख्य रूप से द्रविड़ भाषा तथा आर्यभाषा बोली जाती रही हैं, जिनमें द्रविड़ भाषा दक्षिण में तथा आर्यभाषा उत्तर में प्रचलित रही है। उसी आर्यभाषा का एक आधुनिक रूप है हिंदी। आइए इसके विकास क्रम की विस्तार से चर्चा करें।

भारतीय आर्य भाषाओं को उनके विकास के आधार पर तीन कालों में विभाजित किया गया है –

1. प्राचीन भारतीय आर्यभाषा
2. मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा
3. आधुनिक भारतीय आर्यभाषा

प्राचीन भारतीय आर्यभाषा

इस काल को भाषा का आरंभिक चरण माना गया है। इस काल में संस्कृत भाषा के दो रूपों, वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत का प्रचलन था। इस काल में वेदों की रचना हुई। उनके प्रयोग के आधार पर इस काल को भी निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा गया है –

1. वैदिक संस्कृत काल (1500ई. पू.-1000 ई.पू.) – इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी।
2. लौकिक संस्कृत काल (1000 ई.पू.-500 ई.पू.) – इस काल में अथर्ववेद, पुराण, उपनिषदों तथा विभिन्न ग्रंथों की रचना हुई।

मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा

भारत विविधताओं का देश है यहाँ कोस कोस पर भाषा और बोलियां बदलती रहती हैं पर सभी का मूल संस्कृत ही है। क्षेत्र परिवेश के अनुसार भाषा/बोली में धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। इस काल में संस्कृत के कई रूप देखने को मिले।

इस काल को भी तीन वर्गों में बांटा गया है जिसकी अलग अलग भाषाएं थी –

1. प्रथम प्राकृत काल **(500ई.पू. –1ई.)** – इस काल में पाली या मागधी भाषा का प्रयोग प्रचलन में आया। इसको बौद्ध त्रिपिटक की भाषा के रूप में भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में ही हैं।
2. द्वितीय प्राकृत काल: प्राकृत (1ई .-500ई.) - इस काल में सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में संस्कृत भाषा के भिन्न रूप, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। भगवान महावीर के सारे उपदेश एवं सभी जैन साहित्य प्राकृत भाषा में हैं।
3. तृतीय प्राकृत काल : (अपभ्रंश 500ई. -1000 ई.) एवं (अवहट्ट 900 ई.-1100 ई.) - इस काल में प्राकृत भाषा का नवीन रूप, अपभ्रंश एवं अवहट्ट भाषा का प्रयोग किया जाता था।

- अपभ्रंश (500 ई.-1000 ई.)–इस काल में बोलचाल की भाषा अपभ्रंश थी। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में 'संस्कृत के शब्दों से विलग भ्रष्ट अथवा देशी शब्दों एवं अशुद्ध भाषायी प्रयोगों' को अपभ्रंश कहा है जो बाद में साहित्यिक भाषा बनी। डॉ सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार उस समय प्रचलित हर बोली या भाषा का एक अपभ्रंश रहा होगा, जैसे मागधी के बाद मागधी अपभ्रंश, शौरसेनी के बाद शौरसेनी अपभ्रंश।
- अवहट्ट (900 ई.-1100 ई.)- अवहट्ट को अपभ्रंश का परिवर्तित रूप माना जाता है। अपभ्रंश के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों का भी विकास हो रहा था और फिर उन बोलियों में भी साहित्य लिखा जाने लगा। अपभ्रंश और विभिन्न प्रदेशों की विकसित बोलियों के बीच जो अपभ्रंश का रूप था उसे ही **अवहट्ट** कहा गया है।

अपभ्रंश एवं अवहट्ट, मध्यकालीन एव आधुनिक आर्यभाषा के बीच की भाषा है, इसीलिए इन्हें संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है।

आधुनिक भारतीय आर्यभाषा

भाषा ने अपनी विकास यात्रा को आगे बढाते हुए धीरे धीरे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश/अवहट्ट से हिंदी भाषा का रूप ले लिया। हिंदी आधुनिक आर्यभाषा है जिसकी उत्पत्ति मूल रूप से शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। प्राचीन हिंदी पर प्राकृत और अपभ्रंश का प्रभाव दिखाई देता है। इस अवधि में हिंदी के अनेक रूप जैसे 'डिंगल', 'पिंगल' हिंदी भी विकसित हुए।

आधुनिक भारतीय आर्यभाषा हिंदी को कालानुसार तीन भागों में बांटा गया है-

1. प्राचीन या आदिकालीन हिंदी – (1100 ई.-1500 ई.)
2. मध्यकालीन हिंदी – (1500 ई.-1800 ई.)
3. आधुनिक हिंदी -(1800 ई.– वर्तमान)

हिंदी का इतिहास

हिंदी भाषा के विकास का लंबा इतिहास है जो लगभग एक हजार वर्ष पुराना माना जाता है।

हिंदी साहित्य ने अपनी शुरुआत लोकभाषा कविता के माध्यम से की, बाद में गद्य का विकास हुआ। मध्ययुगीन भारत के अवधी, मागधी, अर्धमागधी तथा मारवाड़ी जैसी भाषाओं के साहित्य को हिंदी का आरम्भिक साहित्य माना जाता है। हिंदी में तीन प्रकार का साहित्य मिलता है- गद्य, पद्य और चम्पू। जो गद्य और पद्य दोनों में हो उसे चम्पू कहते है।

हिंदी भाषा के विकास को तीन चरणों में विभक्त किया जा सकता है-

1. प्राचीन या आदिकालीन हिंदी (1000 ई.-1500 ई.)
2. मध्यकालीन हिंदी (1500 ई.- 1800 ई.)
3. आधुनिक हिंदी (1800 ई. से अभी तक)

1. प्राचीन या आदिकालीन हिंदी

यह काल हिंदी भाषा का शिशुकाल था। इस समय तक हिंदी की बोलियों के स्पष्ट रूप विकसित नहीं हो पाए थे और अपभ्रंश-अवहट्ट का प्रभाव हिंदी भाषा पर बना हुआ था। आगामी 500 वर्षों में इसी प्राचीन हिंदी से विकसित अनेक रूप सामने आए। हिंदी के प्राचीन रूप के विकास में आदिकालीन रासो साहित्य

का महत्वपूर्ण योगदान है। वीसलदेव रासो की भाषा डिंगल एवं पिंगल शैली की थी। डिंगल शैली का संबंध चारण कवियों द्वारा लिखित पश्चिमी राजस्थानी साहित्य से है। पिंगल शैली भाट जातियों द्वारा लिखा गया पूर्वी राजस्थानी साहित्यिक रूप है जिसमें ब्रजभाषा का बहुत प्रभाव दिखाई देता है। "पृथ्वीराज रासो" में हिंदी, राजस्थानी मिश्रित हिंदी, ब्रजभाषा और कहीं अपभ्रंश का रूप मिलता है जिसे पिंगल का एक रूप माना गया । इस काल में जनसामान्य के बीच प्रचलित हिंदी का एक तीसरा रूप भी था जिसे 'हिंदवी' कहा गया। खुसरो का साहित्य हिंदवी में ही है। आदिकालीन हिंदी भाषा के विकास में विभिन्न धर्मों जैसे जैन, बौध, नाथ, सिद्ध आदि के साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है। जैन साहित्य की भाषा अपभ्रंश से प्रभावित थी। वहीं बौद्ध और सिद्धों की कविताओं की भाषा में पश्चिमी एवं पूर्वी अपभ्रंश के शब्दों का मिला-जुला रूप है। नाथ पंथियों के साहित्य में प्राचीन पश्चिमी हिंदी की बोलियों का मिश्रित रूप है।

2. मध्यकालीन हिंदी

मध्यकालीन हिंदी का समय 1500 ई. से 1800 ई. तक (लगभग 300 वर्ष) माना जाता है। इस समय तक हिंदी का स्वरूप स्थिर होने लगा था । इस समय हिंदी की बोलियाँ स्वतंत्र रूप से साहित्य के क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगी थीं। इस काल में अधिकांश संत, सूफी और भक्त कवियों ने अवधी और ब्रजभाषा को अपने साहित्य की भाषा बनाया। भक्तिकाल के कवियों ने अवधी और ब्रजभाषा को अपनी काव्य भाषा बनाया और उसका परिमार्जन, परिष्कार और विकास भी किया।

रीतिकाल के कवियों ने ब्रजभाषा को अपनी काव्यभाषा बनाकर उसे कलात्मक रूप दिया। 18वीं शताब्दी में खड़ी बोली के विकास को एक नई दिशा मिली।

3. आधुनिक हिंदी

हिंदी का आधुनिक काल हिंदी भाषा का ही नहीं, हिंदी साहित्य का भी आधुनिक काल है। यह पिछली दो सदियों में विकास के अनेक पड़ावों से गुज़रा है। इस काल में हिंदी लगभग पूरी तरह विकसित हो गई और हिंदी का स्वरूप पहले के कालों की अपेक्षा अधिक तेजी से बदला। 19वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य में काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा एवं गद्य साहित्य लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। 1920-1925 के आस-पास धीरे-धीरे हिंदी कविता में भी खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों ने इस युग में खड़ी बोली की स्थापना में बहुत मदद की। इसके फलस्वरूप, खड़ी बोली साहित्य की प्रमुख भाषा बन गई जिसे वर्तमान हिंदी भाषा माना जाता है।

इस काल में गद्य तथा पद्य में अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ। जहाँ काव्य में इसे छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और यथार्थवादी युग, वहीं गद्य में इसको, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, रामचंद शुक्ल तथा अद्यतन युग का नाम दिया गया। इस युग में हिंदी गद्य साहित्य की विविध विधाओं के बहुमुखी रूप का विकास हुआ। अद्यतन युग के गद्य साहित्य में अनेक ऐसी साहित्यिक विधाओं का विकास हुआ। जैसे डायरी, यात्रा विवरण, आत्मकथा, रूपक, रेडियो नाटक, पटकथा लेखन, फ़िल्म आलेख इत्यादि।

इस काल में हिंदी का बोल-चाल का रूप था, तो राज दरबारों की भाषा थोड़ी अलग थी। मुद्रण यंत्रों और प्रेस के विकास ने हिंदी को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी से अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद हुआ। महर्षि दयानंद सरस्वती ने हिंदी में धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया। हिंदी पत्र-पत्रिकाओं की भी हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही। हिंदी पत्रकारिता के जन्मदाता माने जाने वाले पं. युगल किशोर ने 30 मई 1826 ई. को कलकत्ता से 'उदंत मार्तंड' नामक पत्र, हिंदी भाषा में प्रकाशित किया। आदिकालीन हिंदी में समय-समय पर परिवर्तन आते गए, कुछ व्याकरणगत् थे तो कुछ ध्वनिगत् और शब्द भंडार की दृष्टि से भी बहुत परिवर्तन आये जो निम्नानुसार हैं :

(I) व्याकरणगत् परिवर्तन

आरम्भ में आदिकालीन हिंदी का व्याकरण अपभ्रंश के अधिक निकट था लेकिन धीरे-धीरे हिंदी के अपने रूप विकसित होते गये। अपभ्रंश काफी हद तक संयोगात्मक भाषा थी वहीं आदिकालीन हिंदी में वियोगात्मक रूप की प्रधानता हो गई। सहायक क्रियाओं तथा परसर्गों (कारक चिन्हों) का प्रयोग अधिक होने लगा। आदिकालीन हिंदी में नपुंसक लिंग का प्रयोग प्रायः समाप्त हो गया। वाक्य रचना में शब्द-क्रम धीरे-धीरे निश्चित होने लगा।

मध्यकालीन समय में हिंदी पहले की तुलना में और वियोगात्मक हो गई। परसर्गों तथा सहायक क्रियायों का प्रयोग पहले की तुलना में बढ़ गया। हिंदी वाक्य रचना में फारसी भाषा का असर दिखने लगा था।

आधुनिक काल तक आते-आते हिंदी की कई बोलियों

(अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली आदि) के व्याकरण का अपना स्वतंत्र अस्तित्व हो गया था। अब हिंदी पूर्णतः वियोगात्मक भाषा हो गई थी।

प्रेस, रेडियो, शिक्षा तथा व्याकरणिक विश्लेषण आदि के प्रभाव से हिंदी व्याकरण का रूप काफी स्थिर हो गया था। हिंदी व्याकरण के मानकीकरण एवं स्थिरीकरण में आचार्यमहावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदी भाषा, अंग्रेजी की वाक्य रचना, मुहावरे तथा लोकोक्ति से काफी प्रभावित होने लगी।

(II) ध्वनिगत् परिवर्तन

अपभ्रंश में आठ मूल स्वर थे- अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ। आदिकालीन हिंदी में दो नए स्वर ऐ, औ विकसित हो गये, जो संयुक्त स्वर थे।

च, छ, ज, झ अपभ्रंश तक स्पर्श व्यंजन थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में स्पर्श-संघर्षी हो गये। न्ह, म्ह, ल्ह पहले संयुक्त व्यंजन थे, जो आदिकालीन हिंदी में मूलव्यंजन (क्रमशः न, म, ल) हो गये।

इसमें दो नये व्यंजन ड़ ढ़ का विकास हुआ। संस्कृत, फारसी आदि से कुछ शब्दों के कारण कुछ नये संयुक्त व्यंजन हिंदी में आ गये। न, र, ल, स अपभ्रंश तक दंत्य ध्वनि थे, आदिकाल में वत्सर्य हो गये।

मध्यकाल में फारसी राजभाषा होने के कारण उच्च वर्ग के लोगों की हिंदी में पाँच नये (क, ख, ग, ज और फ़) व्यंजन आ गये। मूल व्यंजन के शब्दांत का 'अ' लुप्त हो गया, जैसे- राम का उच्चारण राम् होने लगा परन्तु जिन शब्दों में 'अ' के पूर्व संयुक्त व्यंजन था वहाँ 'अ' का लोप नहीं हुआ, जैसे- भक्त। कुछ शब्दों के अक्षरांत 'अ' का भी लोप हो गया, जैसे- 'जपता' का उच्चारण 'जप्ता' होने लगा। कुछ स्थितियों में 'ह' के पहले का 'अ' का 'ए' के रूप में उच्चारण होने लगा, जैसे- अहमद का एहमद।

आधुनिक काल में अंग्रेजी के कारण ऑ ध्वनि का प्रयोग हिंदी में होने लगा, जैसे- कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस आदि)। कुछ नए संयुक्त व्यंजन (जैसे ड्र) का प्रयोग होने लगा। हिंदी भाषा के शब्दांत तथा अक्षरांत से अका लोप हो गया। अब हिंदी का कोई शब्द अकारांत नहीं है।

(III) शब्द भंडार की दृष्टि से परिवर्तन

आदिकालीन हिंदी में अपभ्रंश के बहुत सारे शब्द हिंदी शब्द भंडार से निकल गये। तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक होने लगा।

मध्यकालीन हिंदी में अन्य भाषाओं के लगभग 6000 शब्द शामिल हो गए जिनमें फारसी के लगभग 3500, अरबी के लगभग 2500, तुर्की के लगभग 125 शब्द तथा पश्तो के लगभग 50 शब्द शामिल थे। इसके साथ ही कुछ पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी के शब्द भी आ गये। तत्सम शब्दों का प्रयोग पहले से अधिक होने लगा था।

आधुनिक काल में अंग्रेजी के शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा। तत्सम शब्दों का प्रयोग और अधिक होने लगा। कुछ पुराने तद्भव शब्द बाहर हो गये। कई पुराने शब्द नये अर्थों में प्रयुक्त होने लगे, जैसे- 'सदन' शब्द अब राज्यसभा और लोकसभा के लिए प्रयुक्त हो रहा है। अनेक नए शब्दों ने हिंदी में अपनी जगह बना ली है।

उपसंहार

19वीं सदी में हिंदी राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की संपर्क भाषा बनी। बीसवीं सदी में स्वतंत्रता के साथ ही राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के रूप में इसने मान पाया। भारत सरकार के सहयोग से हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का मानकीकरण किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को सरकारी काम-काज की राजभाषा बनाने तथा विज्ञान, वाणिज्य आदि में प्रयोजनमूलक कार्य करने के कारण इसकी पारिभाषिक शब्दावली में अत्यधिक वृद्धि हुई है और अभी भी हो रही है। इस प्रकार शब्द-संपदा के समृद्ध होने से हिंदी अपनी अभिव्यक्ति में अधिक समर्थ और गहरी होती जा रही है। वर्तमान में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को भी हिंदी भाषा में उपलब्ध करवाने का भागीरथ कार्य चल रहा है। राजभाषा विभाग हिंदी के विकास और उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है।

कम्प्यूटर के आम प्रयोग में आने के साथ साथ हिंदी में कम्प्यूटर से जुड़ी नई विधाओं का भी समावेश हुआ है। किसी विशिष्ट फॉण्ट को सीखे बिना आसानी से हिंदी में कुछ भी टाइप कर सकते हैं यहाँ तक कि हिंदी एवं अन्य भाषाओं में बोलकर टाइप करने की सुविधा भी सर्वसुलभ है। कंप्यूटर साहित्य विश्व के हर कोने से लिखा जा रहा है।

- स्वतंत्र लेखिका एवं अनुवादक

अति सूक्ष्म किंतु बेहद प्रभावी है-नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

-राकेश कुमार

संघ सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन तथा राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने का दायित्व प्रमुख रूप से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का है। देशभर में फैले केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न उपाय किए जाते रहे हैं। इन उपायों में विभिन्न नगरों में स्थित केंद्र सरकार के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों/शासी निकायों आदि के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन करने का प्रावधान भी किया गया है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को बनाने का उद्देश्य, केंद्र सरकार के देश भर में स्थित कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के मार्ग में आई कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक संयुक्त मंच प्रदान करना है। इस मंच पर कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि के वरिष्ठ अधिकारी हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए चर्चा तथा उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों की जानकारी का आदान-प्रदान करके, अपनी-अपनी उपलब्धि के स्तर में सुधार ला सकते हैं।

राजभाषा विभाग के दिनांक 22-11-1976 के का.ज्ञा. सं. 1/14011/12/76-रा.भा.(क-1) के अनुसार, देश के उन सभी नगरों में जहां केंद्रीय सरकार के 10 या 10 से अधिक कार्यालय हों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जा सकता है। समितियों का गठन, राजभाषा विभाग के देशभर में स्थित 08 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सचिव, राजभाषा विभाग की अनुमति से किया जाता है।

इन समितियों की अध्यक्षता नगर विशेष में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि के वरिष्ठतम अधिकारियों में से किसी एक के द्वारा की जाती है। उस नगर में स्थित अन्य कार्यालयों के प्रमुख इस समिति के सदस्य होते हैं। समिति के गठन का प्रस्ताव भेजते समय, प्रस्तावित अध्यक्ष अपनी लिखित सहमति विभाग को भेजते हैं जिस पर सचिव, राजभाषा विभाग के अनुमोदन के पश्चात उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

समिति के सुचारू संचालन के लिए समिति के अध्यक्ष अपने कार्यालय अथवा किसी अन्य सदस्य कार्यालय से एक राजभाषा अधिकारी/अनुवादक अथवा हिंदी विशेषज्ञ को उसकी सहमति से समिति का सदस्य सचिव मनोनीत करते हैं। समिति के कार्यकलाप, अध्यक्ष की अनुमति से, सदस्य सचिव द्वारा किए जाते हैं।

समिति की वर्ष में दो बैठकें आयोजित की जाती हैं। प्रथम बैठक गठन के दो माह के अंदर व दूसरी उसके छः माह पश्चात की जानी अपेक्षित है। समिति की बैठकों के लिए महीनों का निर्धारण राजभाषा विभाग द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार किया जाता है। बैठकों के आयोजन की सूचना नियत तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व राजभाषा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को अवश्य दी जानी होती है ताकि क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय में कार्यरत अधिकारी, बैठकों में राजभाषा विभाग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकें।

समिति की छमाही बैठकों में नगर विशेष में स्थित, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि के कार्यालय प्रमुखों द्वारा स्वयं भाग लेना अपेक्षित हैं क्योंकि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के तहत संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और इस संबंध में समय-समय पर जारी कार्यकारी आदेशों के अनुपालन का उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुख को सौंपा गया है। राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के अधिकारियों को भी इन बैठकों में भाग लेना होता है। इनके अलावा इन बैठकों में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के उस नगर में स्थित कार्यालयों के अधिकारियों तथा नगर स्थित केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की शाखा से किसी एक प्रतिनिधि को भी बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है।

वर्तमान में पूरे देश में कुल 528 नराकास कार्यरत हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान राजभाषा विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बड़े शहरों में केंद्र सरकार के कार्यालयों की बड़ी संख्या को देखते हुए केंद्रीय कार्यालयों, भारत सरकार के उपक्रमों तथा राष्ट्रीकृत बैंकों हेतु अलग-अलग नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की जाएं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सरकारी कामकाज की प्रकृति के अनुसार, केंद्रीय कार्यालय, सरकारी उपक्रम और बैंकों की विषयवस्तु, कार्यशैली और कार्य संस्कृति एक-दूसरे से

बिलकुल भिन्न होती हैं। यह निर्णय लेने के पश्चात, राजभाषा विभाग द्वारा एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। विभाग द्वारा कुछ बड़ी नराकासों में कार्यालयों की अधिक संख्या को देखते हुए उन्हें दो अथवा तीन भागों में बांट दिया गया।

बैठकों के आयोजन हेतु दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि के आधार पर समितियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 10-50 सदस्य कार्यालयों वाली समितियों को 4500/- प्रति बैठक, 51-100 सदस्य कार्यालयों वाली समितियों को 6250/- प्रति बैठक, और 101 या इससे अधिक सदस्य कार्यालयों वाली समितियों को 7500/- प्रति बैठक, व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। समिति की बैठक पर हुए व्यय का एक उपयोग प्रमाण-पत्र (राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में) समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से, राजभाषा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को बैठक के आयोजन के 15 दिन के अंदर भेजा जाना अपेक्षित है।

राजभाषा विभाग के दिनांक 22-04-1991 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12024/01/91-रा.भा. (ख-2) के अनुसार, राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड तथा क्षेत्रीय स्तर पर राजभाषा पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है और उनके सदस्य सचिवों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित किया जाता है।

राजभाषा विभाग के पूर्वानुमोदन से ही,समिति की अध्यक्षता में परिवर्तन किया जा सकता है। अध्यक्षता में परिवर्तन करने संबंधी प्रस्ताव क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के माध्यम से राजभाषा विभाग को प्रेषित किया जाता है। प्रस्तावित नए अध्यक्ष की लिखित सहमति नराकास के गठन के प्रस्ताव के साथ भेजी जानी होती है। नराकास की अध्यक्षता का, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानीय स्तर पर आपकी सहमति से परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से, निश्चित कैलेंडर माह में, वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी और बैठक में सदस्य कर्यालयों के प्रमुख द्वारा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। राजभाषा अधिनियम/नियम और सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और हिंदी के प्रयोग से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा इस बैठक में की जाती है। तिमाही पत्राचार की समीक्षा करते हुए प्रत्येक सदस्य कार्यालयों की हिंदी की पिछली दो तिमाही प्रगति रिपोर्टों की विस्तृत रूप से समीक्षा भी बैठक में की जानी अनिवार्य है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (TOLIC) की बैठकों में विचारार्थ बिंदु :

- नराकास के सभी सदस्य कार्यालयों का सूचना प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण कराना तथा तिमाही प्रगति रिपोर्ट का ऑनलाइन प्रेषण सुनिश्चित कराना।
- प्रत्येक सदस्य कार्यालय के कार्यालय प्रमुख द्वारा ली जाने वाली अन्य विभागीय बैठकों में हिंदी के प्रयोग की प्रगति संबंधी मद को स्थाई रूप से शामिल करना।
- सभी सदस्य कार्यालयों में हिंदी कार्य के निष्पादन और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के निर्धारित मानकों के अनुरूप न्यूनतम हिंदी पदों का सृजन करना तथा रिक्त पदों को तत्काल भरना।
- वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।
- सदस्य कार्यालयों की हिंदी तिमाही/छमाही प्रगति रिपोर्ट की विस्तृत रूप से समीक्षा करना।
- हिंदी प्रशिक्षण की स्थिति की समीक्षा करना तथा प्रशिक्षण हेतु शेष कार्मिकों को तत्काल नामित करना।
- सभी सदस्य कार्यालयों में उपलब्ध सभी कम्प्यूटरों पर हिंदी में यूनिकोड प्रणाली पर मंगल, निर्मला, कोकिला, अपराजिता,उत्साह आदि यूनिकोड समर्थित फोंटस पर कार्य करवाना।
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सी-डैक पुणे और राजभाषा विभाग द्वारा विकसित तथा उपलब्ध कराए गए ई-टूल्स/साफ्टवेयर के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- हिंदी जानने वाले अधिकारियों के साथ हिंदी टंककों/आशुलिपिकों की तैनाती सुनिश्चित करना।
- राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत, 14 दस्तावेजों को अनिवार्यत: द्विभाषी जारी कराना।
- राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करना।
- हिंदी से संबंधित संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं का आयोजन तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यालयों आदि को पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र प्रदान करना।
- सदस्य कार्यालयों को अपने आतंरिक हिंदी पत्र पत्रिकाओं के

प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित करना और श्रेष्ठ पत्रिकाओं को सम्मानित करना।

- नगर में स्थित सभी केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए किए जाने वाले और अधिक उपायों पर विचार करना।
- प्रत्येक नराकास की वेबसाइट द्विभाषी तैयार करके उससे सभी सदस्य कार्यालयों को जोड़ना तथा नराकास की गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराना।
- उपरोक्त के अतिरिक्त, राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अंतर्गत कार्यालय प्रमुख को राजभाषा के प्रयोग के प्रति जवाबदेह बनाना।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को सुदृढ़ करने हेतु उठाए जाने वाले कदम

- नराकासो को मज़बूत और गतिशील बनाने के लिए सबसे पहले क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों को सुदृढ़ करना होगा। वर्तमान में देश में 08 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कार्यरत हैं। इनमें स्टॉफ की स्थिति चिंताजनक है। 08 में से केवल 02 कार्यालयों में उपनिदेशक (कार्यान्वयन) कार्यरत हैं। 06 कार्यालयों में तो केवल एक-एक अधिकारी कार्य कर रहे हैं, इनमें से भी एक अधिकारी दो-दो क्षेत्रीय कार्यालयों का कार्यभार देख रहे हैं। अधिकारियों के अलावा अन्य स्टाफ की भी इन कार्यालयों में बेहद कमी है। ऐसी स्थिति में नराकासों की बैठकों में भाग लेना, हिंदी रिपोर्ट की समीक्षा तथा नई नराकासों का गठन किस प्रकार किया जा सकेगा, यह सोचने का विषय है। राजभाषा विभाग को इस दिशा में तत्काल उपचारात्मक कदम उठाते हुए कार्रवाई करनी चाहिए।
- सामान्यत: अध्यक्षीय कार्यालय द्वारा छ: माह में एक बार बैठक करके बाद में कार्यालयों से कोई संपर्क नहीं रखा जाता। यदि छमाही बैठकें बारी-बारी से अलग-अलग कार्यालयों द्वारा आयोजित करवाई जाएं तो संबंधित कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख और अन्य अधिकारी भी नराकास की गतिविधियों से जुड़ सकेंगे। बेहतर तो यही होगा कि ये बैठकें संबंधित कार्यालयों के परिसर में ही आयोजित की जाएं।
- नराकास की बैठकों में कार्यालय प्रमुखों की उपस्थित सुनिश्चित करना भी अत्यंत आवश्यक है। अक्सर यह शिकायत आती है कि नराकास की बैठकों में सदस्य कार्यालयों के प्रमुख जोकि इसके सदस्य होते हैं, भाग नहीं लेते। वरिष्ठतम अधिकारी के बैठकों में भाग न लेने से बैठक की गंभीरता में कमी आती है और बैठक में ही कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेना संभव नहीं हो पाता। यहां यह बताना भी उचित होगा कि नराकासों को क्षेत्रीय पुरस्कारों का निर्धारण करते समय सबसे अधिक अंक इस बात के लिए दिए जाते हैं कि संबंधित बैठकों में कितने कार्यालय प्रमुखों ने भाग लिया। सभी अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिए कि नराकास के सदस्य,उस कार्यालय के प्रमुख होते हैं, न कि संबंधित राजभाषा अधिकारी।
- प्रत्येक छमाही में अलग-अलग कार्यालयों द्वारा 5-6 प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएं। इसके लिए ऐसा कैलेंडर बनाएं कि प्रत्येक माह कोई ना कोई प्रतियोगिता आयोजित की जा सके। दो बैठकों के बीच छ: माह का अंतराल होता है। इस अंतराल में कार्यालयों को सक्रिय बनाए रखने के लिए प्रत्येक माह कोई ना कोई गतिविधि आयोजित करना अत्यावश्यक है। इससे सभी सदस्य कार्यालय और उनके अधिकारी आपस में जुड़े रहेंगे और राजभाषा के कार्यान्वयन में और अधिक रूचि लेते हुए आपसी समन्वय और गंभीरता को बढ़ाएंगे। अच्छा तो यह होगा कि बारी-बारी से कार्यालयों को इन प्रतियोगिताओं के आयोजन का कार्य सौंपा जाए।

राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य एक सतत प्रक्रिया है। नराकासो का गठन अधिक से अधिक संख्या में करना आवश्यक है किंतु केवल नराकासो की संख्या बढ़ाने से राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य ना तो बढ़ाया जा सकता है, ना ही इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे और ना ही इसकी मॉनीटरिंग की जा सकेगी। प्रत्येक नराकास की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों को पर्याप्त स्टाफ और बजट से सुदृढ़ किया जाए। समय-समय पर राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के अधिकारियों द्वारा भी सभी 08 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों का निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि इन कार्यालयों की गतिविधियों की अद्यतन जानकारी और समस्याओं से राजभाषा विभाग अवगत हो सके।

राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में नराकासों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। क्षेत्रीय सम्मेलन हों या अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, नराकास के माध्यम से इन्हें सफल बनाने का प्रयास किया जाता है। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि नराकास राजभाषा कार्यान्वयन की सबसे सूक्ष्म किंतु अत्यंत प्रभावी इकाई के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।

-निदेशक (राजभाषा),
गृह मंत्रालय

इंटरनेट के युग में बढ़ती हिंदी की वैश्विक धाक

-प्रकाश चन्द्र

हमारी अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढ़ांचा, प्रणाली, उत्साहशील आबादी और मांग हितधारकों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही है। आत्मनिर्भर भारत वैश्विक आपूर्ति में व्यापक योगदान के लिए तैयार हो रहा है। किसी संकट की सभी जरूरतें स्थानीय स्तर पर यानी अपने देश में ही पूरी हों सकें, इसके लिए हर क्षेत्र में तेज गति से काम हो रहा है।

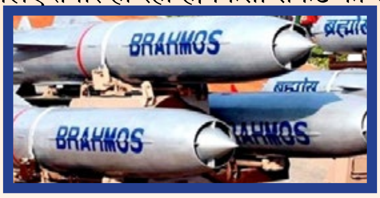

हमारा देश विश्व में सबसे अधिक युवा शक्ति से संपन्न देश है। इक्कीसवीं सदी के भारत निर्माण में ग्लोबल स्किल गैप की मैपिंग की जा रही है, जो युवाओं के कौशल और हुनर को संवारने का निरंतर प्रयास करेगा।

आने वाले समय में सर्वोन्मुखी विकास में भारत के श्रम बल का बहुत बड़ा योगदान रहेगा बहु-संस्कृति, बहु-भाषिकता विविध खानपान और वेशभूषा के संगम से परिपूर्ण इस देश की भौगोलिक सीमाओं का विस्तार अनंत है। इस विशाल परिधि को सिर्फ एक सशक्त माध्यम ने जोड़ा हुआ है और यह माध्यम है हमारी भाषा हिंदी। भाषा के बिना समाज और समूह व इनमें निहित सांस्कृतिक मूल्यों की कल्पना संभव नहीं है । हिंदी वह वाहिका है, जो संस्कृतियों को आपस में जोड़ने का सार्थक प्रयास करती है । हिंदी समृद्ध और सशक्त भाषा तो है ही, भारत जैसे विशाल देश के विभिन्न राज्यों के मध्य आत्मीय संबंध और संवाद का सेतु भी है।

हमारा इतिहास साक्षी है कि एक मुकुट मणि के समान हिंदी भाषा ने अपनी सरलता, सुबोधता और सुगमता से भारत के हर कोने में अपना प्रकाश फैलाया है। इसी के साथ भारतीय संस्कृति के उद्भव और विकास में क्षेत्रीय भाषाओं का अहम योगदान रहा है । यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण, संवर्धन और विकास किया जाए, जिससे भारतीय साहित्य समृद्ध हो सके । इससे भारतीय भाषाओं में आपसी सामंजस्य और सौहार्द भी बढ़ेगा ।

देश में भाषाई एकता एवं राष्ट्रीयता की भावना को पुष्पित-पल्लवित करने के लिए एक-दूसरे के समृद्ध साहित्य को पढ़ना और समझना आवश्यक है, जो अनुवाद के माध्यम से संभव है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय भाषाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं ।

प्रगतिशील लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए हमें भारतीय संघ के कामकाज राजभाषा हिंदी और अन्य सभी राज्यों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने हेतु प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ाना होगा। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में युवाओं को उद्योग संबंधी कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है । इनके बेहतर भविष्य के लिए प्रशिक्षण उन्हीं की भाषाओं में दिये जाने का अवसर बनना चाहिए। अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने से युवाओं में आत्मविश्वास और नयी ऊर्जा का संचार होगा। वे अपनी बात बेहतर और सुगठित तरीके से प्रस्तुत कर पायेंगे।

भारत सरकार ने एक प्रशंसनीय कदम उठाते हुए नयी शिक्षा नीति-2020 में पांचवी कक्षा तक अनिवार्य रूप से मातृभाषा एवं स्थानीय भाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया है । इस शिक्षा नीति में हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के मध्य सौहार्द स्थापित करने का सार्थक प्रयास किया गया है। मातृभाषा या स्थानीय भाषा में दी गयी शिक्षा समाज निर्माण की प्रक्रिया में आधारभूत परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। तकनीकी-परक विषयों से संबंधित सामग्री का सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद हो, जिससे किसी भी छात्र की प्रतिभा की अवनति न हो। देश में *आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, क्लाईमेट सोल्यूशन, हाइटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में* असीम संभावनाएं हैं स्टार्टअप । इंडिया, स्टैंड अप इंडिया,अटल इनोवेशन मिशन, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप जैसे अनेक कार्यक्रमों ने कौशलयुक्त युवा पीढ़ी के निर्माण के नये रास्ते बनाये हैं । जरूरत है तो सिर्फ अपनी भाषाओं के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने की, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ समय की मांग को पुरा करने में सक्षम हो सकें ।

भारत जैसे विविधता से भरे देश की सभी भाषाएं सहस्र धाराओं की तरह जिस भी प्रांत से गुजरती हैं, वहाँ की संस्कृति को आत्मसात कर लेती हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी के इस युग में सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध बौद्धिक संपदा का डिजिटलीकरण किया जाए तथा समस्त नागरिकों के लिए ज्ञान के स्रोत को उपलब्ध कराया जाए इसके प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार, शिक्षाशास्त्री, भाषाशास्त्री और नीति

निर्माताओं को मिल कर ठोस कदम उठाने होंगे, जिससे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते युवाओं को भाषा के हाशिये पर हताश न होना पड़े।

राष्ट्र स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज राष्ट्रीय अस्मिता एवं अस्तित्व के प्रतीक एवं सांस्कृतिक-राष्ट्रीय संबंधों के एक सूत्र में पिरोने वाली हिंदी की झलक पर विचार करने की आवश्यकता है। हिंदी आत्मनिर्भरता का आधार भी है। हिंदी दिवस मनाते हुए हमें हिंदी की ताकत को समझना होगा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त भारत आत्मनिर्भर भारत के आह्वान में हिंदी की प्रासंगिकता एवं महती भूमिका के सच को स्वीकारना होगा। हिंदी का देश की एकता और अखंडता को बनाये रखने एवं आजादी दिलाने में बड़ा योगदान रहा है।

इंटरनेट के इस युग ने हिंदी को वैश्विक धाक जमाने में नया आसमान मुहैया कराया है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में पहला स्थान अंग्रेजी का है। दूसरे स्थान पर चीन में बोली जाने वाली मंदारिन भाषा है। तीसरे स्थान पर हिंदी है। चौथे नंबर पर स्पेनिस और पांचवें नंबर पर फ्रेंच भाषा है।

दुनिया में हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता एवं विश्व की बहुसंख्य आबादी द्वारा इसे अपनाये जाने की स्थितियां हर भारतीय के लिये गर्व की बात है। देश की आजादी के पश्चात 14 सितंबर, 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। राष्ट्र भाषा हिंदी सम्पूर्ण देश में सांस्कृतिक और भावात्मक एकता स्थापित करने का प्रमुख साधन है।

भारत का परिपक्व लोकतंत्र, प्राचीन सभ्यता, समृद्ध संस्कृति तथा अनूठा संविधान विश्व भर में एक उच्च स्थान रखता है, उसी तरह भारत की गरिमा एवं गौरव की प्रतीक राष्ट्र भाषा हिंदी को हर कीमत पर विकसित करना हमारी प्राथमिकता होनी ही चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासन में हिंदी को राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा के रूप में स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, सरकारी कार्यालयों और सचिवालयों में कामकाज एवं लोकव्यवहार की भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, इस दिशा में वर्तमान सरकार के प्रयास उल्लेखनीय एवं सराहनीय है, लेकिन उनमें तीव्र गति दिये जाने की अपेक्षा है। क्योंकि इस दृष्टि से महात्मा गांधी की अन्तर्वेदना को समझना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाषा संबंधी आवश्यक परिवर्तन अर्थात हिंदी को लागू करने में एक दिन का विलम्ब भी सांस्कृतिक हानि है।

राष्ट्रभाषा को प्रतिस्थापित करने एवं सांस्कृतिक सुरक्षा के लिये अनेक विशिष्ट व्यक्तियों ने व्यापक प्रयत्न किये जिनमें सुमित्रानन्दन पंत, महादेवी वर्मा और वेद प्रताप वैदिक प्रमुख हैं। आगरा के सांसद सेठ गोविन्ददास जी ने तो अंग्रेजी के विरोध में अपनी पद्मभूषण की उपाधि केन्द्र सरकार को वापिस लौटा दी थी। हिंदी को सम्मान एवं सुदृढता दिलाने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ प्रांतों की सरकारों को संकल्पित होना ही होगा।

राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था-

जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रस धार नहीं ,

वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्व देश का प्यार नहीं।।

हिंदी भाषा का मामला भावुकता का नहीं, ठोस यथार्थ का है, राष्ट्रीयता का है। हिंदी विश्व की एक प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ ही हमारी राजभाषा भी है, यह हमारे अस्तित्व एवं अस्मिता की भी प्रतीक है, यह हमारी राष्ट्रीयता एवं संस्कृति की भी प्रतीक है। महात्मा गांधी ने सही कहा था कि, राष्ट्र भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है।' यह कैसी विडम्बना है कि जिस भाषा को कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे भारत में समझा जाता हो, उसकी घोर उपेक्षा हो रही है, इस त्रासद एवं विडम्बनापूर्ण स्थिति को नरेन्द्र मोदी सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए कुछ ठोस संकल्पों एवं अनूठे प्रयोगों से दूर करने के लिये प्रतिबद्ध हो, हिंदी को मूल्यवान अधिमान दिया जाये,ऐसा होना हमारी सांस्कृतिक परतंत्रता से मुक्ति का एक नया इतिहास होगा।

इसी कड़ी में सरकार ने सारे भारत को भाषाई दृष्टि से जोड़ने के लिए, कर्मचारियों और जन मानस में उत्साहवर्धन हेतु हर वर्ष 14-15 सितंबर को 'अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन' मनाने की शुरूआत की है। सबसे पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन देश की सांस्कृतिक, धार्मिक नगरी वाराणसी में वर्ष 2021 में, दूसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन औद्योगिक नगर सूरत में सितंबर 2022 में आयोजित किया गया, इसी कड़ी में अब तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 14-15 सितंबर 2023 को पुणे (महाराष्ट्र) में आयोजित किया जा रहा है। ऐसे सम्मेलन राजभाषा के कार्यान्वयन, प्रचार प्रसार, सरकारी अधिकारियों तक नए तकनीकी टूल्स की जानकारी शेयर करने का सबसे कारगर माध्यम हैं। आने वाले वर्षों में पूरे देश में हिंदी के पक्ष में माहौल बनेगा। तकनीक का हिंदी में अधिकतम प्रयोग ही आने वाले समय में हिंदी को जन जन की भाषा बनने में सहायक सिद्ध होगा।

-वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
आयुध वस्त्र फैक्टरी,
शाहजहाँपुर, उ.प्र.

हिंदी का विकास और ऐतिहासिक शहर पुणे

-आशिष सोनी

प्रस्तावना

महाराष्ट्र के पश्चिम भाग, मुला व मुठा इन दो नदियों के किनारे बसा पुणे भारत का छठवां सबसे बड़ा एवं महाराष्ट्र राज्य का दूसरा सबसे बड़ा महत्त्वपूर्ण शहर है जोकि जिला का प्रशासकीय मुख्यालय है। अनेक नामांकित शिक्षण संस्थायें होने के कारण इस शहर को 'पूरब का ऑक्सफोर्ड' भी कहा जाता है। काफी प्राचीन ज्ञात इतिहास से पुणे शहर महाराष्ट्र की 'सांस्कृतिक राजधानी' माना जाता है। इस शहर की मुख्य भाषा मराठी होने के बावजूद राजभाषा हिंदी के विकास में इस शहर का महत्वपूर्ण योगदान है।

पुणे का इतिहास

पुणे यह नाम 'पुण्यनगरी' नाम से आया माना जाता है। आठवीं शताब्दी में पुणे को "पुन्नक" नाम से जाना जाता था। शहर का सबसे पुराना वर्णन ई.स. 758 का है, जब उस काल के राष्ट्रकूट राज में इसका उल्लेख मिलता है। ई.स. 11 के शतक मे 'कसबे पुणे' या 'पुनवडी' नाम से जाना जाने लगा। जीजाबाई ने ई.स. 1627 में शिवनेरी किले पर छत्रपति शिवाजीराजे भोसले को जन्म दिया। शिवाजी महाराज ने अपने साथियों के साथ पुणे परिसर में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। आगे पेशवा के काल मे ई.स. 1749 सतारा को छत्रपति की गद्दी और राजधानी बना कर पुणे को मराठा साम्राज्य की 'प्रशासकीय राजधानी' बना दिया गया। ई.स. 1818 के बाद में ब्रिटिश ने उसे 'पूना' कह कर संबोधित करने की शुरूआत की।

हिंदी के विकास में पुणे का योगदान

पुणे में बसने वाले महाराष्ट्रियों की बोलचाल की भाषा मराठी है, पर यहाँ पूरे देशभर से आए हुए लोग बसे हुए हैं। भाषा सभी को एक सूत्र मे बाँधकर रखती है। पुणेवासियों ने हिंदी को प्रेम से अपनाया है और उसके विकास में पहले से ही अपना योगदान दिया है। अलग अलग रूप में उनके योगदान को विभिन्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है।

स्वतंत्रता संग्राम

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पुणे के नेताओं और समाज सुधारकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावरकर जैसे नेताओं के कारण पुणे राष्ट्र के नक्शे पर अपने महत्व को दर्शाता रहा। महादेव गोविन्द रानडे, रा.ग. भाण्डारकर, विठ्ठल रामजी शिन्दे, गोपाल कृष्ण गोखले, लोखण्डे जैसे समाजसुधारक व राष्ट्रीय ख्याति के नेता पुणे से थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक दूसरे को जोड़कर रखने में हिंदी भाषा का महत्वपूर्व योगदान रहा है।

ज्योतिबा फुले

वीरसावरकर

महादेव गोविन्द रानडे

गोपाल कृष्ण गोखले

महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा

मराठी भाषी प्रदेश में राष्ट्रभाषा का प्रचार करने हेतु गांधीजी की प्रेरणा से पूना में महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा की स्थापना हुई। आचार्य काकासाहब कालेलकर की अध्यक्षता में 22 मई 1937 को पूना में महाराष्ट्र के रचनात्मक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक और सांस्कृतिक नेताओं आदि का सम्मेलन संपन्न हुआ जिसमें महाराष्ट्र हिंदी प्रचार समिति के नाम से एक संगठन बनाया गया।

सभा के कार्यों में प्रादेशिक भाषाओं के स्थान और मान के साथ राष्ट्रभाषा प्रचार राष्ट्र के नवनिर्माण का तथा राष्ट्रीय एकता के संवर्धन का एक श्रेष्ठ रचनात्मक कार्य है। हिंदी प्रचारकों एवं हिंदी के विद्वानों को नियामक समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया है। सभा की शिक्षण और प्रचार संबंधी प्रवृत्तियों में परीक्षाओं का संचालन, पुस्तक प्रकाशन, ग्रंथालय प्रायोजन तथा विद्यालय शिक्षण प्रमुख हैं। सभा का केंद्रीय कार्यालय पूना में है।

संस्कृति, गणेशोत्सव, रंगभूमि एवं सवाई गन्धर्व संगीत महोत्सव

पुणे को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी कहकर भी सम्बोधित किया जाता है। पुणे की मराठी को मराठी भाषा का मानक-रुप माना जाता है। पुणे में वर्ष भर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। पुणे में संगीत, कला, साहित्य की भरमार है। 1894 मे लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक गणेशोत्सव शुरु किया। इन दस दिनों की अवधि में पुणे शहर चैतन्यमय होता है और देश-परदेश से लोग इस उत्सव मे भाग लेने पुणे आते हैं। मराठी रंगभूमि मराठी संस्कृति का अविभाज्य भाग है। मराठी के साथ-साथ हिंदी भाषा के नाटक प्रायोगिक व व्यावसायिक दोनों होते हैं एवं दोनों काफी लोकप्रिय हैं। दिसम्बर महीने में अभिजात संगीत का कार्यक्रम सवाई गन्धर्व संगीत महोत्सव होता है, जिसमें सुप्रसिद्ध हिन्दुस्तानी व कर्नाटक संगीतज्ञ भाग लेते हैं।

हिंदी भाषा के संवर्धक

माधव सदाशिव गोलवलकर

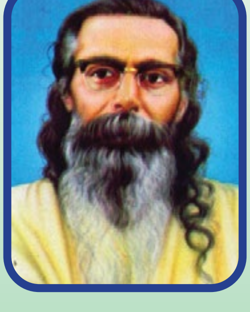

हिंदी को देश की भाषा मानने वालों में माननीय माधव सदाशिव गोलवलकर का नाम अग्रगण्य है। विज्ञान के विद्यार्थी एवं उच्च शिक्षा अंग्रेजी में प्राप्त होने के बावजूद उन्होंने अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी को बनाया और सहस्रों व्याख्यान दिए। अनगिनत पृष्ठों को अपनी लेखनी से हिंदी में काम कर के धन्य किया। गैर हिंदीभाषी क्षेत्रों में हिंदी शिक्षण के विस्तार में गोलवलकर जी सदा समर्थक रहे।

कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी

महाराष्ट्र के मुंबई में भारतीय विद्या भवन के संस्थापक और कुलपति स्व. कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी का हिंदी प्रेम जग जाहिर हैं। लगभग पैंसठ वर्ष पूर्व उनके मार्गदर्शन में मुंबई से 'नवनीत' का प्रकाशन शुरू हुआ। यह हिंदी की पहली 'डाईजेस्ट' है। साहित्य और संस्कृति के प्रचार-प्रसार में इस पत्रिका का उल्लेखनीय योगदान रहा है। उन्होंने ग्रंथों की रचना हिंदी में करके इस भाषा के प्रति अपनी आत्मीयता प्रदर्शित की है। गुजराती भाषी मुंशी जी ने महाभारत के पात्रों- श्रीकृष्ण, कुंती, युधिष्ठिर, पितामह, द्रौपदी इत्यादि का जीवनचरित्र लिख कर हिंदी की बड़ी सेवा की है। राजनेता और महामहिम राज्यपाल रहते हुए वे हिंदी भाषा में ही अधिकांश काम किया करते थे।

अनंत सदाशिव उल्तेकर

कोल्हापुर निवासी डॉ. अनंत सदाशिव उल्तेकर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति विभाग के अध्यक्ष थे। वे सदैव अपना शोधपत्र हिंदी में प्रस्तुत करते थे।

डॉ. काशीनाथ केरकर,श्री कृष्णजी हरिपंत देशपांडे एवं नरदेव शास्त्री

पुणे के ठाकरसी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. काशीनाथ केरकर ने 'अठारहवीं शती के हिंदी पत्र' पर पी.एच.डी की उपाधि प्राप्त की थी। उनके ही साथी श्री कृष्णजी हरिपंत देशपांडे महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से लगातार हिंदी का प्रचार-प्रसार करते रहे। नरदेव शास्त्री के नाम से ख्याति प्राप्त मराठी भाषी विद्वान नरसिंह राव हिंदी और संस्कृत के प्रचंड ज्ञाता थे।

अनंत गोपाल शेवडे

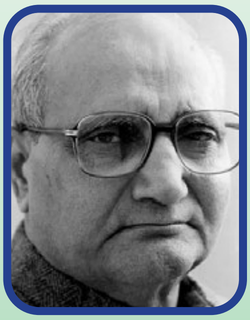

हर वर्ष 10 जनवरी को 'विश्व हिंदी दिवस' मनाया जाता है। वस्तुतः इसी तारीख को वर्ष 1975 में मराठी भाषी

पत्रकार अनंत गोपाल शेवडे के सत्प्रयास से नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था।

लक्ष्मण नारायण गर्दे, श्री रघुनाथ वैशंपायन

हिंदी प्रेमी वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण नारायण गर्दे ने हिंदी में 'भारत मित्र' समाचार के प्रकाशन में योगदान दिया और 'महाराष्ट्र रहस्य' नाम से लेखमाला लिखी। लखनऊ से प्रकाशित 'नवजीवन' के वे प्रथम संपादक बने। नासिक के हिंदी प्रेमी श्री रघुनाथ वैशंपायन के प्रयास से वर्ष 1940 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन पुणे में हुआ।

संत नामदेव

वैष्णव संत नामदेव के अनेक अभंग हिंदी में हैं, जिन्हें काशी, प्रयाग, अयोध्या की यात्रा के दौरान उन्होंने लिखा था। संत नामदेव जी ने पंजाबी में पद्य रचना भी की है। संत नामदेव जी का महाराष्ट्र में वही स्थान है जो स्थान कबीर अथवा सुरदास का उत्तर भारत में है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी संत नामदेव के पद संकलित हैं। हिंदी को प्रतिष्ठित करने **में वामन पंडित, मुक्तेश्वर, खांडेकर, कवि गोविंद केलकर** जैसे उद्भट विद्वानों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है।

सावित्रीबाई फुले

सावित्रीबाई फुले को उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें विशेष रूप से भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में याद किया जाता है। महिला अधिकारों के लिये जीवन समर्पित करने वाली सावित्रीबाई ने वर्ष 1848 में पुणे में देश का पहला कन्या विद्यालय खोला था। वह एक कवयित्री भी थीं, उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। उनके सम्मान में वर्ष 2014 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया।

महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी

स्व॰ हरिशंकरजी की प्रेरणा से कई अड़चनों के बाद महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना 1982 में हिंदी साहित्यकार-पत्रकार डॉ॰ राममनोहर त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई। साहित्य अकादमीका आधारभूत उद्देश्य हिंदी के मंच से राष्ट्रीय एकता के लिए काम करना है। अकादमी हिंदी भाषा एवं साहित्य की प्रोन्नति के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित योजनाओं का यथारूप राज्य में कार्यान्वयन करती है।

डॉ॰ राममनोहर त्रिपाठी

महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी महाराष्ट्र में हिंदी के प्रचार-प्रसार, नवलेखकों को प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और पुरस्कार, पुस्तक प्रकाशन और ग्रंथालयों को पुस्तकों की आपूर्ति, विश्वविद्यालयों में हिंदी की छात्रवृत्तियाँ देने जैसे स्थायी कार्य संपन्न करती आयी है। अकादमी को सभी विश्व हिंदी सम्मेलनों में भाग लेने का श्रेय प्राप्त है। मराठी भाषा साहित्य और महाराष्ट्र की सुपुष्ट संस्कृति हिंदी में लाने की दिशा में भी हिंदी अकादमी ने विशेष प्रयत्न किये हैं। हिंदी अकादमी राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महाराष्ट्र भारती अखिल भारतीय हिंदी सेवा पुरस्कार प्रदान करती है। अकादमी प्रति वर्ष 8 राज्य स्तरीय पुरस्कारों के साथ दो अखिल भारतीय पुरस्कार प्रदान करती है।

हिंदी अकादमी ने अपने इन 27 वर्षों में अनेक विशेषांक तथा ग्रंथ प्रकाशित किये हैं। महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी नए साहित्यकारों में सृजनशीलता बढ़ाने के लिए नित नए कार्य कर रही है। हिंदी की सृजनशीलता और समृद्धि में महाराष्ट्र सरकार का सदैव सहयोग रहा है। आज महाराष्ट्र राज्य में हिंदी साहित्य अकादमी के प्रयासों का ही फल है कि मुंबई ही नहीं महाराष्ट्र के सभी जिलों,गांवों और यहाँ तक कस्बों में भी हिंदी को अच्छी खासी पहचान मिल रही है। इससे हिंदी साहित्य समृद्ध हो रहा है और हिंदी सारे देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रही है।

संदर्भ

1. पुणे- विकिपीडिया
2. https://bharatdiscovery.org/india/पुणे
3. महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी - विकिपीडिया
4. https://hindi.webdunia.com
5. http://www.vishwahindidb.com

-अंतरिक्ष उपयोग केंद्र,
इसरो, अहमदाबाद

देश का सांस्कृतिक विस्तार समृद्ध करती हिंदी

-गिरीश चन्द्र पाण्डे

भाषा, साहित्य, सभ्यता और संस्कृति किसी भी देश की भावनात्मक एकता के अत्युत्तम साधन हैं और इनके माध्यम से देश समस्त विघ्न–बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ता जाता है। भारत इन सभी दृष्टियों से अद्भुत एवं अपूर्व देश है। इसीलिए भारत को विविधताओं और विभिन्नताओं के बीच एकता वाले देश (Unity in Diversity) के रूप में जाना जाता है तो दूसरी ओर 'वसुधैव कुटुम्बकं' यानी सारी पृथ्वी या कहें कि संसार एक परिवार है, की उदात्त भावना को यह भी अपने में समेटे हुए है। इस देश में अनेक धर्म, सम्प्रदाय, राजनीतिक तथा दार्शनिक विचारधाराएं तथा रीति-रिवाज एवं जीवन –दर्शन रहे हैं और आज भी यथावत हैं। इनमें से कई एक दूसरे के सर्वथा विपरीत ही नहीं परस्पर विरोधी भी रहे हैं। पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही नहीं, भारत में लगभग 560 भिन्न-भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। रहन-सहन के तौर-तरीकों, आचार-व्यवहार, खान-पान,वेश-भूषा, रीति–रिवाज तथा धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताओं में जितनी विविधता और भिन्नताएं इस देश में देखने को मिलती है, उतनी शायद विश्व में किसी भी देश में देखने को नहीं मिलती। फिर भी सदियों से यह देश एक है-एक ईकाई है -जिसे 'भारतवर्ष' कहा गया है तो इसके मूल में यानी इस एकता के मूल में राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक कारण नहीं बल्कि सांस्कृतिक कारणों की सबसे प्रमुख भूमिका है और इन सांस्कृतिक कारणों को मजबूती और चिरस्थायी बनाती है, हमारी हिंदी। हिंदी में धर्म, दर्शन, कला और साहित्य को परिभाषित करने की अद्भुत क्षमता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिंदी चूंकि संस्कृत की प्रथम उत्तराधिकारी भाषा है। इसलिए वैदिक काल और उसके बाद पुराण तथा उपनिषद काल में संस्कृत के माध्यम से हमारे देश के ऋषि-मनीषियों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया और जिस सांस्कृतिक समन्वय का सिद्धान्त प्रतिपादित कर उसे न केवल भारत में बल्कि विश्व में प्रचारित किया, वही आज तक इस देश की जनता को एकता के सूत्र में बांधे हुए है। बाद में प्राकृत, पाली तथा अपभ्रंश काल में भी यह सांस्कृतिक वैचारिक समन्वय की प्रक्रिया विभिन्न भाषाओं में रचित साहित्य के माध्यम से चलती रही और उसके बाद हिंदी अस्तित्व में आयी और वह यह जिम्मेदारी निभा रही है। यहां हम इस बात को नहीं भूल सकते कि जन-जन के हृदय में देश के प्रति प्रेम और 'कुछ' करने का जज्बा तभी पैदा हो सकता है जबकि भावनाओं और अनुभूतियों में समरूपता हो,मन से मन का मेल हो। इसे हम दूसरे शब्दों में भावनात्मक एकता भी कह सकते हैं और इसके पीछे सांस्कृतिक एकता छिपी होती है। हम जब अपनी सांस्कृतिक ताकत से परिचित होते है तभी हम देश की महानता से भी परिचित हो सकते हैं।

हम बराबर यह अनुभव करते आए हैं कि किसी भाषा का नाम जुबान पर आने से हमारे सामने उस देश के नागरिकों का चित्र आ जाता है। इसलिए भाषा उस देश,राष्ट्र की संस्कृति से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी होती है। इसलिए यदि किसी देश को दिशाहीन बनाना हो तो उस देश की भाषा एवं संस्कृति को विकृत कर देने से वहां के नागरिकों का नैतिक पतन स्वत: ही हो जाएगा। अंग्रेजों ने हमारे साथ ऐसा ही करने का प्रयास किया था लेकिन भारत की ताकत के समक्ष वे अपनी कुचाल में सफल नहीं हुए। लेकिन देश को अंग्रेजी के मोहपाश में अवश्य बांध गए। यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी देश का प्राचीन साहित्य उस देश की संस्कृति का द्योतक होता है, इसलिए साहित्य पर यदि चोट की जाती है तो उसका असर संस्कृति पर पड़ना अवश्यम्भावी है। आज अंग्रेजी के इसी मोहवश कितने लोग भारत की महान संस्कृति से परिचित हैं,यह भी विचारणीय विषय है। इसलिए राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक सबसे पहले अपनी मातृभाषा और उसके बाद उस देश की राजभाषा के प्रति भी सम्मान रखे तो यही उसके लिए और देश के लिए हितकर हो सकता है। यहां भाषा को थोपने का कोई प्रश्न नहीं है। यह तो अन्तरात्मा से आने वाली आवाज का प्रश्न है।

इस प्रकार हमारा देश प्राचीन काल से ही सभ्यता और संस्कृति का केन्द्र रहा है और जब इस गौरवपूर्ण सभ्यता और संस्कृति की

बात आती है तो उसमें भाषा का सबसे प्रमुख स्थान होता है और उसमें हिंदी का योगदान अपने में अनूठा है। हिंदी की उदार नीति का प्रारम्भ हमें आदिकाल से ही देखने को मिलता है। भेदभाव की नीति को हिंदी ने कभी नहीं अपनाया। जब –जब उसने देखा कि देश में सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित हो रहे हैं,प्रगाढ़ हो रहे हैं,तब-तब उसने दूसरी संस्कृतियों और भाषा को,उसके शब्दों को अपने गले लगाने से गुरेज नहीं किया। इसका प्रमाण हमें चंदबरदाई के पृथ्वीराज रासों की भाषा में मिलता है। पृथ्वीराज रासो के बारे में उल्लेख करना आवश्यक होगा कि यह हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता चंदबरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे और उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी करते थे। हिंदी साहित्य ने कभी भी जाति-पाति, ऊंच-नीच की भावना से अपने को नहीं बांधा। इसीलिए फारसी के विश्व प्रसिद्ध अमीर खुसरो ने इस भाषा में दोहे लिखे। न केवल प्रेम के गीत गाए बल्कि होली खेली और बसंत के आगमन पर उसमें नाचे भी। यही नहीं, पहेलियां लिखी और अनेक राम-रागनियों को जन्म भी दिया। यही नहीं, उन्होंने फारसी और हिंदी के संगम से गजलें लिखी। उर्दू के प्रसिद्ध कवि इकबाल ने भी अपने प्रसिद्ध गीत में हज़रत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती और गुरुनानक की चर्चा की है-

'चिश्ती ने जिस जमीं में पैग़ामे हक़ सुनाया। नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया।।'(पैग़ामे हक़– सत्य का सन्देश, वहदत –एकत्व)

मुगल शासनकाल में भले ही कोर्ट की भाषा फारसी थी, तथापि हिंदी भाषा को इन राजाओं ने निरन्तर सहयोग और संरक्षण देकर उसकी रक्षा की। कारण एक ही था कि हिंदी भाषा की सहजता, दूसरी भाषाओं से अपना तादात्म्य स्थापित करना और इस भाषा के कवियों की उदारता। इसलिए अनेक मुगल शासकों के दरबार बहुत से हिंदी कवि रहते थे जिन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को आगे बढ़ाने में अनुपम योगदान दिया। अकबर के नौ रत्नों में से एक रहीम के योगदान को भला कौन भुला सकता है। यही नहीं, रहीम ने गोस्वामी तुलसीदास को भी संरक्षण दिया। सांस्कृतिक समन्वय के लिए इन कवियों ने अपनी भाषा में फारसी–अरबी शब्दों को खुलकर अपनाया और इन बादशाहों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाकर सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा भी दिया। यह हिंदी भाषा की उदार दृष्टि और विशाल हृदयता ही थी कि जिसने भी इसे अपनाया, वह उसी का हो गया। फिर चाहे वह रहीम हों, रसखान या फिर विदेशी ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट या कामिल बुल्के हों, वारानिकोव हों या चेलीशेव। इन सभी की आत्मा एक प्रकार से हिंदी में रंग गयी और उनका हिंदी के संवर्धन में योगदान अतुलनीय रहा है।

हिंदी को भावनात्मक एकता और संस्कृति के अमोघ साधन के रूप में अपनाने वाले लोगों में इस देश के सन्तों-महात्माओं और फकीरों का मूर्धन्य स्थान रहा है। इन विभूतियों में कश्मीर से केरल और असम से सौराष्ट्र तक के असंख्य भक्त,कवि,दार्शनिक और भाषाविद् शामिल है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, लोक कथा, संगीत, नाटक आदि के सहारे भारत की मूलभूत तात्विक एकता के दर्शन यों तो हम सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य में पाते हैं किन्तु हिंदी की व्यापकता की वजह से उसे ही यहां प्रमुख स्थान मिला। फिर चाहे, महाराष्ट्र के सन्त नामदेव हों, सिखों के प्रथम गुरु नानकदेव। यहां गौर करने योग्य है कि सिखों के सभी महान गुरुओं ने हिंदी में आध्यात्मिक पद रचे हैं किन्तु दसवें गुण गोविन्द सिंह ने तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के गहन ज्ञान को प्राप्त और अर्जित करने के उद्देश्य से अनेक सिखों को अध्ययन के लिए काशी भेजा था और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाया।

भारत जैसे अनेक भाषाओं वाले देश में जहां बहुप्रचलित भाषा हिंदी ऐसी कड़ी है जो उसके देशवासियों को परस्पर गुंथित रख सकती है। इसे महर्षि दयानन्द सरस्वती ने व्यावहारिक धरातल पर जब अनुभव किया तो अपने दार्शनिक विचार जन-जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में लिखना प्रारम्भ कर दिया। उनका मानना था कि हिंदी के द्वारा ही भारत को न केवल एकसूत्र में पिरोया जा सकता है,बल्कि भारत की सांस्कृतिक थाती को भी अक्षुण्ण रखा जा सकता है। यह महर्षि दयानन्द सरस्वती का ही प्रयास था कि नवोत्थान आन्दोलन के दौर में हिंदी का फैलाव काफी हो गया और सामान्य जनता अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की अपेक्षा हिंदी से राष्ट्रीय स्तर पर अधिक परिचित हो चुकी थी। यहां पर हम भला सत्यनारायण मोट्टूरि के उन विचारों को कैसे भूल सकते हैं जो उन्होंने मद्रास में 'दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा' की स्थापना के सन्दर्भ में कुछ इस प्रकार व्यक्त किए थे, 'हिंदी

आन्दोलन हिंदी भाषा का आन्दोलन नहीं है, हिंदी भाषा-भाषियों का आन्दोलन नहीं, उत्तर भारत का आन्दोलन नहीं,बल्कि यह है- हिन्दुस्तान के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का आन्दोलन, हिन्दुस्तान की भाषाओं के पुनरुत्थान का आन्दोलन,हिन्दुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को ठीक-ठीक दिग्दर्शन कराने की प्रवृत्तियों को फिर से पुनर्जीवित कराने का आन्दोलन।' उल्लेखनीय है कि मोटूरि जी कई भाषाओं के ज्ञाता थे। वे अपनी मातृभाषा तेलुगु के साथ तमिल, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी तथा मराठी में समान दक्षता रखते थे। राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक दूर-दृष्टि के साथ उनके बहुभाषा ज्ञान ने उनकी भाषा-दृष्टि को सर्वग्राही और समावेशी बनाया। वे समस्त भारतीय भाषाओं के विकास के पक्षधर थे।

गौरतलब है कि सांस्कृतिक एवं भावनात्मक एकता के लिए वही भाषा हितकर सिद्ध हो सकती है जो उस देश की संस्कृति की सहयोगिनी हो, उस देश की अधिकांश जनता के सुख-दु:ख की सहभागिनी हो। आज जब देश में 'आत्मनिर्भर भारत' की चर्चा न केवल जोरों में हैं,बल्कि राष्ट्र उस दिशा में तेजी से आगे चल भी पड़ा है। देश की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पीछे छोड़कर जिसके हम कभी गुलाम थे, विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था बन गयी है। ऐसी स्थिति में हम अपनी युवा आबादी के जनसांख्यिकी लाभांश का अधिकाधिक दोहन उन्हें अपनी भाषा में शिक्षा देकर ही कर सकते हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत से भी उसे अवगत करा सकते हैं क्योंकि जब देश अपना है तो देश की भाषा भी अपनी। दूसरे देश की भाषा को अपनाने से कोई भी देश आज तक न आगे बढ़ सका है और न भविष्य में ही आगे बढ़ेगा। फिर देश में मात्र दो चार प्रतिशत अंग्रेजी समझने वालों से देश के सवर्तोमुखी विकास में सहायक बनने की सोच रखना यह आत्मवंचना के साथ ही देश के लिए भी हितकर नहीं है।

भारतीय संस्कृति और हिंदी के मणिकांचन संयोग को हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि भारतीय जीवन और संस्कृति का रहस्य उसकी तीन प्रमुख विशेषताओं में छिपा हुआ है- अनुकूलन,सहिष्णुता और ग्रहणशीलता। ये सभी गुण हिंदी में भी हैं क्योंकि हिंदी का किसी के प्रति कभी वैर नहीं रहा,सभी भाषाओं के साथ अपने को समायोजित करते हुए उसने ग्रहणशीलता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस वजह से भी सांस्कृतिक अस्मिता को बचाए रखने में उसका महत्व स्वयंसिद्ध है। भारतीय संस्कृति के मूल 'अनेकता में एकता' को बचाए रखने में हिंदी की भूमिका नि:सन्देह स्तुत्य है। हमें इस तथ्य को हमेशा अपने आंखों के सामने रखना ही होगा कि विगत एक हजार वर्षो के पहले भारत में कौन सी भाषा रही थी। नि:सन्देह वह भाषा 'संस्कृत' ही थी जो देववाणी के रूप में सभी भारतीयों द्वारा आदर पाती रही। हिंदी और उससे पहले की प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं संस्कृत भाषा की गौरवपूर्ण धरोहर की उत्तराधिकारिणी बनी थी और आज वही गौरव हिंदी भाषा को संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी बनने का मिला है। लेकिन इसका तात्पर्य यह कतई नहीं है कि भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रति उसका कोई वैर है या उनसे कोई लेना–देना नहीं है। सभी भाषाओं को एक साथ लेकर और जन-जन से जुड़ने की ताकत यदि किसी भाषा में है तो वह हिंदी ही है।

डा. नगेन्द्र कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता प्रत्येक राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत जैसे राष्ट्र के लिए जिसने अनवरत प्रयत्न के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की है,यह प्रश्न और भी अधिक महत्वपूर्ण है। आगे उनका यह भी कहना है कि राष्ट्रीय एकता का वास्तविक आधार है- भावनात्मक एकता, भावनात्मक एकता के लिए सांस्कृतिक एकता अनिवार्य है और सांस्कृतिक एकता का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम है साहित्य। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति में ही साहित्य का भाव यानी समवेत भावना-एकता की वृत्ति–मूलत: निहित है। डा. नगेन्द्र ने अपनी उक्त भावना को मूर्त रूप देने हेतु हिंदी साहित्य को जो योगदान दिया,वह किसी से छिपा नहीं है।

निष्कर्ष रूप में, हम यहीं कहेंगे कि भले ही हम जाति, धर्म, सम्प्रदाय आदि स्तरों पर परस्पर कितने ही भिन्न क्यों न हों,लेकिन जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो पाते हैं कि हिंदी भाषा ही हमें न केवल अपने पूर्वजों से मिलाएगी बल्कि हमारी जो उदात्त सांस्कृतिक विरासत है,उससे भी परिचित कराएगी और जब कोई व्यक्ति या देश अपने पूर्वजों के अनुभवों और अपनी सांस्कृतिक विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ता है तो उसकी दिनोंदिन प्रगति अवश्यम्भावी है।

-सेक्टर-9, द्वारका
नई दिल्ली -110077

हिंदी के विकास एवं लोकप्रियता में मुंबई चलचित्र नगरी का योगदान

-मनोज कुमार

हिंदी भारत की राजभाषा है। यह देश की अधिकांश जनसंख्या की संपर्क भाषा भी है। हिंदी को लोकप्रिय बनाने में मुंबई चलचित्र नगरी का योगदान महत्वपूर्ण है। मुंबई, भारतीय सिनेमा की राजधानी है और बालीवुड की मुख्य आधारशिला है। शायर और गीतकार गुलज़ार ने 8 वें विश्व हिंदी सम्मेलन में 'हिंदी के प्रचार प्रसार में हिंदी फिल्मों की भूमिका' सत्र की अध्यक्षता करते हुए यह कहा था कि हिंदी के प्रचार-प्रसार में फिल्मों ने, साहित्य अकादमियों और नेशनल बुक ट्रस्ट से ज्यादा योगदान दिया है।

मुंबई चलचित्र नगरी की शुरुआत सिनेमा की प्रयोगशाला के रूप में हुई थी, लेकिन यह विकास के साथ-साथ हिंदी के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। बालीवुड के माध्यम से मुंबई चलचित्र नगरी ने हिंदी भाषा को गैर सिनेमा संगठनों और साहित्यिक जगत् तक पहुंचाया है। हिंदी गानों, डायलॉग्स और कहानियों को बालीवुड फिल्मों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जो लोगों को हिंदी भाषा के सौंदर्य और व्यापकता का अहसास कराते हैं। अब तो हिंदुस्तान में हिंदी के बिना सिनेमा की कल्पना तक नहीं की जा सकती। मराठी, कन्नड, तमिल इत्यादि भाषाओं में भी फिल्में बनती है पर हिंदी में बनी फिल्में सिनेमा निर्माताओं के लिए आर्थिक रूप से काफी मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है।

मुंबई चलचित्र नगरी का योगदान हिंदी भाषा के विकास में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसने हिंदी के प्रचलन और उपयोग में वृद्धि को प्रोत्साहित किया है। मुंबई की चलचित्र नगरी में बोली जाने वाली भाषा हिंदी ने सिनेमा के माध्यम से अपनी उच्चतम संभावनाओं को प्रकट किया है और उसे आम जनता तक पहुंचाया है।

भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के द्वारा मई,1913 में निर्मित "राजा हरिश्चंद्र" फिल्म से भारतीय सिनेमा की शुरुआत हुई। यह मूक फिल्म थी। 1931 ई. में पहली सवाक फिल्म "आलमआरा" बनने के बाद और उसे मिली सफलता ने अनेक फिल्म निर्माताओं को आकर्षित किया। हिंदी साहित्य की कई कहानियों पर निर्मित फिल्मों ने साहित्य को भी घर-घर पहुंचा दिया। साहित्य के साथ-साथ फिल्मों के गीत,संवाद भी लोगों के बीच पहुंचने लगे। साथ ही फिल्मों के रथ पर सवार हो कर हिंदी लोगों के जुबान पर चढ़ने लगी। फिल्मों की तकनीक जैसे-जैसे उन्नत होती गई वैसे-वैसे गीतों की लोकप्रियता बढ़ी और हिंदी भी घर-घर पहुंची। इधर देश में आजादी के लिए आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में तेज हो रहा था। गांधी जी तथा उस समय के सभी स्वतन्त्रता सेनानियों ने हिंदी के महत्व को समझा तथा जनता से संपर्क भाषा के रूप में जनजागरण के लिए उपयोग भी किया।

मीराबाई, सूरदास, कबीर जैसे संत कवियों और मिर्जा ग़ालिब, बहादुरशाह 'जफर', दाग,डॉ. अल्लामा इक़बाल, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ 'रेणु', वाजिद अली शाह, जिगर मुरादाबादी, डॉ. राही मासूम रजा, अमृतलाल नागर, अमृता प्रीतम, भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत जैसे साहित्यकारों की रचनाओं ने हिंदी और उर्दू साहित्य को महत्वपूर्ण दर्जा प्रदान किया है। इन महान साहित्यकारों को फिल्मी गीतों तथा कहानियों में स्थान मिलना, भारतीय सिनेमा के एक और महत्वपूर्ण पहलू को प्रकट करता है। फिल्मी गीतों के माध्यम से ये रचनाएं लोगों तक पहुंचीं हैं, जो उनकी महता और संदेश को समझने में मदद करती है। ये गीत लोकप्रिय बनकर आम जनता के दिलों में स्थान बना चुके हैं और साथ ही हिंदी और उर्दू साहित्य को बड़ी छाप छोड़ने में योगदान दिया है।

फिल्मी गीतों ने हिंदी और उर्दू साहित्य को धनवानों के आवरण से बाहर निकालकर, उन्हें मजबूती और जनप्रियता प्रदान की है। इन गानों के माध्यम से भाषा, संगीत, और भावनाओं का खूबसूरत सम्मिश्रण उपस्थित हुआ। फिल्मी गीतों ने इन महान साहित्यकारों की रचनाओं को माध्यम बनाकर उन्हें व्यापक रूप से प्रचारित किया है, जिससे लोगों के बीच उनकी महत्त्वपूर्णता और साहित्यिक योगदान की जागरूकता पैदा हुई है। फिल्मी गीतों के माध्यम से हिंदी और उर्दू साहित्य को लोकप्रियता प्राप्त हुई है और ये रचनाएं आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं।

फिल्मी गीतों का योगदान हिंदी और उर्दू साहित्य को मजबूती और प्रभावशाली बनाने में अविरल रहा है। इन गीतों ने भाषा, संगीत और साहित्य को एक साथ मिलाकर एक सामर्थ्यपूर्ण माध्यम बनाया है, जो आम जनता तक पहुंचता है और उन्हें सुंदर भावनाओं का अनुभव कराता है। फिल्मी गीतों ने हिंदी और उर्दू साहित्य को विश्व स्तर पर प्रशंसा और मान्यता दिलाई है, जिससे इन भाषाओं का प्रचार विदेशों में हुआ है।

इस प्रकार, फिल्मों ने हिंदी और उर्दू साहित्य को लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान दिया है। इससे साहित्य की समृद्धि हुई है और लोगों में साहित्यिक ज्ञान और समझ की ऊर्जा पैदा हुई है। फिल्मी गीतों ने

हिंदी और उर्दू साहित्य को युवा पीढ़ी के बीच प्रचलित किया है और इसे समृद्ध और विस्तृत बनाया है।

फिल्म "किसी से न कहना" में एक प्रसंग में जब 'उत्पल दत्त' भाषा और हिंदी की भारतीय परिवेश में उसकी महत्ता को बताते हुये कहते हैं – *"चीन, जापान रूस जर्मनी जैसे देशों नें भाषा के बल पर तरक्की की है, मगर हमारा देश जहाँ हमारी तरक्की का अर्थ है सिर्फ अच्छी अंग्रेजी भाषा जानना। हमें इन देशो से सीखना चाहिये"*। यह संदेश सीधे दर्शकों के मन को छूने वाला है, क्योंकि यह उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति समझने और महत्वपूर्णता को सोचने पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है।

यह प्रसंग इस बात का उदाहरण है कि फिल्म और नाटक की क्षमता एक सामाजिक संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए काफी प्रभावी हो सकती है। इसके अलावा, यह संदेश व्यापक रूप से व्यक्तिगत रूप से बोले गए शब्दों के माध्यम से लोगों के दिमाग में सम्पूर्ण रूप से समाहित हो जाता है। इस प्रकार का प्रभाव लेखों या लेखकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उचित ढंग से प्रसंग को प्रस्तुत करने के लिए वाक्य रचना, अभिनय, संगीत और छवि का सहयोग करती है।

बालीवुड ने हिंदी भाषा के विकास में एक और बड़ा योगदान दिया है, और वह है अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय सिनेमा का प्रदर्शन। बालीवुड फिल्में विदेशी दर्शकों को हिंदी भाषा, संस्कृति और भावनाओं को समझने का मौका देती हैं। यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि हिंदी भाषा का प्रचार विदेशों में बालीवुड की वजह से हुआ है। राजकपूर साहब द्वारा निर्मित "आवारा" फिल्म का गीत *'मेरा जूता है जापानी.'*'... गाने ने हिंदी गीत के वैश्विक आधार और स्वीकारोक्ति की नींव रख दी थी। उस गीत पर पुरा रूस गुनगुना उठा था और यह गुनगुनाहट हिंदी की थी। दयानन्द अवस्थी अपने आलेख में लिखते हैं कि राज्यसभा के पूर्व सदस्य आर. के. सिन्हा जी कहते हैं - यह बात सच है कि जापान में बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के चलते भारत को जानने-समझने की जिज्ञासा रही है। वहां पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगौर भी कई बार गए। टोक्यो यूनिवर्सिटी में हिंदी का अध्यापन साल 1908 से चालू हो गया था। पर अब कुछेक सालों से वहां पर हिंदी फिल्मों की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। वहां तो हिंदी फिल्मों का प्रदर्शन कर ही हिंदी सिखायी जाती है। विश्व के करीब 192 देशों में हिंदी न केवल पढाई जा रही है,बल्कि शान से बोली भी जा रही है. इस व्यापकता के पीछे अन्य कारकों के अलावा सिनेमा भी एक कारक है,जिसके माध्यम से हिंदी विश्व में सिरमौर बन पायी है। भारतीय प्रवासियों की बढ़ती संख्या की वजह से अब संयुक्त राज्य अमरीका और यूनाइटेड किंगडम भी भारतीय फिल्मों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बन गए हैं। यही कारण है की वर्तमान में रिलीज होने वाली फिल्मों के प्रदर्शन के अधिकार भारत व विदेशों में समान रूप से विक्रय किए जाते हैं।

जापान के हिंदीकर्मी टोमियो निज़ुकामी ने 1951 से 1980 तक की अवधि में हिंदी लोकप्रिय गानों के जापानी में अनुवाद की पुस्तक का प्रकाशन किया है। टोमियो, जो धुंआधार हिंदी बोलने वाले थे, ने फिल्मी गीतों के माध्यम से जापानी लोगों को हिंदी भाषा की ज्ञान और समझ को बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होने जापान में हिंदी और भारतीय संगीत के प्रचार और प्रसार को सहारा दिया है और जापानी लोगों को हिंदी भाषा, संस्कृति, और विचारधारा को समझने में मदद की है। टोमियो निज़ुकामी का योगदान हिंदी और जापानी के बीच सांस्कृतिक आपसी विनिमय को स्थायी रूप से स्थापित करने में महत्वपूर्ण है।

मुंबई चलचित्र नगरी के सिनेमा उद्योग में काम करने वाले अनेक लोग हिंदी भाषा की शक्ति और समृद्धता का प्रतीक बने हुए हैं। इसके साथ ही, मुंबई चलचित्र नगरी के द्वारा निर्मित हिंदी फिल्में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और प्रशंसा प्राप्त करती हैं, जिससे हिंदी भाषा का प्रचार विदेशों में होता है। सार्वजनिक मनोरंजन के माध्यम से हिंदी भाषा को विस्तार देने और प्रचारित करने में मुंबई चलचित्र नगरी का योगदान महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र हिंदी अकादमी के पूर्व अध्यक्ष और प्रखर पत्रकार स्व. नंदकिशोर नौटियाल ने हिंदी के प्रसार में साहित्यकारों के बजाय फिल्मों का योगदान ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। वे इस बात का दावा करते हैं कि फिल्मों के माध्यम से हिंदी की प्रचार-प्रसार क्षमता बहुत अधिक है और यह विशेष रूप से छात्रों और युवाओं को आकर्षित करने का साधन है। वे इस बात को बढ़ावा देते हैं कि फिल्मों की व्यापक पहुँच के कारण बहुत से लोगों तक हिंदी का पहुंचना आसान होता है और इससे भाषा को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार मुंबई चलचित्र नगरी ने देश और विदेश में हिंदी को जन-जन तक पहुंचाने का जो उल्लेखनीय कार्य किया है वो वंदनीय है।

संदर्भ :-

1. https://navbharattimes.indiatimes.com/world/nri/-/articleshow/2205272.cms
2. https://www.worldwidejournals.com/indian-journal-of-applied-research
3. https://www.rachanakar.org/2019/09/14.html
4. http://aprnatripathi.blogspot.com

-वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी,
कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
पटना (बिहार)

क्या हिंदी की दशा, दिशा और शुद्धता के प्रति हम सचेत हैं?

- कमलेश कमल

सुव्यवस्थित भाषा और जन कल्याणोन्मुखी उत्कृष्ट साहित्य भारतीय संस्कृति के महत्त्वपूर्ण रिक्थ हैं। हमारा साहित्य हमारे ऋषियों एवं पूर्वजों की प्रतिकृति भर नहीं है, अपितु उनके विचारों को हम तक एवं आने वाली पीढ़ियों तक संप्रेषित करने का सबसे सशक्त माध्यम भी है। अतः, इसका संरक्षण, सम्मान एवं स्वाध्याय आवश्यक है। शब्द को तो ब्रह्म ही कहा गया है। निश्चितरूपेण यह भाषा रूपी शरीर की आत्मा है। अतः, इनका संरक्षण करना और इन्हें समझना हमारा परम कर्तव्य है। सटीक अथवा समुपयुक्त शब्द-प्रयोग से ही किसी भी भाषा का प्राण-तत्त्व अक्षुण्ण रहता है।

हमारे देश में, जहाँ 70 करोड़ से अधिक लोग हिंदी समझते-बोलते हैं, आज भी अंग्रेज़ी को लेकर एक दीवानगी, एक पागलपन की स्थिति दिखाई देती है। ग़रीब-से-ग़रीब आदमी भी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहता है। तथ्य तो यह भी है कि 10 से 12% भारतीय ही अंग्रेजी समझते हैं और इसमें भी मात्र 3% ही ठीक से इस भाषा में बात कर सकते हैं। पर, बच्चों को अपनी मातृभाषा छोड़ अंग्रेजी की शिक्षा दिलवाने का सपना पूरे समाज का एक बड़ा तबका देखता है। स्थिति यह है कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की फीस सामर्थ्य से अधिक हो, पर कुछ हो जाए बच्चे को वहीं भेजना है, मानो अंग्रेज़ी नहीं सीखी, तो कुछ नहीं सीखा। बच्चा गणित न जाने, विज्ञान न जाने, सामान्य विज्ञान और सामान्य जानकारी औसत से भी कम रहे, तो कोई बात नहीं, अंग्रेजी का एक्सेंट ठीक होना चाहिए। सोच कर दुःख होता है कि अपने बच्चों को अंग्रेज़ी बोलते सुन, निहाल होते माता-पिता यह नहीं समझ पाते कि वे बच्चों के सर्वोत्तम विकास की संभावना को किस प्रकार क्षीण कर रहे हैं। क्या विडंबना है कि बच्चों द्वारा हिंदी ठीक से नहीं समझने पर माँ-बाप ही दूसरों को बताते हैं, "अरे, यह तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, इसको यह सब पता नहीं है। इसके बरक्स (विपरीत) अगर शिक्षण मनोविज्ञान की बात करें, तो 11 वर्ष से पूर्व बच्चों पर किसी दूसरी भाषा को सीखने का दबाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा सबसे सहज रुप से अपनी मातृभाषा में ही सीख सकता है। दूसरी भाषा में शिक्षण की शुरुआत से बच्चे के मानसिक विकास में अवरोध उत्पन्न होता है।

उपर्युक्त स्थिति को एक उदाहरण से देखा जा सकता है : घर में माँ कहती है,"बेटा खा ले"; जबकि विद्यालय में टीचर कहती हैं, "eat properly"। संवेदनशील होकर विचार करने पर हम यह देख पाएँगे कि यह भी बच्चे पर एक दबाव है। विद्यालय का माहौल एक प्रकार का विलायती या अनजाना माहौल हो जाता है और मनोविज्ञान कहता है कि अनजाना माहौल ही डरावना माहौल होता है। हम देखते हैं कि घर में एक बच्चा मम्मी, पापा, दादा, दादी, भाई-बहन से हिंदी में जो बात करता है, वही बात विद्यालय में बोलने पर शिक्षक कहते हैं "Don't talk in vernacular !" क्या यह एक अजीब और त्रासदपूर्ण सी स्थिति नहीं है? यहाँ द्रष्टव्य है कि भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर के देशों में शिक्षा का माध्यम मूलतः उस देश की राष्ट्रभाषा ही है, अंग्रेज़ी नहीं। शोध से पता चलता है कि विश्लेषणात्मक क्षमता और तर्कपूर्ण वैचारिक पद्धति के निर्माण के लिए मातृभाषा में शिक्षण आवश्यक है। मातृभाषा में शिक्षण सिर्फ़ सुविधाजनक और आसान ही नहीं होता, वरन् सहज और मज़ेदार भी होता है। यह भी विचारणीय है कि आज हमारी भाषा में जो विचलन देखने को मिल रहा है, यह विचलन हमारी ही आधुनिक भाषा-दृष्टि का कुफल है। हमारे द्वारा वर्षों तक अपनी ही भाषा के प्रति बरते गए उदासीन रवैये के परिणामस्वरूप आज का युवावर्ग भाषिक-संस्कारों से वंचित हो रहा है। वस्तुतः, यह दोष हमारा है, युवाओं का नहीं।

जहाँ तक हिंदी की बात है, तो यह एक सरल, सहज, वैज्ञानिक और प्रवाहपूर्ण भाषा है, जो मंडारिन के बाद विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। तथ्य यह है कि विश्व के तमाम देशों में बसे हिंदी भाषियों को मिलाकर हिंदी बोलने वालों की संख्या मंडारिन से भी आगे जाती है। यहाँ जो मैथिली, भोजपुरी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि बोलने वाले के रूप में चिह्नित हैं, वे भी

हिंदी बोलते हैं। एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में 135 करोड़ लोग हिंदी समझते हैं। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि हिंदी को समृद्ध करने और सँवारने में भारत के हर क्षेत्र और हर प्रदेश की मनीषा का महनीय योगदान रहा है। तमिल का संगम, तेलगू का अवधान साहित्य, मलयालम का मणिप्रवालम, पंजाबी का रम्याख्यान, गुजराती का फाग, मराठी का पवाड़ा, असमिया का बुरंजगीत, बांग्ला का मंगलगीत, उर्दू की ग़ज़ल, मारवाड़ियों की मारवाड़ी, सूफियों की मसनवी, साधुओं की सधुक्कड़ी आदि के अनेक शब्द-प्रसूनों से हिंदी का सहित्योद्यान सुवासित होता रहता है। इसी से हिंदी की महादेशीयता और राष्ट्रीयता स्वयं सिद्ध होती रहती है।

1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की भाषा हिंदी थी। कुँवर सिंह और तात्या टोपे को जब आपस में पत्र व्यवहार करना होता था, तो हिंदी में करते। यह हिंदी की सहज प्रयोजनमूलकता, प्रयुक्तिमूलकता और व्यावहारिकता का एक बड़ा उदाहरण है। इतिहास में झाँके, तो जब हिंदी नई चाल में ढलने लगी, तब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भाषा के अखिल भारतीय स्वरूप के निर्माण हेतु भागीरथ प्रयास किया। वे वैष्णव थे, पर उन्होंने आदरपूर्वक क़ुरआन शरीफ का अनुवाद किया। इतना ही नहीं, उनकी रचनाओं में संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी आदि अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं। उनके नाटकों में मराठी पात्रों की भाषा में मराठी का ख़ूब प्रभाव रहता है, तो अफगानिस्तानी अपना लहज़ा लिए रहता है। इससे सिद्ध होता है कि हिंदी भारत की सामासिक संस्कृति की समर्थ और सच्ची संवाहिका है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 यही तो कहता है कि भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी हो।

उपरिलिखित तथ्यों के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हिंदी के पक्ष में जाती हैं। इसकी वैज्ञानिकता सिद्ध है। यह जैसी बोली जाती है, वैसी ही लिखी भी जाती है। इसके अलावा, यह सुविधाजनक और आसान है तथा लोकभाषा की विशेषताओं से संपन्न है। एक तथ्य यह भी है कि हिंदी लोचदार भी है और बोलचालजन्य आग्रहों को स्वीकार करने में सर्वथा समर्थ भी। सबसे सुखद तो यह है कि वैश्वीकरण के इस दौर में एक विशाल विश्व बाज़ार विकसित हो रहा है जिसमें हिंदी की भूमिका उत्तरोतर बढ़ रही है। मानना होगा कि अन्य चीजों की तुलना में बाजार और जनता ने हिंदी को अधिक महत्त्वपूर्ण और प्रासंगिक भी बनाया है। ऐसे में, हमारे लिए आवश्यक है कि हिंदी की महत्ता और इसकी शक्ति को पहचानें, न कि किसी विदेशी भाषा के पीछे भागें। ऐसे भी, मातृभाषा से कटना अपनी जड़ों से कटना है, क्योंकि हिंदी हमारे हँसने, खेलने, लड़ने-झगड़ने और स्वप्न देखने की भाषा है। अगर किसी भी कारण से बच्चे इससे विमुख रहते हैं, तो वे किस तरह से संस्कारित होंगे, यह सहज बुद्धि से समझा जा सकता है।

हाँ, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। हिंदी में अनुवाद कार्य प्रचूर मात्रा में हो रहा है, परंतु जब बात प्रामाणिक और आकर्षक अनुवाद की आती है, तो स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसी प्रकार, विधि, न्याय, विज्ञान, चिकित्सा और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में बहुत कार्य किया जाना शेष है। ध्यातव्य है कि साहित्य भाषा को प्रतिष्ठा तो दे सकता है, लेकिन विस्तार देने का जो सामर्थ्य प्रयोजनमूलक भाषा को है, वह साहित्य के पास कहाँ? इस प्रयोजनमूलकता से ही पूरे भारतवर्ष में हिंदी की व्याप्ति हुई है। इसके कारण ही आज अहिंदीभाषी क्षेत्रों में भी लोग न केवल हिंदी बोल और समझ रहे हैं, बल्कि लिख भी रहे हैं। कार्यालयीय हिंदी ने अपने विकास क्रम में अंग्रेजी के वर्चस्व को देखा तो कदाचित् उससे प्रभावित भी हुई। आज सरकारी कार्यलयों की टिप्पणी देखें, तो उसमें एक निर्धारित प्रारूप के साथ-साथ एक कृत्रिमता भी दिखाई देती है। एक सहज और सरल प्रवाह का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यह ठीक है कि कार्यालयीय हिंदी में विद्वता प्रदर्शन का अवकाश नहीं रहता, न ही इसकी कोई आवश्यकता ही है, परंतु स्पष्टता और तथ्यपरकता के साथ-साथ यह सुरुचिपूर्ण तो हो।

विचारणीय है कि हमारे ऋषियों तथा तत्त्ववेताओं ने तात्त्विक विश्लेषण कर जो शब्द-रिक्थ हमें सुपुर्द किया था, उसका उपयोग करना एवं शब्दों को प्राणवान रखना हमारा ही दायित्व था, परन्तु बौद्धिकजन के प्रमाद के कारण आज बहुत-से शब्द केवल हमारे शब्दकोशों की शोभा बढ़ा रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि अपने दैनन्दिन जीवन में हम शुद्ध, सटीक एवं व्याकरण सम्मत शब्दों का प्रयोग करते, परंतु क्या ऐसा हो रहा है? निश्चित ही, ऐसे शब्दों के प्रयोक्ता आज न के बराबर हैं और भूल से यदि कोई है भी, तो वह अपनी भाषा के लिए उपहास का पात्र ही बनता है। समाज के शिक्षित वर्ग की बात तो छोड़ ही दें, एक अशिक्षित व्यक्ति भी सुप्रभात की जगह गुड मॉर्निंग कहता है, भले ही वह अंग्रेज़ी में इसे शुद्ध-शुद्ध लिख भी न सके। इस अंधानुकरण की प्रवृत्ति को एक अन्य उदाहरण से समझा जा सजता है– हमारे पूर्वजों ने हमें रसोई' शब्द दिया था जिसका अर्थ है– रस बनाने वाली (रस

+ओई =रसोई)। ज्ञातव्य है कि भोजन में मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त– ये छह रस माने गए हैं, जो मनुष्य शरीर की पुष्टि हेतु आवश्यक होते हैं। जहाँ ये सभी रस बनें, बरसें– वह होता है रसोई। अब रसोई को किचेन ने पूरे तरह प्रतिस्थापित कर दिया है। पर्यंक जब तक पलंग हुआ, तब तक तो ठीक था, अब एक अनपढ़ आदमी भी 'बेड' बोलता है, पलंग नहीं बोलता। यह स्थिति अनुकूल तो कदापि नहीं कही जा सकती।

अपने भाषिक रिक्थ को संरक्षित करना कितना आवश्यक है, इसे शुद्ध हिंदी बनाम प्रचलित हिंदी के विमर्श से भी देखा और परखा जा सकता है। हिंदी के अध्येता यह जानते हैं कि उपरोक्त शब्द प्रचलन में कितना भी हो, शुद्ध नहीं हो सकता। सन्धि प्रकरण की सामान्य समझ से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इस शब्द की निर्मिति नहीं हो सकती। उपर्युक्त ही साधु प्रयोग है और वही लिखना होगा

तथ्य है कि अशुद्ध लेखन का सर्वप्रमुख कारण अज्ञान होता है, पर लोग कुतर्क करते हैं कि शुद्धता के आग्रह से भाषा का अहित होता है। अस्तु, यह एक सुस्थापित तथ्य है कि हिंदी भाषा अपनी प्रकृति में ही समन्वयशीला है। यहाँ तत्सम शब्द अगर ज्यों-के-त्यों लिए गए हैं, तो उन्हीं शब्दों से उत्पन्न 'तद्भव' शब्दों का प्रयोग यहाँ अत्यधिक मिलता है। हम देखते हैं कि हिंदी की मूल प्रकृति ही तद्भवपरक है। अक्षि कब आँख और ईक्षु कब ईख हो जाता है, पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार, अश्रु-आँसू, अग्नि-आग, उज्ज्वल-उजला, चणक-चना, चञ्चु-चोंच, निर्झरणी-झरना और गो-विष्ट-गोबर हो जाता है। यहाँ अगर देशज शब्दों का प्राचुर्य है, तो विदेशज शब्दों की भी कमी नहीं है। एक अनुमान है कि हिंदी में लगभग 7 हज़ार विदेशज शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं। अंग्रेजी के जहाँ हज़ारों शब्द हैं, वहीं अन्य भाषाओं के शब्द भी कम नहीं। फ्रांसीसी(कूपन, कारतूस, अंग्रेज़ी), चीनी (चाय, लीची, तूफान), अरबी (क़र्ज़, कागज़, हाज़िर), फ़ारसी (मुर्ग़ा, हज़ार, आवाज़), तुर्की (चारपाई, चाकू, दारोगा), पश्तो (मटरगश्ती, गुंडा) आदि शब्दों से हमारी समृद्ध शब्द-राशि का पता चलता है।

ध्यातव्य है कि शुद्ध रूप का अर्थ मानक रूप से भी है। जो मानक है, वही शुद्ध है– ऐसा कहना तो विषय का साधारणीकरण होगा, पर इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भाषा और लिपि की एकरूपता, स्थिरता एवं प्रचार-प्रसार की सुगमता के लिए मानकीकरण की महती आवश्यकता होती है। अतः, इस उद्देश्य की संप्राप्ति हेतु भाषा की संरचनात्मक अथवा शैलीगत शिथिलताओं को दूर करना होगा। साथ ही, लेखन और टंकण के वैकल्पिक रूप को न्यून करना होगा, जिससे भ्रम की स्थिति दूर होती है। निश्चित ही, इन कठिनाइयों को दूर करने से ही भाषा का रूप प्रशस्त होता है। हाँ, इस हेतु नियमादि का सम्यक् ज्ञान अपेक्षित होता है। चिह्न को चिन्ह, ब्राह्मण को ब्राम्हण, अपराह्न को अपरान्ह नहीं लिखा जा सकता। जगत् का अर्थ संसार तभी है, जब यह हलन्त है, अन्यथा यह कुआँ का चबूतरा हो जाता है, सहस्र में स् और र का योग हुआ है, इसे सहस्त्र नहीं लिखा जा सकता। केंद्रीय हिंदी निदेशालय इस दिशा में कार्य भी कर रहा है, लेकिन इस लक्ष्य की सिद्धि तो तभी होगी, जब आमजन मानक रूप का प्रयोग करेंगे और भाषा के साथ खिलवाड़ बंद होगा।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भाषिक सजगता अथवा शब्द-सजगता एक ऐसी सांस्कृतिक अभिवृत्ति है, जिसका नित पोषण एवं परिष्करण होना चाहिए। यह अभिवृत्ति प्रयोजनमूलक नहीं, अपितु आत्मप्रेरित होनी चाहिए। हाँ, हिंदी में लोकप्रयोग, प्रयत्नलाघव आदि का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान तो है, पर हिंदी ही क्यों किसी भी भाषा में उच्छृंखलता के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वाक्यों की अनगढ़ ढलाई से सम्पूर्ण भाषिक संस्कृति का ही अहित होता है। इस कुप्रवृत्ति के कारण भाषा में भद्दापन दिखने लगता है। हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान सबको हो; भाषा का अनंत विस्तार हो– इससे अच्छी स्थिति और क्या हो सकती है, परंतु अशुद्ध, भद्दी और भ्रष्ट भाषिक प्रयोगों से हिंदी का कलेवर कलुषित करने का अधिकार किसी को कैसे मिल सकता है? साथ ही, यह भी विचारणीय है कि आख़िर क्यों हम उस भाषा की महत्ता को स्थान विशेष अथवा दिन-विशेष तक सीमित कर देते हैं, जो हमारे सांस्कृतिक, वैचारिक विकास की मेरुरज्जू है। अभीष्ट है कि अपनी शब्द-संपदा (भारतीय शब्दों) के अधिकाधिक प्रयोग हेतु शिक्षक समुदाय और भाषा प्रेमियों द्वारा आत्मिक प्रयास हो। सुखद है कि गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा इस दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदी के लिए समर्पित कुछ अन्य संस्थाएँ भी इस दिशा में प्रयास कर रही हैं। हाँ, इस हेतु सामान्य जन को भी प्रेरित करना होगा। भले ही, इसका प्रतिफल कई वर्षों में मिलेगा... परंतु वह मिलेगा और अत्यंत सुखद होगा।

जय हिंद! जय हिंदी!!

-डिप्टी कमांडेंट
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

बहुभाषिकता और हिंदी भाषा
(संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण - दीव के संबंध में)

-डॉ. पिंटू कुमार मीना

एक से अधिक भाषा व्यक्ति के ज्ञान और व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत आवश्यक है। भारत में द्विभाषिकता की स्थिति लगभग प्रत्येक प्रांत और समुदाय में देखी जा सकती है। भारत में अधिकांश व्यक्ति अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी और हिंदी को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग में लाते हैं। यह वस्तुस्थिति **बहुभाषिकता (Multilingualism)** कहलाती है।

प्रारंभ में भाषाविद कई बार बहुभाषिकता को एक समस्या के रूप में देखते थे, लेकिन धीरे-धीरे इसके महत्त्व को समझा जाने लगा। बहुभाषिकता किसी भी देश की सांस्कृतिक समृद्धता का द्योतक होती है। विश्व में भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही यूनेस्को ने 17 नवंबर, 1999 में **अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस** मनाए जाने की घोषणा की। भारत वर्ष में हर प्रांत की अलग संस्कृति है, एक अलग पहचान है। उनके अपने विशिष्ट भोजन, संगीत, कला और लोकगीत हैं। इस विशिष्टता को बनाये रखने और इसे प्रोत्साहित करने के लिए बहुभाषिकता को एक उपयोगी तथ्य के रूप में समझा जाना चाहिए। भारतीय बहुभाषिकता के कारण देश में त्रिभाषा सूत्र का उपयोग जरूरी समझा जाने लगा तथा **नई शिक्षा नीति-2020** में भी भारतीय बहुभाषिकता के मजबूतीकरण के लिए प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना अपेक्षित समझा गया।

भारत में मूलतः **दो प्रकार की बहुभाषिकता** देखी जा सकती है। कई राज्य इस प्रकार के हैं जहाँ समुदाय आधारित कई मातृभाषाएँ (समाज भाषा विज्ञान के अनुसार) प्रचलित हैं। उदाहरण के तौर पर ओडिशा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर के राज्य इस श्रेणी में लिए जा सकते हैं। इन प्रान्तों की लोक भाषाओं में समृद्ध लोक साहित्य भी देखने को मिलता है। ओडिशा राज्य के आदिवासी 21 भाषाएँ और 74 बोलियाँ बोलते हैं । इनमें से 7 भाषाओं की अपनी लिपियाँ भी हैं । भाषाओं और बोलियों के संरक्षण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल करते हुए ओडिशा सरकार ने 21 आदिवासी भाषाओं के द्विभाषी शब्दकोश तैयार किए हैं। इनका उपयोग आदिवासी बहुल क्षेत्रों में प्राथमिक कक्षाओं की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में माध्यम के रूप में किया जाएगा । इन शब्दकोशों को राज्य सरकार की 'आदिवासी भाषा और संस्कृति अकादमी' ने तैयार किया है। इस प्रक्रिया को अन्य राज्यों में भी अपनाया जाना चाहिए।

इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में आदि, आपातानी, मिजी, मोंपा, खलक्तंग, शेरदुकपेन, बुगुन, गालो आदि भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। राज्य सरकार इन भाषाओं के विकास के लिए **'तानी लिपि'** का विकास कर रही है। अनेक भाषाओं के बावजूद इन दोनों प्रदेशों में हिंदी का बखूबी प्रयोग किया जाता है। यहाँ हिंदी भाषा में शिक्षण-अधिगम का कार्य भी किया जाता है और हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है।

बहुभाषिकता वाले कुछ क्षेत्र इस प्रकार के हैं जहाँ कंपोजिट कल्चर (सामासिक संस्कृति) के निर्माण के फलस्वरूप व्यक्ति अनेक भाषाओं का प्रयोग करते हैं। भारत के बड़े-बड़े महानगर और कुछ संघ प्रदेश इस श्रेणी में लिए जा सकते हैं। हैदराबाद और मुंबई जैसे महानगरों में अनेक राज्यों के मजदूर रोजगार की तलाश में आते हैं। यहाँ की बहुभाषिकता के कारण भाषा का क्रियोल रूप तक विकसित हुआ है। उत्तर औपनिवेशिक काल में संघ प्रदेश दिल्ली और संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव में भाषाओं के **विकास की स्थिति** लगभग एकसमान है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के कारण दिल्ली में प्रत्येक प्रांत के भाषा-भाषी निवास करते हैं। वे अपनी-अपनी मातृभाषाओं का प्रयोग करते हैं और उनका हिंदी से कोई विरोध नहीं है। हालांकि विधानसभा होने के कारण दिल्ली ने **हिंदी, उर्दू और पंजाबी** भाषाओं को संघ प्रदेश दिल्ली की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है।

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव की बहुभाषिकता की वर्तमान स्थिति के लिए राजकीय नीतियों का बड़ा योगदान रहा है। सरकार की नीतियों के फलस्वरूप बिक्री कर (सेल्स टैक्स) की छूट के कारण इस संघ प्रदेश में उद्योगों का विकास होने लगा। उद्योगों के लिए देशभर से श्रमिक रोजगार की तलाश में यहाँ आने लगे। इस शोध आलेख में आगे हम इस संघ प्रदेश की

बहुभाषिकता और हिंदी के प्रयोग पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

1954 में दादरा एवं नगर हवेली तथा 1961 में गोवा, दमण एवं दीव पुर्तगाली शासन से मुक्त हुए। 1987 में गोवा के अलग राज्य बनने के बाद दमण एवं दीव एक स्वतंत्र संघ प्रदेश बना।

26 जनवरी, 2020 तक 'संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली' तथा 'संघ प्रदेश दमण एवं दीव' दो अलग-अलग संघ प्रदेशों के रूप में कार्यरत थे। 26 जनवरी, 2020 को दादरा नगर हवेली तथा दमण एवं दीव दोनों संघ प्रदेशों का ऐतिहासिक विलय कर एक संघ प्रदेश बनाया गया। अब यह क्षेत्र **'संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव'** के नाम से जाना जाता है।

पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद दमण-दीव प्रदेश में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **गोवा, दमण एवं दीव बिक्री कर अधिनियम, 1964** के माध्यम से यहाँ कई वर्षों तक बिक्री कर में छूट दी गई जिसके परिणामस्वरूप दमण में अप्रत्याशित तरीके से उद्योग-धंधे स्थापित हुए। वर्ष 1984 में दादरा नगर हवेली में भी बिक्री कर अधिनियम के माध्यम से 15 वर्षों तक बिक्री कर में छूट दी गई। इसके परिणामस्वरूप दमण एवं दादरा नगर हवेली में विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों का तेजी से संचालन हुआ और यह अंचल एक औद्योगिक नगरी के रूप में भी पहचाने जाने लगा। देशभर के मजदूर रोजगार की तलाश में यहाँ आने लगे। संघ प्रदेश में सामासिक संस्कृति का निर्माण होता गया और यह मिनी इंडिया के रूप में विकसित होता गया। जहाँ आज विभिन्न भाषा-भाषी पूर्ण सौहार्द, सामाजिकता, सामूहिकता, सहभागिता, सहजीविता, समरसता और सहयोग से हँसी-ख़ुशी रहते हैं।

वर्तमान में यहाँ पुर्तगाली,गुजराती,कोंकणी (कोंकणा), भीली/भिलोड़ी (धोड़ी/धोड़िया, गांवित, वागड़ी, वसावा, चौधरी, पारधी),हिंदी, मराठी, वारली, अंग्रेजी आदि भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। गोवा जिस वर्ष (1987) स्वतंत्र राज्य बना और दमण-दीव एक स्वतंत्र संघ प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया उसी वर्ष दमण-दीव के अलग संघ प्रदेश बनने से कुछ महीने पहले **गोवा, दमण एवं दीव राजभाषा अधिनियम,1987** अस्तित्व में आया, और 'कोंकणी' को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। हालांकि वर्तमान में इस संघ प्रदेश में सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए केंद्र के अधिनियम और नियम लागू हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संघ प्रदेश की कुल आबादी 5,86,856 है अर्थात संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के लगभग 6 लाख व्यक्ति पुर्तगाली, गुजराती, हिंदी, मराठी, वारली, भीली/भिलोड़ी (धोड़ी/धोड़िया, गांवित, वागड़ी, वसावा आदि) और कोंकणी (आंचलिक नाम- कोंकणा) का प्रयोग करते हैं। गोवा, दमण एवं दीव बिक्री कर अधिनियम,1964 के लागू होने के बाद दमण एवं दीव में अप्रत्याशित तरीके से उद्योग-धंधे स्थापित हुए। इन औद्योगिक संस्थानों में रोजगार की तलाश में देश के दूसरे हिस्सों, विशेषकर उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम भारत से भारी संख्या में कामगार आए। इनमें हिंदी भाषी मजदूर अधिकांश संख्या में यहाँ आए। वर्तमान में दमण तथा दादरा नगर हवेली जिला उद्योगों का हब है, जिसके कारण यहाँ अन्य राज्यों से लाखों की संख्या में मजदूर निवास करते हैं। अकेले दादरा नगर हवेली जिले में वर्तमान में लगभग 1 लाख 25 हजार मजदूर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। इसी प्रकार दमण जिले में 85000 मजदूर कार्यरत हैं। इस प्रकार लगभग 2 लाख 10 हजार मजदूर अपनी-अपनी मातृभाषाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन संपर्क भाषा के रूप में वे हिंदी का ही प्रयोग करते हैं।

'राष्ट्रीय भाषाई अल्पसंख्यक आयोग' द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2014 को जारी अपनी **50वीं रिपोर्ट** के पृष्ठ संख्या 104 के अनुसार दादरा नगर हवेली के 40.42 प्रतिशत लोग भीली/भिलोड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। उनके इस आंकड़े का आधार वर्ष 2001 की जनगणना है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों में धोड़ीया धोड़िया, गांवित, वागड़ी, वसावा, चौधरी और पारधी को भीली/भिलोड़ी की बोलियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संघ प्रदेश के योजना एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी **सांख्यिकी डायरी, 2021-22** के अनुसार दादरा नगर हवेली तथा दमण एवं दीव में 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं के प्रयोगकर्ता निवास करते हैं। इसके साथ यह भी संदर्भित है कि इन भाषाओं के अतिरिक्त दादरा नगर हवेली में 20 तथा दमण एवं दीव में 18 गैर अनुसूचित भाषाओं को बोलने वाले लोग भी निवास करते हैं।

संघ प्रदेश बनने और विभिन्न औद्योगिक संस्थानों की स्थापना के फलस्वरूप यहाँ हिंदी का विकास बहुत तेजी से हुआ है। वर्ष 1991 के जनगणना के अनुसार दमण एवं दीव में 3.59 प्रतिशत व्यक्ति हिंदी का प्रयोग करते थे। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 19.44 प्रतिशत व्यक्ति हिंदी का प्रयोग करते थे। वर्तमान में 8 वीं अनुसूची में दर्ज सभी भाषाओं सहित लगभग 42 अलग-अलग भाषाओं के लोग यहाँ निवास करते हैं, लेकिन वे सभी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का ही अधिक प्रयोग करते हैं। हिंदी के विकास के लिए यह सुखद स्थिति है।

राजभाषा विभाग, सिलवासा द्वारा प्रकाशित "आकांक्षा पत्रिका" के वर्ष 2005 के अंक में डॉ. अनीता कुमार का एक आलेख "मुक्ति के पश्चात दादरा एवं नगर हवेली में हिंदी भाषा का विकास" शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। इस आलेख में उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया

है कि “मुक्ति से पूर्व मनोहर प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर इस प्रदेश (दानह) की आदिवासी जनता कोंकणी, वारली और धोड़ी भाषा का ही प्रयोग करती थी, शेष जनता द्वारा गुजराती, मराठी व कुछ अंश तक पुर्तगाली एवं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता था। उस समय तक हिंदी का नामोनिशान नहीं था।” (पृष्ठ- 24) पुर्तगाली शासन से अपनी मुक्ति के समय तक यहाँ के निवासी अपनी-अपनी बोली भाषाओं का अधिक प्रयोग करते थे। इनमें भीली/भिलोड़ी (धोड़िया, गांवित, वागड़ी, वसावा आदि), कोंकणी और वारली प्रमुख थी। संघ प्रदेश बनने के बाद दादरा नगर हवेली में प्रशासन द्वारा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में हिंदी का प्रयोग किया जाने लगा।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों पर प्रशासन द्वारा 1978 में यहाँ राजभाषा विभाग खोला गया और राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम,1976 का अनुपालन करने के क्रम में प्रशासन द्वारा राजभाषा हिंदी में कामकाज किया जाने लगा। संघ प्रदेश में हुए हिंदी के विकास में ‘हिंदी विकास समिति’, ‘राजभाषा कार्यान्वयन समिति’, ‘नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति’ और हिंदी मीडिया विशेषकर दैनिक हिंदी समाचार-पत्रों का विशेष योगदान रहा है।

संघ प्रदेश में हुए हिंदी के विकास और इसके प्रचार-प्रसार में मीडिया की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली तथा दमण एवं दीव से कई दैनिक हिंदी समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं। इनमें सवेरा इंडिया, असली आज़ादी, निष्पक्ष जनसंचार, दमणगंगा टाइम्स,‘द टेरेटरी टाइम्स, यंग लीडर,लोकतेज, नवभारत, खबरें आजतिक, राजस्थान पत्रिका, जन संसार, यूटी टुडे आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त दमण, दीव और सिलवासा में स्थित राजभाषा विभाग से तीन हिंदी पत्रिकाएँ भी प्रकाशित होती हैं। राजभाषा विभाग, दमण द्वारा ‘राजभाषा दमणगंगा’ का नियमित प्रकाशन होता है। इन पत्र-पत्रिकाओं में हिंदी के सृजनात्मक आलेख और रचनाएँ प्रकाशित होती हैं।

संघ प्रदेश में जो व्यक्ति पुर्तगाली, गुजराती, मराठी, वारली, कोंकणी, भीली/भिलोड़ी और भीली की विभिन्न बोलियों तथा छोटी-छोटी मातृभाषाओं का प्रयोग करते हैं वे भी चूँकि हिंदी अच्छी तरह से समझते और बोलते हैं, इसलिए उनके लिए संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग सहज रहता है। दक्षिण भारत विशेषकर केरल और तेलंगाना के मलयालम और तेलुगु भाषी व्यक्ति भी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का ही प्रयोग करते हैं।

औद्योगिक हब के अतिरिक्त संघ प्रदेश को **पर्यटन क्षेत्र** के रूप में भी पहचाना जाता है। विपुल प्राकृतिक संपदा से संपन्न, सूरज, रेत और समुद्र का एक सुंदर मिश्रण यह संघ प्रदेश मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता की भूमि है। हरे-भरे जंगल, घुमावदार नदियाँ, अकल्पनीय समुद्र तट, कलकल बहते झरनों की मधुर ध्वनि, दूर-दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाएँ, विविध वनस्पतियों और जीवों का एक भव्य बहुरंगी परिदृश्य सहज ही मन को आकर्षित करता है। शांत वातावरण और निस्तब्ध वनीय परिवेश के कारण, यह जिला उन लोगों के लिए एक स्वर्ग है जो शांत पर्यटन की तलाश में रहते हैं।

इस संघ प्रदेश के बेजोड़ किलों, समुद्र तटों, सुंदर जेट्टियों, अद्भुत मठों, कलात्मकता से परिपूर्ण भव्य मंदिर और चर्च,नायडा की गुफाएँ,सुंदर झील, नक्षत्र उद्यान, संग्रहालयों, विभिन्न वन्यजीव अभ्यारणों को देखने के लिए दुनिया के कई हिस्सों से यहाँ पर्यटक आते हैं। इसलिए होटल आदि पर्यटन से जुड़े उपक्रमों के कारण भी यहाँ देश के कई हिस्सों से श्रमिक अपनी सेवाएँ देने आते हैं। पिछले 6 वर्षों में यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यहाँ आने वाले पर्यटक हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन देशभर से आने वाले अधिकतर पर्यटक हिंदी का ही अधिक प्रयोग करते हैं। पर्यटकों के लिए पर्यटन स्थल एवं पर्यटन हेतु संकेत मार्गों पर हिंदी का सहज प्रयोग देखने को मिल जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों से बात करने के लिए यहाँ के श्रमिक और पर्यटन उपक्रमों से जुड़े व्यक्ति हिंदी भाषा का अधिक प्रयोग करने लगे।

भारत सरकार द्वारा हिंदी बोले जाने और लिखे जाने के आधार पर देश के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तीन क्षेत्रों (क, ख और ग क्षेत्र) में चिह्नित किया गया था। राजभाषा नियम,1976 के अनुसार ‘संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली’ तथा ‘संघ प्रदेश दमण एवं दीव’ को ‘ग’ क्षेत्र में चिह्नित किया गया था। लेकिन यहाँ हिंदी में हुए विकास को देखते हुए दिनांक 4 मई,2011 को राजभाषा नियम,1976 में संशोधन करते हुए इसे ‘ख क्षेत्र’ में शामिल कर लिया गया। यह यहाँ के हिंदी-सेवियों की विशिष्ट उपलब्धि रही है। इस उपलब्धि का मुख्य कारण कहीं न कहीं यहाँ की बहुभाषिकता ही है।

अतः कहना न होगा कि उद्योग, पर्यटन, सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं सामाजिक कारणों के चलते बहुभाषिकता का जो स्वरूप संघ प्रदेश में निर्मित हुआ है, उससे यहाँ हिंदी का अधिक विकास हुआ है। इस रूप में हमें बहुभाषिकता को संस्कृति संरक्षण और हिंदी भाषा की सहयोगी स्थिति के रूप में देखा जाना चाहिए।

-कनिष्ठ हिंदी अनुवादक,
राजभाषा विभाग, दमण।

संवाद के तीन क्षण और राजभाषा कार्यान्वयन

-डॉ. वी एल नरसिंहम शिवकोटि

दिनांक 14 सितंबर, 2017 को हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए भारत के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि “हिंदी अनुवाद की नहीं, बल्कि संवाद की भाषा है।” हाँ, यह स्थापित सत्य है और इतिहास गवाह है कि भारत में हिंदी को ‘लिंग्वा फ्रांक्वा’ (लिंक लैंग्वेज) या संपर्क भाषा का दर्जा एकमत से न सही बल्कि बहुमत से प्राप्त हुआ। आज भी कोई व्यक्ति इस तथ्य को नकार नहीं सकता कि भारत के किसी भी कोने में पहुँच जाए और अपनी बात हिंदी में कह दें, तो सामने वाले तक बात पहुँच जाती है और बात करने का उद्देश्य भी पुरा हो जाता है। अर्थात् पूरे देश में संवाद स्थापित करने में किसी भी अन्य भारतीय भाषा की तुलना में हिंदी काफी सक्षम है।

माननीय राष्ट्रपति महोदय के उद्धरण का संकेत जहाँ एक ओर संवाद की भाषा के रूप में हिंदी की क्षमता की ओर है, वहीं दूसरी ओर कार्यालयीन कामकाज में हिंदी को प्राप्त दोहरे दर्जे या फिर ‘अनुवाद की भाषा’ की ओर है। संकेत स्पष्ट है कि अब हिंदी को अपनी जगह प्राप्त करने का समय आ चुका है। मूल अंग्रेज़ी से मूलत: हिंदी में पदार्पण करने का यह दौर है। Hindi Version Follows की प्रथा समाप्त करने का यह सकारात्मक संकेत है।

जब संकेत प्राप्त हो चुके हैं कि अब हिंदी संवाद की भाषा है, तो यह भी स्पष्ट कर लेना आवश्यक होगा कि यह संवाद किस-किस के बीच? संप्रेषण की दृष्टि से इस संवाद के तीन क्षण होते हैं। संवाद का वह पहला क्षण है जहाँ परंपरागत रूप से संवाद मानव-मानव के बीच स्थापित होते रहते हैं। लेकिन आज के प्रौद्योगिकीय युग में मानव-मानव से आगे बढ़ कर यह संवाद मानव-मशीन संवाद में तब्दील हो चुका है। जो संवाद का दूसरा क्षण है। दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि अब यह दुनिया मात्र मामूली दुनिया न रह कर ‘डिजिटल दुनिया’ बनती जा रही है।

मानव-मानव संवाद की स्थिति में नि:संदेह ही राजभाषा हिंदी ने अपनी पूरी ऊर्जा और जोर-शोर के साथ सफल संवाद-स्थापन का गौरव प्राप्त किया है। मुक्त कंठ से न केवल भारत ने बल्कि पूरे विश्व ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत में एक भारतीय और दूसरे भारतीय के बीच और विश्व के किसी भी देश में संपर्क भाषा के रूप में संवाद स्थापित करने में हिंदी ने सफलता प्राप्त की।

इस स्थिति में राजभाषा कार्यान्वयन एक विशाल क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया। तमाम दस्तावेजों का अनुवाद इत्यादि होते रहे। राजभाषा कार्यान्वयन पूर्णत: राजभाषा अधिकारी तथा अनुवादकों पर निर्भर रहा। राजभाषा कार्यान्वयन के अंतर्गत भाषा प्रशिक्षण या कार्यशालाएँ आदि मैन्युअल अर्थात् अध्यापन के माध्यम से दिए जाते रहे। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) व अन्य तमाम नियम-कानूनों का कार्यान्वयन व अनुपालन पूर्णत: मैन्युअल रहा।

संवाद का दूसरा क्षण है - मानव-मशीन संवाद। यह 'सेमी-स्मार्ट' की स्थिति है जिसमें मानव अपना संवाद मशीन के साथ स्थापित करता है। यह वह स्थिति है जहाँ मानव प्रौद्योगिकी के सहारे अपनी ज़रूरतें मशीन तक पहुँचाता है और मशीन 'आउटपुट' देकर संवाद की सार्थकता को साबित करती है। इस दौर में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में हिंदी अधिकारी / हिंदी अनुवादक या फिर राजभाषाकर्मी को कुछ सहूलियत भी मिल जाती है चाहे वाइस टाइपिंग के माध्यम से हो, द्विभाषी डॉटा तैयार करने के माध्यम से हो या मेल-मर्ज आदि के सहारे एक साथ कई पत्र-आदेश आदि तैयार करने के माध्यम से हो या फिर गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से ही क्यों न हो।

वास्तविकता देखें तो हम अब इस दौर में हैं। पहले दौर में कलम चलाकर जो कार्यान्वयन किया जा रहा था वह अब इस दौर तक आते-आते मशीन से इतना जुड़ गया कि अब वह मशीन, मशीन न होकर हमारी सहकर्मी बन गयी है। अब इस दूसरे दौर में राजभाषा कार्यान्वयन की सार्थकता या सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम मशीन के साथ कितने सफल या सार्थक संवाद स्थापित कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट में अंग्रेज़ी में जो काम किये जा सकते हैं, चाहे प्लेटफार्म जो भी, वे सभी काम अब यूनिकोड के माध्यम से हिंदी में भी किये जा सकते हैं। चाहे वह एम एस–वर्ड का मेल-मर्ज हो या एम एस – एक्सेल का सार्ट, फिल्टर जैसे ऑप्शन ही क्यों न हो। परिणामस्वरूप, हमने मशीन के साथ सही-सही संवाद स्थापित किया और हमारे आशय की पूर्ति हो रही है। प्राकृतिक भाषा संसाधन (Nataural Language Processing - NLP) के माध्यम से मानव और मशीन के बीच संवाद स्थापित कर इस ओर प्रगति की जा सकती है।

कुछ वर्ष पहले तक इंटरनेट, पब्लिशिंग, एच टी एम एल, पी एच पी आदि में जो समस्याएँ थीं, वे भी अब धीरे-धीरे मिटने लगीं। अतिशय नहीं होगा कि अधिकतर नहीं, बल्कि अधिकतम पत्र-पत्रिकाएँ यूनिकोड में कोरल-ड्रा, इन-डिज़ाइन आदि सॉफ्टवेयर में प्रकाशित हो रही हैं। अर्थात मानव ने मशीन के साथ इस हद तक संवाद स्थापित कर लिया है। डिजिटलीकरण के इस दौर में राजभाषा कार्यान्वयन की संभावनाओं में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। साथ ही, चुनौतियां भी सामने आती रहीं और एक-एक कर सुलझायी भी जा रही हैं। मशीन के साथ मानव के संवाद स्थापित हो जाने का परिणाम है कि कार्यान्वयन के संदर्भ में कई काम निर्धारित अवधि से कम अवधि में और साथ ही ज्यादा प्रभावी और सटीक संपन्न होने लगे। उदाहरणस्वरूप हर माह / तिमाही / छमाही भेजी जाने वाली रिपोर्टों का प्रारूप तैयार कर संबंधित विभागों को उपलब्ध करा दिए जाए, तो वे नियमित समय पर अबाध गति से प्रयुक्त होते रहेंगे। या फिर एक साथ सौ-सौ आदेश भी तैयार किये जाने हों, तो एक मूल प्रारूप और एक्सेल डॉटा के सहारे एक साथ सभी आदेश तैयार कर दिए जा सकते हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर के नये-नये संस्करण के साथ कुछ तकनीकी दिक्कतें ज़रूर आती हैं, जो समयानुसार सुलझायी जा सकती हैं और यह यह काम प्रगति पथ पर है। राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से मानव-मशीन संवाद की जितनी चुनौतियां हैं, उतनी ही संभावनाएँ भी हैं। बड़े गर्व के साथ कहा जा सकता है कि एस ए पी – ई आर पी जैसे आधुनिक माड्यूल में भी हिंदी का प्रयोग संभव है और इसकी बेहतरी के लिए भी प्रयास जारी हैं। पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि इस प्रकार के नये-नये माड्यूल में भी मानव-मशीन संवाद सफल सिद्ध होगा। राजभाषा कार्यान्वयन के अंतर्गत भाषा प्रशिक्षण के लिए 'लीला' मोबाइल एप का विमोचन, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा ऑनलाइन अनुवाद प्लेटफॉर्म का विमोचन, कार्यशालाओं आदि के लिए कंप्यूटर आई टी टूल्स प्रशिक्षण, 'कंठस्थ' 2.0, हिंदी शब्द सिंधु आदि इस प्रकार के सफल संवाद के सुपरिणाम के उदाहरण हैं।

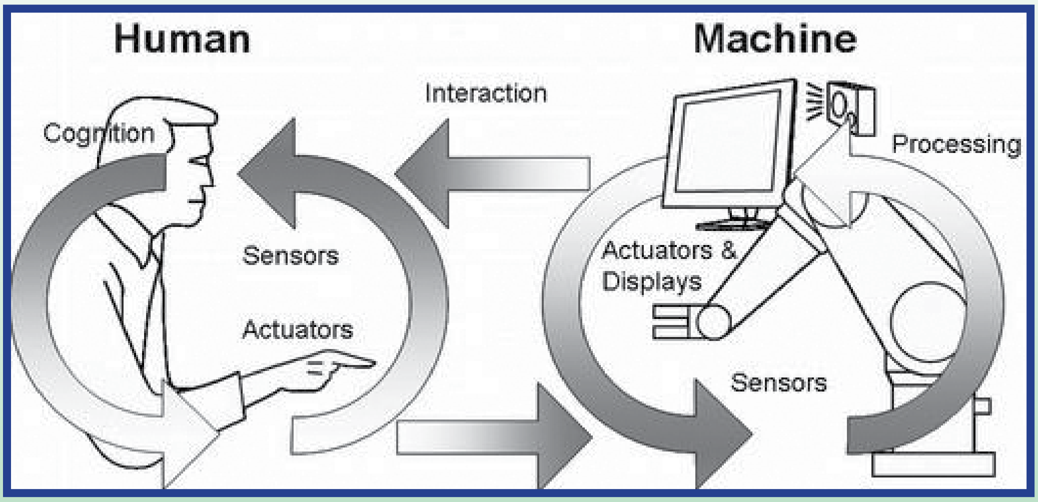

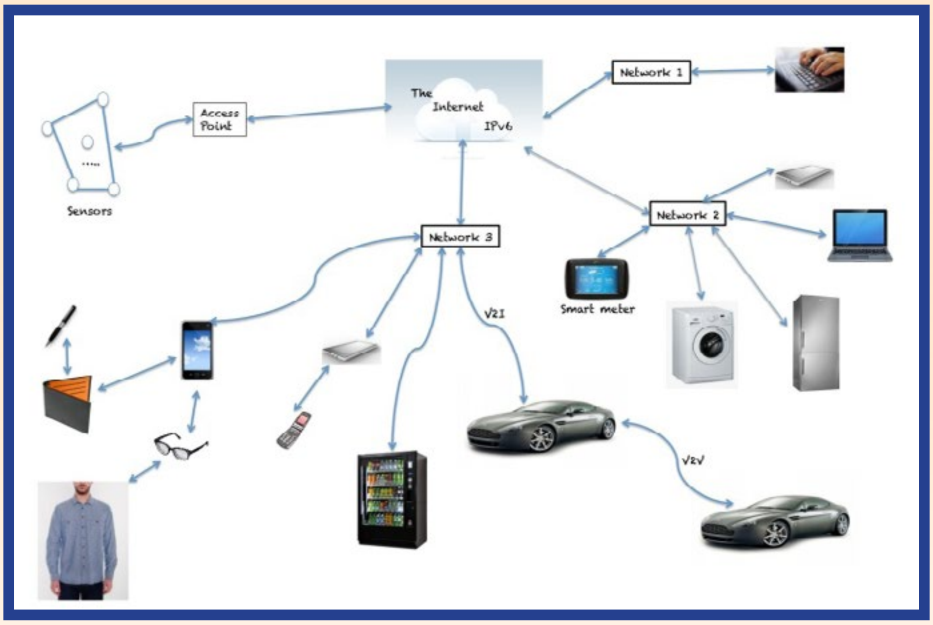

डिजिटलीकरण के इस दौर में राजभाषा कार्यान्वयन गुणत्मक व परिमाणात्मक दोनों ही दृष्टियों से काफी समृद्ध है।

संवाद का तीसरा क्षण हमारा भविष्य है जिसमें मशीन-मशीन के बीच संवाद स्थापित होता है। आज की 'इंटरनेट की दुनिया' धीरे-धीरे 'स्मार्ट दुनिया' होती जा रही है। यह स्मार्ट दुनिया इतनी स्मार्ट है कि इसमें मानव का कोई दखल न होकर चीज़े एक दूसरी से संवाद (IoT - internet of Things) स्थापित करती हैं। अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में यह स्थिति काफी साल पहले आरंभ हो चुकी है। लेकिन भारत में अभी इसका ठोस प्रवेश नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल पिछलग्गू हैं। 'फास्टैग' जो हमारे पास भी प्रवेश कर गया है, जहाँ गाड़ी के रुकने की ज़रूरत नहीं। गाड़ी सीधे निकल जाती है और टोल का शुल्क अपने आप अकाउंट से कट जाता है।

वास्तविकता तो यह है कि समाज के चारों ओर हम 'स्मार्ट' से घिरे हुए हैं। 'स्मार्ट कार्ड', 'स्मार्ट फोन', 'स्मार्ट किड्ज़' से होते हुए अब हम 'स्मार्ट ऑफिस' या 'ई-ऑफिस' तक पहुँच चुके हैं। अब यहाँ आकर सवाल उठता है कि ऐसे 'स्मार्ट / ई-ऑफिस' के परिवेश में संवाद की भाषा के रूप में राजभाषा हिंदी कहाँ तक सफल हो पाती है? स्मार्ट ऑफिस के दौर में राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग की क्या संभावनाएँ हैं और क्या चुनौतियां?

आने वाला क्षण मेकानिकल से डिजिटिल और डिजिटल से ऑटोमेटिव या 'स्मार्ट' बनने का क्षण है। यह स्वाभाविक भी है। उदाहरण के लिए किसी यात्रा के लिए पहले दौर में प्रिंटेड टिकट, फिर बाद में ई-टिकट और अब 'एम-टिकट' (मोबाइल टिकट) प्रचलन में हैं। इसी तरह फाइल-कागजात से भरे ऑफिस से पेपरलेस ऑफिस/ई-ऑफिस/'स्मार्ट ऑफिस' तक की यात्रा तय हो रही है, जहाँ क्लाउड के बल पर कार्यालय चलता हो और इसी परिवेश में हमें राजभाषा कार्यान्वयन की जिम्मेदारी निभानी है।

'स्मार्ट ऑफिस' के इस क्षण में राजभाषा कार्यान्वयन की जहाँ ज्यादा से ज्यादा संभावनाएँ हैं, वहीं चुनौतियां भी हैं। इस दौर की विशेषता ही है कि इसमें मानव की दखल कम होती है। आज की स्थिति ही देखें तो धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाली सूचनाएँ, टेंडर, लाइसेंस, करार जैसे कितने ही कागज़ात डिजिटल हो गए हैं। अब सवाल उठता है कि इस नये परिवेश के लिए राजभाषा हिंदी स्वयं को सक्षम बनाए और इसके कार्यान्वयन के लिए राजभाषाकर्मी भी अपने दायरे का विस्तार कर प्रौद्योगिकी से अधिकाधिक जुड़ें और ऑटोमेशन की दुनिया से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें और राजभाषा कार्यान्वयन को सफल बनाएँ।

-सहायक प्रबंधक (मा.सं.-रा.भा.)
भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद।

भारत के संदर्भ में 'अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष-2023' की उद्देश्य प्राप्ति में राजभाषा हिंदी की प्रासंगिकता

-डॉ. कान्ति भूषण पाण्डेय

संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मना रहा है। हमारे देश में भी इस पर ज़ोर शोर से चर्चा है। प्रदर्शनियां और सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं और विभिन्न चैनलों से इसके फ़ायदों के बारे में जन-संचार किया जा रहा है और लोगों को इसे अपने दैनिक आहार में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जून, 2023 में अमेरिकी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री जी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दिये गए 'स्टेट डिनर' में भी मिलेट से बने व्यंजन परोसे गए थे। एशियाई और अफ्रीकी देशों में उगाई जाने वाली शुष्क भूमि फ़सलें मिलेट, अपने पौष्टिक गुणों के कारण लोकप्रियता प्राप्त कर रही हैं।

मिलेट क्या हैं?

मिलेट छोटे बीज वाली कई पौधों की किस्मों को संदर्भित करता है जिनकी कृषि अनाज की फसलों के रूप में की जाती है। इनमें, बाजरा, रागी और ज्वार सबसे लोकप्रिय हैं। इनमें से बाजरा अकेले वैश्विक मिलेट उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा है। अन्य मिलेट में झंगोरा,कोदो, चेना तथा कुटकी शामिल है जिन्हें माइनर मिलेट भी कहा जाता है। ये फसलें एशिया और अफ्रीका के कई देशों में सीमांत और शुष्क भूमि में उगाई जाती हैं जिसमें भारत दुनिया का एक प्रमुख मिलेट उत्पादक है।

मिलेट अचानक लोकप्रिय क्यों हुई?

मिलेट को सामान्य बोल-चाल की भाषा में मोटा अनाज भी कहा जाता है। इस मोटे अनाज की अचानक वैश्विक प्रसिद्धि का अंदाजा मार्च 2021 की अंतरराष्ट्रीय बैठक से लगाया जा सकता है, जब संयुक्त राष्ट्र (यूएन) महासभा ने अपने 75वें सत्र में 2023 को 'अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष' घोषित किया।

मिलेट की लोकप्रियता के कई कारण हैं। पहला कि मिलेट फसलें शुष्क-भूमि के अनुकूल है और बहुत कठिन परिस्थितियों में भी विकसित हो सकतीं हैं। चूंकि मिलेट फसलें प्रकृति कृत एवं लवण-सहिष्णु हैं अतःखारी मिट्टी और 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी बढ़ सकतीं हैं। इनके ये गुण नुकसान के जोखिम को कम करते हैं। दूसरा कारण मिलेट में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो कि स्वस्थ्य जीवन के लिए अनिवार्य हैं। चावल, गेहूं और मक्का जैसी प्रमुख फसलें मानव स्वास्थ्य के लिय आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के संकट को हल नहीं कर सकती हैं।

मिलेट को कभी हमारे देश में पारंपरिक फसलों के रूप में उगाया जाता था परंतु कालांतर में चावल, गेहूं और मक्का से संबंधित हरित क्रांति ने हमारी खाद्य-विविधता को समाप्त कर दिया और हमारे खेतों और थाली में मिलेट के स्थान को को कम कर दिया। आज जब पुरा विश्व बदलती जीवन-शैली और रासायनिक दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों के चलते स्वास्थ्य-संकट से जूझ रहा है और स्वास्थ्य-विशेषज्ञ प्राकृतिक-निर्भरता को बढ़ावा दे रहें हैं तब,ग्लूटिन-मुक्त,कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और पोषण संबंधी लाभों के चलते मिलेट पुनःअस्तित्व में आया है।

'अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष-2023' और राजभाषा हिंदी:

'अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष-2023' का उदेश्य मिलेट की घरेलू और वैश्विक मांग पैदा करना, लोगों को पोषक आहार उपलब्ध कराना और किसानों को बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान करना है। परंतु क्या यह तब तक संभव है जब तक कि इसके बारे में लोग जाने नहीं? अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के अभीष्ट उद्देश्यों की पूर्ति तभी हो सकती है जबकि मिलेट और उसके लाभ के बारे में सभी देशवासियों में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार हो।

पिछले 30 वर्षों में भारत में लोगों के रहन-सहन,जीवन शैली और सोच में अतिशय परिवर्तन आया है। आज देश में पूरी एक नई पीढ़ी है जो अस्वास्थ्यकर 'रेडी टू इट' पैकेज्ड भोज्य पदार्थों पर निर्भर है,कारण चाहे वह समयाभाव है चाहे उसके प्रतिकूल प्रभावों की जानकारी न होना। ऐसी परिस्थिति में देश में लगभग

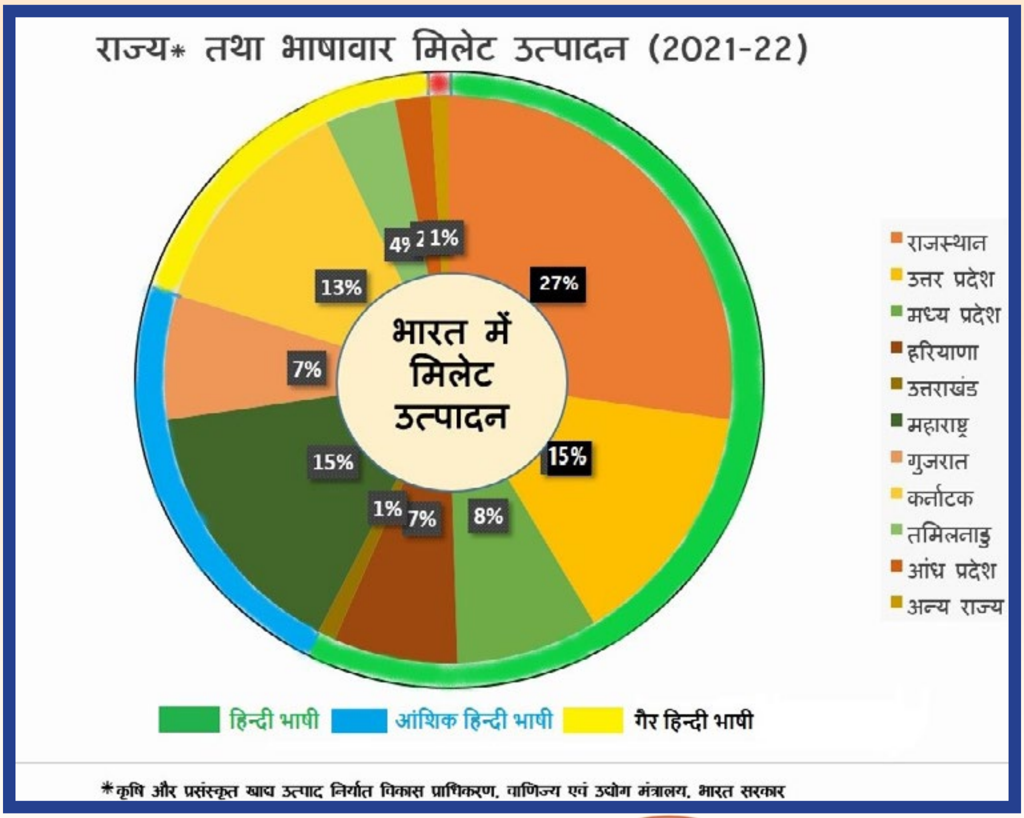

विलुप्त मिलेट को पुनःस्थापित करना एक टेढ़ी खीर है। सच्चाई यह भी है कि इस नई पीढ़ी के एक बड़े प्रतिशत ने शायद मिलेट को देखा भी ना हो। ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा आबादी तक मिलेट के बारे में जानकारी फैलाकर ही 'अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष-2023' के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

भारत देश विविधताओं से भरा देश है जहां अनेकों बोल-चाल की भाषाएं होने के बाद भी हिंदी भाषा का प्रभुत्व और देश की एक बड़ी आबादी द्वारा इसे बोले जाने और समझे जाने से इंकार नहीं किया जा सकता है। यहां यह कहना शायद अतिशयोक्ति न होगी कि मिलेट्स के स्वास्थ्य पर लाभ, रोगों से बचाव में मिलेट्स का योगदान, मिलेट्स की कृषि, अंतरराष्ट्रीय विपणन तथा आहार में शामिल करने के मिशन में राजभाषा हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है।

मिलेट एक समय भारत की खाद्य टोकरी का लगभग एक तिहाई हिस्सा था, लेकिन वर्तमान समय में इसकी खपत में भारी गिरावट देखी गई है। पिछले कुछ दशकों में, मिलेट की प्रति व्यक्ति खपत ग्रामीण क्षेत्रों में 83% और शहरी क्षेत्रों में 77% घट गई है। मिलेट के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है, ताकि इसे अपने आहार में जोड़कर सेहत को बेहतर बनाया जा सके। गेहूं-चावल के मुकाबले मोटा अनाज उगाना और खाना दोनों ही ज्यादा सुविधाजनक है। मिलेट में पोषण भी अधिक होता है, जिससे शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी मिलती है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के 2021-22 के डाटा के अनुसार देश के कुल मिलेट उत्पादन का 58% अकेले हिंदी भाषी राज्यों (राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड) तथा 22% आंशिक हिंदी भाषी राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात) से होता है। शेष 20% उत्पादन अन्य भाषाई राज्यों (कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि) द्वारा किया जाता है (चित्र)। मोटे तौर पर अगर कहें तो लगभग 80% मिलेट हिंदी समझने वाली बेल्ट से उत्पादित किया जाता है। दृश्य साफ है कि अगर मिलेट के बारे में राजभाषा हिंदी में सूचनाए प्रसारित की जाएँ तो उसकी पहुँच अधिकतम रहेगी और मिलेट के बारे में एक बड़ी आबादी को सूचित किया जा सकता है क्योंकि जब तक सूचना नहीं होगी तब तक उसके प्रति झुकाव नहीं होगा। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 को 'जन आंदोलन' बनाने के साथ-साथ भारत को वैश्विक पोषक अनाज हब के रूप में स्थापित करने में राजभाषा हिंदी एक सशक्त भूमिका निभा सकती है।

-वरिष्ठ वैज्ञानिक
सीएसआईआर-केंद्रीय नमक व
समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान
भावनगर, गुजरात।

खेल संस्कृति को विस्तारित करती हिंदी

-देवेन्द्र कुमार

प्राचीन काल से ही खेल, भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। शारीरिक, संज्ञानात्मक और नैतिक विकास में सहायक होने के साथ-साथ खेल, देश-प्रदेश की प्रतिष्ठा को भी चिह्नित कर रहे हैं। किसी सामान्य व्यक्ति को परिष्कृत मानव संसाधन में परिवर्तित करने के लिए खेल एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरकर आया है। वर्तमान में मानसिक तनाव दूर करने या मनोरंजन के साधन की भूमिका से बहुत आगे निकलते हुए खेल, लोगों का कैरियर बनाने और प्रतिष्ठा अर्जित करने का माध्यम बन गया है। खेल, टीम भावना को विकसित करके राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करता है। देश की विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एकजुट करने तथा दर्शकों के बीच अपनेपन का भाव जागृत करने की कला खेल में अंतर्निहित है।

हमारे देश में देशीय या पारंपरिक खेल जैसे कबड्डी, खो-खो, दौड़, भाला-फेंक, कुश्ती, हॉकी इत्यादि खेलने वाले या इन खेलों में रुचि लेने वाले लोग सहजता से मिल जाएंगे क्योंकि इन खेलों के नियम या इनकी शब्दावली से सामान्यजन भलीभाँति परिचित हैं। वहीं गोल्फ, बेसबॉल, तैराकी, जिम्नास्टिक, टेनिस, घुड़दौड़, स्केटबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे अनेक खेल ऐसे भी हैं जिनके प्रशंसक या इन्हें खेलने वाले हमारे देश में अपेक्षाकृत कम हैं। विडंबना ही कहा जाएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से हम विश्व में दूसरे पायदान पर हैं किंतु अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल कुंभ में हमारा प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। प्रश्न यह है कि जो भी खेल अंतरराष्ट्रीय स्तर जैसे ओलंपिक, ग्रैण्ड-स्लैम, कॉमनवेल्थ, फीफा के स्तर पर खेले जाते हैं उनमें भारत का मजबूत प्रतिनिधित्व किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए? देश में खेलों का विकास, अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में अग्रणी होने का एक महत्वपूर्ण मानक बन गया है। खेलों को बढ़ावा देने तथा खिलाड़ियों की नैसर्गिक प्रतिभा को उभारने करने के लिए आवश्यक है कि युवाओं को खेल के लिए आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध कराए जाएं। इस आधारभूत अवसंरचना के अंतर्गत अपनी भाषा में खेलों की शब्दावली और योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी शामिल है।

भारत में खेल आगे बढ़ रहे हैं लेकिन भारतीय, खेलों में आगे तभी बढ़ेंगे जब खेल की बारीकियां उनकी समझ में आने लगेंगी। खेल, खिलाड़ी या किसी टीम के साथ वास्तविक या व्यक्तिगत जुड़ाव तभी हो सकेगा जब खेल का विश्लेषण, उससे संबंधित जानकारी या उसकी पृष्ठभूमि दर्शकों की समझ से परे न हो। भारत की युवा शक्ति को खेल महाशक्ति बनाने की जो पहल शुरु हुई है वह तभी पूरी हो पाएगी जब खेल हमारे गाँवों की गलियों तक लोगों की अपनी भाषा में पहुंचेंगे। जब तक खेल की कॉमेंट्री (आँखों देखा हाल/ टीका-टिप्पणी), उनका विश्लेषण और उन पर होने वाली चर्चा हिंदी भाषा से परे होगी तब तक भारत में उसका दायरा सीमित होना स्वाभाविक है। इसलिए देश में खेल और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल का परिचय हिंदी भाषा में होना ज़रूरी है और इस दृष्टि से खेलों में हिंदी कॉमेंट्री (ऑंखों देखा हाल/टीका-टिप्पणी) की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अन्य खेलों के मुकाबले भारत में क्रिकेट के प्रशंसक या इसे खेलने वाले या इसकी शब्दावली को जानने वाले लोग बहुतायात में मिल जाएंगे; इसका कारण और कुछ भी नहीं केवल और केवल 60 के दशक से क्रिकेट की हिंदी कॉमेंट्री ही है।

"जो कुछ बोलो, दिल से बोलो तो वह लोगों के दिल तक पहुंचेगी" हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक 'धर्मवीर भारती' का ये कथन मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोशी को कहे गए थे। भारती जी के ये कथन लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए 70 के दशक में भी उतने ही प्रासंगिक थे जितने वर्तमान में हैं। हिंदी कॉमेंट्री ने न केवल अनेक खेलों के लिए समर्पित दर्शक आधार बनाने वरन् खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने वाली संस्कृति को भी संवर्धित किया है। क्रिकेट में रुचि का पुनरुद्धार हो या कबड्डी जैसे स्वदेशी खेल को बढ़ावा देना या फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल सॉकर के लिए भारत में जमीन और प्रतिभा तलाशने का कार्य, इन सबको हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं ने खूबसूरत तरीके से अंजाम दिया है।

भारत में रेडियो कॉमेंट्री की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) के माध्यम से 1940 में हुई। जब रेड़ियो पर अंग्रेजी में कॉमेंट्री होती थी तो गाँवों में कुछ ही लोग हुआ करते थे जो थोड़ी-बहुत या यूं कहें टूटी-फूटी अंग्रेजी समझा करते थे वो ही मैच का हाल बाकी लोगों को उनकी भाषा में बता दिया करते थे। रेडियो

के पास बाकी लोगों का हुजूम केवल शोभा बढ़ाने और अनुवाद सुनने के लिए ही रहा करता था। वर्ष 1950 के अंत तक हिंदी कॉमेंट्री की शुरुआत हुई और इसने भारत में क्रिकेट को नया आयाम दिया। रवि चतुर्वेदी, जोगा राव और जसदेव सिंह के बाद मनीष देब, सुशील दोशी, स्कंदगुप्त और एम एम मंजुल ने 80 व 90 के दशक में हिंदी कॉमेंट्री को लोकप्रिय बना दिया। आज यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं कि भारत में क्रिकेट के लिए बड़े दर्शक वर्ग तैयार करने में सुशील दोशी की हिंदी कॉमेंट्री कितनी महत्वपूर्ण रही।

रेड़ियो के बाद भारत में दूरदर्शन का आगमन 1959 में हुआ। टीवी पर चलते-फिरते दृश्य देखना किसी रोमांच से कम नहीं था। यह वह दौर था जब टेलीविज़न अपनी रंगत बिखेरने लगा था और रंगीन टीवी आने के बाद वर्ष 1982 में एशियाई खेलों का सजीव प्रसारण होने के साथ ही टीवी की दुनिया बड़ी होने लगी। टीवी पर खेलों का सजीव प्रसारण और अंग्रेजी कॉमेंट्री के सामने रेड़ियो की हिंदी कॉमेंट्री कुछ समय के लिए लोगों के जेहन से ओझल होने लगी। कॉमेंट्री सुनने का माध्यम बदला और इस नए माध्यम की विशेषता यह रही कि इसमें कॉमेंट्री के साथ-साथ सजीव प्रसारण भी देखने को मिल रहा था लेकिन हिंदी कॉमेंट्री की लोकप्रियता को ज्यादा दिन तक नेपथ्य में रख पाना किसी के लिए संभव नहीं था। आदरणीय सुधीर पचौरी जी के अनुसार ‘दूरदर्शन ने बातचीत विधा को जन्म दिया था जो वार्तालाप की जनतांत्रिक विचार-विधा है।’ सुधार पचौरी जी के अनुसार टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम है जो दृश्य-श्रव्य होने के कारण साक्षर न हो सके लोगों को भी शिक्षित कर सकता है और साक्षर भी बना सकता है। निष्कर्षतः खेलों के विषय में जागरूक करने व साक्षर करने का कार्य भी टीवी चैनलों के माध्यम से अपेक्षाकृत सुव्यवस्थित तरीके से हो सकता था।

आज से लगभग 25 वर्ष पहले दूरदर्शन पर क्रिकेट का सीधा प्रसारण आता था, जिसमें क्रिकेट की कॉमेंट्री कुछ समय तक अंग्रेजी फिर कुछ समय तक हिंदी में की जाती। आलम यह था कि दूर-सुदूर इलाकों में हिंदी कॉमेंट्री की बारी का इंतजार बड़ी बेसब्री से होता। खेलों में हिंदी कॉमेंट्री को अंग्रेजी के साथ दशकों तक चलाने का काम दूरदर्शन ने बड़ी सजगता के साथ किया। दूरदर्शन के माध्यम से शासन ने अनेक शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया लेकिन खेलों के संदर्भ में यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। इसका कारण यह भी हो सकता है कि अन्य विषय, शासन की प्राथमिकता सूची में ऊपर थे। जैसे-जैसे देश में नए निजी चैनलों का प्रसारण शुरु हुआ वैसे-वैसे स्थिति में बदलाव दृष्टिगत होने लगे। खासकर उस समय, जब निजी प्रसारण कंपनियों ने खेलों के लिए पृथक चैनल ही बना दिए, जिनमें खेलों के सजीव प्रसारण के साथ-साथ अन्य कार्यक्रम भी खेलों से ही संबंधित होते हैं। प्रारंभ में इन निजी खेल चैनलों में दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों की भाषा पूरी तरह अंग्रेजी में हुआ करती थी लेकिन लाभार्जन के लिए इन चैनलों ने भारतीय बाज़ार में अपने कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित करने की कवायद की, जो पहले कुछ चुनिंदा खेलों तक सीमित थे। इसके बाद हिंदी भाषा ने इन चैनलों के बाज़ार को भारत में ऐसा विस्तृत किया कि इन्हें अलग से केवल हिंदी भाषा में कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए चैनल लाने पड़े।

नवंबर 2012 में स्टार क्रिकेट के लिए कपिल देव विज्ञापन लेकर आते हैं और कहते हैं “जो बात हिंदी में है वो किसी और में नहीं। देखिए इंडिया वार्सेज़ इंग्लैंड मैच हिंदी में सिर्फ स्टार क्रिकेट पर।” इन विज्ञापनों को टीवी पर ज्यादा दिन तक दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि चैनल वाले ये बखूबी जानते थे कि भारत के लोग खेलों को अपने नज़रिये से देखना चाहते हैं बस एक बार उनमें इसकी ललक जगानी है। विज्ञापन का लक्ष्य अपने पक्ष के उत्पादों की जानकारी देकर उत्पाद के प्रति जनता या उपभोक्ता को जागरूक बनाना तदनुरूप जनमत निर्धारण करना है लेकिन आपका लक्ष्य तभी पुरा हो पाएगा जब विज्ञापन में कहे गए संदेश लोगों की समझ में आए।

वर्ष 2016 में स्टार स्पोर्ट्स-3 चैनल के लिए अपने स्वयं के प्रचार-प्रसार के लिए बनाए गए विज्ञापन पर नज़र डालिए जिसमें क्रिकेटर वीरेन्द्र सहवाग और जहीर खान के साथ एक तीसरा व्यक्ति भी है। इस विज्ञापन में तीसरा व्यक्ति सहवाग को कॉमेट्री के दौरान अपनी भाषा और भावनाओं पर नियंत्रण रखने का अनुरोध करता है जिसके प्रत्युत्तर में सहवाग हल्का सा मुस्कुराकर सहमति जताते हैं। विज्ञापन का निष्कर्ष इस प्रकार से सामने आता है कि “15 मार्च से दिग्गजों के साथ देखिए आईसीसीटी-20 का घमासान अपने दिल की जुबान हिंदी में, सिर्फ स्टार-स्पोर्टस 3 और हॉट स्टार पर। हिंदी में बात है क्योंकि हिंदी में जज़्बात है।”

इन सबसे आगे बढ़कर भारत में प्रसारित होने वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पर्धा वर्ल्ड रेसलिंग एनटरटेनमेंट (डब्ल्यूडब्ल्यूई), फुटबाल वर्ल्ड कप, यूरो कप जैसे खेलों के कॉमेंट्री की भाषा अब हिंदी होने लगी है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के एक मैच में कॉमेंट्री पर नज़र डालें “डिएगोकोस्टाकोलंबी हवाई बॉल मिली है, अवसर बन सकता है डिएगो कोस्टा के लिए। डिफेडर को बीट करने में कामयाब, शूट करने की कोशिश और कमाल कर दिया! पुर्तगाल 1, स्पेन 1।” प्रोकबड्डीलीग, आईपीएल और इंडियन सुपर लीग जैसे स्पर्धाओं की हिंदी कॉमेंट्री ने भारत में न केवल इन खेलों के दर्शकों की संख्या में वृद्धि की है वरन् भारत में इन खेलों के लिए जमीन भी तैयार कर रही है।

टेलीविजन पर खेलों के सजीव प्रसारण की शुरुआत से लगभग तीन दशक बाद अब सजीव-प्रसारण के दौरान टीवी पर लिखी जाने वाली लिपि अंग्रेजी से देवनागरी होने लगी। जिसमें खिलाड़ियों के नाम, उनका संक्षिप्त परिचय तथा उनके खेल में अब तक के प्रदर्शन देवनागरी में लिखने की व्यवस्था की गई। इन सबसे आगे बढ़कर किसी खेल के संपन्न होने के बाद उस पर की जाने वाली चर्चा और प्रदर्शनों का विश्लेषण भी हिंदी भाषा में होने लगा, इन विश्लेषणों में खेलों से जुड़े हुए पूर्व खिलाड़ी ही आते हैं जिन्हें हमने उनके खेल-जीवन में हिंदी में बोलते हुए शायद ही सुना हो। चैनल, खेल और दर्शकों को इससे लाभ तो होता ही है साथ ही जो खिलाड़ी इस चर्चा में भाग लेते हैं उन्हें इससे अच्छी खासी आय भी हो जाती है। पहले खेलों की अंग्रेजी कॉमेंट्री के लिए विदेशी खिलाड़ी को चैनलों द्वारा लिया जाता था जो प्रायः विदेश के हुआ करते थे लेकिन जब से हिंदी में कॉमेंट्री की व्यवस्था प्रारंभ हुई है तब से पूरे खेल के दौरान हिंदी कॉमेंटेटर ही कॉमेंट्री करता है और जाहिर सी बात है कि ये हिंदी कॉमेंटेटर भारत के ही होंगे। अब आलम यह है कि हिंदीतर क्षेत्र के खिलाड़ी भी खेल चैनलों पर हिंदी में टिका-टिप्पणी, विश्लेषण करते नज़र आ रहे हैं। इतना ही नहीं इनकी हिंदी अपेक्षाकृत कम शुद्ध होती है लेकिन हिंदी भाषा का जादू ही कहिए जब कोई हिंदीतर भाषी इसका प्रयोग करते हैं तो ये सुनने में बड़े ही आनंद की अनुभूति कराने वाले होते हैं। एक हिंदीतर भाषी कॉमेंटेटर की कॉमेंट्री सुनिए "पैर जो है हमेशा बैंड होता है ब्रायर लारा का लेकिन हमेशा वेट जो है हमेशा बॉल के ऊपर आता था और कहां भी फील्ड हो, बीच मे गैप ढूंढने में कामयाब होते थे।"

वर्ष 2021 में टोक्यों में हुए ओलंपिक खेलों में पहली बार हिंदी में कॉमेंट्री की व्यवस्था की गई। 32 वाँ टोक्यो ओलंपिक-2020 का आयोजन भले ही विदेश में हुआ हो लेकिन भारत में उसका प्रसारण हिंदी भाषा में किया गया। ओलंपिक खेल-2020 के प्रसारण का अधिकार निजी कंपनी के पास था लेकिन इसके चैनलों में हिंदी कॉमेंट्री व कुछेक क्षेत्रीय भाषा में कॉमेंट्री की भी व्यवस्था की गई थी। पुरुषों के ब्रांज मेडल हॉकी मैच की शुरुआत में हिंदी कॉमेंट्री की लाइन देखिए '41 साल बाद ये पहला मौका है जब भारत की पुरुष हॉकी टीम पोडियम पर खड़ी दिखाई दे सकती है। जर्मनी बनाम भारत ब्रांज मेडल मैच। चरम सीमा को पार करता हुआ पोडियम फिनिश मैच 'और "अब नज़रें भारत के मीराबाई चानु पर! पहले 84 किलो और अब 87 किलो लिफ्ट किया" हिंदी कॉमेंट्री के दौरान कहे गए हर लाइन इसी तरह के होते थे जो सीधे दिल पर दस्तक देते। हिंदी कॉमेंट्री के दौरान हॉकी में पेनेल्टी कॉर्नर, स्कूप, सेंटर फॉरवर्ड, सर्कल एंट्री, कॉर्नर जैसे शब्दों को भरपूर उल्लेख हुआ। देशी भाषा में कहे जाने वाला खेल 'भाला फेंक' जिसे जेवलीन-थ्रो कहकर हमनें लोगों के लिए दुर्गम कर दिया था, नीरज चोपड़ा ने भारत को इस खेल में स्वर्ण पदक दिलाने के साथ यह भी याद दिलाया कि यह आपका अपना खेल है। टोक्यो ओलंपिक में खेले गए खेल जिनमें भारतीय खिलाड़ियों नें भाग लिया जैसे कुश्ती, भरोत्तोलन, तलवारबाजी, घुड़सवार, जिम्नास्टिक, डिस्कस थ्रो यहाँ तक कि गोल्फ जैसे खेलों में भी हिंदी कॉमेंट्री प्रभावी रही।

वर्ष 2023 में अभी तक संपन्न ग्रैंड स्लेम के सभी मुकाबलों के लिए भारतीय दर्शकों हेतु हिंदी कमेंट्री की व्यवस्था की गई थी जिससे इन निजी चैनलों के दर्शकों की संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। इनसे आगे बढ़ते हुए अब तो निजी खेल वेबसाइट भी अपने कार्यक्रम हिंदी भाषा में प्रसारित कर रहे हैं। निजी कंपनियों ने यह दिखा दिया कि खेलों में हिंदी कॉमेंट्री हो सकती है और भारत का विशाल जनसमुदाय इसे हर्ष के साथ स्वीकार करता है।

बहरहाल, खेल चैनल भले ही अपने आर्थिक उद्देश्य के लिए हिंदी भाषा व क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग कर रहे हों लेकिन हमें इसे अपने लाभ के दृष्टिकोण से परखना होगा। खेल संस्कृति के विस्तार के लिए लोगों को खेल शब्दावली, नियमों से साक्षात्कार कराना आवश्यक है। भारतीय संदर्भ में किसी विषय-वस्तु को लोकप्रिय बनाना है तो जनमानस के बीच उसके संप्रेषण माध्यम, भाषा पर विचार करना होगा। वही राष्ट्र विकसित, सामर्थ्यवान, अग्रणी बनता है जिनके युवा शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं और इसमें खेल की उपयोगिता स्वप्रमाणित है। आवश्यकता है राजभाषा हिंदी के साथ खेल-संस्कृति को विस्तारित करने की, खेलों को लोगों की अपनी भाषा प्रसारित करने की। विगत कुछेक वर्षों में टीवी के माध्यम से जो कार्य हुआ है वह काबिल-ए-तारीफ है। जहाँ एक ओर निजी खेल चैनलों ने हिंदी कॉमेंट्री के भरोसे भारत में अपना बड़ा दर्शक-वर्ग तैयार करने में सफलता हासिल की है वहीं दूसरी ओर खेलों के प्रचार-प्रसार में चैनलों नें भूमिका अद्वितीय रही है। निष्कर्षतः राजभाषा हिंदी, भारत को खेल राष्ट्र के रूप में अविर्भावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक प्रमुख कारक है। देश में खेल संस्कृति को सुदृढ़ बनाकर हम विश्व मंच पर भारत की स्थिति को और सशक्त कर सकते हैं।

-वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग

हिंदी साहित्य का फिल्मांतरण: स्थिति एवं संभावनाएँ

- डॉ. गोकुल क्षीरसागर

प्राचीन काल से ही मनुष्य कलाओं का सृजक-आस्वादक रहा है। मानव सभ्यता के आरंभिक समय में मनुष्य ने पेट की भूख मिटने पर मस्तिष्क की भूख मिटाने के लिए कला का सृजन किया। धीरे-धीरे अपनी भूख-प्यास भूलकर वह कलाओं के निर्माण एवं आस्वादन में खोने लगा। इस प्रकार मनुष्य को पेट से उपर उठाने में कलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। प्रकारान्तर रूप से कहा जा सकता है कि मनुष्य को मनुष्य बनाने में साहित्य,शिल्प,चित्र, संगीत, नाट्य आदि कलाओं की प्रमुख भूमिका रही है। 'सिनेमा' इन्हीं कलाओं के संमिश्रण से (आधुनिक काल में) निर्मित कला है। मूलतः चित्रकला से प्रभावित एवं निर्मित इस कला में शनैः शनैः साहित्य, संगीत, नृत्य, शिल्प आदि कलाएँ जुड़ती गई। सिनेमा का रूप पूर्णतः कलात्मक होकर भी इसका निर्माण वैज्ञानिक प्रक्रियाओं, यंत्रों पर आधारित है। वैसे तो नाटक भी दृश्य-श्राव्य कला है, किंतु सिनेमा ने नाटक एवं रंगमंच की सीमाओं को तोड़कर श्रेष्ठ कला का रूप ग्रहण किया है। साहित्य जैसी कला को भी अधिक संप्रेषणधर्मी तथा प्रभावशाली रूप में परिवर्तित करने की क्षमता सिनेमा में निहित है। इसी क्षमता के कारण सिनेमा के अन्य कलाओं के साथ पारस्परिक पूरक संबंध स्थापित हुए हैं। इस प्रकार सिनेमा आज अभिव्यक्ति का अत्यधिक शक्तिशाली माध्यम बन गया है।

सिनेमा का आरंभ उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में 1895 ई. में हुआ था। दुनिया की प्रारंभिक फिल्में ('लंच अवर एट दल्युम्येअर फॅक्टरी', 'ट्रेन अराइवल एट स्टेशन' आदि) वास्तविक घटनाओं का छायांकन मात्र थीं। जिनमें कथा अथवा कल्पना तत्व का प्रयोग नहीं किया जाता था। फिर भी रोजमर्रा जीवन की सामान्य घटनाओं पर आधारित हिलते-डुलते चित्र (आरंभिक फिल्में) तत्कालीन दर्शकों के लिए विस्मयपूर्ण और चमत्कारिक घटनाएँ थीं। किंतु बीसवीं शदी के आरंभ तक इन फिल्मों में विषयगत एकरुपता आने लगी थी। परिणामतः फिल्मकारों ने फिल्म में कथा तत्व की खोज करना आरंभ किया। इस प्रकार फिल्मों में कथा-तत्व के प्रयोग से ही साहित्य के फिल्म रूपांतरण की संभावनाएँ निर्मित हुई और साहित्य का फिल्मांतरण आरंभ हुआ। साहित्य के फिल्मांतरण का दूसरा कारण यह था कि संबंधित (फिल्मांतरित) साहित्य-कृतियाँ बहुचर्चित थीं, जिनकी कथा लोगों में ज्ञात अथवा बहुश्रुत होने के कारण दर्शकों को संबंधित फिल्मों की कथा समझने के लिए सुविधाजनक थीं। अर्थात उन्हें फिल्म के संवादों पर अधिक निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अतः स्पष्ट है कि सिनेमा को कलात्मक श्रेष्ठता प्रदान करने, श्रेष्ठ साहित्यकृतियों को लोगों तक पहुँचाकर लोगों को सिनेमा की ओर आकृष्ट कराने, तथा तत्कालीन मूक फिल्मों को अधिक संप्रेषणधर्मी बनाने हेतु साहित्य का फिल्मांतरण आरंभ हुआ।

3 मई, 1913 को दादासाहब फालके द्वारा निर्मित 'राजा हरिश्चंद्र' का प्रदर्शन हुआ और भारतीय चलचित्र के इतिहास में एक गौरवशाली पन्ना लिखा गया। यह भारत की पहली फिल्म थी, जिसका निर्माण सिने तकनीक के विधिवत् प्रयोग से स्वदेशी कलाकारों द्वारा किया गया था। सामान्यतः 1913 ई. से 1931 ई. तक के समय में बनी भारतीय फिल्में ध्वनि रहित अर्थात मूक फिल्में थीं। संबंधित समय सीमा में बनी फिल्मों का प्रमुख विषय प्रायः पौराणिक, धार्मिक कथाओं से संबंधित हुआ करता था। जब से सिनेमा में (1931) ध्वनि का आगमन हुआ, तब से सिनेमा के द्वारा कहानी कहने की संभावनाओं का नया द्वारा खुल गया। इस बात पर प्रकाश डालते हुए सत्यजित राय ने लिखा है. "ध्वनि के संयोग के फलस्वरूप चलचित्र में भाव प्रकाशन का कार्य बहुत कुछ सरल हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके स्वभावतः ध्वनियुक्त चित्र यथार्थ के एक पग और निकट चला आया और इसके फलस्वरूप फिल्म की विषय-वस्तु की परिधि भी बहुत विस्तृत हो गई।"[2]

इस प्रकार सवाक् हिंदी सिनेमा के प्रारंभिक समय में हिंदी साहित्य का फिल्मांतरण आरंभ हुआ। चूँकि मूक सिनेमा में कहानी या कथा कहने में बहुत सी समस्याओं का सामना फिल्मकार को करना पड़ता था। किंतु फिल्म में ध्वनि के आगमन से सामाजिक, साहित्यिक आदि विषयों पर चलचित्र बनाने का कार्य अधिक सुलभ हुआ।

हिंदी साहित्य के फिल्मांतरण की शुरुआत 1934 ई. में हुई। मुंबई के अजंता सिनेटोन फिल्म कंपनी के निर्देशक मोहन भावनानी ने 1934 ई. में मुंशी प्रेमचंद को मुंबई में सिने-लेखन के लिए आमंत्रित किया और प्रेमचंद्र ने हिंदी सिनेमा के लिए लिखना आरंभ किया। इस घटना ने हिंदी साहित्य को हिंदी सिनेमा के साथ जोड़ दिया। मुंशी प्रेमचंद ही वे पहले हिंदी कथाकार थें, जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी कृतियाँ चलचित्रों के लिए उपलब्ध करायी।[3] प्रेमचंद को फिल्म में आमंत्रित करने के पीछे फिल्मकार का उद्देश्य दर्शकों को हिंदी सिनेमा की ओर आकर्षित कर आर्थिक लाभ प्राप्त करना रहा हो अथवा सिनेमा को साहित्य के फिल्मांतरण से समाज में स्थापित करना रहा हो, लेकिन

इस घटना से हिंदी सिनेमा उत्कर्षोन्मुख हो गया इसमें कोई संदेह नहीं। अब तक हिंदी साहित्य की कतिपय कृतियों का फिल्मांतरण हुआ है- 'गरीब मजदूर' (द मिल)1934, 'सेवासदन'1934, 'धूपछाँव'1935, 'धूआँधार' 1935, 'स्वामी' 1941, 'चित्रलेखा' 1943, 'रंगभूमि' 1946, 'हीरा मोती' 1959, 'उसने कहा था' 1960, 'धर्मपुत्र' 1961, 'गोदान'1963, 'चित्रलेखा' का पुनर्निर्माण 1964, 'आकाशदीप' 1965, 'आम्रपाली' 1966, 'गबन' 1966, 'तीसरी कसम' 1966, 'सारा आकाश' 1969, 'उसकी रोटी' 1969, 'कटी पतंग' 1970, 'आषाढ का एक दिन' 1971, 'बदनाम बस्ती' 1971, 'फिर भी' 1971, 'माया दर्पण' 1972, 'सत्ताइस डाऊन' 1973, 'दुविधा' 1973, 'रजनीगंधा' 1974, 'डाक बंगला' 1974, 'आँधी' 1975, 'चरणदास चोर' 1975, 'मौसम' 1975, 'ओका ओरी कथा (The Outsider)तमिल 1977, 'स्वामी' 1977, 'शतरंज के खिलाडी' 1977, 'जीना यहाँ' 1979, 'त्यागपत्र' 1979, 'सतह से उठता आदमी' 1980, 'सद्गति' 1981, 'उमराव जान' 1981, 'रंगबिरंगी' 1983, 'दामुल' 1984, 'समय की धारा' 1986, 'पंचवटी' 1986, 'तमस' 1988, 'सूरज का सातवाँ घोड़ा' 1993, 'त्रियाचरित्र' 1994, 'नौकर की कमीज' 1999, 'अनाहत'- मराठी 2003, 'पहेली' 2005, 'अनवर' 2007, 'मोहनदास' 2009, 'आदमी की औरत तथा अन्य कहानियाँ' 2009, 'खरगोश'2009, 'मोहल्ला अस्सी' 2014, आदि प्रमुख फिल्में हैं, जो हिंदी साहित्य-कृतियों का फिल्मांतरण थीं।

साहित्य के फिल्मांतरण की लोकप्रियता के साथ ही विचारकों का एक वर्ग ऐसा भी है, जो फिल्मांतरण के आरंभ से फिल्मांतरण का विरोध करते आया है। फिल्मांतरण के प्रतिरोध में खड़े इन विद्वानों की यह स्पष्ट धारणा रही है कि साहित्य और सिनेमा ये दोनों स्वतंत्र कलाएँ हैं और इनका मेल संबंधित दोनों विधाओं के लिए अहितकारक है। फिल्मांतरण का विरोध करने वाले विद्वानों का प्रमुख सवाल विश्वसनीयता (Fidelity) का है। सिनेमा को दोयम दर्जे की कला मानने वाले विचारकों का बहुत बड़ा वर्ग आज भी सिनेमा के प्रति घृणा-दृष्टि से देखता है। कुछ लोगों की यह धारणा है कि साहित्य सिनेमा पर आधारित नहीं होता, अपितु सिनेमा को साहित्य पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए फिल्मांतरण के कारण सिनेमा की अपेक्षा साहित्य को ही अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। सिनेमा की चकाचौंध भरी दुनिया के प्रभाव-स्वरूप आज साहित्य अपना विनाश कर रहा है। पैसों तथा लोकप्रियता के भूलावे में आकर अधिकतर साहित्यकार सिनेमा की ओर मुड़ रहे हैं, परिणामतः साहित्य का नुकसान हो रहा है ऐसी इन विचारकों की धारणा है।

साहित्य के फिल्मांतरण के इतिहास पर दृष्टिपात करने पर यह बात समझ में आती है कि विभिन्न विसंगतियों के बावजूद प्रारंभ से लेकर आज तक फिल्मांतरण का क्षेत्र शनैः शनैः फलता-फूलता गया है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए तथा फिल्मांतरण की आवश्यकता एवं महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिंडा सेजर ने लिखा है- "85 Percent of all Academy Award-Winning Best Pictures are adaptations. 70 Percent of all Emmy Award winner television Movies of the week and 95 Percent of Emmy Award Winners Miniseries are adaptations."[4] लिंडा सेजर के मतानुसार अब तक की 85 प्रतिशत अकेडमी (ऑस्कर-जो फिल्म क्षेत्र में दिया जानेवाला श्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है) ॲवार्ड प्राप्त फिल्में साहित्य का फिल्मांतरण रही हैं। ॲमी (Emmy) पुरस्कार प्राप्त साप्ताहिक टेली फिल्मों में से 70 प्रतिशत टेलीफिल्में और 95 प्रतिशत ॲमी (Emmy) पुरस्कार प्राप्त लघु धारावाहिक फिल्मांतरण रही हैं। इस प्रकार इस ब्यौरे के आधार पर यह बात स्पष्ट होती है कि दुनिया की श्रेष्ठ समझी जाने वाली अधिकतम फिल्में साहित्य का फिल्मांतरण रही हैं। इस उद्धरण और आंकडों के आधार पर यह बात भी स्वयं स्पष्ट होती है कि साहित्य के फिल्मांतरण से सिनेमा का किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। साहित्य के दोहन के कारण ही अधिकतम फिल्में अधिक कलात्मक और श्रेष्ठ बन पायी हैं, जिस कारण उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया है। साहित्य के फिल्मांतरण के कारण सिनेमा को मिले फायदे को स्पष्ट करते हुए सुसन हायवर्ड ने लिखा है- "Literary adaptation gave Cinema the respectable cachet of entertainment-as-art. In a related way, it is noteworthy that literary adaptations have consistently been seen to have pedagogical value, that is teaching a nation (through cinema) about its classics, its literary heritage."[5] इनके मतानुसार साहित्य के फिल्मांतरण के कारण सिनेमा को मनोरंजन प्रधान कला का स्थान प्राप्त हुआ है। साहित्य के फिल्मांतरण को आज शैक्षिक मूल्य प्राप्त हुआ है। साथ ही देश को अपनी महान साहित्यिक परंपरा तथा विरासत का पाठ साहित्य के फिल्मांतरण के द्वारा दिया जा रहा है। यह उद्धरण साहित्य के फिल्मांतरण का ठोस कारण कहा जा सकता है।

साहित्य के फिल्मांतरण का फायदा महज़ सिनेमा को ही नहीं मिला है। साहित्य के फिल्मांतरण के द्वारा साहित्य एवं साहित्यकार दोनों को दुनिया के कोने-कोने तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है। फिल्मांतरण के द्वारा साहित्य के सीमित (भाषा, देश, शिक्षित आदि दृष्टि से) पाठकों के अतिरिक्त शिक्षित-अशिक्षित, देशी-विदेशी, गरीब-अमीर, अबाल-वृद्ध आदि हर वर्ग के दर्शकों तक कम समय में साहित्य पहुँचता है। साहित्य के फिल्मांतरण के कारण लेखकों को मिलनेवाली लोकप्रियता एवं आर्थिक लाभ साहित्यकारों के लिए अनुपम भेंट कही जा सकती है। क्योंकि फिल्मांतरित साहित्य कृतियों को दुनिया के करोडों पाठक बड़े चाव से पढ़ते हैं। जैसे 'हॅरी पॉटर' पर जब फिल्म बनी तो इस कृति को दुनिया के तमाम पाठकों ने खरीदा और पढ़ा। इस प्रकार फिल्मांतरण के कारण साहित्य और सिनेमा इन दोनों कलाओं का फायदा हुआ है। साहित्य के फिल्मांतरण से कुछ रचनाओं का नुकसान हुआ भी है, तो उसकी वजह फिल्मांतरण प्रविधि की व्यक्तिनिष्ठता अर्थात् फिल्मांतरण

करने वाले निर्देशक का फिल्मांतरणगत अज्ञान आदि रही है। क्योंकि फिल्मांतरण की सफलता अथवा विफलता साहित्य रचना की गुणवत्ता से अधिक फिल्मांतरण करनेवाले निर्देशक की फिल्मांतरणगत योग्यता एवं सृजनशीलता पर निर्भर करती है। आज लोगों का फिल्मांतरण की ओर देखने का नजरिया बदल रहा है। साहित्य कृतियों के सफल रूप में हो रहे फिल्मांतरण के कारण अब इस विषय को स्वतंत्र ज्ञानशाखा का स्थान प्राप्त हो रहा है।

इक्कीसवीं शताब्दी में फिल्मांतरण से जुड़ी 'क्लासिकल साहित्य का फिल्मांतरण' यह अभिजात्यवादी संकल्पना भी लगभग टूट चुकी है। साथ ही 'साहित्य का फिल्म में अंतरण' यह फिल्मांतरण का एकतरफा (One Way) मार्ग भी काफी विस्तृत हो गया है। आज साहित्य को फिल्म के साथ-साथ टेलिविजन, विड़ियो-गेम, म्यूजिकल्स आदि विभिन्न विधाओं में फिल्मांतरित किया जा रहा है। फिल्मांतरण को आज प्राप्त हुए इस व्यापक कैनवास के पीछे कई विद्वानों को योगदान रहा है। एक समय था जब फिल्मांतरण का अर्थ मात्र क्लासिकल रचनाओं के फिल्मांतरण के रूप में स्थापित हुआ था, किंतु आज 'पेज-टु-स्क्रिन और स्क्रिन-टु-पेज', 'लेखक पर्दे पर', तथा 'फिक्शन टू फिल्म और फिल्म टू फिक्शन' इस व्यापक क्षेत्र को फिल्मांतरण के अंतर्गत स्थान प्राप्त हुआ है। फिल्मांतरण पर गंभीर कार्य करने वालों में रॉबर्ट स्टॅम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिन्होंने 1957 ई. में 'नॉवेल टू फिल्म' (Novel to Film) नामक पुस्तक के द्वारा फिल्मांतरण की सैद्धांतिकी पर प्रथमतः विस्तृत अध्ययन किया। फिल्मांतरण को एक स्वतंत्र ज्ञानशाखा के रूप में स्थापित कराने के लिए पत्र-पत्रिकाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इनमें से 'लिटरेचर/फिल्म कॉर्टरली', 'अॅडाप्टेशन' तथ 'अॅडाप्टेशन इन फिल्म अॅण्ड परफॉरमन्स' इन प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। परिणामतः फिल्मांतरण आज एक स्वतंत्र ज्ञानशाखा के रूप में उभरकर सामने आयी है, किंतु फिल्मांतरण की अपनी कुछ सीमाएँ भी हैं।

फिल्मांतरण को लेकर आज प्रचुर मात्रा में लेखन-चिंतन हो रहा है, किंतु फिल्मांतरण की सैद्धांतिकी के संबंध में विद्वानों में अधिकतर मत भिन्नता दिखायी देती है। फिल्मांतरण को लेकर चल रहा विमर्श प्रायः अंग्लो-अमरिकन लेखकों द्वारा हुआ है। इसलिए हॉलीवुड में यह संकल्पना अधिक स्पष्ट भले ही हुई हो किंतु हिंदी फिल्मों के संदर्भ में यह विषय आज भी विवाद का मुद्दा मात्र है। हॉलीवुड और उसके प्रभाव में होनेवाले फिल्मांतरण संबंधी लेखन के बारें में कार्टमेल ने लिखा है- "But alas the field is Still dominated by Anglo-American texts, the adaptations of which tend to fetishize their nationalistic features. "[6] इनके मतानुसार आज फिल्मांतरण को समाज में अच्छा स्थान भले ही प्राप्त क्यों न हुआ हो किंतु दुर्भाग्यवश आज भी फिल्मांतरण का क्षेत्र अँग्लो- अमरिकन लेखकों के लेखन के प्रभाव में है। परिणामतः फिल्मांतरण की सैद्धांतिकी में इन दो देशों की राष्ट्रीय विशेषताएँ देखने को मिलती हैं। फिल्मांतरण के सैद्धांतिकी की यह बहुत बड़ी सीमा कही जा सकती है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय फिल्मांतरण में मूल रचना से समीपता को अधिक महत्व देने के कारण हिंदी कथा साहित्य का अधिक फिल्मांतरण नहीं हो पाया। साहित्यकारों को यह बात भी समझने की आवश्यकता है कि साहित्य का फिल्मांतरण साहित्य के विधांतरण के साथ-साथ उसका कलात्मक पुनःसृजन भी होता है। अतः साहित्य के फिल्मांतरण में फिल्मकार को सिनेमैटिक छूट देना आवश्यक होता है। फिल्म-निर्देशक के पास साहित्य के विज्युएलाजेशन के लिए सिनेमैटिक उपादानों का पर्याप्त ज्ञान और उस ज्ञान के कुशल प्रयोग की क्षमता हो तो साहित्य के फिल्मांतरण को कलात्मक एवं व्यावसायिक दोनों दृष्टियों से सफल बनाया जा सकता है। सिनेमा जैसे प्रभावी एवं लोकप्रबोधन के माध्यम द्वारा अच्छी साहित्यिक फिल्में रूपांतरित होकर समाज तक पहुँचनी चाहिए। एक ओर हम यह भी कहते हैं कि आज हिंदी सिनेमा में सब कुछ है, किंतु कंटेन्ट नहीं है। अतः अच्छी हिंदी साहित्य कृतियों के फिल्मांतरण से साहित्य को करोड़ों लोगों तक पहुँचाया जा सकता है और सिनेमा को भी अच्छी कहानियां, भाव-भावनाएं, चरित्र, विचार आदि प्राप्त हो सकते हैं।

संदर्भ सूचीः-

1. A Companion to literature, film and Adaptation Edited by Deborah Cartmell, Black Well Publication, UK-2012.
2. चलचित्रः कल और आज-सत्यजीत राय, अनुवादक योगेंद्र चैधरी, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, 1992.
3. भारतीय चलचित्र, डॉ.महेंद्र मित्तल, अलंकार प्रकाशन, दिल्ली, 1975.
4. The Art of Adaptation Linda Sager, An own book, Henery Holt & Company, New York, 1994.
5. Key concepts in cinema studies by Susan. Hayward, Routledge, London &New York, 1996.
6. A Companion to literature, film and Adaptation Edited by Deborah Cartmell, Adaptation & intertextuality by Thomas Letch, Black Well Publication, UK-2012.

-हिंदी विभाग प्रमुख,
न्यू आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज,शेवगांव,
जिला-अहमदनगर, महाराष्ट्र।

अमृत काल: मीडिया तकनीकी के रथ पर सवार हिंदी

-चयनिका दुबे

वर्ष 2022 में भारत वर्ष की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2022 को लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में आगामी 25 वर्षों के लिए एक महोत्सव का आरंभ किया (2022-2047), 'विकसित भारत' के निर्माण के लिए 'अमृत काल'। शताब्दी समारोह, 2047 से पहले अमृत काल में पांच प्रण (पांच प्रतिज्ञा) शामिल हैं, जिनमें हैं-

1. विकसित भारत का निर्माण
2. औपनिवेशिक मानसिकता के अवशेषों को त्यागना
3. भारत की समृद्ध विरासत को कायम रखना
4. आंतरिक एकता को मजबूत करना, तथा
5. कर्तव्यपरायण नागरिक बनना

भारत@2047, कैसा होगा वर्ष 2047 का भारत? प्रधानमंत्री का मानना है कि 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान होगा। प्रत्येक क्षेत्र में तकनीक का उपयोग होगा। राजनीति, दैनिक कार्यों, कला-संस्कृति, ज्ञान-विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि आदि समाज का कोई भी पहलू इससे अछूता नहीं रहेगा। ऐसे में इन सभी क्षेत्रों में अभिव्यक्ति का सबसे महत्त्वपूर्ण आयाम, भाषा को भी तकनीक से जोड़कर देखना होगा।

किसी भी राष्ट्र के निर्माण में भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। भाषा मात्र अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, वह एक राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति है तथा जातीय पहचान का प्रतीक भी है। महात्मा गांधी का भी मानना था कि, "राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है"। आदम युग से लेकर आज 21वीं सदी तक मनुष्य ने प्रतीकों, संकेतों, बोलियों तथा उसके बाद भाषा के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट किया है। इन विचारों के विनिमय हेतु उसने विविध संसाधनों की खोज भी की परंतु परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समसामयिक परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य को नये संसाधनों का आविष्कार करना पड़ा। आज मनुष्य इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से विश्व के किसी भी कोने में अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि का मूल उपादान भाषा ही है, भाषाओं का जीवन उनके तकनीकी अनुकूलन पर निर्भर करता है। आज जब कंप्यूटर और इंटरनेट जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, तो हमारी राजभाषा हिंदी भी निश्चित तौर पर तकनीक के साथ तालमेल बैठाकर वैश्विक पटल पर निर्बाध रूप से अपने पथ पर अग्रसर हो रही है।

वैश्वीकरण तथा तकनीक के प्रभाव के लिए भाषागत क्षेत्र भी अपवाद नहीं है। वैश्विक स्तर पर विचार करने पर यह मालूम होता है कि मीडिया तकनीक ने हिंदी भाषा क्षेत्र को भी समृद्ध किया है। हिंदी भाषा के भी विभिन्न प्रकार के साफ्टवेयर विकसित किए जा रहे हैं। तकनीकी क्रांति से हिंदी के व्यावहारिक और रोजगार परक भाषा न होने की बाधा दूर हो गई है। शिक्षा, चिकित्सा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में हिंदी की ऑनलाइन सामग्री ने महानगरों ही नहीं वरन् शहरों और कस्बों के बच्चों और युवाओं को प्रतिस्पर्धा में ला दिया है। आज बाज़ार में एजुकेशन लर्निंग एप की बाढ़ आ चुकी है। ये एप हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने हिंदी को विज्ञापन तथा बाज़ार वृद्धि के साधन के रुप में स्वीकार किया है, प्रिंट माध्यम एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के केन्द्र में हिंदी ने अपनी पहचान बना ली है। टीवी पर सैकड़ों चैनलों ने हिंदी को व्यावसायिक स्तर पर स्वीकार किया है। कंप्यूटर तथा इंटरनेट पर हिंदी ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। यूनिकोड तकनीक से भाषिक सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। इस तकनीक के कारण कंप्यूटर पर हिंदी भाषा में काम करना अत्यधिक सहज और सरल हो गया है। गूगल सर्च इंजन के एक वरिष्ठ अधिकारी की यह स्वीकारोक्ति बहुत कुछ महत्त्वपूर्ण है कि, {"आने वाले कुछ वर्षों में भारत दुनिया के सबसे बड़े कंप्यूटर बाज़ारों में से एक

होगा और इंटरनेट पर जिन तीन भाषाओँ का एकाधिपत्य अथवा दबदबा होगा, वे हैं- हिंदी, मेंडरिन और अंग्रेज़ी”}[1]

मीडिया तकनीकी से हिंदी देश-विदेश की सीमाओं को पार करके पहुंची हैं। हिंदी की सैंकड़ों पत्र पत्रिकाएं हैं, जो विदेशों से प्रकाशित होती हैं। इनमें से अनेक का ऑनलाइन संस्करण भी उपलब्ध है, {भारत दर्शन (http://www.bharatdarshan.co.nz)} न्यूज़ीलैण्ड से प्रकाशित हिंदी साहित्यिक पत्रिका है। सरस्वती (http://www.saraswatipatrika.com) पत्र कनाडा से, अन्यथा पत्रिका, अमेरिका स्थित भारतीय मित्रों द्वारा प्रकाशित पत्र है। हिंदी परिचय, गर्भनाल, प्रवासी भारतीयों की ई-पत्रिका है। कलायन, कर्मभूमि, हिंदी जगत आदि यू०एस०ए की त्रैमासिक पत्रिका है।}[2]

भारत से प्रकाशित होने वाली ई-पत्रिकाएं हैं- सृजनगाथा, समय दर्पण, हिंदी साहित्य मंच, रचनाकार ब्लॉग स्पॉट आदि। हिंदी अखबारों का ई–संस्करण का क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है, आज इंटरनेट पर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, हिन्दुस्तान,अमर उजाला, दैनिक भास्कर आदि समाचार पत्र हैं जो हिंदी समाचारों की पूरे विश्व में जानकारी देते हैं। आज अमेरिका में बैठा व्यक्ति भी एक क्लिक की सहायता से अपने देश की खबर अपनी भाषा में पढ़ सकता है। वहीं डियूश वैले (जर्मन रेडियो द्वारा प्रसारित हिंदी कार्यक्रम) भी हिंदी के विकासोन्मुख परिदृश्य से अवगत कराता है, विगत कई वर्षों में यह भी देखने में आया है कि स्टार न्यूज़ जैसे चैनल जो अंग्रेज़ी में आरम्भ हुए थे, वे विशुद्ध बाज़ारीय दबाव के चलते पूर्णत: हिंदी चैनल में रूपांतरित हो गए हैं, साथ ही ईएसपीएन तथा स्टार स्पोर्ट्स जैसे खेल चैनल भी हिंदी में कमेंट्री करने लगे हैं।

वैश्वीकरण के तथा सामाजिक विकास के सकारात्मक पक्ष पर दृष्टिपात करने से मालूम होता है कि ‘‘ग्लोबल विलेज’’ और कुछ नहीं है बल्कि “वसुधैव कुटुम्बकम्” की चरितार्थता का ही दूसरा रुप है। वस्तुत: भूमंडलीकरण एवं वैश्वीकरण के केन्द्र में शक्तिशाली और विकासशील देश ही हैं। हिंदी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजभाषा ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, फिजी, मॉरीशस, गुयाना, त्रिनिदाद तथा सूरीनाम जैसे देशों की संपर्क भाषा भी है। हिंदी सिनेमा ने भी अपने संवादों एवं गीतों के कारण विश्व स्तर पर हिंदी की एक अलग ही पहचान बनाई है। हमारे निर्देशक फिल्मों के माध्यम से हमारी भाषा ही नहीं वरन् संस्कृति को भी वैश्विक पटल पर लाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। {फिल्म निर्माता एवं निर्देशक करन जौहर का कहना है- “हिंदी की बदौलत हमें प्रसिद्धि मिली है। हम हिंदी को कम करके कैसे आंके? हम हिंदी में फिल्में बनाते हैं, उसे देखने के लिए लोग आते हैं। चाहे अमेरिका हो या लंदन, वहां भी हिंदी के दर्शक मिल जाते हैं और फिल्मों की सराहना करते हैं।” फिल्म जगत ने हिंदी को अत्यधिक व्यापक बनाया है और इस भाषा को प्रसिद्धि दिलायी है। वहीं विज्ञापन की दुनिया में भी हिंदी भाषा का वृहद् स्तर पर प्रयोग हो रहा है। विज्ञापन गुरु पीयूष पाण्डे कहते हैं, “हिंदी विज्ञापनों ने बाज़ार का पुरा स्वरुप ही बदल दिया है। आज बड़े अंतरराष्ट्रीय उत्पादों का हिंदी में प्रचार प्रसार हो रहा है, इसका कारण स्पष्ट है कि इस भाषा का दायरा बढ़ा है, जिसका प्रमुख कारण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है।’[3]

तकनीकी विश्व में हिंदी की बहार दिखाई देने लगी है- सोशल नेटवर्किंग साईट और ब्लॉगिंग में जिस अंदाज़ में विश्व ने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं ट्विटर को अपनाया है, वह अद्भुत है। केवल दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में ही नहीं वरन् छोटे कस्बों एवं गाँवों में भी लोग हिंदी में फेसबुक, व्हाट्सएप एवं ट्विटर का प्रयोग करते हैं। यह मीडिया सामाजिक एक्टिविज्म का बेहतरीन मंच है। इसके माध्यम से समाज सुधार, पर्यावरण, युद्ध विरोध, भूमंडलीकरण विरोध तथा विश्व शांति के सन्देश को अपनी भाषा में विश्व के किसी भी कोने में पहुंचाया जा सकता है, विशेषत: पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को सामने लाने के लिए यूट्यूब, ट्विटर तथा अन्य सोशल मीडिया नेटवर्कों के माध्यम से हिंदी भाषा में पहुंचाया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने विचारों को पूरे विश्व के सामने प्रकट करने के लिए ट्विटर पर हिंदी भाषा का ही अधिकतर प्रयोग करते हैं। विकिपीडिया के अनुसार हिंदी में लिखे ब्लॉग को चिट्ठे भी कहते हैं। {हिंदी ब्लॉग उन साहित्य एवं साहित्यकारों की रचनात्मकता को वैश्विक धरातल प्रदान कराते हैं, जो अन्तर्जाल में हिंदी की अनिवार्यता एवं ख़ास तकनीक में दक्षता के बगैर अपनी अभिव्यक्ति कौशल के बावजूद बौने जैसे रह गये थे। इसके माध्यम से अब वे रचनाकार भी इंटरनेट पर अपनी रचनाओं का प्रकाशन करना चाहते हैं और ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं।}[4]

वर्ष 1990 के दशक में इंटरनेट की सेवा का भारत में प्रवेश हुआ। वर्ष 1996-1999 तक भारत में बड़ी तेजी से विभिन्न प्रकार की वेबसाईटों का विकास हुआ। इस कारण ऑनलाइन मार्केटिंग की अवधारणा का जन्म हुआ। आज आमेज़न, फ्लिप्कार्ट, स्नैपडील, ई-बे आदि अनेक प्रकार की कम्पनियां ऑनलाइन मार्केटिंग का रूप ले चुकी हैं लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि आमेज़न और फ्लिपकार्ट की असली पहचान ऑनलाइन बुक स्टोर की ही रही है। {यहाँ यह देखना है कि दोनों वेबसाईट्स पर हिंदी किताबों का बाज़ार कितना विस्तार ले चुका है। मसलन फ्लिप्कार्ट पर हिंदी की 27,930 से अधिक किताबें हैं और वहीं आमेज़न पर हिंदी की 34,573 से अधिक किताबें मौजूद हैं।}[5]

फ्लिपकार्ट किताबों के पेपरबैक और हार्ड्बाइंड संस्करणों के साथ पाठकों को ई-बुक्स की भी सुविधा प्रदान करता है। आमेज़न ने किन्ड्ल के नाम से एक गैजेट बाज़ार में उतारा है, जो ई-रीडिंग या ई-बुक्स का आमेज़न संस्करण है। वहीं गूगल ई-बुक्स के माध्यम से भी हम अनेक नई-पुरानी हिंदी पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। इन सभी को देखकर लगता है कि हिंदी की ई-बुक्स का भविष्य अत्यंत सुनहरा है। आज हम घर बैठे भी अपनी ई-बुक्स खुद बना सकते हैं और चाहें तो कमाई भी कर सकते हैं।

आज गूगल ने भी मैप्स और सर्च इंजन को क्षेत्रीय भाषाओं ख़ास तौर पर हिंदी भाषा में परिवर्धित किया है, भारत में पांच में से हर एक व्यक्ति (अर्थात् 21 प्रतिशत से अधिक लोग) इंटरनेट का प्रयोग हिंदी में करते हैं। यहाँ तक कि गूगल ने अब अनुवाद की सुविधा भी अपने सर्च इंजन पर उपलब्ध कराई है। गूगल के भारतीय विपणन विभाग के निदेशक ने यह कहा कि, "Hindi content consumption on the web is starting to take off. it has grown 94% year on year compared to 19% growth for English content"[6]

छोटी-से छोटी जानकारी को प्राप्त करने हेतु हम गूगल सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं। किसी एक प्रविष्टि के लिए हजारों की संख्या में परिणाम आ जाते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि उनकी वरीयता का क्रम क्या हो? खोजने वाला पहले आठ दस खोज परिणामों तक तो जाता है, उसमें आगे जाने का धैर्य नहीं होता, जबकि श्रेष्ठ सामग्री नई जानकारियों के कारण पीछे धकेली जा चुकी है। आज तकनीक के इस युग में इंटरनेट ही एक ऐसा साधन है जो देश की सीमा से बाहर निकल कर वैश्विक स्तर पर लोगों को एकजुट कर सकता है, कुछ प्रमुख लिंक्स जो हिंदी भाषा प्रेमियों तथा विदेश में रहकर हिंदी का अध्ययन करने वालों के लिए सहायक होंगी, जो इस प्रकार से हैं:-

साहित्य एवं शब्दकोश:-

1. कविता कोश [http:// www.kavitakosh.org]
2. सरल हिंदी [http:// www.saralhindi.com],
3. साहित्य वैभव [http:// www.sahityavaibhav.com],
4. हिंदी गगन [http:// www.hindigagan.com],
5. हिंदी -अंग्रेजी शब्दकोश [http:// www.shabdmala.com],
6. उर्दू से हिंदी [http:// www.urduhindi.blogspot.com],
7. समकालीन साहित्य [http:// www.samkalinsahitya.com],
8. हिंदी सेवा [http:// www.hindisewa.com]

हिंदी शिक्षण / यन्त्र /हिंदी निर्देशिका –

1. मस्ट डाउनलोड [http:// www.mustdownlaods.com/],
2. गुरूजी हिंदी खोज [http:// www.guruji.com/hi]
3. रफ़्तार हिंदी में खोज [http:// www.raftaar.com]
4. हिंदी टूलबार पिटारा [http://www.hindiblog.ourtoolbar.com/]
5. हिंदी कलम [http:// www.hindikalam.com]
6. हिंदी खोज.कॉम [http:// www.hindikhoj.com]
7. ब्लॉग लिखी [http:// www.bloglikhi.com/]
8. अंतरराष्ट्रीय हिंदी समीति [http:// www.hindi.org]
9. विश्व हिंदी [http:// www.vishwahindi.com/]
10. यूनिकोड हिंदी यंत्र [http:// unicodehindi.com]}7

वहीं हम गूगल सर्च इंजन में जाकर कई विशिष्ट पुस्तकों की खोज कर सकते हैं जैसे- हिंदी ई- पुस्तकालय [http:// www.epustaklay.com], 44 बुक्स [www.44books.com]

आदि। इन वेब लिंक्स के माध्यम से हम पुस्तकों को निःशुल्क डाउनलोड भी कर सकते हैं।

भारत में मीडिया को प्रजातंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है अर्थात् व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के पश्चात् चौथा स्थान मीडिया का माना जाता है। मीडिया में हिंदी का वर्चस्व था ही, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हिंदी बहुत तेज़ी से गति प्राप्त कर रही है। मोबाईल फोन, स्मार्ट फोन पर 5G इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो जाने से आज महानगरों में ही नहीं वरन् प्रत्येक गाँव और कस्बे में, ग़रीब हो या अमीर, विश्व में हो रही गतिविधियों के सजीव प्रसारण तथा मनोरंजन हेतु क्रिकेट, धारावाहिक, रियलिटी शो आदि को विभिन्न एप्लीकेशंस जैसे हॉटस्टार, वूट, सोनीलाइव आदि पर किसी भी समय हिंदी भाषा में देख सकते हैं।

"आज कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर द्रष्टव्य है और ऐसा अनुमान है कि अगले एकाध दशक में कृत्रिम बौद्धिकता द्वारा समस्त संसार का कायापलट हो जाएगा...कोई भी भाषा तभी तक जीवित रह सकती है जब वह समय के साथ हो रहे परिवर्तनों के हिसाब से स्वयं को ढाल सके तथा अपने वर्तमान स्वरूप में और भी निखार ला सके। इस वर्ष हुए विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम थी- 'पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक' जहां भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोगों पर परिचर्चा हुई। चैट जीपीटी के प्रयोगों ने समस्त जगत को आश्चर्य में डाल दिया है, बहुत स्वाभाविक है कि इसका असर हिंदी भाषा पर भी पड़ेगा। वर्तमान में हिंदी भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कई गतिविधियां घटित हो रही हैं, जैसे स्पीच टू टेक्स्ट, कंप्यूटर विज़न से स्कैनिंग के माध्यम से दस्तावेजों को सहेजना। सिरी, कोरटाना, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट हमारे सभी हिंदी प्रश्नों का हिंदी में ही उत्तर देने में सक्षम है। भविष्य में हिंदी भाषा तकनीकी के माध्यम से कई नए आयामों को हासिल करने में सक्षम होगी।"[8]

आज मीडिया तकनीकी में हिंदी भाषा ने अपने अस्तित्व एवं आवश्यकता को सिद्ध कर दिया है। हिंदी के वैश्विक परिदृश्य एवं प्रभाव से भारत वर्ष ही नहीं अपितु पुरा विश्व परिचित है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आवश्यकता हो या वैश्वीकरण एवं बाजारीकरण की प्रवृत्ति हो विश्व में हिंदी को प्रमुख भाषा के रुप में मान्यता मिल रही है। एक समय था जब कंप्यूटर की भाषा के रुप में अंग्रेजी को महत्व दिया जाता था, लेकिन आज हिंदी के साथ साथ प्रादेशिक भाषाओं ने भी इंटरनेट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। टी०वी०, रेडियो, मोबाईल, इंटरनेट, सिनेमा पर हिंदी के होते प्रयोग को देखकर कहना समीचीन ही होगा कि मीडिया तकनीक के युग में वैश्विक स्तर पर हिंदी का भविष्य निश्चित ही उज्ज्वल परिलक्षित होता है।

सन्दर्भ सूची :-

1. [http://koshlive.com/miscellaneous/2001/02/1203]
2. [http://www.hindi.wikipedia.org.com]
3. [गगनांचल, वर्ष 30, संयुक्तांक 3-4, जुलाई–दिसम्बर 2007 'हिंदी का बढ़ता=संसार–प्रस्तुति: कुमार पंकज पृष्ठ-101]
4. [igandlt.blogspot.com/2018/04/blog-post_5.html]
5. [igandlt.blogspot.com/2018/04/blog-post_5.html]
6. BusinessStandard-Apr9'2018/17: 18 IST, PTI Bengaluru "Hindi content consumption on internet is growing at 94% : Google."
7. गगनांचल, [वर्ष 38, अंक-4-5, जुलाई-अक्टूबर 2015 'सहयात्री हिंदी-वेब लिंक्स, प्रस्तुति: रेखा श्रीवास्तव , पृष्ठ-207]
8. स्वदेश ई-पेपर, भाषाओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमता, लेखक- श्री बालेंदु शर्मा 'दाधीच'.

-राजभाषा अधिकारी,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
नरीमन प्वाइंट,मुंबई

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित में हिंदी: आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम

-डॉ. राजनारायण अवस्थी

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जगत में अनुवाद के माध्यम से प्रौद्योगिकी के विस्तार की अपार संभावनाएँ हैं। इसके लिए वैज्ञानिक साहित्य के अनुवादकों एवं विशेषज्ञों को वैज्ञानिक अनुवाद की यथार्थता, सूक्ष्मता तथा अनुप्रयोग को समझना अत्यंत आवश्यक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुवाद की दृष्टि से ज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में पारस्परिक अंतर समझना भी अपेक्षित है। यदि दो बिन्दुओं को जानना ज्ञान है, तो उनकी सामर्थ्य-ऊर्जा तथा बीच की दूरी इत्यादि को मापना विज्ञान तथा उन तक पहुँचने के माध्यम का विकास करना प्रौद्योगिकी है। भाषा, समाज एवं विज्ञान का बहुत गहरा संबंध है। भाषा का प्रयोगकर्ता समाज ही है। अत: भाषा समाज से ही अपने शब्दकोश को चुनती है। शब्द तथा अर्थ का समन्वित रूप भाषा है। बिना अर्थ के शब्द निरर्थक रहता है और बिना शब्द के अर्थ की अभिव्यक्ति असंभव है। अनुवादक के समक्ष प्रौद्योगिकी अनुवाद प्रक्रिया में यदि सबसे बड़ी समस्या आती है तो वह 'अर्थ निर्धारण' की। 'अर्थ' के अभीष्ट ज्ञान के बिना व्याकरणिक प्रयोग भी नहीं किए जा सकते। इसी बिन्दु से अनुवाद विज्ञान और अर्थ विज्ञान की भाषिक प्रक्रिया समानांतर और एकाकार हो जाती है।

प्रमुख शब्द:

ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सांख्यिकी, निर्देशांक ज्यामिति, ठोस ज्यामिति, विकिरण प्रौद्योगिकी, समतुल्यता, परिमाणात्मकता, गुणात्मकता, निरूपात्मकता, सरलता, समता, पुन:प्रापणीय योग्यता, सत्यापनीयता अनुप्रयुक्त विज्ञान अनुवाद से प्रौद्योगिकी का अत्यधिक विस्तार हो रहा है। प्रस्तुत आलेख में वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद के माध्यम से प्रौद्योगिकी के विस्तार के विभिन्न पहलुओं पर विश्लेषणपरक अध्ययन किया गया है।

भाषाविज्ञान के अंतर्गत अनुवाद एक स्वतंत्र विधा है। यह अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान (Applied Linguistics) की शाखा व्यतिरेकी भाषाविज्ञान (Contrastive Linguistics) के अंतर्गत आता है। अनुवाद के विभिन्न आयामों में वैज्ञानिक अनुवाद सर्वथा अलग सिद्धांत एवं अनुप्रयोग की अपेक्षा रखता है। इसमें भाषा की व्याकरणिक संरचना के साथ-साथ वैज्ञानिक सिद्धांतों की अवधारणाओं से भी भली-भाँति परिचित होना चाहिए। वैज्ञानिक अनुवाद के अनेक स्तर हो सकते हैं, जैसे शैक्षणिक (Academic), व्यावसायिक (Professional) तथा प्रचलित (Popular)। पाठकों एवं अनुवाद समीक्षकों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे भाषा के विकास की दृष्टि से अनुवाद को पढ़ते समय प्रख्यात् पाश्चात्य भौतिकीविद् एवं अनुवादक मार्टिन ग्रीनलिंगर के इस वक्तव्य पर ध्यान अवश्य दें। मार्टिन ग्रीनलिंगर ने अपनी 'Physical Bodies' नामक अनूदित पुस्तक के आमुख में वैज्ञानिक अनुवाद के संदर्भ में अत्यंत सारगर्भित वक्तव्य लिखा है:-

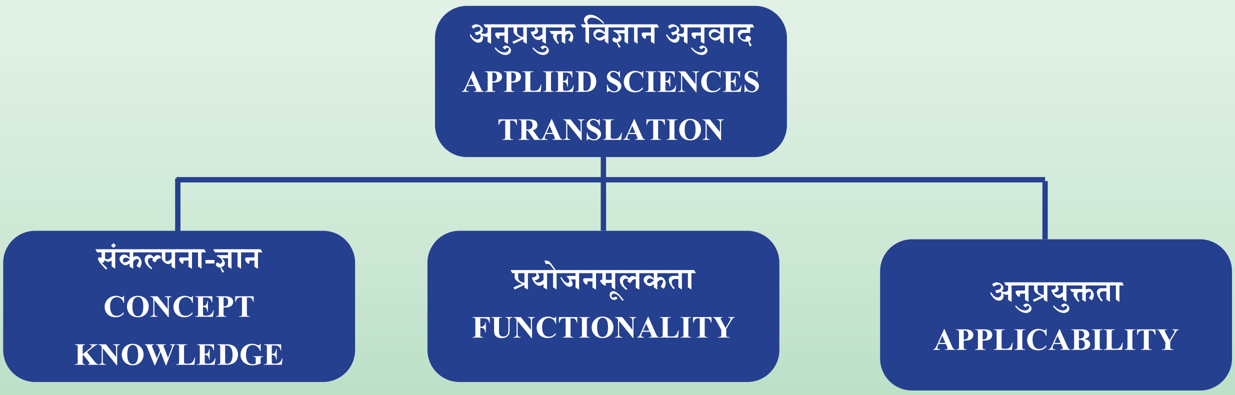

The careful reader, I realize, will feel the difference. But I have tried to preserve the present at principle that I followed. There are deductive principle and logical principle rather than historical one. We also felt, it will be well to use the language of everyday life and inject some humor at the same time we didn't over simplify. If the reader wants to fully understand the subject, he/ she must be prepared to read some places many times and pause for thought.

आज ज्ञान-विज्ञान के युग में इस बात की नितांत आवश्यकता है कि विज्ञान और उसके अनुप्रयोगों को सामान्य जन तक पहुँचाया जाए। इस संबंध में वैज्ञानिक अनुवाद की चुनौतियों को समझना अत्यंत आवश्यक है। वैज्ञानिक अनुवाद की चुनौतियां निम्नलिखित हैं;

- सिद्धांत और अनुप्रयोग की समुचित अद्यतन जानकारी
- हिंदी में वैज्ञानिक शब्दों और संकल्पनाओं की समतुल्यता
- अंग्रेजी के प्रचलित वैज्ञानिक शब्दों का लिप्यंतरण
- वैज्ञानिक शब्दों एवं संकल्पनाओं का तेजी से विकास

सिद्धांत और अनुप्रयोग की समुचित जानकारी के अभाव में अनुवाद या तो मूल से अधिक दूर चला जाता है या क्लिष्ट हो

जाता है। वैज्ञानिक साहित्य के हिंदी में अनुवाद की समस्या का निराकरण तभी हो सकता है जब इस क्षेत्र में अधिक से अधिक वैज्ञानिक सिद्धांतों और अनुप्रयोगों पर वैज्ञानिक कार्य करने वाले भाषाविद् आगे आएं।

अनुवादकों को वैज्ञानिक अनुवाद के संबंध में भाषा-तथ्यांक के अभिलक्षणों, जैसे- परिमाणात्मकता (Quantity), गुणात्मकता (Quality), निरूपात्मकता (Representation), सरलता (Simplicity), समता (Equality), पुन:प्रापणीय योग्यता (Retrivalibility), सत्यापनीयता (Verifiability), आगमीकरण आवर्धन (Augmentation) तथा अभिलेखीकरण (Documentation) इत्यादि पर विशेष रूप से शोध करना होगा। वैज्ञानिक अनुवाद की यही विडंबना है कि आज हमारे देश में अनुवाद के क्षेत्र में वैज्ञानिक साहित्य और तदनुकूल भाषा के मध्य तारतम्य स्थापित करने वाले अनुवादकों तथा भाषा तथ्यांक का विश्लेषण करने वाले भाषाविदों का नितांत अभाव है। अधिकांश भाषाविदों को यदि वैज्ञानिक साहित्य का ज्ञान है भी तो वे अनुप्रयोग के ज्ञान से वे पूर्णत: अपरिचित हैं।

बीसवीं और इक्कीसवीं सदी में तकनीकी लेखन का स्वरूप काफी तेजी से विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत विभिन्न तकनीकी परियोजनाओं तथा उत्पादों के बारे में प्रयोजनमूलक विलेख प्रकाशित करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्त्व का एक महत्त्वपूर्ण उद्यम है। यहां के राजभाषा अनुभाग का प्रमुख कार्य सामरिक इलेक्ट्रॉनिकी के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषत: नाभिकीय, रक्षा, सुरक्षा, वातरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार तथा ई-अभिशासन इत्यादि के क्षेत्र में तकनीकी लेखन करना है। 'प्रौद्योगिकी लेखन' एक वैज्ञानिक प्रविधि है। आज के सूचना प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी व्यावसायिक युग में तकनीकी लेखन का विकास अत्यंत आवश्यक है। विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत अधिकारियों के लिए तकनीकी लेखन के अनुप्रयोगों का ज्ञान होना विशेष रूप से उपयोगी है। इस तकनीकी लेखन का अनुप्रयोग तकनीक अधिकारियों को उपभोक्ता और व्यवसाय के परिप्रेक्ष्य में विकसित करने के क्षेत्र में किया जाता है। ईसीआईएल में तकनीकी लेखन के विभिन्न आयामों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। तकनीकी लेखन प्रारंभ करने से पूर्व इन तथ्यों का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए:-अपने श्रोता या उपभोक्ता को जानें, शैली को जानें, विषय वस्तु को जानें, पहले प्रस्तावना-फिर परियोजना, भाषा का सरलीकरण, विषय वस्तु

की संरचना, तकनीकी लेखन का विशेष विन्यास (लेआउट), उदाहरणों का प्रयोग, यथा संभव ग्राफ, पाई आरेख तथा चित्रों का प्रयोग, उपयुक्त 'वायसओवर' का प्रयोग।

1. **शैली को जानें:** तकनीकी लेखक को एक ही वैज्ञानिक तथ्य को विभिन्न शैलियों में लिखने का अभ्यास करना चाहिए। तकनीकी रिपोर्ट की शैली अनुदेश मैनुअल से अलग होती है। इसके लिए आवश्यक है कि रिपोर्ट को पहले स्वयं पढें। लेखन में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की शैलियों का विश्लेषण करें और उनमें जो अधिक से अधिक प्रभावी हो उसका उपयोग करें। लेखन को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे पहले उसे स्वयं पढ़ना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो तथ्य को समझाने के लिए यथाआवश्यक उदाहरण भी दे देने चाहिए।

2. **अपने श्रोता या उपभोक्ता को जानें:** सभी प्रकार के लेखन किसी न किसी के लिए, प्रयोजनमूलक होते हैं। साहित्यिक लेखन से तकनीकी लेखन की प्रकृति काफी अलग होती है। तकनीकी लेखक अपना तकनीकी लेख किसी अन्य के लिए लिखता है। यह एक जिम्मेदारी एवं उत्तरदायित्व से भरा हुआ कार्य है। इसमें विषय विशेषज्ञ का सहयोग अवश्य लेना चाहिए। इसमें लेखक को छूट होती है वह क्या जोड़े और क्या हटाए। यदि आवश्यक हो तो किसी कोड शब्द का विस्तार भी कर देना चाहिए। ऐसी किसी भी लेखन परियोजना में श्रोता या उपभोक्ता की मनोभूमि को सदैव सामने रखना चाहिए।

3. **विषय वस्तु को जानें:** तकनीकी लेखन के संबंध में विषयवस्तु को जानना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। विषयवस्तु को जाने बिना तकनीकी लेखन यथार्थपरक और सटीक नहीं होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि लेखक को वैज्ञानिक संकल्पना का पुरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। लेकिन लेखक को ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनुअल बनाते समय उस ऑपरेटिंग सिस्टम की मूलभूत जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में ईवीएम तथा वीवीपैट का विनिर्माण होता है। इनका तकनीकी लेखन करने से पूर्व इनका प्रचालन (ऑपरेशन) जानना अत्यंत आवश्यक है। इस क्षेत्र में विशेषज्ञता के लिए निरंतर अध्ययन करते रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले लेखन प्रारंभ करने से पूर्व इसकी तकनीकी मशीन या परियोजना की सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रक्रिया को समझ लेना चाहिए। यदि समझ में न आए तो पुन: समझने का प्रयास करना चाहिए, यथा आवश्यक महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं के नोट्स बनाने चाहिए तथा विषय विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। यदि तकनीकी लेखक स्वयं विषय विशेषज्ञ है तो लेखन कार्य में सहजता हो जाती है।

4. **पहले प्रस्तावना, फिर परियोजना:** तकनीकी लेखन की परियोजना से पूर्व उसकी प्रस्तावना अवश्य तैयार कर लेनी चाहिए। इसमें इन तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए:- सामग्री कितने पृष्ठों की होगी, सामग्री कितने शब्दों की होगी, आप क्या लिखने जा रहे/रहीं हैं, आप किसके लिए लिख रहे/रहीं हैं, इस तकनीकी सामग्री की शैलीगत आवश्यकता क्या है,क्या आप अनुदेश तैयार कर रहे हैं या असेम्बली मैनुअल तैयार कर रहे हैं। तकनीकी लेखन में इन अनुप्रयोगों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है: अनुवाद, स्थानीकरण, निर्वचन, प्रमाणित अनुवाद, कैड सेवाएं, डीटीपी, प्रूफ संशोधन एवं संपादन, विषय वस्तु नवीकरण। आज तकनीकी लेखन किसी भी व्यावसायिक संगठन, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अत्यंत प्रभावी है। इसमें विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए शोध के भी अनेक अवसर हैं। भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर आज तकनीकी लेखकों की मांग दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। तकनीकी लेखन के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र ये हैं; विज्ञापन (विपणन अर्थात् मार्केटिंग), विज्ञापन (मीडिया), वांतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी, आर्किटेक्चर, ऑटोमोटिव, जैव प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक उत्पाद, रसायन, निर्माण, उपभोक्ता उत्पाद, रक्षा, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, इंजीनियरिंग, पर्यावरण इंजीनियरिंग, वित्तीय प्रबंधन, स्वास्थ्य रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, वैधानिक, मशीन यंत्र(टूल्स), प्रबंधन, औद्योगिक, संचार, चिकित्सा, भेषज इत्यादि।

5. **भाषा का सरलीकरण:** तकनीकी लेखन में साहित्यिक गद्य जैसी विभिन्न शब्द शक्तियों का प्रयोग करके नहीं लिखना चाहिए। चिकित्सा से संबंधित तकनीकी लेखन में

भाषा का विशेष महत्व है। शब्दों तथा वाक्यों में किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। सारांशत:, इसमें भाषा की अपेक्षा, संदेश अधिक महत्त्वपूर्ण है।

6. **तकनीकी विषयवस्तु की संरचना:** किसी भी विषय को कहना अलग चीज है और उसे प्रस्तुत करना एक अलग विशेषज्ञता है। विषय वस्तु को लिखते समय संरचना बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। प्रस्तुतीकरण सारगर्भित एवं तथ्यपरक होना चाहिए। सूचनाओं को प्रस्तुत करना भी एक कला है। इसके लिए आंकड़ों (डाटा) को प्रस्तुत करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से 'बार डायग्राम'; 'पाई डायग्राम' तथा 'ग्राफआरेख' को प्रयोग करके सरलता से व्यक्त किया जा सकता है। जब किसी तकनीकी मशीनरी के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया जाता है तो किसे पहले प्रदर्शित करना है, जानना बहुत आवश्यक है। तकनीकी लेखन प्रवाहशील होना चाहिए। एक 'स्टेज' से दूसरे 'स्टेज' में जाने पर उपभोक्ता को किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं लगना चाहिए।

7. **तकनीकी लेखन का विशेष विन्यास (ले आउट):** किसी भी संरचना का आधार उसका विन्यास होता है। यह स्पष्ट और समझने योग्य होना चाहिए। लेखक को स्वयं सामान्य उपभोक्ता के स्थान पर रख कर देखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में ईवीएम तथा वीवीपैट का 'ऑपरेटिंग मैनुअल' लिखते समय सबसे पहले तकनीकी लेखन का 'ले आउट' बनाया गया। उसके बाद ही उसकी 'प्रचालन (ऑपरेटिंग) प्रक्रिया' को लिखा जा सका।

8. **उदाहरणों का प्रयोग:** तकनीकी लेखन पूर्णत: सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए। इसमें तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण उदाहरणों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जैसे यदि लेखक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 'लेथ मशीन' के 'चक' में रॉड को लगाने के बारे में बता रहा है तो उसे यह भी अलग से प्रदर्शित करना चाहिए कि लेथ मशीन के 'हेड स्टॉक' और 'टेलस्टॉक' के बीच 'रॉड' को किस प्रकार लगाना चाहिए। अर्थात् 'हेड स्टॉक' और टेलस्टॉक' के बीच में जब 'रॉड' को ठीक से लगाया जाता है तो वह देखने में कैसा लगता है' अधिक महत्त्वपूर्ण है। यदि मैनुअल में इसका उल्लेख ठीक से नहीं किया जाएगा तो मशीन ऑरपेरेटर को चोट लग सकती है। यहां यह भी लिखना प्रासंगिक है कि तकनीकी ऑपरेशन को 'पंक्ति-प्रति-पंक्ति' लिखना चाहिए। अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इससे ऑपरेटर को तकनीकी कार्य करने में काफी सरलता रहती है। इसलिए जहां तक संभव हो उदाहरण के साथ उससे संबद्ध 'विज़ुअल्स' को भी प्रदर्शित करना चाहिए।

9. **यथा संभव ग्राफ, पाई आरेख तथा चित्रों का प्रयोग:** तकनीकी लेखन में विज़ुअल्स एवं ग्रैफिक्स की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुछ तकनीकों को विज़ुअल्स के बिना समझा पाना संभव नहीं है। जैसे वायुयान में वैमानिक ईंधन का प्रवाह किस प्रकार होता है, इंजिन कैसे स्टार्ट होता है, इत्यादि।

10. **उपयुक्त 'वायसओवर' का प्रयोग:** तकनीकी लेखन में 'वायस ओवर' का प्रयोग करना सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। 'वायस' और 'तकनीकी प्रक्रिया' में साम्य स्थापित करने में एक विशेषज्ञता अपेक्षितहै। ईसीआईएल में कॉरपोरेट फिल्म का 'वॉयसओवर' बनाते समय अनुभव प्राप्त हुआ कि 'पाठ (Text)' की वर्तनी भी शत-प्रतिशत सही होनी चाहिए। यहां, यह भी प्रासंगिक है 'वॉयसओवर' में एक ही पाठ (Text) के लिए अलग-अलग शैली की 'वॉयसओवर' का प्रयोग किया जाना चाहिए। तकनीकी लेखन एक व्यापक एवं विस्तृत प्रविधि है। उपर्युक्त बिन्दुओं के साथ-साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लेखन परियोजना में जिन संदर्भ ग्रंथों का उपयोग किया गया है, उनका उल्लेख अवश्य करना चाहिए। ऐसा होने पर पाठक को यदि किसी विषय पर कुछ समाधान की आवश्यकता है तो वह संबंधित संदर्भ ग्रंथ को पढ़ सकता है। अंतत:, तकनीकी लेखन एक सतत प्रवाहमान प्रक्रिया है। नित नई-नई उभरती प्रौद्योगिकियों एवं उपभोक्ताओं के अनुरूप इसमें निरंतर संशोधन करते रहना चाहिए। यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि तकनीकी लेखन का मुख्य आधार निरंतर 'संशोधन' ही है।

विश्वविद्यालयों के शोध-छात्रों के परियोजना कार्य में 'तकनीकी लेखन' को एक अनिवार्य अध्याय बनाना चाहिए। तकनीकी

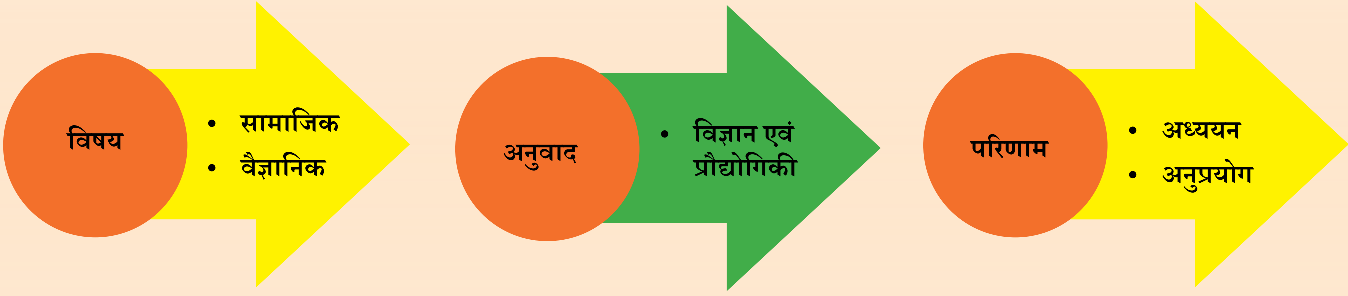

संस्थानों में आयोजित होने वाली राजभाषा कार्यशालाओं के माध्यम से भी तकनीकी लेखन के कौशल विकास को और अधिक प्रयोजनमूलक बनाया जा सकता है। राष्ट्र के कौशल-विकास में तकनीकी लेखन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके

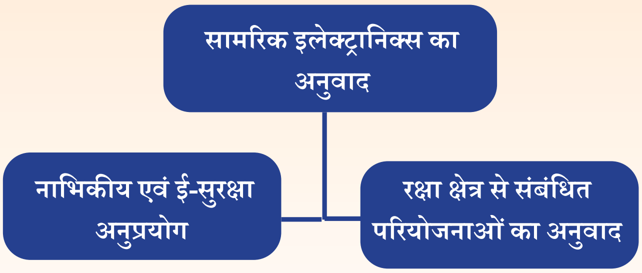

लिए यह आवश्यक है कि इसे हमारी शिक्षा प्रणाली का स्नातक स्तर से ही प्रमुख अंग बनाना चाहिए।

विज्ञान के अनुप्रयोगों की भाषा में शब्द- शक्तियों का कोई स्थान नहीं होता है। उसमें भाषा का प्रवाह तथ्य और प्रामाणिकतापरक होता है।

परमाणु ऊर्जा से संबधित वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद में भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यह अनुवाद सामरिक प्रक्रिया से संबद्ध होता है। अत: भाषा के साथ-साथ अनुप्रयोग का भी ध्यान रखना चाहिए। परमाणु ऊर्जा का वैज्ञानिक साहित्य बहु-आयामी है। सामरिक इलेक्ट्रानिक्स, रक्षा, सुरक्षा, ई-गवर्नेंस, कृषि तथा विकिरण एवं चिकित्सा जैसे अनेक क्षेत्रों में इस वैज्ञानिक साहित्य का अनुप्रयोग किया जाता है। अत: अनुवादक को भाषाई धरातल के साथ-साथ विज्ञान के अनुप्रयोग के लक्ष्य पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, कि इस अनुवाद का वास्तविक पाठक या प्रयोक्ता कौन है।

विज्ञान को सही अर्थों में रूपांतरित करने तथा वैज्ञानिक लेखन के माध्यम से प्रौद्योगिकी का विकास करने में अनुवादक की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। आज के सूचना प्रौद्योगिकी के युग में वैज्ञानिक संस्थाओं/ संस्थानों के नाम भी सूचना-प्रौद्योगिकीपरक होते जा रहे हैं। ऐसी दशा में अनुवादक को लिप्यंतरण का ही आश्रय लेना चाहिए। यदि अर्थ निर्धारण में यह संशय हो कि लक्ष्यभाषा का पाठक इसको ठीक से नहीं समझ पाएगा तो अनुवाद सिद्धांत के अंतर्गत 'व्याख्या का सिद्धांत (Theory of Explanation)' का प्रयोग करना चाहिए। आज वैज्ञानिक अनुवाद में इसका अधिक हो रहा है। जैसे; FSIxLinks.com का अनुवाद 'एफसिक्स लिंक्स.(डॉट)कॉम' करना चाहिए। इस प्रकार के अनुवाद में (.) के साथ-साथ 'डॉट' का भी प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा पाठक अर्थ को ठीक प्रकार से अभिप्रेत नहीं कर पाएगा।

सारांशत:, वैज्ञानिक अनुवाद के संदर्भ में प्रौद्योगिकी के विस्तार के लिए विरचन, संगठन, संरचना, वर्णन, निर्वचन तथा भाषांतरण का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक संदर्भों में प्रस्तावित अर्थ, अभिव्यक्तिपरक अर्थ, पूर्व- कल्पनापरक अर्थ तथा प्रबोधक अर्थों का भाषा एवं प्रौद्योगिकी के मध्य सामंजस्य रखना चाहिए। यद्यपि वैज्ञानिक लेखन मूल रूप से लिखा जाना चाहिए, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से वैज्ञानिक अनुवाद की महत्ता का आकलन कम नहीं किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी का वास्तविक विकास वैज्ञानिक अनुवाद के माध्यम से और सार्थक रूप से किया जा सकता है। निश्चित ही विज्ञान एवं सामरिक इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अनुवाद के भविष्य एवं विकास की संभावनाएँ उज्ज्वल तथा प्रबल हैं।

- उप प्रबंधक (राजभाषा)
इलेक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
हैदराबाद

स्वतंत्रता के सौ वर्ष और हिंदी

-विवेक शर्मा

प्रस्तावना:

आज हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में सुशोभित लगभग पांच हज़ार वर्ष पुरानी भाषा है। कोई भी भाषा अव्यक्त भावना या विचार को जीवित प्राण देकर प्राणवान बनाने का माध्यम है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होने के साथ-साथ धर्म, संस्कृति, इतिहास और साहित्य को आकार देने का उपयुक्त साधन भी है। किसी भी संस्कृति की विरासत को संजोने और संवारने के कार्य हेतु भी भाषा एक प्रमुख स्तम्भ है। भारतीय इतिहास में जितनी भी संस्कृतियों का समावेश देखने को मिलता है हिंदी में उन सभी की छाप देखने को मिलती है, इससे ना केवल हिंदी समृद्ध हुई है, अपितु हिंदी ने उन सब पर भी अपना प्रभाव डाला है। किसी भी भाषा का दीर्घ काल तक अपने अस्तित्व और प्रयोग के साथ अपने अस्तित्व को समृद्ध करते जाना इस बात का स्पष्ट घोत्तक है कि यह भाषा दीर्घायु है और सुग्राह्य, सर्वोपयोगी और सुलभ है। इस प्रकार हिंदी भारत की उन्नयन गाथा में एक अति-विशिष्ट नगीने की तरह विराजमान है और आगे आने वाले समय में भी भारत की उन्नति में अपना किरदार निभाती रहेगी।

वर्तमान हिंदी (संवैधानिक स्वरुप और शैक्षणिक स्तर):

संवैधानिक स्तर:हिंदी की लिपि देवनागरी है जो लिखने, पढ़ने और प्रयुक्त करने में सरल है। इसमें 50 वर्ण हैं, जिनमें से 11 स्वर वर्ण और 39 व्यंजन हैं। इसी लिपि में हिंदी वर्णमाला के अंक और विशेष विराम चिन्हों को संकेतित किया जाता है। देवनागरी लिपि ही अन्य भारतीय भाषाओं के लिए मान्यता प्राप्त आधिकारिक लिपि है, जिसमें संस्कृत, मराठी, नेपाली, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, उर्दू और अन्य कई भाषाएं लिखी जाती हैं। केंद्रीय सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला राजभाषा विभाग निरंतर इसी नीति को प्रोत्साहित करने में प्रयासरत है कि राजभाषा हिंदी जन साधारण की भाषा बने। वर्त्तमान में हिंदी का प्रयोग सरकारी भाषा के रूप में होता है, और तो और, सरकारी प्रयासों के फलस्वरुप संयुक्त राष्ट्र परिषद में भी हिंदी को मान्यता प्राप्त हुई है। नवीन शिक्षा नीति में भी प्रांतीय भाषाओं के साथ हिंदी में भी अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस कदम उठाये गए हैं। हिंदी में अनुवादक, व्याख्याता, मैनेजर, क्रियात्मक लेखक जैसे रोज़गार के कई नए अवसर प्रदान कर सरकार भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही है। इसी क्रम में न्यायालय-व्यवस्था भी हिंदी के कार्यकालीन उपयोग को बढाने के लिए प्रयासरत है, जिससे आने वाले समय में हिंदी की स्वीकार्यता को नई ऊंचाई मिलेगी, ऐसी आशा की जा सकती है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली में हिंदी भाषा को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। हिंदी विषय के अंतर्गत, विद्यार्थी को हिंदी भाषा के प्राथमिक और मूल तत्वों के साथ अवगत कराया जाता है, जैसे कि वर्णमाला, वाक्य रचना, व्याकरण, प्रयोग आदि। हिंदी भाषा के अलावा शब्दावली, वाक्य संरचना, पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन और लेखन, अभिव्यक्ति और सुनने कौशल, उपयोगिता आदि को भी महत्व दिया जाता है। छात्रों को स्पष्ट एवं सुगम भाषा प्रयोग करने की शिक्षा दी जाती है। विषय की शिक्षा के लिए विभिन्न पाठ्यपुस्तकें, ग्रंथालयों और शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा तैयार की गई पुस्तकें उपलब्ध हैं। इन पुस्तकों में हिंदी भाषा के साथ-साथ साहित्यिक और नैतिक मूल्यों को भी विकसित करने का प्रयास किया जाता है। शब्दावली, वाक्य रचना, वाणी और लेखन कौशल का अध्ययन करके और उसमें प्रवीणता प्राप्त कर छात्रों को हिंदी में संवाद करने, लिखने और भाषण देने का मौका मिलता है। विद्यार्थियों को सम्मेलनों, प्रतियोगिताओं और साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। आने वाले काल खंड में हिंदी पूर्ण रूप से डिजीटल माध्यम से पढ़ाई जा सकेगी। मानव को सिर्फ हिंदी में अपने मस्तिष्क में कार्य अथवा वस्तु को सोचना होगा और मशीन उसके आधार पर सवाल-जवाब करने में सक्षम होगी। साथ ही मशीन ऐसे वार्तालाप से उपयुक्त मंतव्य समझ कर हिंदी के माध्यम से निर्देश लेने में और कार्यान्वित करने को सक्षम होंगी।

तकनीकी शिक्षा: हिंदी में तकनीकी विषयों के लिए पुस्तकें, अध्ययन सामग्री और वेबसाइटें उपलब्ध हैं जैसे कंप्यूटर विज्ञान के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटाबेस, नेटवर्किंग, वेब डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग और अन्य तकनीकी विषयों पर हिंदी में लिखित सामग्री उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सर्किट डिजाइन, विद्युत प्रवाह, संचार प्रणाली, माइक्रोकंट्रोलर, संगणक विज्ञान आदि पर हिंदी में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विषय जैसे कि मशीन डिजाइन, कटिंग, उद्योग संचालन, उपकरणों आदि के बारे में एवं भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित: जैसे जटिल तकनीकी विषयों में पर्याप्त अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। इन विषयों के बुनियादी सिद्धांत, तत्व, गणितीय और गणित शास्त्रीय तकनीकों, रासायनिक प्रक्रियाओं, अवधारणाओं, सूत्रों, रेखांकन आदि को हिंदी में पढ़ा जा सकता है। चिकित्सा शिक्षा भी हिंदी की अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने में पीछे नहीं है, नई शिक्षा नीति-2020 के अनुसार भी शिक्षा को सुलभ और सर्वव्यापी बनाने के लिए उन्नत तकनीक, नए साध्य तरीकों और नवीन नीतियों को प्रोत्साहित कर शिक्षा व्यवस्था में अन्तर्निहित करने के लिए सराहनीय प्रयास किया गया है। भाषाओं की उन्नति और सर्वग्राह्यता देश की सामाजिक संरचना को सही तरीके से अभिसिंचित कर समाज को सही दिशा दिखाती है, हिंदी के साथ अन्य भाषाओं को इस राह पर आगे ले जाने हेतु नई शिक्षा नीति-2020 में उपयुक्त दिशानिर्देश और व्यावहारिक तरीकों पर प्रकाश डाला गया है। हिंदी के साथ अन्य भाषाओँ को भी विकसित करने के लिए नई शिक्षा नीति-2020 श्रेय की हकदार है।

हिंदी की सामाजिक उन्नति:

विश्व आर्थिक फोरम द्वारा तैयार शक्ति भाषा अनुक्रमणिका (power language index) में हिंदी को दसवां स्थान प्राप्त हुआ है, जो इस बात का सूचक है कि 2050 तक हिंदी एक सार्वभौमिक भाषा के रूप में सुशोभित हो सकती है। आज हमारी अर्थव्यवस्था और व्यावहारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग अवश्य थोड़ा कम है लेकिन विश्व की अन्य भाषाओं के सापेक्ष यह स्थिति इतनी खराब भी नहीं है और संवादिक् प्रयोग और शिक्षा के क्षेत्रों में इसकी बढ़ती स्वीकार्यता इस कमी को शीघ्र पूर्ण भी कर सकती है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि हिंदी बिना किसी प्रमुख प्रयास के, बिना किसी बल या हठपूर्वक, उपनिवेशिक सुनियोजित प्रयासों के होने के बावजूद भी अपनी उपस्तिथि बनाये रख पाई है, यह प्रशंसनीय है। हिंदी सिनेमा का अपार असर तो हमने लगभग विगत 100 वर्षों में देखा ही है, यह देख-विदेश में हिंदी और भारत दोनों की पहचान बनाने और बढ़ाने में अपना किरदार निभा ही रहा है। आज संयुक्त-राष्ट भी हिंदी की वेब-साइट उपलब्ध करवा रहा है (https://news.un.org/hi/), जहाँ हिंदी में समाचार, लेख, साक्षात्कार, वक्तव्य इत्यादि प्रदर्शित किये जाते हैं। इस वेब-साइट के अलावा यूएन-रेडियो का अवतरण और टविटर पर यूएन हैडल की मौजूदगी हिंदी के बढ़ते वर्चस्व, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्वीकार्यता और प्रभाव को परिलक्षित करती है। भारत की उन्नति के साथ हिंदी को भी प्रोत्साहन मिला इसीलिये हिंदी भारत के विश्वगुरु बनने के साथ ही नए आयामों को प्राप्त करे, ऐसी अपेक्षा करना उचित ही है। विज्ञान ने हमको सिखाया है कि जो प्रजाति,वस्तु अथवा तकनीक प्रयोग में नहीं आती वह प्रायः लुप्त होने के कगार पर पहुँच जाती है, अनेकों भाषाओं के साथ ऐसा हुआ भी है। एक पूर्वानुमान के अनुसार 2050 तक लगभग 200 भाषाएँ समाप्त हो जायेंगी, लेकिन विचारों और सोच की भाषा हिंदी, हमारी भारतीय संस्कृति और सामाजिक परिदृश्य में घुली-मिली, हिंदी, जो असंख्य लोगों में लोकप्रिय है, आने वाले काल-खंड में मशीनी भाषा के साथ और संभवतः कुछ बदले स्वरुप में निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर होगी। तकनीकी उन्नयन के दृष्टिकोण से देखें तो आज के समय में हिंदी कितने ही नए तकनीकी शब्दों के साथ रोचक और समृद्ध बन गयी है। परमाणु तकनीक, रक्षा-विज्ञान, गणित, अन्तरिक्ष, इन्फोरमेशन एवं आरटीफिशिअल इन्टेलीजेन्स जैसे कठिन शब्दावली वाले विषयों की समग्र जानकारी भी अब हिंदी में उपलब्ध है।

(https://news.un.org/hi/) से साभार (यूएन की वेब-साइट पर विराजमान हिंदी)

व्यावहारिक प्रयोग के तौर पर देखें तो आज हम हिंदी के माध्यम से सीधे-सीधे देश के लगभग 50 करोड़ लोगों से संवाद स्थापित कर सकने में सक्षम हैं । भारत के अलावा विश्व में लगभग 150 देशों में हिंदी बोली अथवा सुनी-समझी जाती है । सामजिक रूप से भी हिंदी का प्रयोग बढ़ा है। जब से तकनीकी उन्नति हुई है मोबाइल-इन्टरनेट-कम्प्यूटर का आगमन शहरों से लेकर ग्रामीण जनता तक हुआ है, हिंदी के प्रयोग और अनु-प्रयोगों की भरमार हो गयी है। आज नयी-पुरानी कितनी ही जानकारी हिंदी में अनेकों फॉण्ट के साथ देवनागरी लिपि में उपलब्ध है। साहित्य सृजन हिंदी में फल फूल रहा है, कविताओं, निबन्धों, लेखों, समाचार-पत्रों में हिंदी अनेक स्तरों पर समाज में छायी है और आमजन इसके प्रयोग से गौरवान्वित महसूस करते हैं।

हिंदी के लिए प्रोत्साहन: हिंदी में प्रदान की गयी शिक्षा जो छात्रों को एक स्थानीय और वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा के संबंधित माध्यमों, साहित्यिक धाराओं और संस्कृति से परिचित कराती है, हिंदी की अभिवृद्धि करने में उपयोगी भूमिका निभा सकती है। हिंदी का प्रोत्साहन कार्य बहुत महत्वपूर्ण है जिससे हिंदी भाषा को संरक्षित रखा जा सके और विभिन्न स्तरों पर लोगों के हृदय में हिंदी के प्रति उत्साह बढ़ाया जा सके। इसके लिए यथासंभव प्रयास किऐ जाने चाहिए, चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर हो या पेशेवर स्तर पर। हिंदी में लेखन, बोलचाल, संवाद और साहित्यिक रचनाओं की सराहना करनी चाहिए और हिंदी को सार्वभौमिक संवाद माध्यम के रूप में स्वीकार करना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी के पाठ्यक्रम, हिंदी में पुस्तकों का प्रयोग, हिंदी भाषा प्रयोग और संवाद में प्रोत्साहन करने के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही हिंदी के साहित्यिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हिंदी के लेखक, कवि, कहानीकार, नाटककार, गीतकार आदि को सम्मानित करने, उनके लेखन को प्रकाशित करने और साहित्यिक समारोहों का आयोजन करने जैसे कार्यक्रमों द्वारा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हिंदी भाषा के माध्यम से ज्ञान को प्रसारित करना एक उपयोगी कदम हो सकता है और इसके लिए उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसमें वेबसाइटों, ब्लॉग, विकिपीडिया, ई-पुस्तकालय, शैक्षणिक साइटें आदि में हिंदी में ज्ञान सामग्री उपलब्ध कराना शामिल हो सकता है। हो सकता है आने वाले समय में इस प्रकार का ज्ञान चिप के माध्यम से एक-मानव और मशीन के मध्य अथवा एक मशीन से दूसरी मशीन में एक पल में ट्रान्सफर हो जाये लेकिन हिंदी का प्रयोग और शब्दावली का प्रयोग तो रहेगा और बढ़ेगा ही। साथ ही हिंदी मीडिया का समर्थन किया जाना चाहिए जिससे हिंदी में समाचार, साहित्य, संगीत, फिल्म, टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से हिंदी भाषा को प्रसारित किया जा सके। हिंदी मीडिया को समर्थित करने के लिए अधिकांश हिंदी पाठकों को और हिंदी मीडिया के उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

हिंदी का भविष्य और उसमें तकनीक का योगदान:

भविष्य में हिंदी मशीन युग की हिंदी कहलाएगी, आरटीफिशिअल इन्टेलीजेन्स के बढते प्रभुत्व के कारण हिंदी, अन्य मशीनों के संवाद और मानवीय संवेदनाओं को समझने और कार्यान्वित करने वाले रोबोट्स की भाषा बन जायेगी। मानव आपस में जितनी भी बात करेंगे मशीन उसे समझने और कार्य में बदलने में सक्षम होगी। अतः कुछ और मानव और मशीनें हिंदी के प्रयोक्ता के रूप में जुड़ जायेंगी। कई मौजूद बोलियों के शब्द, नवीन बोलचाल एवं भाषाओं के शब्द, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द, हिंदी को और रोचक, ज्ञानवर्धक और उपयोग के लिए सर्वमान्य और लोकप्रिय बना देंगे।

आर्थिक उन्नयन, व्यापार और जीवन के स्तर के साथ-साथ भाषा के प्रयुक्तिकरण में भी सहायक होता है। तकनीकी परिवर्तन के साथ विज्ञान और अनुसन्धान भी कहीं ना कहीं भाषा के उत्थान में मदद करते हैं। आज फाइव-जी, सिक्स-जी हमारे जीवन में अनेक परिवर्तन ला रहे हैं उदाहरण के लिए मेटावर्स जैसे विभिन्न आयामों वाले यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड में जहाँ सभी अपने अपने अवतारों

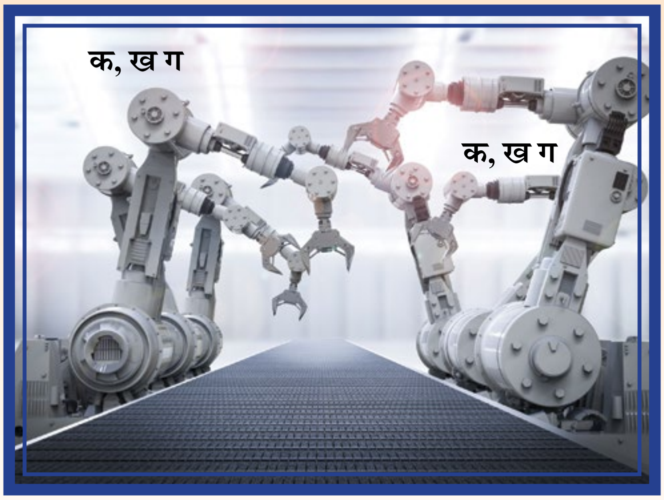

के साथ वास्तविक दुनिया जैसे आचार-व्यवहार करते हैं, वैसे ही 2047-2050 के काल खंड में मानवीय संवेदनाओं के ताने बाने बुनने और उन्हें मशीनों के माध्यम से कार्यान्वित करने और सुसज्जित करने में हिंदी अपना किरदार निभाएगी, सोचने के तरीके हमारे अपने होंगे और वहीं हिंदी मशीनों को निर्देशित करने में भी उपयोग में आयेगी।

वर्त्तमान के रोबोट्स भले ही अपनी भाषा ना बदलें पर आने वाले समय में हिंदी के निर्देश लेने में पूर्णरुपेण सक्षम होंगे, ऐसा अवश्यम्भावी है।

मोबाइल,रोबो,क्यूबिट,मेटावर्स जैसे शब्द अब आम होने लगे हैं, नए संक्षिप्त शब्द जैसे बिट,योनो,योलो,आईटी इत्यादि हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए हैं। हिदी के साथ इन तकनीकी शब्दों का संम्मिश्रण ही हिंदी की ग्राह्यता को सिद्ध करता है। इसकी प्रमुख वजह है हिंदी का हमारी सोच में उपस्थित होना और यही कारण है कि हमारी सोच ही हमें हिंदी के करीब रखेगी। हम अंतरिक्ष के किसी भी कोने में किसी भी ग्रह अथवा तारे पर जा सकते हैं परन्तु हमारे विचार जब हिंदी में प्राकृतिक रूप से सिंचित और प्रकट होंगे तो हमारा मस्तिष्क भी त्वरित रूप से यथा संभव हिंदी को ही हमारे विचारों को शब्दों का जामा पहनाकर प्रस्तुतीकरण और कार्यान्वयन तक का मार्ग दिखायेगा। उनके क्रियान्वयन का कार्य ज़रूर मशीनी अथवा मानविक हो सकता है, पर मशीनी भाषा भी पूर्णरूपेण हिंदी हुई तो फिर क्या कहना?

भारत का आने वाला कल हिंदी के प्रयोग से विभूषित होकर एक नवीन और उज्जवल युग की रूपरेखा को अधोरेखांकित करेगा, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। आज 'भारत' और 'इंडिया' का अंतर समाप्त हो चुका है और हिंदी के लचीलेपन ने यह सिद्ध कर दिया है कि हिंदी समय की धारा का साथ लेकर समुन्नत हो सकती है। ऐसे परिदृश्य में जब हमारा देश 2047 में स्वतंत्रता की सौंवी वर्षगाँठ मना रहा होगा उस समय संभव है कि अभिव्यक्ति की प्रचलित विधा समय और तकनीक के दृष्टिकोण से बदल जाये परन्तु प्रायोगिक भाषा के तौर पर हिंदी सर्वमान्य और सर्व स्वीकृत होगी इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। हिंदी संवाद रहेगा, हिंदी हमारी सोच में रहेगी, चाहे स्वरुप बदल जाये। अतः हिंदी भी रहेगी और संभवतः उस शिखर पर रहेगी जहाँ हिंदी और हिंदुस्तान दोनों अपने वर्चस्व का परचम विश्वभर में लहलहा रहे होंगे, वर्तमान में हो रहे तकनीकी परिवर्तन और हमारे प्रयासों की सार्थकता के फलस्वरूप ऐसी आशा और विश्वास के साथ हम भविष्य के प्रति आश्वस्त रह सकते हैं।

-वैज्ञानिक/अभियंता-एसजी
सैक, अहमदाबाद

2047 की हिंदी: एक व्यापक अन्वेषण

-राहुल जैन

दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक हिंदी, भारत के सांस्कृतिक और भाषाई परिदृश्य में बहुत महत्व रखती है। भाषा किसी देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में, हिंदी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा और देश की भाषाई विविधता के एक अभिन्न अंग के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हिंदी का एक समृद्ध इतिहास है, जो संस्कृत और प्राकृत जैसी प्राचीन भाषाओं से विकसित हुआ है। उम्मीद है कि 2047 में हिंदी, भारतीयों के बीच संचार की प्राथमिक भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखेगी। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि सांस्कृतिक बदलाव, क्षेत्रीय विविधताएं और वैश्वीकरण, भाषा को प्रभावित कर सकते हैं। अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव हिन्दी भाषा पर बना रह सकता है, जिससे भाषाओं का मिश्रण होगा और संकर बोलियों का उदय होगा। 2047 में, हिंदी के भारत की आधिकारिक भाषा बने रहने, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक के रूप में कार्य करने की संभावना है। उम्मीद है कि बॉलीवुड, हिंदी फिल्म उद्योग, फलता-फूलता रहेगा और दुनिया भर में हिंदी की लोकप्रियता और प्रसार में योगदान देगा। हिंदी साहित्य, कविता और संगीत कलात्मक अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक संरक्षण के महत्वपूर्ण माध्यम बने रहेंगे।

भाषा सीखने में प्रगति:

जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, भाषा सीखने के संसाधनों के अधिक सुलभ, इंटरैक्टिव और प्रभावी होने की उम्मीद है। 2047 में, हिंदी सीखने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के पास उन्नत ऑनलाइन पाठ्यक्रम, भाषा एप्स और आभासी वास्तविकता अनुभवों तक पहुंच होने की संभावना है। ये संसाधन गहन भाषा सीखने का वातावरण प्रदान कर सकते हैं, जिससे शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में अपने हिंदी कौशल का अभ्यास करने में सक्षम बनाया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का प्रसार संभवतः बुद्धिमान भाषा सीखने के प्लेटफार्मों के विकास में योगदान देगा। अनुकूलित एल्गोरिथम और वैयक्तिकृत फीडबैक सिस्टम व्यक्तिगत सीखने की शैलियों और जरूरतों को पूरा करते हुए अनुरूप भाषा सीखने के अनुभव प्रदान कर सकते हैं। इससे विभिन्न दक्षता स्तरों के शिक्षार्थियों के लिए हिंदी सीखने और उसमें महारत हासिल करने में आसानी होगी।

हिंदी संचार पर तकनीकी प्रभाव:

2047 में प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति से हिंदी के उपयोग और संचार के तरीके पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। वॉयस रिकग्निशन सिस्टम और वर्चुअल असिस्टेंट जैसे हिंदी इंटरफेस संभवतः अधिक उन्नत, सहज और व्यापक रूप से उपलब्ध हो जाएंगे। इससे स्मार्टफोन, स्मार्ट होम डिवाइस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) डिवाइस सहित विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से हिंदी में सहज बातचीत और संचार संभव हो सकेगा। इसके अलावा, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और मशीनी अनुवाद प्रौद्योगिकियों के एकीकरण से हिंदी और अन्य भाषाओं के बीच वास्तविक समय में अनुवाद की सुविधा मिल सकती है। इससे अंतर-सांस्कृतिक संचार को बढ़ावा मिलेगा, भाषा संबंधी बाधाएं दूर होंगी और वैश्विक संदर्भों में हिंदी की पहुंच का विस्तार होगा।

सोशल मीडिया की भूमिका:

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आधुनिक संचार का अभिन्न अंग बन गए हैं और हिंदी के भविष्य में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है। 2047 में, हिंदी हैशटैग, उपयोगकर्ता-जनित सामग्री और ऑनलाइन समुदाय संभवतः फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्मों पर पनपेंगे। यह डिजिटल स्पेस दुनिया भर में हिंदी बोलने वालों के बीच विचारों, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और भाषाई रचनात्मकता के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बना सकता है। इसके अलावा, सोशल मीडिया भाषा पुनरुद्धार प्रयासों के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है। विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बीच हिंदी के उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन अभियान, भाषा चुनौतियां और डिजिटल भाषा संरक्षण पहल उभर सकती हैं।

भाषा संरक्षण:

सांस्कृतिक विविधता और पहचान बनाए रखने के लिए भाषाओं का संरक्षण महत्वपूर्ण है। 2047 में, हिंदी के व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा के रूप में फलते-फूलते रहने की उम्मीद है, जो भारत की समृद्ध विरासत के प्रतीक के रूप में काम करेगी। शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी पहलों और सामुदायिक संगठनों में भाषा को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ, हिंदी को संरक्षित करने के प्रयास

संभवतः तेज होंगे। उपायों में स्कूली पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य, इतिहास और सांस्कृतिक अध्ययन को शामिल करना, साथ ही हिंदी के सही उपयोग को मानकीकृत करने और बढ़ावा देने के लिए भाषा अकादमियों की स्थापना शामिल हो सकती है।

प्रौद्योगिकी प्रगति:

प्रौद्योगिकी भाषाओं के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2047 में, हम हिंदी के लिए भाषा सीखने के उपकरणों और संसाधनों में महत्वपूर्ण प्रगति की आशा कर सकते हैं। आभासी वास्तविकता (वीआर) और संवर्धित वास्तविकता (एआर) प्रौद्योगिकियां भाषा सीखने का व्यापक अनुभव प्रदान कर सकती हैं, जिससे शिक्षार्थियों को आभासी हिंदी भाषी वातावरण के साथ बातचीत करने की अनुमति मिल सकती है। भाषा ऐप और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म संभवतः अधिक परिष्कृत हो जाएंगे, जिसमें सीखने की यात्रा को निजीकृत करने और उच्चारण और व्याकरण पर वास्तविक समय की प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को शामिल किया जाएगा।

हिंदी पर डिजिटल प्रभाव:

डिजिटल युग ने भाषाओं के उपयोग और प्रसार के तरीके को बदल दिया है। 2047 में विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर हिंदी की मौजूदगी तेजी से बढ़ने की संभावना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सामग्री और मनोरंजन चैनल हिंदी भाषी दर्शकों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण मात्रा में हिंदी सामग्री पेश करेंगे। ऑनलाइन अनुवाद उपकरण भी आगे बढ़ेंगे, हिंदी और अन्य भाषाओं के बीच सटीक अनुवाद प्रदान करेंगे, भाषाई बाधाओं को तोड़ेंगे और वैश्विक संचार को सुविधाजनक बनाएंगे। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगातार भाषा मॉडल में सुधार करेगा, जिससे अधिक सटीक और प्रासंगिक रूप से उपयुक्त अनुवाद हो सकेंगे।

सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव:

हिंदी का विकास सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। 2047 में, हम उम्मीद कर सकते हैं कि हिंदी विकसित होगी और बदलती सामाजिक गतिशीलता के अनुरूप ढल जाएगी। बढ़ते वैश्वीकरण और बहुसांस्कृतिक प्रभावों के साथ, हिंदी अन्य भाषाओं के उधार शब्दों को आत्मसात कर सकती है, जो भारत के विविध भाषाई परिदृश्य को प्रतिबिंबित करती है। अंग्रेजी और हिंदी का सह-अस्तित्व जारी रह सकता है, दोनों भाषाओं के मिश्रण से, जिसे आमतौर पर "हिंग्लिश" के रूप में जाना जाता है। भारत की फलती-फूलती फिल्म इंडस्ट्री "बॉलीवुड" का प्रभाव हिंदी भाषा और संस्कृति पर बना रहेगा। हिंदी फिल्म के संवाद, संगीत और अभिव्यक्तियां भारत के भीतर और वैश्विक भारतीय प्रवासियों के बीच भाषा के लोकप्रिय उपयोग को आकार देना जारी रखेंगी। इस प्रभाव से हिंदी में नई शब्दावली और अभिव्यक्तियों का समावेश हो सकता है।

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व:

संस्कृत और प्राकृत जैसी प्राचीन भाषाओं से निकली हिंदी, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में गहरी जड़ों के साथ, भारत की भाषा के रूप में विकसित हुई है। भविष्य में, हिंदी से अपेक्षा की जाती है कि वह भारतीय पहचान के प्रतीक के रूप में अपने सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखेगी, जिससे विविध भाषाई समुदायों के बीच एकता और सामंजस्य की भावना को बढ़ावा मिलेगा। हिंदी साहित्य, संगीत और सिनेमा, विशेषकर जीवंत बॉलीवुड उद्योग, सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। तेजी से वैश्वीकृत होती दुनिया में, हिंदी विभिन्न देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को जोड़ने के साधन के रूप में कार्य करती है। यह भारतीय मूल के व्यक्तियों के बीच संचार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है, जिससे उन्हें अपनी जड़ों से संबंध बनाए रखने और अपनी विरासत को संरक्षित करने की अनुमति मिलती है। यह वैश्विक पहुंच भविष्य में हिंदी की निरंतर प्रासंगिकता और प्रभाव में योगदान देगी।

वैश्वीकरण और भाषा अनुकूलन:

वैश्वीकरण के कारण अंतरसंबंध और सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ा है, जिससे दुनिया भर में भाषाओं की भूमिका प्रभावित हुई है। भविष्य में वैश्वीकरण के कारण हिंदी को नए अवसरों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एक ओर, बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था और बॉलीवुड का प्रभाव हिंदी की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ा सकता है। इससे व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे अंतरराष्ट्रीय संदर्भों में हिंदी भाषा सीखने और उपयोग की मांग बढ़ सकती है। दूसरी ओर, वैश्वीकरण हिंदी को अन्य भाषाओं के भाषाई प्रभावों के संपर्क में भी ला सकता है। एक प्रमुख वैश्विक भाषा के रूप में अंग्रेजी ने पहले से ही हिंदी की शब्दावली और उपयोग को प्रभावित किया है। भविष्य में भाषाओं का और अधिक संलयन हो सकता है, क्योंकि हिंदी वैश्वीकृत दुनिया की मांगों के अनुरूप ढल जाएगी। यह भाषाई विकास संचार और अंतर-सांस्कृतिक संपर्क की बदलती गतिशीलता को प्रतिबिंबित करेगा।

तकनीकी प्रगति और भाषा उपकरण:

प्रौद्योगिकी में हुई तेजी एवं प्रगति ने संचार में क्रांति ला दी है, जिससे भाषाओं की भूमिका में नए रास्ते तैयार हो गए हैं। भविष्य में प्रौद्योगिकी-संचालित भाषा उपकरणों और प्लेटफार्मों से हिंदी को लाभ होने की संभावना है। भाषा सीखने के संसाधन, जैसे मोबाइल ऐप, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और आभासी वास्तविकता

अनुभव, अधिक उन्नत और सुलभ हो जाएंगे। ये उपकरण भौगोलिक बाधाओं के बावजूद दुनिया भर में शिक्षार्थियों के लिए हिंदी भाषा सीखने की सुविधा प्रदान करेंगे। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी डिजिटल प्लेटफार्मों और इंटरफेस में हिंदी की उपस्थिति को बढ़ाएगी। वॉयस रिकग्निशन सिस्टम, वर्चुअल असिस्टेंट और मशीन अनुवाद प्रौद्योगिकियां विभिन्न उपकरणों और अनुप्रयोगों में हिंदी में निर्बाध संचार को सक्षम बनाएंगी। यह डिजिटल युग में बातचीत और सामग्री उपभोग के माध्यम के रूप में हिंदी की भूमिका में योगदान देगा, जिससे इसकी पहुंच और प्रभाव का और विस्तार होगा।

सामाजिक परिवर्तन और भाषा संरक्षण:

भारत में बढ़ते शहरीकरण और महानगरीय क्षेत्रों के विकास से हिंदी और क्षेत्रीय बोलियों से प्रभावित मिश्रित शहरी भाषाओं का उदय हो सकता है। हालांकि, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास इसकी सांस्कृतिक विरासत और पहचान को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण रहेंगे। भाषा संरक्षण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भविष्य में शैक्षणिक संस्थान हिंदी और अंग्रेजी में दक्षता सुनिश्चित करते हुए द्विभाषी शिक्षा के महत्व पर जोर दे सकते हैं। इससे व्यक्तियों को स्थानीय और वैश्विक दोनों संदर्भों में नेविगेट करने में मदद मिलेगी, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव के लिए उनके अवसरों का विस्तार होगा।

चुनौतियां और अवसर:

जबकि 2047 में हिंदी का भविष्य आशाजनक दिखता है, पर इसे कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। भारत में क्षेत्रीय भाषाओं का उदय, भाषाई विविधता के साथ मिलकर, हिंदी के प्रभुत्व के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है। बंगाली, तमिल, तेलुगु और मराठी जैसी क्षेत्रीय भाषाएँ फलती-फूलती रहेंगी और विशेष रूप से अपने संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपयोग का आनंद उठाती रहेंगी। हालांकि, ये चुनौतियां बहुभाषावाद और भाषा समावेशिता में वृद्धि के अवसर भी प्रस्तुत करती हैं। क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान और संरक्षण करते हुए हिंदी को एक एकीकृत भाषा के रूप में बढ़ावा देने के प्रयासों पर जोर दिया जाएगा। अंतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने के लिए द्विभाषी शिक्षा कार्यक्रमों और पहलों को गति मिल सकती है, जिससे व्यक्तियों को संचार की एक आम भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के साथ-साथ अपनी क्षेत्रीय पहचान बनाए रखने की अनुमति मिल सकती है।

निष्कर्ष:

भविष्य में हिंदी की भूमिका बहुआयामी है, जो वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तनों से आकार लेती है। व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा के रूप में इसका सांस्कृतिक महत्व और स्थिति इसके निरंतर महत्व के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। हिंदी संभवतः सांस्कृतिक संरक्षण के साधन, वैश्विक भारतीय कनेक्शन के माध्यम और आर्थिक और सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए एक उपकरण के रूप में काम करेगी। हालांकि, विकसित हो रहा भाषाई परिदृश्य, तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण भी हिंदी को अपनाने और पनपने के लिए चुनौतियां और अवसर पैदा करेगा। अपने सांस्कृतिक सार को संरक्षित करते हुए इन परिवर्तनों को अपनाकर, हिंदी भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, भारत की पहचान में योगदान दे सकती है और दुनिया भर में हिंदी बोलने वालों के बीच वैश्विक संबंधों को बढ़ावा दे सकती है। 2047 में, हिंदी के भारत में और दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों के बीच प्रमुख भाषाओं में से एक के रूप में अपना महत्व बनाए रखने की उम्मीद है। इसका सांस्कृतिक महत्व, बॉलीवुड और कलात्मक अभिव्यक्तियों द्वारा प्रबलित, भारतीय पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहेगा। प्रौद्योगिकी में प्रगति से भाषा सीखने के अनुभवों में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे हिंदी सीखने वालों के लिए अधिक सुलभ और आकर्षक हो जाएगी। इसके अलावा, तकनीकी प्रगति हिंदी इंटरफेस और संचार को आकार देगी, जिससे डिजिटल प्लेटफार्मों पर भाषा में निर्बाध बातचीत संभव होगी। जबकि भविष्य का भाषाई परिदृश्य विभिन्न प्रभावों के अधीन है, हिंदी 2047 और उसके बाद भी एक गतिशील और प्रभावशाली भाषा के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए तैयार है। 2047 में, हिंदी भारत और प्रवासी भारतीयों के बीच एक प्रमुख भाषा बनी रहने की ओर अग्रसर है। भाषा संरक्षण के प्रयास, तकनीकी प्रगति, डिजिटल प्रभाव, सांस्कृतिक गतिशीलता और सामाजिक कारक सामूहिक रूप से हिंदी के भविष्य को आकार देंगे। जैसे-जैसे भारत प्रगति कर रहा है, भाषाई विविधता को संरक्षित करने और हिंदी को एक एकीकृत भाषा के रूप में बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। 2047 में हिंदी का विकास शैक्षणिक नीतियों, तकनीकी नवाचारों और सामाजिक दृष्टिकोण सहित असंख्य कारकों से प्रभावित होगा। भाषा की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक महत्व को पोषित करते हुए इन परिवर्तनों को अपनाने से यह सुनिश्चित होगा कि हिंदी आने वाले दशकों में एक जीवंत और विकसित भाषा के रूप में फलती-फूलती रहेगी।

-वरिष्ठ प्रबन्धक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,बेंगलुरू

पंच प्रण और हिंदी भाषा के मध्य द्विदिश संबंध

निधि सिंह

अमृतकाल में बहती विकास की अविरल धारा,
द्रुत गति से हिंदी बनती विश्व की अमृत भाषा,
हमारे दृढ़निश्चय व उद्यम से पंच प्रण पूरे होंगे,
2047 तक विकसित देश बनने में कामयाब होंगे।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्ष 2022 में लाल किले की प्राचीर से समस्त देशवासियों के लिए अमृतकाल का आह्वान किया तथा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए पंच प्रण को पुरा करने की बात कही थी। ये पंच प्रण हैं-देश को विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ाने का संकल्प, औपनिवेशिक मानसिकता को समाप्त करना, भारत की विरासत पर गर्व करना, एकता एवं एकजुटता की ताक़त और राष्ट्र के प्रति नागरिकों के कर्तव्य। पंच प्रण और हिंदी भाषा एक दूसरे के पूरक हैं जिसके लिए सभी भारतीयों को एकजुट होकर काम करना होगा।

प्रथम प्रण को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि भारत का भारत के रूप में ही विकास हो, देश के सामने आने वाली कठिनाइयों का हम सभी भारतीय मिल कर सामना करें तथा हम अपनी सभ्यता व संस्कृति के मूल को पहचान कर उसके अनुरूप कार्य करें। हिंदी भाषा में भारतीय संस्कृति की झलक है और देशी-विदेशी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करने की विशेषता भी है। हिंदी भाषा सरल और सहज होने के साथ ही पूरे विश्व में प्रचलित और सर्वमान्य भाषा है जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हिंदी एवं स्थानीय भाषाओं और शिक्षा का आपस में गहरा सम्बन्ध है। अतः हिंदी एवं स्थानीय भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2020 में 'नयी शिक्षा नीति' का शुभारम्भ किया। यह शिक्षा नीति संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य-4 के वैश्विक शिक्षा के विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। त्रिभाषा फार्मूला पर आधारित इस नीति से हिंदी भाषा की उपयोगिता शीर्ष पर पहुँचेगी क्योंकि हम सभी भारतीयों के दिल में यह रची बसी है और सरल होने की वजह से हमारी शिक्षा पद्धति को भी मजबूत करेगी। हिंदी भाषा से बाल्यावस्था की शिक्षा, उच्चतर स्तर की तार्किक-वैज्ञानिक शिक्षा, अनुभव आधारित शिक्षा और नवाचार व अनुसंधान को आसान बनाने में मदद मिलेगी। हिंदी भाषा की जड़ें गहरी होने की वजह से भारत की समृद्ध संस्कृति को शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत लाने में मदद मिलेगी। एकीकृत उच्चतर शिक्षा प्रणाली के लिए भारतीयों को एकीकृत करना आवश्यक है जिसमें हिंदी की मुख्य भूमिका होगी। इससे हम शैक्षिक क्रांति का हिंदी की अगुवाई में नेतृत्व कर सकेंगे।

प्रौद्योगिकी और शिक्षा में गहरा सम्बन्ध है जिसके मूल में भाषा निहित है। नए प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे कृत्रिम मेधा, मशीन लर्निंग इत्यादि में हिंदी का उपयोग हो रहा है जिससे सभी वर्गों का सामाजिक सशक्तीकरण भी हो रहा है। समाचार चैनल जैसे 'आज तक' में कृत्रिम मेधा समाचार वाचक 'सना' को हिंदी बोलते हुए बेहद खुशी होती है जो कि तकनीक और हिंदी भाषा का अनूठा संगम है। हिंदी भाषा 'डिजिटल इंडिया' अभियान का अहम हिस्सा बन रही है जिससे आम भारतीय इस अभियान से सीधा जुड़ रहे हैं तथा समाज में ऐतिहासिक बदलाव आ रहा है। 'अटल इनोवेशन मिशन' प्रौद्योगिकी नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है जिससे देश की अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी आएगी तथा इसके परिणामस्वरूप वैज्ञानिक एवं नवाचार शोध-पत्रों की हिंदी भाषा में अधिकता होगी और 2047 तक भारत में हिंदी भाषा स्टार्ट-अप,नवाचार,उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के

तहत शिक्षा का अंतरराष्ट्रीय करण करने पर बल दिया गया है जिसके लिए हिंदी सशक्त माध्यम है। इससे भारत में विदेशों से आने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी होने के साथ ही भारत से विदेशों में पढ़ने या शोध करने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या भी बढ़ेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों के मध्य करार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है जिससे हिंदी भाषा के शोध पत्रों से समूचा विश्व बेहतर तरीके से अवगत होगा तथा हिंदी के प्रति रुचि बढ़ेगी।

विकसित देश बनने के लिए ई-शासन का पारदर्शी होना तथा जन-भागीदारी होना भी आवश्यक है इसलिए इसका माध्यम हिंदी भाषा तथा भारत के संविधान की अनुसूची-8 में उल्लिखित भारतीय भाषाओं को बनाया जा रहा है। इससे आम जनमानस को भी समझ आएगा कि ई-शासन कैसे उनके लिए लाभदायक है। ई-न्यायालय की व्यवस्था से पारदर्शी और जवाबदेह सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है जिसमें अंग्रेजी के साथ हिंदी और अन्य स्थानीय भाषाओं को भी सम्मिलित किया जायेगा। इससे समाज के अंतिम वर्ग तक भारतीय न्याय व्यवस्था में विश्वास सुदृढ़ होगा। भारत को विकसित बनाने में युवा पीढ़ी का भी अहम योगदान है जिसे अमृत पीढ़ी का दर्जा दिया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत नए युग के पाठ्यक्रम जैसे कोडिंग, कृत्रिम मेधा, रोबोटिक्स, थ्री डी प्रिंटिंग के हिंदी भाषा में उपलब्ध होने से युवा बेहतर तरीके से सशक्त होंगे। 'कौशल भारत डिजिटल प्लेटफार्म' योजना से डिजिटल तंत्र में हिंदी भाषा के भी होने से सभी वर्ग के युवाओं की भागीदारी बेहतर तरीकों से सुनिश्चित होगी। 'सहकार से समृद्धि' लक्ष्य को पुरा करने के लिए प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया गया है जिसमें हिंदी भाषा को सम्मिलित करने से ग्रामीण जनमानस भी विकास की मुख्य धारा में उत्साह के साथ सम्मिलित होंगे। अतः 2047 तक हिंदी में नवाचारों और अनुसंधानों की अधिकता होने से, डिजिटल पारितंत्र की हिंदी में उपलब्धता से, समाज के अंतिम व्यक्ति तक का विकास संभव होगा जिसमें हिंदी भाषा की मुख्य भूमिका होगी।

दूसरे प्रण के अंतर्गत औपनिवेशिक मानसिकता को समाप्त करना आवश्यक है। इसके लिए हमें भाषा की औपनिवेशिक मानसिकता को समाप्त करना होगा। यह तभी हो सकता है जब हम हिंदी भाषा तथा अन्य भारतीय भाषाएँ बोलते हुए गर्व महसूस करें। अपनी भाषा में बात करते हुए हीन भावना कभी नहीं आनी चाहिए। भाषा के क्षेत्र में संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होना आवश्यक है जिसके लिए सभी भारतीयों को तत्परता से कदम उठाने होंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम किसी विदेशी भाषा को न सीखें अपितु राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी हिंदी भाषा में संबोधन या बात करते हुए स्वयं को सम्मानित महसूस करें। स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार विश्व पटल पर संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था जिसकी सराहना संपूर्ण विश्व द्वारा की गयी थी। वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबोधन या नीतिगत मसलों पर हिंदी में विचार-विमर्श करते हैं जिससे कूटनीतिक सम्बन्ध प्रगाढ़ हुए हैं। हिंदी भाषा के प्रचार के लिए राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा डिजिटल पुस्तकालय उपलब्ध कराने से भारतीयों के हिंदी भाषा ज्ञान में निश्चय रूप से वृद्धि होगी। डिजिटल तकनीक के संगम से हिंदी भाषा बेहतर तरीके से हमारे मन-मष्तिष्क पर प्रभाव डालेगी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर ई-पत्रिका पुस्तकालय उपलब्ध है जिसमें विभिन्न संस्थाओं की पत्रिकाएँ हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं। इसके साथ ही राजभाषा विभाग ने हिंदी को और लोकप्रिय बनाने के लिए 'कंठस्थ' एप विकसित किया है जिसमें अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में तुरंत अनुवाद कर देने की अद्यतन तकनीक समाहित है। आज के युग का भारत अन्य देशों के लिए विभिन्न उत्पादों की खपत के लिए बहुत बड़ा बाज़ार बन कर उभर रहा है। अतः विदेशी कंपनियों को विपणन करने के लिए हिंदी भाषा सीखना आवश्यक है जिससे वे स्थानीय लोगों से जुड़ सकें तथा उन्हें अपने उत्पादों के बारे में बता सकें। इसके कारण हिंदी भाषा के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में जी-20 में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श देश के विभिन्न भागों में किये जा रहे हैं, इससे देश में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप हिंदी भाषा एवं अतुल्य भारत का विस्तार होगा। अतः राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बैठकों के माध्यम से 2047 तक औपनिवेशिक मानसिकता धीरे धीरे समाप्त होगी और हिंदी भाषा विश्व में मजबूत स्तम्भ के रूप में स्थापित होगी।

तीसरा प्रण है-भारत की विरासत पर गर्व करना। भारत के प्रत्येक

नागरिक को अपने देश की मूर्त व अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों पर गर्व करना चाहिए जिसके कारण भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण है। भारत सरकार ने प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए 'भारत श्री' योजना का शुभारम्भ किया है जिसमें पांडुलिपियों का विवरण हिंदी भाषा में दिया जाएगा। इसके कारण हमारी पुरातन विरासत की उपलब्धता हिंदी भाषा में विश्व भर में उपलब्ध होगी। हमारी कई सांस्कृतिक विरासतों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। वर्तमान समय में यूनेस्को की आधिकारिक वेबसाइट पर भारत की समस्त 40 विश्व धरोहरों का वर्णन हिंदी भाषा में किया गया है। अमूर्त विरासत जैसे योग,कालबेलिया और छऊ नृत्य भी विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। विश्व में योग अब लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है। योग के महत्व और आसनों की जानकारी मुख्यतः हिंदी भाषा में सभी जगह उपलब्ध है, इससे सभी लोगों को योगासनों को समझने में आसानी हो रही है। कालबेलिया और छऊ नृत्यभारत की लोक कथाओं तथा विभिन्न ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत पर आधारित हैं। इन नृत्यों के द्वारा विदेश में बसे लोग भारतीय संस्कृति को समीप से जान पाते हैं, इनका बातचीत का माध्यम हिंदी भाषा ही होता है जिससे विदेशी लोग भी हिंदी सीखने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। भारतीय कलाकार हिंदी भाषा के द्वारा अपनी प्रस्तुति देने में सहजता का अनुभव करते हैं। भारतीय हिंदी फिल्म उद्योग (बॉलीवुड) द्वारा बनाई गई कई हिंदी फिल्मों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है। ऑस्कर नामांकित मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान सरीखी हिंदी फिल्मों ने अन्य देशों की फिल्मों को कड़ी टक्कर दी है। साथ ही ऑस्कर पुरस्कार विजेता गुलजार, ए.आर.रहमान ने हिंदी फिल्मों के गीत व संगीत को ऊंचाईयों पर पहुंचाया है। हिंदी फिल्मों के प्रशंसक दुनिया भर में हैं जिससे हमारे देश की लोक-कथाओं, नृत्य-गायन इत्यादि का तीव्र गति से प्रचार हो रहा है। कई हिंदी फिल्मी गीत आज भी विश्व में लोगों की जुबाँ पर हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाजरा के लाभों और संसार को उसके पोषक तत्वों का महत्व बताने के लिए हिंदी में एक विशेष गीत 'बाजरा में बहुतायत' के लिए ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय-अमेरिकी गायक फाल्गुनी शाह के साथ सहयोग किया है। भारत को 'श्री अन्न (मिलेट्स)' का वैश्विक केंद्र बनाने में नयी पद्धतियों, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा करना आवश्यक है। इसके साथ ही श्री अन्न को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने में हिंदी भाषा के लेखों एवं गीतों का अहम योगदान होगा। कहा भी गया है कि गीत-संगीत की कोई सीमा नहीं होती और हिंदी भाषा भी इस सीमा से परे सभी देशों में लोकप्रिय हो रही है।

'भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्' का भी भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा के वैश्विक प्रसार में काफी योगदान है। इसके द्वारा भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाता है। इसके अंतर्गत विदेशों में 'भारत महोत्सव' का आयोजन, अभिनय कलाकारों द्वारा विदेशों में व्याख्यान आयोजित करना इत्यादि कार्यक्रम होते हैं, जिसमें हिंदी भाषा प्रमुख माध्यम रहती है। इससे हमारी हिंदी भाषा का बेहतर तरीके से प्रचार-प्रसार हो रहा है। विभिन्न देशों के लोग हिंदी इसलिए सीखते हैं क्योंकि उनका भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा के प्रति विशेष आकर्षण है तथा उससे वे सदैव जुड़े रहना चाहते हैं। वर्ष 2023 में भारत स्थित ऑस्ट्रेलिया के उच्चायोग ने कारगिल में 'जड़ों की ओर लौटो' परियोजना के लिए सरकारी मदद की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान को विद्यालय शिक्षा के विज्ञान के पाठ्यक्रम से जोड़ना है जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी और हिंदी भाषा को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रत्येक वर्ष मनाये जाने वाले प्रवासी भारतीय दिवस से ही अमृत काल में भारत की प्रगति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होने की राह आसान हुई है। हिंदी भाषा को सर्वमान्य बनाने में प्रवासी भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी भाषा के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन 'विश्व हिंदी सम्मलेन'में देश-विदेश के हिंदी विद्वान्, साहित्यकार, विशेषज्ञ इत्यादि विचार-मंथन करते हैं। इससे आगामी वर्षों में हिंदी भाषा को सीखने के इच्छुक लोगों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होगी। निश्चय ही हिंदी भाषा हमारी विरासत है जिसे हमें नव-तकनीकों से जोड़ना होगा। अतः उपरोक्त प्रयासों से भारतीय विरासत की गौरव यात्रा हिंदी भाषा के माध्यम से शिखर पर स्थापित होगी।

चौथे प्रण के अंतर्गत संपूर्ण देश में एकता एवं एकजुटता का होना आवश्यक है। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश को एक डोर में बाँधने में मुख्य भूमिका निभाई थी। भविष्य में हिंदी

भाषा से देश की एकता को मजबूती मिलेगी। यह सर्वविदित है कि हिंदी भाषा को सभी देशवासियों ने खुले दिल से स्वीकार किया है और राज्यों के मध्य परस्पर वार्तालाप के लिए हिंदी भाषा को आत्मसात किया है। भले ही हमारे देश में विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं लेकिन हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिए जाने की वजह से इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। अगर हम वैश्विक दृष्टि से भारत को देखेंगे तो हिंदी भाषा को केंद्र बिंदु पर पाएंगे। भारत के विदेश मंत्री ने 12 वें विश्व हिंदी सम्मलेन के शुभंकर एवं वेबसाइट के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान बताया कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल कराने के लिए भारत प्रयासरत है। संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण सूचनाओं और संदेशों को संप्रेषित करने के लिए अन्य भाषाओं के साथ हिंदी भाषा का प्रयोग भी प्रस्तावित है। अतः समस्त भारतीयों की एकजुटता से वर्ष 2047 तक हिंदी भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा का गौरव प्राप्त होगा।

पांचवें प्रण के तहत राष्ट्र के प्रति नागरिकों के भी कर्तव्य हैं जिसे प्रत्येक नागरिक को निभाना आवश्यक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। इसके अनुसार संविधान का पालन करने की बात कही गयी है इसलिए हिंदी भाषा के प्रसार में नागरिकों को भी सहभागी बनना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। भारत सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के साथ ही हम सभी को हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य करना होगा। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए हिंदी भाषा को समस्त भारत के संचार की मुख्य भाषा का दर्जा दिया था तथा हिंदी के विकास के लिए काम किया था। यह हमारा दायित्व है कि हम उनके उच्च आदर्शों को याद रखें तथा उनका पालन करें। समस्त भारतीयों में एकता और भाईचारे की भावना बलवती करने के लिए हिंदी भाषा एक मानक भाषा के रूप में बन के उभरी है। हम सभी को अपनी सांस्कृतिक विरासतों की रक्षा करनी होगी जिसमें हिंदी भाषा में सृजित साहित्य, महाकाव्य इत्यादि आते हैं। बचपन से बच्चों के मन में हिंदी भाषा के प्रति रूचि जगाने में शिक्षकों के साथ-साथ अभिभावक भी बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। भविष्य में वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा के लिए हिंदी भाषा में भरपूर पुस्तकें उपलब्ध होंगी जिससे प्रत्येक वर्ग के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। यह तभी संभव हो सकता है जब प्रत्येक नागरिक हिंदी भाषा में शोध करने के लिए स्व-प्रेरित हो क्योंकि स्व प्रेरणा से किया गया कार्य ही इच्छित सफलता की शीघ्र कुंजी है। डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम का कहना था-'सपने वे नहीं जो सोते हुए देखे जाएँ बल्कि सपने वे हैं जो इंसान को सोने न दें। यदि प्रत्येक भारतीय ने हिंदी भाषा को वैश्विक शिखर पर ले जाने का सपना साकार करने का दृढ़निश्चय कर लिया तो 2047 तक हिंदी भाषा विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा बन जायेगी।

यह सत्य है कि हिंदी भाषा अपनी जीवंतता, सशक्तता, समृद्धता, सरलता एवं सहजता के कारण वैश्विक स्तर पर 'अमृत भाषा' के रूप में पहचान बना रही है। अतः हिंदी भाषा में नवीनतम शब्दों को आत्मसात करने के लिए निरंतर अनुसंधान होना चाहिए। अमृतकाल में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में तथा भारतीयों में भाईचारे को विकसित करने में हिंदी भाषा मुख्य भूमिका निभाएगी। अंततः हम कह सकते हैं कि पंच प्रण और हिंदी भाषा के मध्य द्विदिश सम्बन्ध हैं जिससे हम वर्ष 2047 तक विकसित देश के रूप में उभरेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों से भारत और हिंदी भाषा की विशेषता चरितार्थ होती है-

अमृतसंवाहिनी बनकर लोकप्रिय हुई है हिंदी भाषा,
भारतीय सभ्यता-संस्कृति से गहरा है इसका नाता,
अनेकता में एकता है, हम भारतीयों की विशेषता,
इसीलिये भारत देशब्रह्माण्ड में महान कहलाता।
।। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी ।।

सन्दर्भ:

1. https://www.mygov.in
2. https://www.pib.gov.in
3. https://rajbhasha.gov.in
4. https://www.iccr.gov.in
5. https://www.abplive.com/news/india/eam

वैज्ञानिक/अभियंता–एस.एफ
अहमदाबाद, गुजरात

कंठस्थ: राजभाषा की व्याप्ति का वरदान

-कुहू माधव

भाषायी परतन्त्रता सांस्कृतिक परतन्त्रता का प्रस्थान बिन्दु है। भारत में सन् 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही हिन्दी बनाम अंग्रेजी का संघर्ष जारी रहा। अंग्रेजी के पक्ष में बोलने वाले लोग उसकी सर्वव्यापकता, ग्राह्यता, वैश्विकता और ज्ञान-विज्ञान, तकनीक का विपुल विषय-भण्डार रखने को इसके महत्त्व का कारण बताते रहे तो हिन्दी के पक्ष वालों के पास हिन्दी के वैज्ञानिक भाषा होने, सबसे बड़ा जनाधार और भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त होने को प्रमुख कारण बताते रहे। निःसन्देह ये तीनों ही कारण राजभाषा हिन्दी की शक्ति हैं जिसके आधार पर तमाम विरोधों के बावजूद हिन्दी अपनी उसी धार और तेवर के साथ टिकी रही और दस कदम आगे बढ़कर विश्व भाषा बनने की ओर भी अग्रसर हुई। कहने की आवश्यकता नहीं कि आज विश्व भर के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में हिन्दी का पठन-पाठन हो रहा है। हिन्दी बोली भी जा रही है और समझी भी जा रही है।

इस दिशा में एक क्रान्तिकारी पहल करते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग ने हिन्दी को और लोकप्रिय तथा सर्वव्यापी बनाने के लिए "कंठस्थ" नामक एक एप विकसित किया है जो गूगल की तरह ही अंग्रेजी से हिन्दी और आवश्यकता पड़ने पर हिन्दी से अंग्रेजी में तुरन्त अनुवाद कर देने की एक अद्यतन तकनीक है। "कंठस्थ" का उप शीर्षक ही है "अनुवाद सारथी"। यानी अंग्रेजी से हिन्दी या हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद का एक अत्याधुनिक सिस्टम। स्मृति आधारित अनुवाद टूल "कंठस्थ" के आ जाने से राजभाषा के अनुप्रयोग या व्यापक स्वीकार्यता के गवाक्ष खुले हैं। इस तकनीक के उपयोग में दूसरी भाषा के शब्दों के प्रयोग से कोई परहेज नहीं किया गया है। कुछ शब्द ज्यों के त्यों अंग्रेजी से हिन्दी में लिप्यान्तरित कर दिए गये हैं- जैसे- ट्रांसलेशन मेमोरी जिसका संक्षिप्तीकरण टी0एम0 किया गया है। यह टी0एम0 मशीन साधित अनुवाद प्रणाली का एक भाग है जिससे अनुवाद करने में सहायता मिलती है। वस्तुतः टी0एम0 एक डेटाबेस है जिसमें स्रोत भाषा के वाक्य और जिस भाषा में अनुवाद अपेक्षित है, दोनों एक साथ रहते है, ताकि एक ही स्थान पर दोनों को देखा जा सके। ट्रान्सलेशन मेमोरी पर आधारित इस सिस्टम की मुख्य विशेषता यह भी है कि पहले से किये गये अनुवाद का किसी नई फाइल के अनुवाद के लिए पुनः प्रयोग किया जा सकता है। यदि अनुवाद की नई फाइल का वाक्य टी0एम0 के डेटाबेस से पूर्णतः या आंशिक रूप से समानता रखता है तो सिस्टम उस वाक्य के अनुवाद को अपने टी0एम0 से स्वतः ले लेता है और अनुवादक की मदद करता है तथा अंग्रेजी से हिन्दी या हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद की प्रक्रिया को सरल बनाता है।

"कंठस्थ" की अनेक अन्य विशेषताएँ उसे गूगल या संजाल से थोड़ा अलग और महत्त्वपूर्ण बना देती हैं। यह कहा जा सकता है कि इण्टरनेट की दुनिया की अनेक विशेषताओं को यह "कंठस्थ" नामक भारतीय एप अपने में समाहित करते हुए उसका और अधिक विकसित स्वरूप प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए "कंठस्थ" में स्मार्ट चैटबॉट, तुरन्त अनुवाद, प्राप्त सूचनाएँ (नोटिफिकेशन), फाइल शेयर करना, विभिन्न फाइल-एक्सटेंशन का समर्थन, न्यूरल मशीन ट्रान्सलेशन विकल्प, स्थानीय के साथ-साथ वैश्विक टी0एम0 का निर्माण, आटोमैटिक स्पीच रिकॅाग्निशन, द्विभाषिक फाइल भेजना या प्राप्त करना, वाक्यांश खोज और अन्त में गुणवत्ता की जाँच करने जैसी विशेषताएँ "कंठस्थ" को संजाल की दुनिया में एक अलग पहचान देती हैं।

अब इसकी कुछ विशेषताओं पर चर्चा करना भी आवश्यक है ताकि "कंठस्थ" को समझा जा सके। चैटबॉट स्क्रीन के नीचे दाई ओर होता है जहाँ उपयोग करने वाला व्यक्ति लॉगिन करने के बाद देख सकता है। यह चैटबॉट "कंठस्थ" की कार्य क्षमता या उसके बारे में जानने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, जहाँ चैटबॉट आइकन पर क्लिक करने से यह खुल जाता है और आगे बढ़ने के कई विकल्प प्रदान करता है। अपनी जिज्ञासा के अनुसार उपयोगकर्ता अपने प्रश्नों का समाधान ढूँढ़ सकता है।

तुरन्त अनुवाद की कंठस्थ की विशेषता इस तरह है कि यदि प्रयोगकर्ता फोल्डर आदि नहीं बनाना चाहता तो इस बटन के द्वारा सीधे ही फाइल का अनुवाद कर सकता है। इसके लिए स्क्रीन पर बने बॉक्स में अपनी विषय-वस्तु लिखे अथवा कॉपी करे और एडिटर वाले बटन पर क्लिक करे। फाइल एडिटर में खुल जाती है और वहाँ से तुरन्त अनुवाद प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार "कंठस्थ" स्क्रीन पर कोई प्राप्त सूचना, सन्देश, प्रेषित फाइल के बारे में अद्यतन जानकारी लेने के लिए नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करते हैं। फाइल किसी के साथ शेयर करने का विकल्प भी आन्तरिक नेटवर्क या ई मेल के द्वारा किया जा सकता है। शेयर बटन पर क्लिक करने के बाद प्राप्तकर्ता का ईमेल आई डी लिखकर भेजा जा सकता है। स्थानीय और वैश्विक टी0एम0 के निर्माण के अन्तर्गत वाक्यों को उनके अनूदित रूप के साथ क्रमबद्ध ढंग से सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में भी आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग किया जा सके। कंठस्थ विभिन्न फाइल-एक्सटेंशन का समर्थन करते हुए सभी फाइलों के स्वरूप से इनपुट लेकर उनका अनुवाद करने की क्षमता भी रखता है।

न्यूरल मशीन ट्रान्सलेशन एक ऐसा सशक्त विकल्प है कि यदि फजी सर्च से खोजने पर भी कोई शब्द नहीं मिलता है तो न्यूरल मशीन ट्रान्सलेशन

के माध्यम से उसका वैकल्पिक शब्द तैयार मिलता है। कंठस्थ फजी सर्च की तुलना में अधिक तेज गति से काम करता है, साथ ही नये वाक्यों के लिए अधिक सटीक है। स्पीच रिकॅाग्निशन आज के समय की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। प्रायः स्मार्ट मोबाइल में बोलकर टंकित करने की सुविधा विद्यमान रहती है। उसी प्रकार "कंठस्थ" में भी आटोमैटिक स्पीच रिकॅाग्निशन है जो किसी व्यक्ति द्वारा बोले गये शब्दों या वाक्यों को इनपुट की तरह लेकर उसे डिजिटल या लिखित रूप में रूपान्तरित कर देता है। यह एक अत्यन्त सुविधाजनक तकनीक है क्योंकि बोलना टाइप करने की तुलना में अधिक तेज गति से हो सकता है, साथ ही वर्तनी या वाक्य की अशुद्धि से भी बचाता है।

"कंठस्थ" के माध्यम से द्विभाषिक फाइलों को एक ही वर्ड फाइल में डाउनलोड करके कहीं भी भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। इस फाइल में स्रोत एवं अनूदित वाक्य क्रमवार विद्यमान होते हैं। अनूदित अंश की जाँच के लिए भी इस फाइल का प्रयोग किया जा सकता है। उसी तरह किसी द्विभाषिक फाइल को कंठस्थ पर अपलोड भी किया जा सकता है।

वाक्यांश खोज के लिए भी "कंठस्थ" पर विकल्प खुला होता है। वाक्यांश खोज नामक बटन पर क्लिक करने से एक बॉक्स खुलता है जिसमें वांछित शब्द या वाक्यांश लिखकर सर्च बटन को क्लिक करने से वह शब्द या वाक्यांश उपलब्ध होने पर एडिटर पर चिन्हांकित हो जाता है। अन्त में गुणवत्ता जाँच के बटन पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर विराम चिन्ह आदि जैसी छूटी हुई त्रुटियों की ओर "कंठस्थ" संकेत करता है। आंशिक अनुवाद, अधूरा अनुवाद, छोड़ दिया गया अनुवाद आदि की ओर भी यह इंगित करता है। कहाँ कॉमा, डॉट, हलन्त आदि छूटा हुआ है, वे सभी त्रुटियां "एरर" वाले बाक्स में दिखाई पड़ने लगती हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो भी विषय-सामग्री ग्लोबल मेमोरी में जायेगी वह सुरक्षित हो जायेगी। वहीं गूगल का कोई हिन्दी मैटर इस पर नहीं आ पायेगा क्योंकि यह एक स्वतन्त्र प्लेटफार्म है जिससे किसी भी तरह का अनुवाद किया जा सकता है। इसका उपयोग वैश्विक स्तर पर लोग कर सकते हैं।

कंठस्थ एप की कुछ नई विशेषताएं

1. राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय ने समय की मांग के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बिठाते हुए हिन्दी को और व्यापक रूप प्रदान करने के लिए कई महत्त्वपूर्ण कार्य किए हैं। अनुवाद टूल "कंठस्थ" इसका नवीनतम उदाहरण है। राजभाषा विभाग द्वारा सीडेक पुणे के सहयोग से ट्रान्सलेशन मेमोरी (TM) अर्थात् स्मृति पर आधारित अनुवाद करने वाला यह टूल विकसित किया गया है, जिसका बीटा संस्करण विश्व हिन्दी सम्मेलन 2018 में मारीशस में लोकार्पित किया गया था। यह टूल प्रयोक्ता द्वारा किये गये सारे अनुवाद को द्विभाषिक रूप में (Bilingual) अंग्रेजी से हिन्दी या हिन्दी से अंग्रेजी में करके अपनी मेमोरी में सुरक्षित कर लेता है, और जब उससे मिलता जुलता अनुवाद फिर से सामने आता है तो यह "कंठस्थ" पर किसी भी प्रयोक्ता द्वारा पूर्व में किये गये पुराने अनुवाद को पुनः सामने कर देता है। सर्वर या ग्लोबल मेमोरी के माध्यम से इसके सभी प्रयोक्ता किसी भी अन्य प्रयोक्ता द्वारा किये गये पूर्व अनुवाद का लाभ भी उठा सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और साथ ही साथ एक जैसे वाक्यों के लिए समान शब्दावली का बार-बार प्रयोग होता है।

2. 14 सितम्बर 2022 हिन्दी दिवस के अवसर पर सूरत (गुजरात) में द्वितीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर गृह एवं सहकारिता मन्त्री जी द्वारा "कंठस्थ:2.0" का लोकार्पण किया गया। इसके इस अद्यतन संस्करण में तीन और नई विशेषताएँ शामिल की गई हैं जो निम्नलिखित हैं-

(a) न्यूरल मशीन ट्रान्सलेशन अर्थात् मशीनी अनुवाद-

"कंठस्थ" के पहले संस्करण में यह केवल स्मृति आधारित अनुवाद ही उपलब्ध कराता था परन्तु अब इस नई विशेषता के तहत यह सुविधा भी प्रदान की गई है कि यदि सॉफ्टवेयर को अपनी मेमोरी से कोई अनुवाद प्राप्त नहीं होता है तो वह न्यूरल मशीन ट्रान्सलेशन प्रणाली के माध्यम से अनुवाद उपलब्ध करायेगा। तात्पर्य यह कि अब यह केवल अपनी मेमोरी, जिसमें अब तक लगभग 22 लाख वाक्य सुरक्षित हो चुके हैं और भविष्य में और भी अधिक हो जायेंगे, से अनुवाद देने के अलावा मशीनी अनुवाद भी उपलब्ध करायेगा। यह हिन्दी को विश्व व्यापी बना सकने में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

(c) अब इस सॉफ्टवेयर "कंठस्थ" में टाइपिंग करने के लिए वायस टाइपिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रयोक्ता बोलकर भी टाइप कर सकते हैं।

(d) इस नये संस्करण में एक स्मार्ट चैटबोट भी है जो May I Help you की तरह है। इसमें नये प्रयोक्ता के लिए बहुत सारे प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दिये गये हैं। आप इन्हें दूसरे शब्दों में "FAQS" या "प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न" कह सकते हैं।

इस प्रकार स्मृति तथा आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स पर आधारित टूल "कंठस्थ:2.0" हिन्दी के प्रचार प्रसार में एक मील का पत्थर साबित होगा।

"कंठस्थ" राजभाषा विभाग के लिए एक वरदान की तरह है, जहाँ शब्दों या अनुवाद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और मानक हिन्दी के प्रयोग के साथ ही हिन्दी भाषा का समुचित प्रचार प्रसार और व्यवहार सभी लोग कर सकेंगे। अब किसी के पास यह कहने का अवसर नहीं रहेगा कि अमुक शब्द का वैकल्पिक या पर्यायवाची शब्द ढूँढ़े से नहीं मिल रहा। राजभाषा हिन्दी की सम्यक् प्रतिष्ठा के लिए "कंठस्थ" एक अत्याधुनिक तकनीक है। हमें इसका खुले हृदय से अभिनन्दन करना है।

-भू गर्भ विज्ञान विभाग
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी

हिंदी दिवस - 2022 एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मलेन में मंचासीन अतिथिगण

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी हिंदी दिवस - 2022
एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मलेन, सूरत में प्रतिभागियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए

ISSN No.: 0970-9398

भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एनडीसीसी-II भवन, नई दिल्ली-110001 के लिए डॉ. धनेश द्विवेदी,
उप संपादक द्वारा प्रकाशित तथा सेमाफोर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता द्वारा मुद्रित